

विनोदा के विच्छ

प्रस्तावना-लेखक
श्री महादेव देसाई

संपादक
वियोगी हरि

सर्वोदय साहित्य माला १०२वाँ अन्त्य
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
शाखाएँ—दिल्ली : लखनऊ : इन्दौर : वर्धा : कलकत्ता : इलाहाबाद

दिसंबर १९४१ : २०००

जुलाई १९४२ : २०००

मूल्य

वारह आना

प्रकाशन,

मार्टिरट उपाध्याय,

मंग्री, सस्ता साहित्य मण्डले,

बनाट मर्फत, गर्ट जिती

नुड्क,

श्रीनाथदास अग्रवाल,

टाइप-टेक्निक प्रेस,

बनारस

निवेदन

श्री विनोबा जी के विचारों का पहला संस्करण हाथों-हाथ बिक गया, इससे मालूम होता है कि हिन्दी पाठकों को ये विचार रुचते हैं। यह दूसरा संस्करण भी इसी आशा से प्रकाशित किया जा रहा है कि पाठक इसे उसी उत्साह से अपनावेंगे।

इस संस्करण में कुछ लेख घट बढ़ गये हैं। जो कम किये गये हैं उन्हे आगे के भागों में देने का विचार है।

इधर श्री विनोबा जी धारावाहिक रूप से लिख और बोल रहे हैं, हमारा इरादा है कि उनके चुने हुए नये पुराने सब लेख और भाषण कई भागों में प्रकाशित किये जायें। आशा है पाठक इन विचारों के प्रचार में हमारी पूरी सहायता करेंगे।

पुस्तक का नाम ‘विनोबा के विचार’ होने पर भी पृष्ठों की शीर्षक पक्कियों पर गलती से ‘मधुकर’ नाम छपा है, जिससे यह भ्रम हो सकता है कि श्री विनोबा जी के मराठी में ‘मधुकर’ नामक संग्रह में के सब लेख इसमें हैं। पर ऐसा नहीं है। उसमें के कुछ और उसके सिवा लेख भी इसमें दिये गये हैं।

—प्रकाशक

प्रस्तावना

प्रसिद्धि की जिनको कभी परवाह नहीं थीं उनको पूज्य गाँधीजी के सत्याग्रह ने असाधारण प्रसिद्धि दे दी । यह प्रसिद्धि मिल गई तो उससे भी जलकमलबत्‌ निलिंस रहने की शक्ति जितनी श्री विनोबा की है उतनी और किसीकी नहीं है । जिन विशेषताओं के लिए पूज्य गाँधीजी ने उन्हे प्रथम सत्याग्रही की हैसियत से पसन्द किया, उन विशेषताओं को सब लोग समझ नहीं सके हैं ऐसी मुझे आशंका है । कई बड़े-बड़े सरकारी अफसरों ने मुझसे कहा कि जवाहरलालजी, भूलाभाई तो बड़े नेता है । उनको कड़ी सज्जा देनी पड़ती है क्योंकि उनका प्रभाव हजारों लोगों पर है । विनोबा तो Small fry—यानी अल्प जीव—हैं उनको गाँधीजी ने बढ़ाया है, उनके असर का सरकार को डर नहीं है । डर हो या न हो मिं ० एमरी ने भी अब श्री विनोबा का नाम अपने निवेदन में दिया और उनका एक सच्चे दयाधर्मी के नाम से उल्लेख किया है ।

विनोबा का प्रभाव आज नहीं, वर्षों के बाद लोग जानेगे । उनकी योड़ी विशेषताओं का निर्देश करना मैं आवश्यक समझता हूँ । वे नैषिक ब्रह्मचारी हैं; शायद वैसे नैषिक ब्रह्मचारी और भी होंगे । वे प्रखर विद्वान् हैं; वैसे प्रखर विद्वान् और भी है । उन्होंने सादगी को वरण किया है, उनसे भी अधिक सादगी से रहनेवाले गाँधीजी के अनुयायियों में कई हैं । वे रचनात्मक कार्य के महान् पुरस्कर्ता और दिन-रात उसीमें लगे रहनेवाले व्यक्ति हैं; ऐसे भी कुछ गाँधी-मार्गानुगामी हैं । उनकी जैसी तेजस्वी बुद्धि-शक्तिवाले भी कई हैं । परन्तु उनमें कुछ और भी चीजें हैं, जो और किसीमें नहीं हैं । एक निश्चय किया, एक तत्त्व ग्रहण किया तो उसका उसी क्षण से अमल करना—उनका प्रथम पंक्ति का गुण है । उनका दूसरा गुण

निरतर निकालशीलता का है। शायद ही हममें से कोई ऐसा हो जो कह भक्त कि मैं प्रतिक्षण विकास कर रहा हूँ। वापू को छोड़कर यदि और किसीमें यह गुण मैंने देखा है तो विनोदा मे। इसलिए ४६ साल की उम्र में उन्होंने अरबी-जैसी कठिन भाषा का अभ्यास किया, कुरान-वारीफ का अनुशासन किया और उसके हाफिज बन गये हैं। वापू के कई बड़े अनुयायी ऐसे हैं जिनका प्रभाव जनता पर बहुत पड़ता है, पर वापू के शायद ही किसी अनुयायी ने सत्य-अहिंसा के पुजारी और कार्यरत गच्छे सेवक उतने पैदा किये हैं जितने कि विनोदा ने पैदा किये हैं। “योगः कर्मसुकौशलम्” के अर्थ मे विनोदा सच्चे योगी हैं। उनके विचार, नाणी और आचार में जैसा एकराग है, वैसा एकराग बहुत कम लोगों मे होगा, इसलिए उनका जीवन एक मधुर सगीतमय है। “संचार करो भक्त कर्में शान्त तोमार छन्द” कविवर टैगोर की यह प्रार्थना शायद विनोदा पूर्वजन्म से करके आये हैं। ऐसे अनुयायी से गाधीजी और उनके मत्याग्रह की भी शोभा है।

उनके कुछ लेखों का यह संग्रह बड़ा उपयोगी होगा। उनकी मित्र-भाषिता, उनके विचार और वाणी का संयम और उनकी तत्त्वनिष्ठा का इस संग्रह मे पद-पद पर परिचय मिलेगा।



प्रथम सत्याग्रही विनोदा

श्री विनोदा भावे कौन है ? मैंने उन्हें ही इस सत्याग्रह के लिए क्यों
बुना ? और किसीको क्यों नहीं ? मेरे हिन्दुस्तान लौटने पर सन् १९१६
मेरे उन्होंने कालिज छोड़ा था । वे संस्कृत के पण्डित हैं । उन्होंने आश्रम
में शुरू से ही प्रवेश किया था । आश्रम के सबसे पहले सदस्यों में से वे
एक हैं । अपने संस्कृत के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए वे एक वर्ष
की छुट्टी लेकर चले गये । एक वर्ष के बाद ठीक उसी घड़ी, जब कि
उन्होंने एक वर्ष पहले आश्रम छोड़ा था, चुपचाप आश्रम में फिर आ
पहुँचे । मैं तो भूल भी गया था कि उन्हें उस दिन आश्रम में वापस
पहुँचना था । वे आश्रम में सब प्रकार की सेवा-प्रवृत्तियों—रसोई से
लगाकर पाखाना-सफाई तक—मैं हिस्सा ले चुके हैं । उनकी स्मरणशक्ति
आश्र्यजनक है । वे स्वभाव से ही अध्ययनशील हैं । पर अपने समय का
ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा वे कातने में ही लगाते हैं, और उसमें ऐसे निष्णात
हो गये हैं कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं ।
उनका विश्वास है कि व्यापक कताई को सारे कार्यक्रम का केन्द्र बनाने
से ही गौवों की गरीबी दूर हो सकती है । स्वभाव से ही शिक्षक होने के
कारण उन्होंने श्रीमती आशादेवी को दस्तकारी के द्वारा बुनियादी तालीम
की योजना का विकास करने में बहुत योग दिया है । श्री विनोदा ने
कताई को बुनियादी दस्तकारी मानकर एक पुस्तक भी लिखी है । वह
विलक्षुल मौलिक चीज़ है । उन्होंने हँसी उड़ानेवालों को भी यह सिद्ध
करके बता दिया है कि कताई एक ऐसी अच्छी दस्तकारी है कि जिसका
उपयोग बुनियादी तालीम में व्यवृद्धी किया जा सकता है । तकली कातने
में तो उन्होंने क्राति ही ला दी है, और उसके अन्दर छिपी हुई तमाम

शक्तियों को खोज निकाला है। हिन्दुस्तान में शायकतार्द मे इतनी सम्पूर्णता किसीने प्राप्त नहीं की जितनी कि उन्होंने की है।

उनके हृदय में छूआछूत की गध तक नहीं है। साप्रदायिक एकता में उनका उतना ही विश्वास है जितना कि मेरा। इस्लामधर्म की खूबियों को समझने के लिए उन्होंने एक वर्ष तक कुरान-शारीफ का मूल अख्ती में जध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने अख्ती भी पढ़ी। अपने पडोसी मुसलमान भाइयों से अपना सजीव समर्क बनाये रखने के लिए उन्होंने इसे आवश्यक समझा।

उनके पास उनके द्विष्यों और कार्यकर्त्ताओं का एक ऐसा दल है, जो उनके इशारे पर हर तरह का वलिदान करने को तैयार है। एक युवक ने अपना लीबन कोटियों की सेवा में लगा दिया है। उसे इस काम के लिए तैयार करने का श्रेय श्री बिनोवा को ही है। ओपधियों का कुछ भी ज्ञान न होने पर भी अपने कार्य में अटल अद्वा होने के कारण उसने कुष्ठरोग की चिकित्सा को पूरी तरह समझ लिया है। उसने उनकी सेवा के लिए कर्द चिकित्सा-घर खुलवा दिये हैं। उसके परिभ्रम से सैकड़ों कोटी अच्छे हो गये हैं। एल ही में उसने कुष्ठ-रोगियों के इलाज के सम्बन्ध में एक पुस्तिका मराठी में लिखी है।

बिनोवा कई वर्षों तक वर्धा के महिला-आश्रम के सचालक भी रहे हैं। दरिद्रनारायण की सेवा का प्रेम उन्हें वर्धा के पास के एक गाँव में राँच टे गया। अब तो वे वर्धा से पॉच मील दूर पौनार नामक गाँव में रहा रहे हैं और वहाँ से उन्होंने अपने तैयार किये तुएं गियों के द्वारा गाँवियालों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया है। वे भानते हैं कि हिन्दू-ज्ञान के निए “शुद्धनीतिक स्वतंत्रता” आवश्यक है। वे इतिहास के निष्पत्र बिहान हैं। उनका विश्वास है कि गाँवियालों का रक्षणात्मक कार्यक्रम में दूर दूसी भाजादी नहीं गिर सकती। और रननारामक

कार्यक्रम का केन्द्र है खादी । उनका विश्वास है कि चरखा अहिंसा का बहुत ही उपयुक्त बाह्य चिह्न है । उनके जीवन का तो वह एक अग ही बन गया है । उन्होंने पिछली सत्याग्रह की लड़ाइयो में सक्रिय भाग लिया था । वे राजनीति के मंच पर कभी लोगों के सामने आये ही नहीं । कई साथियों की तरह उनका यह विश्वास है कि सविनय आज्ञाभंग के अनुसंधान में शान्त रचनात्मक काम कही ज्यादा प्रभावकारी होता है, इसकी अपेक्षा कि जहाँ आगे ही राजनीतिक भाषणों का अखण्ड प्रवाह चल रहा है वहाँ जाकर और भाषण दिये जाये । उनका पूर्ण विश्वास है कि चरखे में हार्दिक श्रद्धा रखे बिना और रचनात्मक कार्य में सक्रिय भाग लिये बगैर अहिंसक प्रतिकार सम्भव नहीं ।

श्री बिनोबा युद्धमात्र के विरोधी है । परन्तु वे अपनी अन्तरात्मा की तरह उन दूसरों की अन्तरात्मा का भी उतना ही आदर करते हैं जो युद्धमात्र के विरोधी तो नहीं है, परन्तु जिनकी अन्तरात्मा इस वर्तमान युद्ध में शरीक होने की अनुमति नहीं देती । अगरचे श्री बिनोबा दोनों दलों के प्रतिनिधि के तौर पर है, यह हो सकता है कि सिर्फ हाल के इस युद्ध में विरोध करनेवाले दल का खास एक और प्रतिनिधि चुनने की मुद्दे आवश्यकता लगे ।

स०० क० गांधी

‘हरिजन-सेवक’ से]

गांधी-साहित्य

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| १. आनंदकथा | ॥, १), १॥ |
| २. दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह | १॥ |
| ३. अनीति की राहपर | ॥= |
| ४. स्वदेशी और आमोद्योग | ॥= |
| ५. धन्यवर्चर्य | ॥= |
| ६. युद्ध और भविसा | ॥= |
| ७. गीतावोध | ॥= |
| ८. भंगल प्रभात | ॥= |
| ९. अनासक्तियोग | ॥= |
| १०. सत्याग्रह : क्यों, कब और कैसे ? | ॥= |
| ११. रचनात्मक कार्यक्रम | ॥= |

सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली

विषय—सूची

पहला—खंड

मधुकर

प्रथम सत्याग्रही विनोदा (गाधीजी)	...	प्रारम्भ में
१. बृद्धा तर्क	...	३
२. त्याग और दान	...	६
३. कृष्ण-भक्ति का रोग	...	९
४. कवियों के गुण	...	१४
५. साध्वर या सार्थक	...	१९
६. (क) दो गर्वें	...	२३
८. (ख) कायदा क्या है	...	२६
७. गीता जयन्ती	...	३०
८. पुराना रोग	...	३३
९. धब्बण और कीर्तन	...	३६
१०. रोज की प्रार्थना	...	४४
११. गुलरी-इत रामायण	...	४८
१२. कीटुमिक पाठशाला	...	५१
१३. जीवन और शिक्षण	...	५२
१४. धोता शिक्षण	...	५०
१५. भिजा	...	५८
१६. गाँवों पर काम	...	६६
	...	पृष्ठ ११

दूसरा-खंड

अन्य विचार

१. आजादी की लड़ाई की विधायक तैयारी	...	७९
२. सर्व-धर्म समझाव	...	८३
३. स्वाध्याय की आवश्यकता	...	८५
४. दरिद्रों से तन्मयता	...	८८
५. तरणोपाय	...	९२
६. व्यवहार में जीवन-वेतन	...	९५
७. श्रमजीविका	...	१०५
८. ब्रह्मचर्य की कल्पना	...	१२०
९. स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का अर्थ	...	१२५
१०. खादी और गादी की लड़ाई	...	१४४
११. निर्दोष दान और श्रेष्ठ कला का प्रतीक खादी	...	१५०
१२. श्रमदेव की उपासना	...	१६२
१३. राष्ट्रीय अर्थशास्त्र	...	१७०
१४. 'वृक्षशाला' -न्याय	...	१७७
१५. राजनीति या स्वराज्यनीति	...	१८९
१६. सेवा व्यक्ति की; भक्ति समाज की	...	१९१
१७. ग्राम-सेवा और ग्राम-धर्म	...	१९६
१८. साहित्य उलटी दिशा में	...	२०१
१९. लोकमान्य के चरणों में	...	२०४
२०. निर्भयता के प्रकार	...	२२०
२१. आत्मशक्ति का अनुभव	...	२२२
२२. सेवा का आचार-धर्म	...	२३१
२३. चरदे का सहचारी भाव	...	२४७
२४. सारे धर्म भगवान् के चरण हैं	...	२५९

मधुकर

१ :

बूढ़ा तर्क ॥

ज़्यादा उम्रवाले को अपने यहाँ बूढ़ा कहते हैं। इस देश में आज-कल ऐसे बूढ़े बहुत कम मिलते हैं। हम लोगों की जिन्दगी का औसत २४ वर्ष का पड़ता है। कहते हैं विलायत वगैरह देशों में इससे दूना है। इसलिए यहाँ बूढ़े बहुत मिलते हैं।

लेकिन अपने यहाँ वैसे बूढ़ों की चाहे कमी हो, पर एक और तरह के बूढ़ों की तो बहुतायत ही है। वह किस तरह के हैं? किसी विद्वान् ने कहा है कि नयी चीज सीखने की आशा जिसने छोड़ दी वह बूढ़ा है। ऐसे बूढ़े अपने यहाँ जहाँ देखिए मिल जायेगे। बचपन में नसीब से जो पहले पढ़ गया, पढ़ गया। फिर जरा बड़े होकर कोई पेशा पकड़ लेने पर तो कोई चीज सीखने को कहिए तो उनसे कुछ नहीं होने का। इस जड़ता ने पढ़-अनपढ़ दोनों में मुद्दतों की गुलामी के कारण घर-सा कर लिया है। पढ़े हुओ में मात्रा कुछ अधिक ही है, कम नहीं।

एक बार एक राष्ट्रीय पाठशाला के शिक्षक को मैंने स्वाभाविक रूप से समझाया कि “अजी, तुम थोड़ी-सी हिन्दी सीख लो। हिन्दी को हम राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, तो राष्ट्रीय पाठशाला में हिन्दी की शिक्षा को स्थान होना चाहिए। और हिन्दी कोई कठिन भाषा नहीं है, सहज है (और इसी कारण वह राष्ट्रभाषा बन सकी है)। गर्भी की छुट्टी में हिन्दी

के स्मरण रहे यह लेख मराठी से अनुवादित है और विनोबा जी महाराष्ट्रीय हैं।

मधुकर

भाषा आसानी से सीखी जा सकेगी। तुम सीख लो तो फिर अपने यहाँ के लड़कों को भी थोड़ी हिन्दी सिखा दी जायेगी।” इसपर उसकी ओर ने सीधा जवाब मिला, “आप जो कहते हैं वह ठीक है। हिन्दी कोई दैर्घ्य भाषा नहीं है। पर अब मुझसे कोई नयी चीज़ सीखने का पचड़ा पर नहीं लगेगा। मुझे जो कुछ आता है उससे आप जी चाहे जितना काम ले लीजिए। पर नया सीखने के लिए तो क्षमा ही कीजिए। सीखते-सीखते नाको दम हो गया!” वेचारा निन्दगी से भी ‘नकदम’ जान पड़ा। इसका नाम है ‘बूढ़ा’।

यह तो हुई सीधी हिन्दी सीखने की बात। अगर कोई ज़रा आगे नढ़कर कहे कि “हिन्दू-सुस्लिम-एकता दृढ़ करनी हो तो दोनों को एक-दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इससे बहुत सी नासमझी अपने-आप दूर हो जायेगी। इसके लिए देव-नागरी लिपि के साथ-साथ राष्ट्रीय पाठ्यगात्राओं में उर्दू लिपि भी सिखाई जानी चाहिए। और यह करने के लिए पहले शिक्षकों को वह लिपि सीख लेनी चाहिए।” फिर तो हृद ही हो जायेगी। “अजी साहब, मुसलमानों की सारी बातें उल्टी होती हैं। हम चोटी रखते हैं, वह कटवाते हैं। हम दाढ़ी साफ़ कराते हैं, वह दाढ़ी रखाने रे। यही बात उनकी लिपि की भी बतलाते हैं। हम बाईं ओर से दाढ़ीनी तरफ़ लिखते हैं तो वह दाढ़ीनी तरफ़ से बाईं ओर! ऐसी लिपि हम केसे सीख सकते हैं?” यह उनका जवाब है। यह काल्पनिक नहीं है, एक सज्जन से प्रत्यक्ष मिला हुआ है। मुसलमानों के बारे में उनका व्यय मजाक में देसा हो गया, अन्यथा वह उनके मन के भाव नहीं थे। मन की बात इननी हो थी कि “नया नहीं सीखना।”

और अगर यह कातने को कह दिया? फिर तो पूछिए ही नहीं। “पहले तो नन्‌ही बशुत कम मिलता है। और वक्त़ अगर ज्यों त्यों फूर्द़े निराला भी, तो आजनक देसा काम कभी किया नहीं तो अब

बूढ़ा तर्क

कैसे होगा ?” यहाँ से शुरूआत होगी । “जो आजतर्क्-नहीं-हुआ” वह आगे भी नहीं होने का ।” यह बूढ़ा तर्क है । मालूम नहीं इन बूढ़ों को यह क्यों नहीं समझ पड़ता कि जो आजतक नहीं हुईं ऐसी बहुत-सी बातें आगे होनेवाली हैं । आजतक मेरे लड़के का ब्याह नहीं हुआ वह आगे होने को है, यह मेरी समझ में आता है, लेकिन अबतक मेरे हाथ से सूत नहीं कता वह आगे कतने को है, यह मेरी समझ में क्यों नहीं आता ? इसका जवाब साफ है । अबतक हमने स्वराज नहीं पाया है वह आगे पाना है, यह हमारे ध्यान में न होने की वजह से । और इसीके साथ अबतक मैं मरा नहीं तो भी आगे मरना है, बल्कि अबतक मैं मरा नहीं इसीलिए आगे मरना है, इस बात को विसर जाने की वजह से ।

मेरे मनीराम, आजतक मैं मरा नहीं इससे आगे नहीं मरना है, ऐसे बूढ़े तर्क का आसरा मत लो, नहीं तो फँसोगे ।

त्याग और दान

एक आदमी ने इमानदारी का व्यवहार रखकर पैसा कमाया और उससे अपनी कुटुम्ब-स्त्री गाड़ी सुख-चैन से चलाता है। बाल-बच्चों पर उसे मगता है; देह के लिए आसक्ति है। स्वभावतः पैसे पर उसका सारा दार-गदार है। दिवाली नजदीक आते ही वह अपना तल्पट सावधानी से बनाता है और वह देखकर कि सब मिलाकर खर्च जमा के अन्दर है और उससे 'पेंडी' कुछ बढ़ी ही है, उसे खुशी होती है। बड़े समारोह से और उतने ही भक्तिभाव से भी वह लक्ष्मीजी की पूजा करता है। उसे इन्द्र्य का लोभ है, फिर भी नाम या परेषकार का उसे बड़ा लक्ष्याल है। उसे विश्वास है कि दान-धर्म के लिए—इसीमें टेङ को भी ले लीजिए—खर्च किया हुआ धन व्याज-समेत वापस मिल जाता है। इसलिए इस काम में वह मुक्तहूल होकर उर्च करता है। अपने आस-पास के गरीबों को उसका हस तरह सहाय रहता है जिस तरह छोटे बच्चों को अपनी माँ का।

दूसरे एक आदमी ने इसी तरह सचार्द से पैसा कमाया था। लेकिन उसमे उसे खुशी न होती थी। उसने एक बार व्याग के लिए कुओं खुट-नाया। कुओं वहुत गहरा था। उसमें से थोड़ी-सी मिट्टी, कुछ ढर्ही और शहन-से पत्तर निकले। कुओं जितना गहरा था, इन चीजों का ढंग भी उतना ही ऊँचा लग गया। मन-ही-मन वह योचने लगा, “मेरी निजोरी में भी ऐसा ही एक टीला लगा हुआ है, उसी अनुपात से किसी और जगह लोरं गाया तो नहीं पड़ गया होगा ?” ज़रा गहरे जाकर नोचा और वह चौंक उठा। वह कुओं तो उछला चुक बन गया। क्षण से उसे जो

त्याग और दान

कसौटी मिली उसपर उसने अपनी सचाई धिसकर देखी, वह खरी नहीं उतरी। इस विचार ने उसपर अपना प्रभुत्व जमा लिया कि ‘व्यापारिक सचाई’ की रक्षा मैंने की है जरूर, फिर भी इस बाल्द की बुनियाद पर मेरा मकान कबतक ठहर सकेगा? अन्त में पत्थर, मिट्टी और मानिक-मोतियों में उसे कोई फर्क़ नहीं दिखाई दिया। यह सोचकर कि फुजूल का कूड़ा-कचरा भरकर रखने से क्या लाभ, वह एक दिन सवेरे उठा और अपनी सारी सम्पत्ति गधे पर लादकर गगा ले गया। “मौं, मेरा पाप धो डाल!” कहकर उसने वह सारी कमाई गंगा माता के अचल में डाल दी। खान करके बेचारे ने उससे छुटकारा पाया। उससे कोई पूछता, “सम्पत्ति का तब दान ही क्यों न कर दिया?” तो जवाब देता, “दान करते समय ‘पात्र’ को भी तो देखना पड़ता है न? अपात्र को दान देने से धर्म के बदले अधर्म होने का डर जो रहता है। मुझे गंगा का बना-बनाया ‘पात्र’ मिल गया, वहीं मैंने दान कर दिया। इससे भी संक्षेप में वह कहता है, “कूड़े-कचरे का भी कही दान किया जाता है!” उसका अन्तिम उत्तर है ‘मौन’। इस तरह उसके सम्पत्ति-त्याग से उसके सब यार-दोस्तों ने उसका परित्याग कर दिया।

पहली मिसाल दान की है, दूसरी त्याग की। आज पहली मिसाल जिस तरह दिल मे पैठ जाती है उस तरह दूसरी नहीं। लेकिन यह हमारी कमज़ोरी है। इसीलिए शास्त्रकारों ने भी दान की महिमा कलियुग के लिए कही है। ‘कलियुग’ मानी क्या? कलियुग मानी हृदय की कमज़ोरी। दुर्बल हृदय द्रव्य के लोभ से बिल्कुल नहीं छूट सकता। इसलिए उसके मन की उडान अधिक-से-अधिक दान तक ही जा सकती है। त्याग तक वह पहुँच ही नहीं सकती। लोभी मन के लिए त्याग की कल्पना भी असह्य होती है। इसलिए उसके सामने शास्त्रकारों ने दान के ही गुण गाये हैं।

मधुकर

त्याग तो विलक्षण 'मूले कुठारः' करनेवाला है। दान ऊपर-ही-ऊपर से कौंपले नोचने जैसा है। त्याग पीने की दवा है; दान सिर पर लगाने की सोंठ है। त्याग में अन्याय के प्रति चिढ़ है; दान में नामवरी का लालच है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है; और दान से पाप का ब्याज। त्याग का स्वभाव दयापूर्ण है; दान का ममतापूर्ण। धर्म दोनों ही हैं। त्याग का निवास धर्म के शिखर पर है; दान का उसकी तलहटी में।

पुराने ज़माने में आदमी और घोड़ा अलग-अलग रहते थे। कोई किसी के अधीन न था। एक बार आदमी को एक ज़रूरी काम आ पड़ा। उसने थोड़ी देर के लिए घोड़े से उसकी पीठ किराये पर मँगी। घोड़े ने भी पड़ोसी-धर्म की सुध कर आदमी का कहना स्वीकार कर लिया। आदमी ने कहा, “लेकिन तेरी पीठ पर मैं यों नहीं बैठ सकता; तू लगाम लगाने देगा तभी मैं बैठ सकूँगा।” लगाम लगाकर मनुष्य उसपर सवार हो गया, और घोड़े ने भी उसका काम बजा दिया। अब करार के मुताविक घोड़े की पीठ खाली करनी चाहिए, पर आदमी को लोभ न छोड़ सका। वह कहता है, “देख भाई, तेरी यह पीठ तो मुझसे छोड़ी नहीं जाती। राँ, तूने मेरी खिदमत की है (और आगे भी करेगा) इसे मैं कभी न भूलूँगा। इसके बदले मैं तेरी खिदमत करूँगा, तेरे लिए छुड़-गाल बनाऊँगा, तुझे दाना-घास दूँगा, पानी पिलाऊँगा, खरदा करूँगा, जो कोँगा वह करूँगा, पर छोड़ने की बात मुझसे भत कहना।” घोड़ा देखारा कर ही क्या सकता था ? जोर से हिनहिनाकर उसने अपनी शिकायत भावान् के दरवार में पेश की। घोड़ा त्याग चाहता था; आदमी दान की बातें कर रहा था। हे भलेमानस, कम-से-कम अपना करार तो पूरा देने दे !

: ३ :

कृष्ण-भक्ति का रोग

‘दुनिया पैदा करें’ ब्रह्माजी की यह इच्छा हुई। इसके अनुसार कारबार शुरू होनेवाला ही था कि कौन जाने कैसे उनके मन मे आया कि, ‘अपने काम मे भला-बुरा बतानेवाला कोई रहे तो बड़ा मज्जा रहेगा, इसलिए आरंभ मे उन्होने एक तेज-तर्रार टीकाकार गढ़ा। और उसे यह अखिलथार दिया कि अब मै जो कुछ गढ़ूँगा उसकी जॉच का काम तुम्हारे सिपुर्दे है। इतनी तैयारी के बाद ब्रह्माजी ने अपना कारखाना चालू किया। ब्रह्माजी एक-एक चीज बनाते जाते और टीकाकार उसकी चूक दिखाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता जाता। टीकाकार की जॉच के सामने कोई चीज ‘बे-ऐब’ ठहर ही न पाती। ‘हाथी ऊपर नहीं देख पाता, जॉट ऊपर ही देखता है। गदहे मे तेजी नहीं है, बंदर मे शान्ति नहीं है।’ यो टीकाकार ने अपनी टीका के तीर छोड़ने शुरू किये। ब्रह्माजी की बुद्धि चक्रा गयी। फिर भी उन्होने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी और अपनी सारी कारीगरी खर्च करके ‘भनुष्य’ गढ़ा। टीकाकार उसे निरखने लगा। अन्त मे एक चूक निकाल ही दी। “इसकी छाती मे एक खिड़की होनी चाहिए थी, जिसमे इसके विचार सब समझ पाते।” ब्रह्माजी बोले,—“तुझे रचा यही मेरी एक चूक हुई, अब मै तुझे शकरजी के सिपुर्दे करता हूँ।”

यह एक पुरानी कहानी कही पढ़ी थी। इसके बारे मे शंका करने की सिर्फ एक ही जगह है। वह यह कि कहानी के वर्णन के अनुसार टीकाकार शकरजी के सिपुर्दे हुआ नहीं दीखता। शायद ब्रह्मा

जीं को उनपर रट्म आ गया हो , या शकरजी ने उसपर अपनी शक्ति न जाओगायी हो । चाहे जैसे हो, इतना सच है कि आज उसकी जाति बहुत फैली हुई पायी जाती है । गुलामी के जमाने में कर्तृत्व नामी न रट जाने पर वक्तव्य को मौका मिलता है । काम की बात रात हुई कि बात का काम ! और बोलना ही है तो नित्य नवे विषय कहाँ से रोते जाय ? इसलिए एक सनातन विषय चुन लिया गया — “निन्दा-स्तुति जन की ; वार्ता वधू-धन की ।” पर निन्दा-स्तुति में भी तो कुछ वाट-बलरा रहना चाहिए । निन्दा अर्थात् पर-निन्दा और स्तुति अर्थात् आत्म-स्तुति । ब्राजी ने टीकाकार को भला-बुरा देखने को तैनात किया था । उसने अपना अच्छा देखा ; ब्रह्माजी का बुरा देखा । मनुष्य के मन की रचना कुछ ऐसी चमत्कारी है कि दूसरे के दोप उसको जैसे उभरे हुए साफ दिखाई देते हैं वैसे गुण नहीं दिखाई देने । सल्लूत में ‘विश्व-गुणादर्श-चंपू’ नाम का एक काव्य है । वंकटा-चारी नाम के एक दाक्षिणात्य पंडित ने लिखा है । उसमें कल्पना है कि कृशानु और विभावसु नाम के दो गर्धव विमान में बैठकर फिरते हैं, और जो कुछ उनकी नज़रों के रामने आता है उसकी चर्चा करते रहते हैं । कृशानु दोप-द्रष्टा है; विभावसु गुण-ग्राहक है । दोनों अपनी-अपनी दृष्टि में वर्णन करते हैं । गुणादर्श अर्थात् ‘गुणों का वर्णन’ इस काव्य का नाम रखकर कवि ने अपना निर्णायक मन क्रियावमु के पक्ष में दिया है । तथापि भारे वर्णन के रंग-ढंग का ठाट कुछ ऐसा है कि अस्त में पाठ्य के मन पर कृशानु के मत की छाप पड़ती है । गुण लेने वे इरादे ने इस्ती हुई नीज की तो यह दशा है । पिर दोप दृष्टने की गुच्छ होती तो क्या हाउ द्योता ?

नन्द जी भाँति प्रस्त्रेन वस्तु के द्वारपद और कृष्णपद थोरे हैं । इसलिए लिङ्गान्वेदी गत के घटेल्ल विनरने में कोई चाभा पड़नेयार्थी नहीं

कृष्ण-भक्ति का रोग

है। ‘सूर्य दिन मे दिवाली करता है तो रात को तो! अधेरा ही देता है’ इतना कहने भर से उस सारी दिवाली की होली हो जायगी। उसमे भी अवगुण ही लेने का नियम बना लिया जाय तो दो दिनों मे एक रात न दिखकर एक दिन के मुकाबले मे दो राते दिखाई देगी। फिर अग्नि की ज्योति की ओर ध्यान न जाकर धुएँ से अग्नि का अनुमान करनेवाले न्याय शास्त्र का निर्माण होगा। भगवान् ने यह सब मौजे गीता मे बतलायी है। अग्नि का धुआ, सूर्य की रात अथवा चंद्र का कृष्ण-पक्ष देखनेवाले ‘कृष्ण-भक्तो’ का उन्होने स्वतत्र वर्ग रखदा है। दिन मे ऑखे बन्द की तो अँधेरा और रात को ऑखे खोली तो अँधेरा—स्थितप्रज्ञ की इस रीति के अनुसार इन लोगो का कार्य-क्रम है। पर भगवान् ने स्थितप्रज्ञ के लिए मोक्ष बतलाया है, और इनके लिए बड़ी-से-बड़ी दुर्गति। पर इतना होने पर भी यह सप्रदाय छुतहे रोग की तरह बढ़ रहा है। पुतली के काली होने या काले रग मे आकर्षण अधिक होने की बजह से काला पक्ष जैसा हमारी ऑखो मे खुबता है वैसा उज्ज्वल पक्ष नहीं खुबता। ऐसी स्थिति मे यह साप्रदायिक रोग किसी औषधि से अच्छा होगा, यह जान रखना जरूरी है।

पहली दवा है चित्त मे धूसी हुई इस ‘कृष्ण-भक्ति’ को बाहरी कृष्ण के दर्शन न कराएँ, अन्दरूनी कृष्ण दिखाएँ। लोगो की कालिय देखने की आदी निगाह को मन के भीतर का कालापन दिखाएँ। विश्व के गुण-दोष जॉच कर देखने वाला मनुष्य वहुधा खुद को निर्दोष मान बैठता है। उसका यह भ्रम दूर होनेपर उसकी परीक्षा की नगी तलबार अपने-आप भुथरी पड़ जाती है। बायबिल के ‘नये करार’ मे इस बारे मे एक सुन्दर प्रसग का उल्लेख है—एक बहन से कोई बुरा काम बन गया। पंच लोग बैठे जाच और इन्साफ के लिए। कहना न होगा कि काफ़ी तादाद मे तमाशाई भी जुट गये थे। पर उस बहन के सद्भाग्य से

भगवान् ईसा भी वहाँ पधार गये थे। पंचो ने हुक्म सुनाया। “इस वहन ने भारी ऊँझ किया है। सब लोग पत्थरों से मार-मारकर उसे मार डाले।” फैला सुनते ही लोगों के हाथ खुजाने लगे और अडोस-पटोस के ढेले थर-थर कॉपने लगे। भगवान् ईसा के मन में उन ढेलों पर कशणा उत्पन्न हुई। उन्होंने खटे होकर सबको एक ही बात कही—“जिसका मन विल्कुल साफ़ हो वह पहला ढेला भारे” जमात ज़रा टेर के लिए ठिठक गयी। फिर धीरे-धीरे वहाँ से एक-एक आदमी खिसकने लगा। अन्त में वह अभागी वहन और भगवान् ईसा यह दो ही रह गये। उन्होंने उसे थोड़ा समझाया और प्रेम का सदेश दिया। यह कहानी रमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।

तुग जो देरान मैं चला दुरा न दीखा कोय।

जो घट खोजा आपना मुश्न-सा दुरा न कोय॥

दूसरी दवा है गैन। दूसरे के दोष दिखें ही नहीं इसके लिए यह पहली दवा है। निगाह के फेर में दोष दिखने के बाद यह दूसरी दवा रास तरह से उपयोगी है। इस से मन भीतर-ही-भीतर तड़फ़ड़ायेगा। दो-चार दिन नीद भी कम पड़ जायगा। पर आग्निर में थक्कर मन शात हो जायगा। तानाजी के गिर जाने पर मावले के पीठ दिखाने के रंग दिवार्द पड़ने लगे। तब जिस रस्ती की मदद से वह गढ़ पर चढ़े थे और जिसकी मदद से अब वह उत्तरने का प्रयत्न करनेवाले थे वह रस्ती ही गूर्याजी ने बाट टाली। “वह रस्ती मैंने सिरे से काट दी है” गूर्याजी के इस एक चाल ने लोगों में निराशा की वीरकी पैदा कर दी और गढ़ सर ऐ गया। रस्ती बाट टालने का तत्वज्ञान बहुत ही महत्व का है। इसपर अलग ते लिनने की जरूरत है। इत बक्क तो इतने से छी मतलब है कि मौन रस्ती बाट देने वैता काम कर देना है। दूसरे के दोष देराना रूप जा, नहीं तो बैठ कर तड़फ़ड़ाता रह, मन पर यह नीदत आ

जाती है। और यह हुआ नहीं कि सारा मार्ग सरल हो जाता है। कारण, जिसको जीना है उसके लिए बहुत समयतक तड़फड़ाते वैठना सुविधाजनक नहीं होता।

तीसरी दवा है कर्मयोग में मग्न हो रहना। जैसे आज सूत कातना अकेला ही ऐसा उच्चोग है कि छोटे-बड़े सब को काफ़ी हो सकता है, वैसे ही कर्म-योग एक ही ऐसा योग है जिसकी सर्वसाधारण के लिए बेखटके सिफारिश की जा सकती है। किंबहुना, सूत कातना ही आज का कर्म-योग है।

यह सूत कातने का कर्म-योग स्वीकार किया कि लोक-निंदा करते रहने के लिए फुर्सत ही नहीं रहती। जैसे किसान अब के दाने-दाने की असली कीमत समझता है वैसे ही सूत कातनेवाले को एक-एक क्षण के महत्व का पता चलता है। “क्षणभर भी खाली न जाने दे” समर्थ की यह सूचना अथवा “क्षणार्थ भी व्यर्थ न खो” नारद का यह नियन जो कहता है वह सूत कातते हुए अक्षरशः ध्यान में आता है। कर्म-योग का सामर्थ्य अद्भुत है, उसपर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है। यह सत्ता अनेक रोगों पर लागू है, पर जिस रोग की उपाय-योजना इन सम्म जारी है उसपर उसका अद्भुत गुण अनुभव में उत्तरा हुआ है।

कवि के गुण

एक सज्जन का सवाल है कि आजकल हमारे समाज में पहले की तरह कवि कर्मों नहीं होते ? उत्तर, आजकल कवि के गुणों का अभाव है। वे गुण कौन-से हैं ? आइए, उनपर विचार करें।

कवि वह है जो अपने मन का स्वामी हो। जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं की वह ईश्वर की सृष्टि का रहस्य नहीं समझ सकता। काव्य क्या है ? सृष्टि का ही नाम काव्य है। जबतक मन को नहीं जीता, राग-देष्य ज्ञान्त नहीं होते, तबतक मनुष्य इन्द्रियों का गुलाम ही बना रहता है। इन्द्रियों के गुलाम को ईश्वर की सृष्टि कैसे दिखाई देगी ? वह वेचाग तो तुच्छ विषय-सुख ही में उलझा रहेगा। ईश्वरीय सृष्टि विषय-सुख से परे है। जबतक इससे परे की सृष्टि का दर्शन नहीं होगा तबतक कवि बनना असम्भव है। धूरदास के चक्कु उनकी इच्छा के विषद् विषयों की ओर दौड़ते थे। उनको फोड़कर अन्ध रीने पर उन्हें काव्य का दर्शन हुआ। वाल्क ध्रुव के घोर तपश्चर्या द्वारा इन्द्रियों को बग में करने पर भगवान् ने अपने काव्यमय शंख से उनका कण्ठ स्वर्ण किया और इस दर्शन के द्वारा उन अज्ञान वाल्क के मुख से साक्षात् वेदवाणी का गहस्य प्रस्तु फैलनेवाला अद्भुत काव्य प्रकट हुआ। तुकाराम ने जय धरोर, इन्द्रिय और मन को पूर्ण त्य मे भग किया तभी तो गङ्गागङ्ग की अभग-जागी जा लग्भ मिला। मनोनिग्रह के प्रयत्न में जय धरीर पर दीमलों द्वारा धर यन गया तभी उसमें से आदिकाव्य का उदय हुआ।

कवि के गुण

आज तो हम इन्द्रियों की सेवा के हाथ बिक गये हैं। यही सबौं है कि हमारे समाज में आज कवि पैदा नहीं होते।

समुद्र जैसे सब नदियों को अपने उदर में स्थान देता है उसी प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड को अपने प्रेम से ढकने की जितनी व्यापक बुद्धि कवि की होनी चाहिए। पत्थर में ईश्वर के दर्शन करना काव्य का ही काम है। इसके लिए व्यापक प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञानेश्वर महाराज मैंसे की आवाज में भी वेद श्रवण कर सके इसीलिए वह कवि है। वर्षा होने लगने पर मेढ़कों को टर्राता देखकर वशिष्ठ को जान पड़ा कि परमात्मा की कृपा की वर्षा से कृतकृत्य हुए सत्पुरुष ही इन मेढ़कों के रूप में अपने आनन्दोद्गार प्रकट कर रहे हैं, और इसपर उन्होंने भक्ति-भाव से मेढ़कों की स्तुति की। यह ऋग्वेद में 'मङ्गूक-स्तुति' के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी प्रेम-वृत्ति का रग चढ़ाकर कवि सृष्टि की ओर देखता है। तभी उसका हृदय सृष्टि-दर्शन से नाचता है। माता के हृदय में अपनी संतान के प्रति प्रेम होने के कारण उसे देखकर उसके स्तनों से दूध उमड़ पड़ता है। वैसे ही सकल चराचर सृष्टि के प्रति कवि का मन प्रेम से भरा होता है, इससे उसके दर्शन हुए कि वह पागल हो जाता है। उसकी बाणी से काव्य की धारा वह निकलती है। वह रोक नहीं पाता। हममें ऐसा व्यापक प्रेम नहीं। सृष्टि के प्रति उदार बुद्धि नहीं। पुत्र-कलत्र-ग्रहादि से परे हमारा प्रेम नहीं गया है। फिर 'वृक्ष, लता और बनचर हमारे कुदुम्बी हैं' यह काव्य हमें कहों से सूझे !

कवि को सारी सृष्टि को आत्मिक प्रेम से आच्छादित कर देना चाहिए। वैसे ही उसे सृष्टि के वैभव से अपनी आत्मा को सजाना चाहिए। वृक्ष, लता और बनचर में उसे आत्म-दर्शन होना चाहिए। साथ ही, आत्मा में वृक्ष, लता, बनचर का अनुभव करना भी आना चाहिए। विश्व आत्मरूप है इतना ही नहीं बल्कि आत्मा विश्वरूप है,

गह कनि को दिखाई देना चाहिए। पूर्णिमा के चन्द्र से उसके हृदय-चमुद्र में ज्वार आना ही चाहिए, किन्तु पूर्णिमा के अभाव में उसके हृदय में भाटा न होना चाहिए। अमावास्या के गाढ़ अन्धकार में आकाश के घनपटल से आच्छादित होने पर भी चन्द्रदर्शन का आनन्द उसे पाना चाहिए। जितका आनन्द बाहरी जगत् में मर्यादित है वह कवि नहीं है। कवि आत्मनिष्ठ होता है। कवि स्वयंभू होता है। पामर दुनिया किप्य-सुख ने शुभ्रती है, कवि आत्मानन्द में डोलता है। लोग भोजन का आनन्द लेते हैं, कवि आनन्द का भोजन लेता है। कवि संयम का सयम है और तदर्थ स्वतन्त्रता की स्वतन्त्रता है। टेनिसन ने वहते इरने में आत्मा का अमरत्व देखा, कारण अमरत्व का वहता झरना उसे अपनी आत्मा में दिखाई दिया था। कवि विश्व-सम्मान् होता है, कारण वह हृदय-सम्मान् होता है। कवि को जाग्रति में महाविष्णु की योगनिक्रा के स्वप्न सामने होते हैं, और स्वप्न में जाग्रत नारायण की जगत्-रचना देखने को मिलती है। कवि के हृदय में सुष्ठि का सारा वैभव एकत्र रहता है। हमारे हृदय में भूख का शान भरा हुआ है और मुराग में भीख की भाषा। जहाँ इतना ज्ञान भी अभी जाग्रत नहीं हुआ कि मैं स्वतन्त्र हूँ अथवा मनुष्य हूँ वहाँ आत्मनिष्ठ काव्य-प्रतिभा की आशा नहीं की जा सकती।

यह रामी मानते हैं कि कवि में ‘लोक हृदय को यथावत् संप्रकाशित’ करने का सामर्थ्य होना चाहिए, किन्तु लोगों को इस बात का भान नहीं होता वि सत्य-निष्ठा द्सु सामर्थ्य का मूलाधार है। सत्यपूर्त वाणी से अमोघ वीर्य (वीरता) उत्पन्न होता है। “जो सत्य होंगा वही वो होंगा,” इस ईंटिह सत्याचरण के फलस्वरूप ऐसा अद्भुत सामर्थ्य प्रदान होता है कि “जो दो ज जानगा वही सत्य होगा।” भवभूति ने क्रमियाँ के काव्य-दैत्याल का दर्शन किया है कि “क्षमि पाएले शोन्ते जाते और धौके से उसमें

अर्थ प्रवेश करता ।” इसका कारण है ऋषि की सत्यनिष्ठा । “समूलो वा एप परिशुद्धति योऽनृतमभिवदति । तस्मान्नार्हम्यनृतं वक्तुम्” ।—जो असत्य बोलता है वह समूल शुद्ध हो जाता है अतएव मुझे असत्य नहीं बोलना चाहिए । प्रश्नोपनिषद् में ऋषि ने ऐसी चिन्ता प्रदर्शित की है । जाज्वल्य सत्यनिष्ठा में से काव्य का जन्म होता है । वाल्मीकि ने पहले रामायण लिखी थी, बाद को राम ने आचरण किया । वाल्मीकि सत्यमूर्ति थे अतः राम को उनका काव्य सत्य करने को मजबूर होना पड़ा । और वाल्मीकि के राम भी कैसे थे—“द्विः शरं नाभिसंधत्ते रामो द्विर्नाभिभाषते ।”—राम दुधारा बाण नहीं छोड़ते और न दो बात बोलते हैं । आदिकवि की काव्य-प्रतिभा को सत्य का आधार था । इसीसे उनके ललाट पर अमरत्व का लेख लिखा गया । सृष्टि के गूढ़ रहस्य अथवा समाज-हृदय की सूक्ष्म भावना व्यक्त कर दिखाने का सामर्थ्य चाहते हो तो सत्यपूत बोलना चाहिए । हूबहू वर्णन करने की शक्ति एक प्रकार की सिद्धि है । कवि वाचा-सिद्ध होता है, कारण वह वाचा-शुद्ध होता है । हमारी वाचा शुद्ध नहीं है । असत्य को हम चला लेते हैं, इतना ही नहीं सत्य हमें नुभता है । ऐसी हमारी दीन दशा है । इसलिए कवि का उदय नहीं होता ।

कवि की दृष्टि शाश्वत काल की ओर रहनी चाहिए । अनन्त काल की ओर नज़र हुए विना भवितव्यता पर का परदा नहीं हटता । प्रत्यक्ष से अन्ध हुई बुद्धि को सनातन सत्य गोचर नहीं होता । सुकरात को विष का प्याला पिलानेवाले तर्क को सुकरात मर्त्य दिखाई दिया । “मनुष्य मर्त्य है और सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात मर्त्य है ।” इससे आगे की कल्पना उस दुष्टपेंजिए तर्क को न सूझी, लेकिन विष-प्राशन के दिन आत्मा की सत्ता के सम्बन्ध में प्रवचन करनेवाले सुकरात को परे का भविष्य स्पष्ट दिखाई देता था । भवितव्यता के उदर में सत्य की जय को छिपा हुआ वह देख रहा था । इस बजह से वह वर्तमान युग के विषय

में वैभिन्न था । ऐसी उदासीन वृत्ति हृदय में पैदा हुए बिना कवि-हृदय का निर्माण नहीं हो सकता । संसार में सब रस करुणरस के पैरों पर लोटनेवाले हैं, यह बात समाज के चित्त पर गड़ा देने का भवभूति ने वरावर प्रयत्न किया । पर तत्कालीन विषय-लोलुप उन्मत्त समाज को वह भावा या भनावा नहीं । उसने भवभूति को ही फेंक दिया । पर कवि ने अपनी भाषा न छोड़ी । कारण शाश्वत काल पर उसे भरोसा था । शाश्वत काल पर नजर रखने की हमारी हिम्मत नहीं होती । चारों तरफ से धिरा हुआ दिल जैसे हताश होकर आस-पास देखना छोड़ देता है और बैठ जाता है घुटने मोड़कर, वैसे ही हमारी विषय-मस्त बुद्धि को भावी काल को देख सकना असंभव हो जाता है । “को जाने कल की ? आज जो मिले वह भोग लो” इस भीरु वृत्ति में काव्य की आशा नहीं हो सकती ।

ईचावास्योपनिपद् में लिखित ब्रह्मपरक मन्त्र में यही अर्थ बताया गया है—

कविमनीषी परिभूः स्वयंभू ।

याथातव्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाख्यः ।

अर्थ—कवि (१) मन का स्वामी, (२) विश्व-प्रेम से भरा हुआ, (३) आत्मनिष्ठ, (४) यथार्थभाषी और (५) शाश्वत काल पर इष्ट रखनेवाला होता है ।

मनन के लिए निम्न अर्थ सुझाता हूँ—

(१) मन का स्वामित्व=ब्रह्मचर्य (२) विश्व-प्रेम=अहिंगा
 (३) आत्मनिष्ठता=अस्त्रेय (४) यथार्थभाषित्व=सत्य (५) शाश्वत काल पर इष्ट=दारिगिर ।

साक्षर या सार्थक

किसी आदमी के घर मे बहुत-सी शीशियों भरी धरी हो तो हमे ज़रूर ख्याल होगा कि यह आदमी प्रायः रोगी रहता होगा । पर किसी के घर मे बहुत-सी पोथियों पड़ी दीखे तो हम उसे सयाना समझेगे । यह अन्याय नहीं है क्या ? आरोग्य का यह पहला आदेश है कि लाइलाज हुए बिना शोशी को व्यवहार न करना । वैसे ही जहाँतक सम्भव हो पोथी मे ऊँखे न गडाना कहिए या ऊँखो मे पोथी न गडाना, यह सयानपन का पहला आदेश है । शीशी को हम रोगी शरीर का चिह्न मानते हैं । पोथी को भी—फिर वह सासारिक पोथी हो, चाहे पारमार्थिक पोथी हो—रोगी मन का चिह्न मानना चाहिए ।

सदियों हो गयीं जिनके सयानपन की सुरान्ध आज भी दुनिया मे फैली हुई है उनका लक्ष्य जीवन को साक्षर करने के बजाय सार्थक करने की ओर ही था । साक्षर जीवन निरर्थक हो सकता है, इसके उदाहरण वर्तमान सुशिक्षित समाज मे बिना छूटे मिल जायेगे । इसके विपरीत निरक्षर जीवन भी सार्थक हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण इतिहास ने देखे हैं । बहुत बार ‘सु’-शिक्षित और ‘अ’-शिक्षित इनके जीवन की तुलना करते हुए ‘अक्षराणामकारोऽस्मि’ गीता के इस वचन मे कहे अनुसार ‘सु’ के बजाय ‘अ’ ही पसन्द करने लायक जान पड़ता है ।

पुस्तक मे अक्षर होते हैं । इसलिए पुस्तक की सगति से जीवन को

सार्थक करने की आशा व्यर्थ है। ‘वातो की कढ़ी और वातो का ही भात साकर पेट भरा है किसीका’ यह सबाल मार्मिक है। कवि के कथना-नुसार पोथी का कुछाँ डुयाता भी नहीं और पोथी की नैया तारती भी नहीं। ‘अश्व’ मानी ‘घोड़ा’ यह कोश में लिखा है। बच्चों को लगता है ‘अश्व’ शब्द का अर्थ कोश में लिखा है। पर यह सच नहीं है। ‘अन्त’ शब्द का अर्थ कोश के बाहर तब्बेले में बैंधा खड़ा है। उसका कोश में नमाना सम्भव नहीं। ‘अश्व’ मानी ‘घोड़ा’ यह कोश का वाक्य इतना ही बतलाता है कि, ‘अश्व शब्द का वही अर्थ है जो घोड़ा शब्द का अर्थ है’। वह है क्या सो तब्बेले में जाकर देखो। कोश में सिर्फ पर्याय शब्द दिया रहता है। पुस्तक में अर्थ नहीं रहता। अर्थ सृष्टि में रहता है। जब यह बात अळू में आयेगी तभी सच्चे ज्ञान की चाट लगेगी।

जिसने जप की कल्पना हूँड़ निकाली उसका एक उद्देश या साक्षरत्व को संक्षिप्त रूप देना। जब साक्षरत्व को विलकुल ही भूकते देखा तो उसके मुँह पर जप का टुकड़ा ढाल दिया कि बैचारे का भूकना बन्द हो जायगा और जीवन सार्थक करने के प्रयत्न को बक्त मिल जायगा, यह उसका भीतरी भाव है। वाल्मीकि ने शतकोटि रामायण लिखी। उसे लूटने के लिए देव, दानव और मानव के बीच झगटा शुरू हुआ। झगड़ा मिट्टा न देखकर शंकरजी पंच चुने गये। उन्होंने तीनों को तैतीस-तैतीस करोड़ श्लोक बोट दिये। एक करोट बचे। यों उत्तरोत्तर बोटते-बोटते अन्त में एक श्लोक बच रहा। रामायण के श्लोक अनुष्ठप् छुद के हैं। अनुष्ठप् छुद के अल्प होते हैं बत्तीस। गंकरजी ने उनमें से दस-दस अक्षर तीनों को बोट दिये। वार्ता रहे दो अक्षर। नह कौन-से ? ‘रा-म’। गंकरजी ने वा-दोनों अक्षर बैंटवारें ती मलदूरी ने नाम पर रुदले लिये। गंकरजी ने बासना गाधरन्व दो अक्षरों में रत्न कर दिया; तभी तो देव, दानव और मानव कोई भी उनके ज्ञान की दरादरी न कर सका। सतों ने भी

साक्षर या सार्थक

साहित्य का सारा सार राम नाम मे ला धरा है; पर इसे अभोगे पोमर नर को यह नहीं सज्जता ।

संतो ने रामायण को दो अक्षरो मे समाप्त किया । ऋषियो ने वेदों को एक ही अक्षर मे ला लपेटा । साक्षर होने की हवस नहीं छूटती तो ‘ॐ’ कार का जप करो, बस । इतने से काम न चले तो उपनिषदो मे नन्हा माझूक्य-उपनिषद् पढ़ो । फिर भी वासना रह जाय तो दग्गोपनिषद् देखो । इस भतलब का एक वाक्य मुक्तिकोपनिषद् मे आया है । उससे ऋषि का इरादा साफ जाहिर होता है । पर ऋषि का यह कहना नहीं है कि एक अक्षर का भी जप करना ही चाहिए । एक वा अनेक अक्षर घोखने मे जीवन की सार्थकता नहीं है । वेदो के अक्षर पोथी मे मिलते हैं, अर्थ जीवन मे खोजना है । तुकाराम का कहना है कि उन्हे संस्कृत सीखे बिना ही वेदों का अर्थ आ गया था । इस कथन पर आजतक किसी ने आपत्ति नहीं की । शंकराचार्य ने आठवे वर्ष मे वेदाभ्यास पूरा कर लिया, इससे एक शिष्य को बड़ा आश्र्य हुआ । उसने किसी गुरु से पूछा, “महाराज, आठ वर्ष की उम्र मे आचार्य ने वेदाभ्यास कैसे पूरा कर लिया !” गुरु ने गमीरता से उत्तर दिया, “आचार्य की बुद्धि बचपन मे उतनी तीव्र नहीं थी, इसीसे उन्हे आठ वर्ष लगे ।”

एक आदमी दवा खाते-खाते घबरा गया । क्योंकि ज्यो-ज्यो दवा की मर्ज बढ़ता गया । अन्त में किसीकी सलाह से उसने खेत मे काम शुरू किया । उससे नीरोग होकर थोड़े ही दिनो मे हृष्ट-पुष्ट हो गया । अनुभव से सिद्ध हुई यह आरोग्य-साधना वह लोगो को बतलाने लगा । किसी के हाथ मे शीशी देखी कि बड़े जोश से कहता “शीशी से कुछ होने-जाने को नहीं; हाथ मे कुदाल लो तो चगे हो जाओगे ।” लोग कहते,—“तुम शीशियों पी-पी कर तृप्त हो गये हो और हमे आये हो मना करने !” दुनिया का हाल ही यह है । दूसरे के अनुभव से सयानपन सीखने की

मनुष्य को इच्छा नहीं होती। उसे स्वतन्त्र, अनुभव चाहिए, स्वतन्त्र ठोकर चाहिए। मैं कहता हूँ कि “पोथियों से कुछ फायदा नहीं है। ‘कुनूल पोथियों में मर्या न मारो’”; तो वह कहता है, “हाँ, तुम तो पोथियों पढ़ चुके हो और दूसे उपदेश करने आये हो!” “हाँ, मैं पोथियों पढ़ चुका, पर तुमसे कहता हूँ तुम मत चूको।” वह कहता है “मुझे अनुभव चाहिए”—“ठीक है। लो अनुभव। ठोकर खाने का स्वातन्त्र्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” इतिहास के अनुभवों से हम सबक नहीं लेते। इसीसे इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। हम इतिहास की कदर करें तो इतिहास से आगे बढ़ जायें। इतिहास की कीमत न लगाने से उसकी कीमत बट्टी जा रही है; पर जब इस ओर ध्यान जाय तब ठीक है।

: ६ क :

दो शर्तें

स्वराज्य का आनंदोलन अवतक प्रायः शहरो मे ही चलता था । पर अब धीरे-धीरे लोगो के ध्यान मे आने लगा है कि गॉव मे काम करना चाहिए । पर गावो मे जाने का मतलब है ग्रामीण बनना । शिक्षण किसलिए ? ‘उत्तम नागरिक बनने को’, ऐसा हम आजतक कहते आये हैं या अग्रेजी विद्या हमसे वैसा कहलाती रही है । पर ‘नागरिक’ उर्फ शहराती आदमी बनना, शिक्षण का यह सिद्धान्त स्वराज्य के काम मे नही आनेवाला है । यह बात ध्यान मे रखनी जरूरी है । हमे समझना चाहिए कि ग्रामीण बनने को शिक्षण ही सच्चा शिक्षण है । उसी की पाये पर स्वराज्य की इमारत बनेगी ।

गॉव मे जाना चाहिए यह तो समझ मे आने लगा है, पर ग्रामीण बनना चाहिए यह आज भी मन मे बैठा नही है । यह वैसी ही बात है कि झोपड़ी मे तो जाना है पर ऊंट से उतरना नही है । अभी यह समझना बाकी है कि ऊंट से उतरे बिना झोपड़ी मे प्रवेश नही किया जा सकता । मैं गॉव मे जाना तो चाहता हूँ और शहर का सारा ठाट साथ ले जाना चाहता हूँ । इसका मतलब इतना ही है कि मैं गॉव को शहर बनाना चाहता हूँ । इसी मतलब से गॉव मे जाना हो तो न जाना ही अच्छा है । चाकरी की शर्त है ‘शिव बनकर शिव को पूजना ।’ किसान की चाकरी करनी हो तो किसान बनकर ही की जा सकती है ।

रागीय शालाओं को यह वात ध्यान में रखनी चाहिए। नाजुक गद्दराती बनाने की दृश्य स छोड़कर कडकड़ाते किसान तैयार करने का मन्त्र वाँधना चाहिए। हमारे शिक्षित लोग अगर जरा श्रमपरायण हुए तो अग्रेज़ों को वह असरने लगेंगे, और वह ज़ेर उनके मार्ग में अडचन पेदा करेंगे। पर उसमें उरने की जल्दत नहीं है। अग्रेज़ कहेंगे, 'अग्रेज़ी सीखो, नहीं तो धधकार में पढ़े रहोगे।' अग्रेज़ी सीख जाने से जग का ज्ञान तुरदारी सुट्टी में आ जायेगा।' हमें उनसे इतना ही कहना चाहिए कि 'जग का ज्ञान कि जगने का ज्ञान, यह हमारे सामने पहला सवाल है। सारा जग हमारी मुद्दों में गिनती करता है, इतना समझने भर ज्ञान हमें हो चुका है।' अग्रेज़ी के ग्रहण से छूटना ही चाहिए। इसके बिना राष्ट्रीय शालाओं का तेज बढ़नेवाला नहीं है। अंग्रेज़ी-पढ़ा आदमी किसानों से थोल भी नहीं सकता, पिर किसान बनने की वात तो दरकिनार रही। उसकी और किसान की भाषा ही नहीं मिलती। किसानों से उसके गन में नम्रत रहती है। गाँव में रहना उसके लिए असम्भव है। इसके बए मानी नहीं है कि कोई भी अग्रेज़ी न पढ़े। अग्रेज़ी पढ़ने के लिए हम आजाद हैं। पर अग्रेज़ी पढ़ने के लिए हमें मजबूर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शालाओं को अग्रेज़ी सीखने की मजबूरी दूर कर देनी चाहिए और मजबूरी पर ज़ोर देना चाहिए। शारीरिक श्रम के बिना गाँव के कान्य का अनुभव नहीं हो सकता।

मराठी शाल में पढ़ते समय हमारे पाठ्यक्रम में 'सुष्टि-ज्ञान' के लिए एक पोधी नियत थी। 'सुष्टि-ज्ञान' के लिए भी पोधी! इस पोधी के सुष्टि-ज्ञान के दृढ़ पर हर जग को अनादी कहने लगते हैं। और गाँव जाना भी ते हो उन अनादी किसानों को 'सिखाने जाना' है। एमें गाँवों में जाना चाहिए पर भी जाने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। हमारे ध्यान में गढ़ वाल नहीं आती फिर गाँववालों को सिखानेलायक हमारे पास दो-

चार चीजें हैं तो उनसे सीखने की दस-बीस चीजें हैं। कारण, मदरसे के किताबी ज्ञान से हमारी निगाह धृधली हो गयी है। जब हम मज़दूरी का महत्व समझ लेगे तभी हमारा जाला कटेगा। और गाँव में काम करने का तरीका भी सूझने लगेगा।

पर वर्तमान पद्धति के अनुसार तालीम पाये हुए बहुतेरे लोग देश-सेवा की उम्मीदवारी में आते हैं। उनका क्या हो ? मेरी समझ में उनका उपयोग हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। पर इस बीच में उन्हे दो चीजें सिखा लेनी होगी—(१) अग्रेज़ी विद्या की सिखायी हुई बातें भूल जाना, (२) शारीरिक शम की आदत छालना। ये दो बातें आ जाने पर हम उन्हे काम में लगाये। ‘हम काम के लिए तैयार हैं’ ऐसा बहुतों ने मुझे सूचित किया है। उन सबको इन दो बातों के लिए तैयार होना चाहिए। आज अपने देश को हरएक मज़दूर की मज़दूरी की ज़रूरत है। जितने लोग आयें कम हैं।

फ़ायदा क्या है ?

कहते हैं, रेखागणित की रचना पहले-पहल यूकिलिड ने की। वह ग्रीस देश का अधिवासी था। उसके समय में ग्रीस के सब शिक्षितों के दिमाग राजनीति से बिछुत हो रहे थे—या यो कहिए कि दिमागों में राजनीति का गोवर भरा हुआ था। इस बजह से रेखागणित के कद्दरों दुर्लभ थे और यूकिलिड तो रेखागणित पर मुग्ध था। फिर भी जैरे चरखे पर मुग्ध एक मानव ने भी बहुतेरे चतुरों को चक्कर में डाल दिया, वैसे ही यूकिलिड ने भी बहुतेरे राजनीतिशों को रेखाएँ खांचने में लगा दिया था। रोज़ यूकिलिड के घर पर रेखागणित के शिक्षार्थियों का जमघट लगता था। यूकिलिड उन्हे अपना आविष्कार कुशलतापूर्वक समझाता था।

बहुतेरे राजनीतिशों को यूकिलिड के पीछे पढ़े देख एक राजा के मनमें आया, ‘चलें इस भी देखें, कुछ फ़ायदा होगा।’ वह हफ्ते भर यूकिलिड के पास रेखागणित सीखने गया। अंत में उसने यूकिलिड से पूछा, “मुझे सात दिन रेखागणित सीखते हो गये; पर यह न समझ में आया कि इससे फ़ायदा क्या है?” यूकिलिड ने गम्भीरतापूर्वक अपने एक शिष्य से कहा, “मुझे जी, इन्हें चार आने रोज के दिसाव में रात दिन के पौने दो रुपये दे दो।” फिर राजा की ओर मुग्धतिय होकर कहा, “तुम्हारा इस दफ्तरों का काम पूरा दो गया है, कल मे तुम और कर्दों काम हँडो।” क्या वह नाशक राजा झेंगे के बजाय पौने दो रुपये पढ़ने से तुम हुआ होगा? इस लोगों की मनोनुकृति उस ग्रीक राजा की-सी बन गयी है।

फ़ायदा हूँढ़ने की आदत

हर बात में फ़ायदा तलाशने की बहुतों को आदत पड़ गयी है। सूत कातने से क्या फ़ायदा है, इससे लेकर स्वराज्य हासिल होनेतक के फ़ायदे के बारे में खचियों सवाल होते हैं। यह फ़ायदावादी समुदाय अपनी फ़ायदेवाली अकल को ज़रा और आगे हँक ले जाय तो तत्त्वज्ञान की ठेठ चोटीपर पहुँच जायगा। तब प्रश्न का रूप बनेगा—‘फ़ायदे से भी क्या फ़ायदा है?’ एक लड़का अपने बाप से कहता है, “‘वाबूजी, गाय-भैस का फ़ायदा तो समझ में आता है कि उनसे हमें रोज़ दूध पीने को मिलता है; लेकिन कहिए तो इन बाघ-बघेरों और सौंपों के होने से क्या फ़ायदा है?’” बाप जबाब देता है, “‘समूची सृष्टि मनुष्य के फ़ायदे के लिए ही है, इस बेकार की गलतफ़हमी में हम न रह जायें, यही इनका फ़ायदा है।’”

कालिदास ने एक जगह मनुष्य को ‘उत्सव-प्रिय’ कहा है। (कालिदास का मनुष्य-स्वभाव का ज्ञान गहरा था और इसीसे वह कवि कहलाने के अधिकारी हुए।) सबका अनुभव है कि मनुष्य को उत्सव प्रिय है लेकिन वह क्यों प्रिय है? पाठशाला के लड़कों को रविवार की छुट्टी क्यों प्यारी लगती है? छः दिन दीवारों के धेरे में बन्द-बन्द छुट्टे के बाद रविवार को जरा स्वच्छन्दता से सॉस ले पाने की बजह से। मनुष्य को उत्सव प्यारा क्यों है, इसका भी उत्तर ऐसा ही है। दुःखों से दबा हुआ हृदय उत्सव में हल्का—मस्त—उड़नेवाला बन जाता है। हमारे घर अट्टारह विस्ते दारिद्र्य होने की बजह से ही लड़के की शादी रचने पर हम जेवनार में अट्टारह दूना छत्तीस व्यजन बनाना नहीं भूलते। मतलब कहने का यह है मनुष्य उत्सव-प्रिय है, यह उसके जीवन के दुखःमय होने का सबूत है। और इसी उदाहरण के अनुसार आज हमारी बुद्धि सिर्फ़ फ़ायदावादी बन गयी है। यह हमारे राष्ट्र के महान् बौद्धिक दिवालियेपन का सबूत है।

इसका क्षुपरिणाम

यह बान पड़ जाने के कारण हमारे समाज में साहस का अभाव होने लग गया; और इसकी वजह से ब्राह्मणवृत्ति, क्षात्रवृत्ति और वैश्यवृत्ति छुटकी हो रही है। ब्राह्मण मानो साहस की साधात् प्रतिमा। मृत्यु के परले पार की मौज लेने के निमित्त जीवन की आहुति देनेवाला ब्राह्मण नहूँयेगा। फायदा कहेगा, “मौत के बाद की बात किसने देखी है? हाथ का घड़ा पटककर बादल का भरोसा क्यों करे?” फ़ायदे के कोश में साहस शब्द मिलना कठिन है। और मिल गया तो अर्थ उसका लिखा मिलेगा ‘मूर्खता !’ फ़ायदे के कोश से जीवन-गीता की संगति विठायी जाय तो फल-त्याग की अपेक्षा त्याग का फल क्या है, यह प्रश्न पैदा हो जायेगा। ऐसी हितिमे सच्ची ब्राह्मणवृत्ति के लिए ठौर कहाँ रहेगा ? “त्याग करना, साहस करना, यह सब ठीक है” फ़ायदावादी कहता है—“पर त्याग के लिए ही त्याग करने को कहते हो ?” “न, त्याग के लिए त्याग नहीं कहता—फ़ायदे के लिए त्याग मान लीजिए।” “पर वह फ़ायदा कब मिलना चाहिए, इसकी कोई मीयाद तय होनी चाहिए न ?” “तुम्हारा है कोई कायदा कि फ़ायदा कितने दिन में मिलना चाहिए ?” यह सट कहेगा—“त्याग के दो दिन पहले मिल जाय तो बस !” समर्थ गुरु गमदास ने “लोगों के लालची स्वभाव का वर्णन करते हुए, कार्यारम्भ में देव (ईश्वर) का नाम लेना चाहिए”, इस कथन का अर्थ फ़ायदे के कोश के अनुसार किया है—“कार्यारम्भे देव, अर्थात् काम के शुरु में कुछ तो देव (दो) !” सारांश, फल ही देव है और वह काम करने के पूर्व मिलना चाहिए। इसका नाम है नाफ़ायदा तत्त्वज्ञान ! जहाँ (विचारे) देव (ईश्वर) की बढ़ देता है वहाँ ब्राह्मणवृत्ति की बात को कौन पृछता है ?

परतोक के लिए इस लोक को छोड़नेवाला साहस तो सरागर गग-स्थन है, इसलिए उसका तो विचार ही बैफ़ायदा है। इनमे उत्तरार

गीता-जयन्ती

कुरुक्षेत्र की रणभूमिपर अर्जुन को गीता का उपदेश मार्गशीर्ष शुल्क एकादशी को दिया गया था, यह विद्वानों ने माना है। इसे सही गानकर चलने में कोई हर्ज नहीं है। इससे 'मासानां मार्गशीर्षोऽह'—महीनों से मार्गशीर्ष महीना मेरी विभूति है, इस वचन को विशेषता मिलती है। उस दिन हिन्दुस्तान भर में सर्वत्र गीता का स्वाव्याय—प्रवचन होने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव उचित है। पर यह न भूलें कि गीता-धर्म का प्रचार केवल प्रवचन और ध्यण से न होगा। गीता ज्यानी जमा-खच्च का शास्त्र नहीं, किंतु आचरण-शास्त्र है। उसका प्रचार आचरण विना और किसी तरह भी नहीं होने का। गीता का धर्म एक खुला धर्म है। किसी के लिए उसके सुनने की मनाई नहीं। जी, वैद्य, शूद्र, जिनमें वेद के गहरे कुएँ में से पानी निकालने की शक्ति नहीं है, उनके लिए गीता के बहते छारने से मनमाना पानी पाने की बुविधा है। गीतामैथा के यहाँ छोटे-बड़े आ भेद नहीं है; वल्कि खरे-खोटे का भेद है। जिसकी तपश्चार्या करने की दैशारी नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति का प्रवाह नहीं, सुनने की जिसकी तीव्र इच्छा नहीं, अथवा जिसकी बुद्धि में निर्मल्लर भाव नहीं, उसके सामने वह रहत्य भूलकर भी प्रकट मत करता—भगवान् ने अर्जुन को यह अदित्य दिया है।

गीता के प्रचार के मानी हैं निष्काम कर्म का प्रचार। गीता के प्रचार के मानी हैं भक्ति का प्रचार, गीता के प्रचार के मानी है त्याग का प्रचार। यह प्रचार पहले अपनी आत्मा में होना चाहिए। जिस दिन उससे आत्मा भरपूर हो जायगी उस दिन वह दुनिया में फैले बिना न रहेगा। गीता पर आजतक हिन्दुस्तान में प्रबन्धनों की कमी नहीं रही है। तरह-तरह की टीकाएँ भी लिखी गयी हैं। गीता के तात्पर्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्र वगैरह में पुराने, नये शास्त्री-पण्डितों का वाद-विवाद भी काफी हुआ है। पर अनुभव से यह नहीं जान पड़ता कि इनकी बजह से साक्षात् निष्काम कर्म को कुछ उत्तेजन मिला हो। उलटे, उनसे रजोगुण की मात्रा का ज़ोर बढ़ा है। मनभर चर्चा की अपेक्षा कन-भर अर्चा श्रेष्ठ है। ‘उठ भोर राम का चिंतन कीजे’ इस वाक्य के लिखनेवाले का उद्देश्य यह नहीं है कि लोग बैठकर इसे धोखे, बल्कि यह है कि प्रातःकाल उठकर राम का चिंतन करे।

गीता का रहस्य गीता की पोथी में छिपा हुआ नहीं है। वह तो खुला हुआ है। भगवान् खुद ही कहते हैं कि मैंने उसे सूर्य से कहा है। इतना साफ है कि जिसके ओरें हों वह देख सकता है। और यदि छिपा हुआ ही है तो गीता की पोथी में तो निश्चय ही नहीं छिपा है। वह हृदय की गुफा में छिपा है। इस गुफा का मुँह पाप के पत्थर डालकर बन्द कर दिया गया है। उन्हे हटाकर अन्दर ढेखना चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गीता ‘कुरु’ क्षेत्र में कही गयी है। सस्कृत में ‘कुरु’ का अर्थ है कर्म कर। कुरुक्षेत्र मानी कर्म की भूमि। इस कर्म की भूमिका पर गीता कही गयी है। और वहीं उसे मेहनत के कानों से सुनना है।

वहुतरी की समझ है कि मिशनरी लोग जैसे वायविल की प्रतियों सुस्त बॉट्स हैं, उसपर व्याख्यान देते फिरते हैं, कोई सुने न सुने अपना

राग अलगे जाते हैं, वैसे ही हम गीता के बारे में करे तो हमारे धर्म का प्रचार होगा । पर यह कोरा बहम है । मिशनरियो ने जो बहुत ही थोड़ा-सा उच्चा धर्म-प्रचार किया है वह उनमें के कुछ सज्जनों की सेवा का फल है । वाकी के उनके धर्म-प्रचार को तो दंभ ही कहना चाहिए । पर इस दंभ से उनके काम को नुकसान पहुँचा है । उनके अनुकरण से हमारा कोर्ट लाभ नहीं होगा ।

अतः गीता-जयती के दिन गीता के प्रचार की बाहरी कल्पना पर ज़ेर न देकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हाथ से कुछ भी निष्काम नेवा बने । साथ ही, भक्तियुक्त चित्त से यथाशक्ति गीता का थोड़ा-सा पाठ करना भी उपयुक्त है ।

पुराना रोग

अस्पृश्यता के पक्षपातियों की एक दलील है कि यह पुरातन काल से चली आयी है। पर यह भी कोई दलील है। माना कि 'पुरानी पूजी' की रक्षा करनी चाहिए। पर रक्षा में बढ़ाना, जीर्णोद्धार करना वगैरह कई बातें शामिल हैं। पुराना घर प्यारा होने से क्या उसमें के चूहों और छछूदरों के बिल भी प्यारे होंगे? पेट की सन्तान प्यारी होने से क्या पेट का रोग भी प्यारा होगा? और उसमें भी पुराना रोग? फिर उसका इलाज क्या कराना है? जीर्णोद्धार में भी बाधा देनेवाली इस जीर्ण-भक्ति को क्या कहा जाय? साक्षात् उपनिषद् के ऋषियों ने स्पष्ट आज्ञा दी है, "यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि।" —हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करो, दूसरे कामों का नहीं। हम अपनी विवेकबुद्धि से इस्तीफ़ा देकर साफ़ तौर से उनकी आज्ञा-भंग करते हैं और उलटे मानते हैं कि हम उनकी आज्ञा पालते हैं। यह आत्मवंचना नहीं तो क्या है?

इसमें भी 'भूत को भागवत का आधार' मिलनेवाली बात होने पर तो आत्मवंचना की हद हो जाती है। अस्पृश्यता के लिए आधार लिया जाता है आदि शंकराचार्य का! अद्वैत के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना जिसकी जिन्दगी का मकसद था वह इस अमंगल भेदभाव-भ्रम का आधार बनाया जाता है। कैसा अचरज है! सतो का आधार लेना ही हो तो उनके उत्तरचरित्र से लिया जाता है, पूर्वचरित्र में से नहीं लिया

जाता। गंकराचार्य के चरित्र में जो चांडाल की कथा है वह उनके पूर्व-चरित्र की है। उस आधार पर अगर अस्तृश्यता मान्य ठहरायी जाय तो वाल्मीकि के (पूर्वचरित्र के) आधार पर ब्रह्महत्या भी मान्य ठहरेगी। और फिर क्या अमान्य रह जायगा? कारण, साधु हुआ तो भी साधुत्व की योग्यता प्राप्त होने के पूर्व तो वह साधु नहीं ही होता। उस समय के उसके चरित्र में सब कुछ मिल जायगा। इसीलिए कहावत है, “ऋग्यि का कुल मत देखो।” देखना ही हो तो उसका उत्तरचरित्र देखना चाहिए, और सो भी विवेक साथ रखकर।” पूर्वचरित्र देखने से क्या लाभ?

आचार्य के चरित्र में चांडाल की कहानी यो है—आचार्य एक बार काशी जा रहे थे और उसी रास्ते पर एक ‘चांडाल’ चल रहा था। उन्होंने उसे हट जाने को कहा। तब चांडाल ने उनसे पूछा—“भगवान्, अपने अन्नमय शरीर से मेरे अन्नमय शरीर को आप परे हटाना चाहते हैं या अपने में स्थित चैतन्य से मेरे अन्दर के चैतन्य को? शरीर किसीका हो, वह स्पष्टः ‘गदगी का गदा’ है। और आत्मा तो सर्वत्र एक और अत्यन्त शुद्ध है। ऐसी स्थिति में अस्तृश्य कौन है और किसके लिए?” वह उस सवाल का मतलब है। पर हतना कहकर ही वह चांडाल त्रुप नहीं हुआ। उसने फटकार आगे बढ़ायी, “गंगाजल के चन्द्रमा और हमारे हैंज़ के चन्द्रमा में कुछ अन्तर है। सोने के कलसे के आकाश में और हमारे मिट्टी के घटे के आकाश में कुछ कर्ण है। सर्वत्र आत्मा एक ही है न? फिर यह ब्राह्मण और अंत्यज का भेद-भ्रम आप कहाँ से निकाल लाये?”—“यिप्राऽऽयं शृणु चोयऽमित्यपि महान् फोऽयं यिभेदभ्रमः।” हतनी फटकार सुनकर आचार्य के कान ही नहीं झौंसे भी खुल गयीं और नम्रता से उसे नमस्कार करके वह बोले, “आप मरीये मनुष्य, फिर चाहे वह चांडाल हों या ब्राह्मण, मेरे लिए गुरुस्थानीय हैं।”—

“चांडालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ।” इस बातचीत से जो अनुमान पाठक निकालना चाहे निकाल ले ।

जिस रास्ते अपने बड़े-बड़े गये उस रास्ते हमें जाना चाहिए, यह मनु ने भी कहा है । पर वह ‘सन्मार्ग’ हो तो, यह उन्हीं का बताया हुआ अपवाद है । वह श्लोक देकर यहाँ समाप्त करता हूँ ।

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात् “सतां मार्गं” तेन गच्छन् न रिष्यति ॥

श्रवण और कीर्तन

प्रह्लाद ने नौ प्रकार की भक्ति कही है। उनमें भक्ति के दो प्रकार श्रवण और कीर्तन को विल्कुल आरंभ में रखा है। भक्ति-मार्ग में श्रवण-कीर्तन की बड़ी महिमा गायी गयी है। सुनी हुई वस्तु को बार-बार सुनना, कही हुई ही वात को बार-बार कहना भक्तों की रीति है। तीनों लोक में विचरना और वरावर बोलते रहना नारद-सरीखों का तो जन्म का धन्धा है। उच्चवर्ग के लोगों में, मध्यमवर्ग के लोगों में, निचले-वर्ग के लोगों में—तीनों में ही नारदजी की फेरी होती है और वरावर कीर्तन चलता है। कीर्तन का विषय एक ही है। वही भक्तवत्सल प्रभु; वही पतित-पावन नाम। दूसरा विषय नहीं, दूसरी भाषा नहीं। वही गाना, वही रोना, वही कहना, वही चिल्लाना। न आलस्य है, न परेशानी; न थकावट है, न विश्राम; गाते-गाते फिल्ना और फिरते-फिरते गाना।

जैसे नारद-सरीखों के लिए निरन्तर गाना है, वैसे धर्मराज-सरीखों के लिए सतत सुनना। महाभारत के वनपर्व और शान्तिपर्व यह दोनों निशाल पर्व धर्मराज की श्रवण-भक्ति के फल हैं। वनवास में रहते समय जो कोई शृणि मिलने आता उसकी धर्मराज रुद्गामद करते। भक्ति-भाव से प्रणिपात करके जो सेवा बनती करते और जहाँ शृणि ने कुशल-ग्रन्थ किया कि अपनी कवण-कहानी कहने का निमित्त बनाकर लगते प्रभु पूछने, “महाराज, द्वौपदी पर लाज जैसा संकट है वैता आजतक कभी गिरीपर पढ़ा था क्या ?” वह कहते, “क्या पूछते हैं यह आप ! बड़ों-बड़ों ने जो कह सहे हैं उनके मुकाबले में तो द्वौपदी का और आपका कष्ट कियी गिनती ये नहीं हैं !” फिर यह पूछते, “सो कैसे ?” इतना सहारा पा जाने के

बाद ऋषि का व्याख्यान चलता । सारी राम-कथा अथ से इतितक वह कहते और यह प्रेम लगाकर सुनते । दूसरे किसी अवसर पर ऐसे ही कोई ऋषि आकर नल-दमयन्ती का नाम ले लेते तो धर्मराज फौरन सवाल करते, “वह क्या कथा है ?” अब राम की सीता कौन थीं और नल-दमयन्ती की कथा क्या है, इतिहास का इतना अशान धर्मराज मे होना कैसे माना जा सकता है ? पर जानी हुई कथा भी सतो के मुख से सुनने मे एक विशेष स्वाद होता है । इसके सिवा वही वस्तु बारम्बार सुनने से विचार दृढ़ होता है । इसीलिए धर्मराज ऐसे श्रवण-प्रेमी बन गये थे ।

पर पुरानी बात जाने दीजिए । बिल्कुल इस ज़माने का उदाहरण लीजिए । नारद की तरह ही तुकाराम महाराज ने अन्तिम घडीतक कीर्तन-भक्ति जारी रखी । रोज रात को भगवान् के मन्दिर मे जाकर कीर्तन करने का उनका क्रम आमरण अवाधित रूप से चला । लोग जायें, न जायें, भगवान् के सामने कीर्तन तो होगा ही । समाज की बिल्कुल निचली श्रेणी से लेकर ठेठ ऊपर की श्रेणी तक सबको तुकाराम महाराज ने भगवान् का नाम सुनाया । घर मे, मन्दिर मे, घाट मे, बाट मे, सर्वत्र वही एक-सा सुर । खी को, लड़की को, भाईं को, जमाईं को, गाँव के मुखिया को, देश के शासक को, शिवाजी महाराज को, रामेश्वर भट्ट को, अंबाजी बुवा को—सबको तुकाराम महाराज ने हरिनाम का एक ही उपदेश किया और आज भी उनकी अभग वाणी वही काम अव्याहत रूप से कर रही है ।

इधर के इतिहास मे जैसे हमे तुकाराम-सरीखे ‘सदा बोलते’ भक्ति के स्रोत मिलते है, वैसे ही उस स्रोत से पानी लेजाकर धर्म-क्षेत्र का बागवानी करनेवाले गिवाजी-जैसे श्रवण-दक्ष किसान भी देखने को मिलते है । पचीस-पचीस मील की दूरी तक कीर्तन सुनने के लिए बराबर दौड़ते जाना उनका नियम था । और जो कुछ सुनना वह आलस-वालस झाड़कर जी

लगाकर लुनना, और जैसा लुनना उसके अनुसार आचरण करने का वरावर प्रयत्न करना, इसीको श्रवण कहना चाहिए। गिवाजी महाराज ने सतत श्रवण किया। कोई सत्पुरुष मिल जाते तो उनसे सुनने का मौका उन्होंने कभी हाथ से नहीं जाने दिया। अतएव सब उद्योगों में लगाने के बाद भी वन्च रहे इतनी स्फूर्ति का ख़ुजाना उनके हृदय में जमा था।

भक्ति-मार्ग में जिसे श्रवण-भक्ति और कीर्तन-भक्ति कहते हैं उसी को उपनिषद में स्वाध्याय और प्रवचन नाम दिया है। नाम भिन्न होने पर भी अर्थ एक ही है। स्वाध्याय के मानी हैं सीखना और प्रवचन के मानी सिखाना। इस सीखने और सिखाने पर उपनिषदों का उतना ही जोर है जितना 'श्रवण और कीर्तन पर' संतों का। "सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्सा प्रमदः।"—सच बोल, धर्म पर चल और स्वाध्याय से मत चूक, इन तीन सूत्रों में ऋषि की सारी सिखावन आगयी। स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात् सीखने-सिखाने का महत्व ऋषियों की हाइ में इतना ज्यादा था कि मनुष्य के लिए नित्य आचरण करने योग्य धर्म के तत्त्व बतलाते हुए उन्होंने प्रत्येक तत्त्व के साथ स्वाध्याय-प्रवचन का पुनः पुनः उल्लेख किया है। 'सत्य और स्वाध्याय-प्रवचन,' 'तप और स्वाध्याय-प्रवचन,' 'इन्द्रिय-दमन और स्वाध्याय-प्रवचन,' इस प्रकार प्रत्येक कर्त्तव्य को अलग-अलग कहकर हरवार स्वाध्याय-प्रवचन का हेतु और विषय तो बतलाया ही, साथ ही उसका महत्व भी बता दिया है।

हमारा स्वराज्य-आनंदोलन अत्यन्त व्यापक और गंभीर आनंदोलन है। एक और तीसरा करोड़ लोगों ने—मावनप्रबन्ध के एक पंचमांश से सम्बन्ध रखनेवाला होने के कारण विदाल है, और दूसरी ओर आत्मा को सर्व छरनेवाला होने के कारण गम्भीर है।

६१९४१ की जनगणना से भारतवर्ष की जनसंगम्या ३८ करोड़ ८८ लाख निकली है।

इस कथन में संकुचित दृष्टि समझी जायगी कि तीस करोड़ आद-मियो से ही इस आन्दोलन का सम्बन्ध है। व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो मालूम होगा कि सारे मानव-जगत् की भवितव्यता इस आन्दोलन से सम्बन्धित है। पैर का नन्हा-सा कॉटा निकालना सिर्फ़ पॉव का सवाल नहीं होता। सारे शरीर का सम्बन्ध उससे रहता है। फिर बिगड़े हुए कलेजे को सुधारने का सवाल सारे शरीर को सुधारने का सवाल कैसे न होगा? अवश्य यह सारे शरीर का सवाल है। और कोई आसान सवाल नहीं है, जीने-मरने का सवाल है—‘यक्ष-प्रश्न’ है। जबाब दो, नहीं तो जान दो, इस तरह का सवाल है। काल की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन, लोक-सख्या के हिसाब से जगत् के पॉच्चवे हिस्से के बराबर, विस्तार की दृष्टि से रूस को छोड़कर पूरे यूरोप के बराबर, संस्कृति में उदार, उच्च, अद्भुत, प्राकृतिक सम्पत्ति में जगत् के लिए लालच की वस्तु, हिन्दू और बौद्ध इन दो विश्व-व्यापक धर्मों को जन्म देनेवाली और इस्लाम का विस्तार-क्षेत्र बनी हुई, वाद्यय-वैभव में अद्वितीय यह भारत-भूमि ब्रिटिश-साम्राज्य के सुकुट का हीरा ही नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की निगली हुई हीरे की कनी है—इसके जीवन-मरण पर दुनिया का भाग्य अवलम्बित है। इसलिए आज के हमारे स्वराज्य-आन्दोलन का सम्बन्ध सिर्फ़ ३० करोड़ भारतीय जनता से न होकर सारे जगत् से है। और दूसरी ओर यह आन्दोलन आत्मा को स्पर्श करनेवाला है, यह कहने से उसकी सच्ची गमीरता की कल्पना नहीं होती। स्वराज्य का आन्दोलन आत्म-शुद्धि करनेवाला है। और आत्म-शुद्धि का वेग साक्षात् परमात्मा से भेट किये बगैर थमनेवाला नहीं। इसलिए परमात्मा को दुनिया के क्षेत्र से गुणा करने पर इस आन्दोलन का घनफल निकलेगा।

आन्दोलन इतना विगाल और गमीर होने की वजह से उसकी सिद्धि के लिए दो बातों की फिल रखना जरूरी है। एक तो उसे किसी खूँटे से कसकर बॉध देना चाहिए, नहीं तो वह हाथ से निकल भागेगा।

दूरे उसके तत्त्वों का श्रवण-कीर्तन जारी रखना चाहिए ।

दूरमें आन्दोलन का खैंटा अब निश्चित होगया है । चरखा हमारे सारे आन्दोलन का खैंटा है । इसके चारों ओर आन्दोलन का चक्र फिरते रहना चाहिए । सुविधा और आवश्यकतानुसार कछुआ अपने अंग कभी अपने मजबूत कबच के अन्दर खाच लेता है और कभी बाहर फैला देता है । वैसे ही चरखे का मजबूत खैंटा कायम करके उसके आश्रय में हम आन्दोलन के दूसरे अवयवों को कभी बाहर पसारते, कभी भीतर बढ़ोतरे चलेंगे । पर कभी इस चरखे के ग्वैटे को छोड़ना नहीं होगा । ब्रह्म 'र्नगत रादासम' है, इसीलिए कोई यह नहीं कह सकता कि वह कब निकल भागेगा । इसीलिए उस ब्रह्म को किरी मूर्ति में कैद किये विना भक्त का काम नहीं चलता । वैसे ही आन्दोलन विश्वव्यापी हुआ कि कुछ शाथ नहीं लगता । इसीलिए उस आन्दोलन की चरखे में प्राण-प्रतिष्ठा है और कुछ हो या न हो, इस मूर्ति की पूजा में कभी नूक नहीं होनी चाहिए ।

और इतने ही महत्व की दृसरी बात है आन्दोलन के तत्त्वों के सबके कानों पर वरावर पड़ते रहने की व्यवस्था । वास्तव में ये दोनों बातें अलग-अलग नहीं हैं । एक ही बात के दो अंग हैं । कीर्तन करना ऐसे तो सामने मूर्ति का होना ज़्यादा है । देवता की मूर्ति के बिना कीर्तन नहीं हो सकता । गगा का पानी समुद्र की ओर जाता है तो तीर पर के गुँड़ों का पोषण करता जाता है । पर जाता है समुद्र की ओर ही । वैसे ही कीर्तन की नारा यहती है भगवान् के समुख ही । सुननेवाले तीर पर के गुँड़ों के समान हैं । स्वराज्य के आन्दोलन की स्थापना चररंग की मूर्ति में करनी और उस मूर्ति के सामने असंघ कीर्तन की जय-जयकार जारी रखनी है । यह भजन-कार्य दूरएक शहर में, दूरएक गाँव में, दूरएक घर में दूर होना चाहिए । कीर्तन ये गुंजार में दुर्निया को रुँझा देना चाहिए । यह एम फरायें तो यह दर्शी दात है कि एम द्याए में राष्ट्र की जागा पलट ही जाय ।

रोज़ की प्रार्थना

ॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥

हे प्रभो, मुझे असत्य मे से सत्य मे ले जा । अन्धकार मे से प्रकाश
मे ले जा । मृत्यु मे से अमृत मे ले जा ।

इस मत्र मे हम कहूँ हैं, अर्थात् हमारा जीवस्वरूप क्या है, और
हमे कहूँ जाना है, अर्थात् हमारा शिवस्वरूप क्या है, यह दिखाया है ।
हम असत्य मे हैं, अन्धकार मे हैं, मृत्यु मे हैं । यह हमारा जीवस्वरूप
है । हमे सत्य की ओर जाना है, प्रकाश की ओर जाना है, अमृतस्व
को प्राप्त कर लेना है । यह हमारा शिवस्वरूप है ।

दोनो विन्दु निश्चित हुए कि सुरेखा निश्चित हो जाती है । जीव
और शिव ये दोनो विन्दु तय हुए कि परमार्थ-मार्ग तैयार हो जाता है ।
मुक्त के लिए परमार्थ-मार्ग नहीं है, कारण उसका जीव-स्वरूप जाता रहा
है । शिव-स्वरूप का एक ही विन्दु बाकी रह गया है, इसलिए मार्ग पूरा
हो गया । जड़ के लिए परमार्थ-मार्ग नहीं है । कारण, उसे शिव-स्वरूप
का भान नहीं है । जीव-स्वरूप का एक ही विन्दु नजर के सामने है,
इसलिए मार्ग आरभ ही नहीं होता । मार्ग बीचबाले लोगो के लिए है ।
बीचबाले लोग अर्थात् मुसुक्षु । उनके लिए मार्ग है । और उन्हींके लिए
इस मन्त्रबाली प्रार्थना है ।

‘मुझे असत्य में से सत्य में ले जा’ ईश्वर से यह प्रार्थना करने के मानी हैं ‘मैं असत्य में से सत्य की ओर जाने का वरावर प्रयत्न करूँगा’, इस तरह की एक प्रतिज्ञा-सी करना। प्रयत्न-सहित प्रतिज्ञा जिस प्रार्थना के साथ न हो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। यदि मैं प्रयत्न नहीं करता और चुप बैठ जाता हूँ, अथवा विश्व दिशा में जाता हूँ, और ज्ञान से ‘मुझे असत्य में से सत्य में ले जा’ यह प्रार्थना किया करता हूँ, तो इससे क्या मिलने का? नागपुर से कलकत्ते की ओर जानेवाली गाड़ी में बैठकर हम ‘हे प्रभो, मुझे वस्त्रहृष्ट ले जा’ की कितनी ही प्रार्थना करें, तो उसका क्या फायदा होना है? असत्य में से सत्य की ओर ले चलने की प्रार्थना करनी हो तो असत्य से सत्य की ओर जाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना ही नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी प्रार्थना करने में यह प्रतिज्ञा शामिल है कि मैं अपना रुख असत्य से सत्य की ओर करूँगा और अपनी शक्तिभर सत्य की ओर जाने का भरपूर प्रयत्न करूँगा।

प्रयत्न ही करना है तो फिर प्रार्थना क्या? प्रयत्न करना है इसलिए तो प्रार्थना ज़रूरी है। मैं प्रयत्न करनेवाला हूँ। पर फल मेरी मुट्ठी में थोड़े ही है। फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलम्बित है। मैं प्रयत्न करके भी कितना करूँगा? मेरी शक्ति कितनी अल्प है? ईश्वर की महायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं अगर सत्य की ओर अपने फलम बढ़ाता रहूँ तो भी ईश्वर की कृपा के बिना मैं भजित पर नहीं पहुँच सकता। मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूँ, पर अन्त मैं मैं रास्ता काटूँगा कि बीच मेरे पैर ही कट जानेवाले हैं, गए कोन कह राकना है? इसलिए अपने ही बल-बूते मैं मंजिल पर पहुँच जाऊँगा, यह धमण्ठ कुङ्गल है। काम का अधिकार मेरा है; पर फल ईश्वर के द्वाध में है। इसलिए प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर की प्रार्थना आनंद्यक है। प्रार्थना के संयोग से हमें यत मिलता है। प्रार्थना का भतलव तो यही है न कि हमारे पास

जितना ज़ेर है सब लगाने के बाद ईश्वर से मॉगते हैं कि और जोर दे ।

प्रार्थना में दैववाद और प्रयत्नवाद का समन्वय है । दैववाद में पुरुषार्थ को अवकाश नहीं है । इससे वह बाबला है । प्रयत्नवाद में निरहंकार वृत्ति नहीं है, इससे वह धमण्डी है । दोनों एक जगह नहीं मिलाये जा सकते । और फिर दोनों को छोड़ा भी नहीं जा सकता । कारण, दैववाद में जो नम्रता है वह ज़रूरी है । प्रयत्नवाद में जो पराक्रम है वह भी ज़रूरी है । प्रार्थना इनका मेल साधती है । ‘मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः’ गीता में सात्त्विक कर्ता का यह जो लक्षण कहा गया है उसमें प्रार्थना का रहस्य है । प्रार्थना मानी अहकार-रहित प्रयत्न । साराश, ‘मुझे असत्य में से सत्य में ले जा’ इस प्रार्थना का सपूर्ण अर्थ होगा कि ‘मैं असत्य में से सत्य की ओर जाने का अहकार छोड़कर उत्साहपूर्वक बराबर प्रयत्न करूँगा ।’ यह अर्थ ध्यान में रखकर हमें रोज़ प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि—

हे प्रभो, तू मुझे असत्य में से सत्य में ले जा । अंधकार में से प्रकाश में ले जा । मृत्यु में से अमृत में ले जा ।

तुलसीकृत रामायण

तुलसीकृत रामायण का सारे हिन्दुस्तान के साहित्यिक इतिहास में एक निराला स्थान है। राष्ट्रीय दृष्टि से भी उसका स्थान अद्वितीय है। साध-साथ वह हिन्दुस्तान के सात-आठ करोड़ लोगों के लिए वेद-तुल्य प्रमाण-मान्य है। नित्य के व्यवहार-योग्य और धर्म-जाग्रति का एकमात्र आधार है; इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी वह बेजोड़ कही जा सकती है। राम-भक्ति का प्रचार करने में 'शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्' इस न्याय से वह अपने गुरु वाल्मीकि-रामायण को भी पराजय का आनन्द देनेवाली है और इसीलिए भक्तिमार्गीय दृष्टि से भी यह अन्य अपना सानी नहीं रखता। राम-रावण का युद्ध जिस तरह राम-राघव के युद्ध-चैसा या उसी तरह तुलसी-रामायण तुलसी-रामायण-जैसी ही है।

रामायण मानी ही मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का नरित, और फिर तुलसीदास ने तो विशेष मर्यादा दे लिया है। इसीलिए यह अन्ध सुकृतमार दालकों के हाथ से देनेलायक निर्दोष तथा पवित्र है। इसमें भव द्वारा का वर्णन नैतिक मर्यादा का ध्यान रखकर किया गया है। स्वयं भक्ति में भी नीति की मर्यादा का अच्छी तरह पालन करनाया है। इसीलिए सूरदात की जैरी उद्धार भक्ति द्वारा नहीं मिलेगी। तुलसी की भक्ति संयमित है। इस संयमित भक्ति और उद्धार भक्ति में वही अन्तर है जो मूल राम-भक्ति और दूर्ग-भक्ति में है। माय ही, इस रामायण में अपनी कुल विशेषताएँ भी हैं।

तुलसीकृत रामायण का वाल्मीकि-रामायण की अपेक्षा अध्यात्म-रामायण से अधिक सम्बन्ध है। अधिकाश वर्णनों पर, खासकर भक्ति के उद्गारों पर, भागवत की छाप पड़ी हुई है, गीता की छाप तो है ही। महाराष्ट्र के भागवतधर्मीय सन्तों के ग्रन्थों से जिनका परिचय है उन्हे तुलसी-रामायण कोई नयी चीज़ नहीं मालूम होगी। वही नीति, वही निर्मल भक्ति, वही संयम। कृष्ण-सखा सुदामा को जिस तरह अपने गाँव में वापस आने पर यह मालूम हुआ कि कहीं मैं फिर से उसी वैभव-शालिनी द्वारकापुरी में लौटकर तो नहीं आ गया, उसी तरह तुलसी-दासजी की रामायण पढ़ते समय महाराष्ट्रीय सन्त-समाज के वचनों से परिचित पाठकों को 'हम कहीं अपनी पूर्व-परिचित सन्त-बाणी तो नहीं पढ़ रहे हैं', ऐसी शका हो सकती है; उसमे भी एकनाथजी महाराज की याद विशेष रूप से आती है। एकनाथ के भागवत और तुलसीदासजीकी रामायण इन दोनों में विशेष विचार-सम्य है। एकनाथ ने भी रामायण लिखी है, पर उनकी आत्मा भागवत में ही उतरी है। एकनाथ के भागवत ने ही रानडे को पागल बना दिया। एकनाथ कृष्णभक्त थे तो तुलसीदास रामभक्त। एकनाथ ने कृष्णभक्ति की मस्ती को पचा लिया, यह उनकी विशेषता है। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ ये सभी कृष्ण-भक्त हैं और ऐसा होते हुए भी अत्यन्त मर्यादा-पालक। इस कारण इस विषय में उन्हे तुलसीदासजी से दो नवर अधिक दे देना अनुचित न होगा।

तुलसीदास की मुख्य करामात तो उनके अयोध्याकाण्ड में है। उसी काण्ड में उन्होंने अधिक परिश्रम भी किया है। अयोध्याकाण्ड में भरत की भूमिका अद्भुत चित्रित हुई है। भरत तुलसीदास की ध्यानमूर्ति थे। ऐसी व्यानमूर्ति को चुनने में उनका औचित्य है। लक्ष्मण और भरत दोनों राम के अनन्य भक्त थे। लेकिन एक को राम की संगति का लाभ हुआ और दूसरे को वियोग का। पर वियोग ही भाग्यरूप हो उठा। इसलिए कि

वियोग में ही भरत ने संगति का अनुभव पाया। हमारे नसीब में परमात्मा के वियोग में रहकर ही काम करना लिखा है। लक्ष्मण के जैसा संगति का भाग्य हमारा कहँ ! इसीलिए वियोग को भाग्यरूप में किस तरह बदल सकते हैं, इसे समझने में भरत का आदर्श ही हमारे लिए उपयोगी होगा।

शारीरिक संगति की अपेक्षा मानसिक संगति का महत्व अधिक है। शरीर से समीप रहकर भी मनुष्य मन से दूर रह सकता है। दिन-रात नदी में पानी की चादर ओढ़े सोया हुआ पत्थर गीलेपन से विलकुल अलिस रह सकता है। उलटे शारीरिक वियोग में ही मानसिक संयोग हो सकता है। उसमें संयम की परीक्षा होती है। भक्ति की तीव्रता वियोग से बढ़ती ही है। साक्षात् स्वराज्य की अपेक्षा स्वराज्य-प्राप्ति के प्रयत्न का आनन्द कुछ और ही है। सिर्फ अनुभव लेने की रसिकता हममें आनी चाहिए। भक्तों में यह रसिकता होती है। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं मौंगते, वे भक्ति में ही खुश रहते हैं। भक्ति का अर्थ ही बाहर का वियोग स्वीकार कर अन्दर से मिल जाना है। यह कोई ऐसा-वैसा भाग्य नहीं, परमभाग्य है—मुक्ति से भी श्रेष्ठ भाग्य है। भरत का यह भाग्य था। लक्ष्मण का भाग्य भी बड़ा था। पर एक तो हमारी किसान में वह नहीं और फिर कुछ भी कहिए वह है भी कुछ घटिया ही। इसका कारण अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ यही नहीं है, किन्तु उपवास भीठा है यह भी है। भरत के भाग्य में उपवास की मिठास है। तुलसीदासजी के भरत इस भक्ति-भाग्य की मूर्ति हैं। उनका मौंगना तो देखिए—

धरम न धरथ न काम-रुचि,
गति न चहरे निरथान ।

जन्म-जन्म रति राम-पद,
यह धरदान न आन ॥

लोक मान्य तिलक ने 'धीतारहस्य' में संवासी की लक्ष्यकर यह

कटाक्ष किया है कि ‘संन्यासी को भी मोक्ष का लोभ तो होता ही है ।’ पर इस ताने को व्यर्थ कर देने की युक्ति भी हमारे साधु-सतो ने ढूँढ़ निकाली है। उन्होने लोभ को ही सन्यास दे दिया। खुद तुलसी दासजी भक्ति की नमक-रोटी से खुश है, मुक्ति की ज्योनार के लिए उन्होने अनिच्छा दिखायी है। ज्ञानेश्वर ने तो “भोग-मोक्ष निश्वलोण पायातब्दी” (भोग और मोक्ष पैर तले पड़े हुए उतारा जैसे है), “मोक्षात्त्वी सोडी-बांधी करी” (मोक्ष की पोटली को बौधती छोड़ती है, अर्थात् मोक्ष जिसके हाथ की चीज़ है), “चहूँ पुरुषार्था शिरी । भक्ति जैसी” (चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ भक्ति जैसी) आदि वचनों में मुक्ति को भक्ति की टहलुई बनाया है। और तुकाराम ने तो “न को ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिति भाव” (मुझे न ब्रह्मज्ञान, चाहिए और न आत्म-साक्षात्कार) कहकर मुक्ति से दस्तबरदारी ही लगा दी है। “मुक्तिवर भक्ति” (मुक्ति से भक्ति बढ़कर है) इस भाव को एकनाथने अपनी रचनाओं में दस-पाँच बार प्रकट किया है। इधर गुजरात में नरसिंह मेहता ने भी “हरिना जन तो मुक्ति न मागे (हरिका जन मुक्ति नहीं मागता) ही गाया है। इस प्रकार अन्ततः सभी भागवत-धर्मी वैष्णवों की परम्परा मुक्ति के लोभ से सोलहो आने मुक्त है। इस परम्परा का उद्गाम भक्तशिरोमणि प्रह्लाद से हुआ है। “नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षुरेकः”—इन दीन जनों को छोड़कर मुझे अकेले मुक्त होने की इच्छा नहीं है, यह खरा जवाब उन्होने नृसिंह भगवान् को दिया। इस कलियुग में श्रौत-स्मार्त संन्यास-मार्ग की स्थापना करने वाले शंकराचार्य ने भी “ब्रह्मण्याधार्यकर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः” गीता के इस श्लोक का भाष्य करते हुए “संगं त्यक्त्वा” का अर्थ “मोक्षेष्यि फले संगं त्यक्त्वा”—“मोक्ष के विषय में भी आसक्ति का त्याग कर”, ये गन्द अपनी ओर से हेतुपूर्वक बढ़ा दिये है। यो तिलक जी के ताने को सन्तो ने एकदम निकम्मा कर दिया।

भगवन में वियोग-भक्ति का उत्कर्ष दिखाई देता है इसी से तुलसीदासजी के वह आदर्श हुए। भरत ने सेवा-धर्म को खूब निवाहा। नैतिक मर्यादा का सपूर्ण पालन किया, अपने हष्टदेव को कभी विसरने नहीं दिया। आज्ञा समझकर प्रजा का पालन किया। पर उसका श्रेय राम के चरणों में अर्पण कर त्वयं निलित रहे। नगर में रहकर बनवास का अनुभव किया। धैराय्य-युक्त चित्त से यम-नियमादि विप्रम वतों का पालन कर आत्मा को देव से दूर रखनेवाले देह के पदे को झीना कर दिया। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे भरत जी न जन्मे होते तो मुझ-जैसे पतित को राम-समुख कौन करता —

सिय-राम-प्रेम-पियूप-पूरन होत जनम न भरत को।

मुनि-मन-जगम-जम-नियम-शम-दम विप्रम-व्रत आचरत को !

तुख-दाह-दारिद-दम-दूपन सुजस-मिस अपहरत को !

कलिकाल तुलसी से सठहि हठि राम-सनसुख करत को !!

पर चाहे जो हो, आज के वियोगी भारत के लिए भरत वीं वियोग-भक्ति का आदर्श सब प्रकार से अनुकरणीय है। तुलसीदासजी ने वह आदर्श अपने पवित्र अनुभव से उज्ज्वल बनाकर हमारे सामने रखा है। तदनुसार आचरण करना हमारा काम है।

१२ :

कौटुम्बिक पाठशाला

विचारो का प्रत्यक्ष जीवन से नाता दूट जाय तो विचार निर्जीव हो जाते हैं और जीवन विचारशूल्य बन जाता है। मनुष्य घर में जीवन बिताता है और मदरसे में विचारो की शिक्षा पाता है, इसलिए जीवन और विचार की पटरी नहीं बैठती। उपाय इसका यह है कि एक ओर से घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर से मदरसे में घर घुसना चाहिए। समाज-आख्य को चाहिए कि आलीन कुटुम्ब निर्माण करे और शिक्षण-शास्त्र को कौटुम्बिक पाठशाला स्थापित करनी चाहिए। इस लेख में शालीन कुटुम्ब के विषय में हमें नहीं विचारना है, कौटुम्बिक पाठशाला के सम्बन्ध में ही थोड़ा दिग्दर्शन कराना है। छात्रालय अथवा शिक्षकों के घर को शिक्षा की बुनियाद मानकर उसपर शिक्षण की इमारत रचनेवाली शाला ही कौटुम्बिक शाला है। ऐसी कौटुम्बिक शाला के जीवन-क्रम के सम्बन्ध में—पाठ्यक्रम को अलग रखकर—कुछ सूचनाएँ इस लेख में करनी हैं—

(१) ईश्वर-निष्ठा ससार में सार वस्तु है। इसलिए नित्य के कार्य-क्रम में दोनों बेला सामुदायिक उपासना या प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना का स्वरूप संत-बचनों की सहायता से ईश्वर-स्मरण होना चाहिए। उपासना में एक भाग नित्य के किसी निश्चित पाठ को देना चाहिए। ‘सर्वेषामविरोधेन’ यह सिद्धान्त हो। एक प्रार्थना रात को सोने के पहले होनी चाहिए और दूसरी सुबह सोकर उठने पर।

(२) आहार-शुद्धि का चित्त-शुद्धि से निकट सम्बन्ध है इसलिए आहार सात्त्विक रखना चाहिए। गरम मसाला, मिर्च, तलेहुए पदार्थ,

चीनी और दूसरे निषिद्ध पदार्थों का त्याग करना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थों का मर्यादित उपयोग करना चाहिए।

(३) व्राताण ने या दूसरे किसी रसोइये से रसोई नहीं बनवानी चाहिए। रसोई की शिक्षा शिक्षा का एक अंग है। सार्वजनिक काम करनेवालों के लिए रसोई का ज्ञान ज़रूरी है। सिपाही, प्रवासी, ब्रह्मचारी सबको वह आनी चाहिए। स्वावलम्बन का वह एक अग है।

(४) कौटुम्बिक पाठ्याला को अपने पायज्ञाने का काम भी अपने टाथ में लेना चाहिए। असृष्ट्यता-निवारण का अर्थ है किसी भी समाजोपयोगी काम से नफरत न करना। पायज्ञाना साफ करना अंत्यज का काम है, यह भावना चली जानी चाहिए। इसके अलावा स्वच्छता की सज्जी तालीम भी इसमें है। इसमें सार्वजनिक स्वच्छता रखने के टग का अभ्यास है।

(५) असृष्ट्यों को सबके साथ मदरसे में स्थान मिलना चाहिए यह तो तै हो गया, पर 'कौटुम्बिक' पाठ्याला में उन्हें भोजन-काल में भी उसी तरह साथ स्थान मिलना चाहिए। पंक्ति-भेद रखने से काम नहीं चलेगा। आदार-शुद्धि का नियम रहना काफी है।

(६) ज्ञानादि प्रातःकर्म सवेरे ही कर टालने का नियम होना चाहिए। अस्वस्थता का अपवाद रखा जा सकता है। लान ठंडे पानी से बरना चाहिए।

(७) प्रातःकर्मों की तरह सोने के पहले 'सायकर्म' भी ज़रूर होने चाहिए। सोने के पहले देह-शुद्धि आवश्यक है। इस रायकर्म का गाढ़ निद्रा और व्रतमन्तर्य से सम्बन्ध है। गुली दूना में अलग-अलग सोने का नियम होना चाहिए।

(८) छितावी शिक्षा के वजाय उत्त्योग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कम-से-कम तीन घण्टे तो उत्त्योग में टेने ही चाहिए। इगांव विना अव्ययन नहीं होने का। 'कर्मातिशोण' इत्य काम करने वाले हुए समय में वेदाध्ययन करना श्रुति का विभान है।

(९) शरीर नो तीन घण्टे उत्त्योग में लगाने और गृहमृत्यु गीर

स्वकृत्य स्वतः करने का नियम रखने के बाद दोनों बेला व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बेला अपनी-अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुली हवा में खेलना, घूमना या कोई विशेष व्यायाम करना उचित है।

(१०) कातने के काम को राष्ट्रीय धर्म की प्रार्थना की भौति नित्यकर्म में गिनना चाहिए। उसके लिए उद्वोग के समय के अलावा कम-से-कम आधा घटा वक्तः देना चाहिए। इस आधे घटे में तकली का उपयोग करने से भी काम चल जायगा। कातने का नित्यकर्म शात्रा में या कहीं भी छोड़े बिना जारी रखना हो तो तकली ही उपयुक्त साधन है। इसलिए तकली पर कातना तो आना ही चाहिए।

(११) कपड़े में खादी ही बरतनी चाहिए। दूसरी चीजें भी जहाँतक सम्भव हो स्वदेशी ही लेनी चाहिए।

(१२) सेवा के सिवा दूसरे किसी भी काम के लिए रात को जागना नहीं चाहिए। बीमार आदमी की सेवा इसमें अपवाद है। पर मौज के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए भी रात का जागरण निषिद्ध है। नीद के लिए ढाई पहर ही रखने चाहिए।

(१३) रात में भोजन का नियम नहीं रखना चाहिए। आरोग्य, व्यवस्था और अहिंसा तीनों दृष्टियों से इस नियम की आवश्यकता है।

(१४) प्रचलित विषयों में सम्पूर्ण जाग्रति रखकर वातावरण को निश्चल रखना चाहिए।

प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कौटुम्बिक शाला के जीवनक्रम के सम्बन्ध में ये चौदह सूचनाएँ रखी गयी हैं। इनमें किताबी शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में ब्यौरा नहीं दिया गया है। उसपर लिखना हो तो अलग लिखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षण के विषय में जिन्हे 'रस' है उन्हे इन सूचनाओं पर विचार करना चाहिए। और शंका, सूचना वा आधेप जो सूझें उनसे सूचित करना चाहिए।

जीवन और शिक्षण

आज की विचित्र शिक्षा-पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आयु के पहले पन्द्रह-वीस वर्षों में आदमी जिन्दगी के इशारों में न पड़कर सिर्फ शिक्षण प्राप्त करे और बाद को शिक्षण को बस्ते में वॉधकर मरने तक जिये।

यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। हाथभर लम्बाई का लड़का साढे तीन हाथ का कैसे हो जाता है, यह उसके अथवा औरों के ध्यान में भी नहीं आता। शरीर की वृद्धि रोजाना जारी है। यह वृद्धि सावकाग, न्रम-क्रम से, थोड़ी-थोड़ी होती है। इसलिए उसके होने का भानतक नहीं होता। यह नहीं होता कि आज रात को सोये तब दो फुट ऊँचाई श्री और सबैरे उठकर देखा तो ढाई फुट हो गयी हो। आज की शिक्षा-पद्धति का तो यह दग है कि असुक वर्ष के विलकुल आपिरी दिननक ननुष्य जीवन के विषय में एकवारगी गैर-जिम्मेदार रहे तो भी कोई रज्जनहीं; यद्यु नहीं, उसे गैर-जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी वर्ष का पहला दिन निकले कि नारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाना चाहिए। विलकुल गैर-जिम्मेदारी से पूरी जिम्मेदारी में कृदना तो एक एनुमान-कुद दुर्द। ऐसी एनुमान-कुद की कोणिश में हाथ पर हृट जायें तो क्या अन्वरज।

भगवान् ने अर्जुन से कुलक्षेत्र में भगवद्गीता कही। पहले भगवद्गीता के 'हास' लेकर फिर अर्जुन को कुलक्षेत्र में नहीं देकेना। तभी उसे बह गीता पची। इस जिसे जीतन की तैयारी का जान कहते हैं उसे जीवन

जीवन और शिक्षण

से विल्कुल अलिस्त रखे रहते हैं, इसलिए उक्त ज्ञान से सौत की ही तैयारी होती है।

बीस बरस का उत्साही युवक अध्ययन में भग्न है। तरह-तरह के उच्च विचारों के महल बना रहा है। “मैं शिवाजी महाराज की तरह मातृभूमि की देवा करूँगा। मैं वाल्मीकि-सा कवि बनूँगा। मैं न्यूटन की तरह स्कोज करूँगा।” एक, दो, चार, जाने क्या-क्या कल्पना करता है। ऐसी कल्पना करना भी थोड़ो की किस्मत में ही होता है। पर जिनकी किस्मत में होता है उनकी ही बात लेते हैं। इन कल्पनाओं का आगे क्या नतीजा निकलता है? पड़ा जब नोन-तेल-लकड़ी के फेर में, जब पेट का प्रश्न सामने आया, तो बैचारा दीन बन जाता है। जीवन की ज़िम्मेदारी क्या चीज है आजतक इसकी विल्कुल ही कल्पना नहीं थी और अब तो पहाड़ सामने खड़ा हो गया। फिर क्या करता है? फिर पेट के लिए बन-बन फिरनेवाले शिवाजी, करूण-गीत गानेवाले वाल्मीकि, और कभी नौकर की तो कभी औरत की, कभी लड़की के लिए वर की और अन्त में शमगान की गोध करनेवाले न्यूटन की-सी भूमिका लेकर अपनी कल्पनाओं का समाधान करता है। यह इनुमान-कूद का फल है।

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा—“क्यों जी, तुम आगे क्या करोगे?”

“आगे क्या? आगे कालेज ‘ज्वाइन’ करूँगा।”

“ठीक है। कालेज में तो जाओगे। लेकिन उसके बाद? यह सवाल तो बना ही रहता है।”

“सवाल तो बना रहता है। पर उसका अभी से विचार क्यों किया जाय? आगे देखा जायगा।”

बाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा।

“अभीतक कोई विचार नहीं हुआ।”

“विचार हुआ नहीं सही, लेकिन विचार किया था क्या?”

“नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करे? कुछ सूझता ही नहीं। पर अभी डेढ़ वर्ष बाकी है। आगे देखा जायगा।”

‘आगे देखा जायगा’ ये वर्ही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे। पर पहले की आवाज़ में वेफिकी थी, और आज की आवाज में थोड़ी चिन्ता की झलक।

फिर डेढ़ वर्षपर उसी प्रश्न-कर्ता ने उसी विद्यार्थी से—अथवा कहो ‘गृहस्थ’ से वही प्रश्न पूछा। इस बार चेहरा चिन्ताकान्त था। आवाज़ की वेफिकी विल्कुल गायब थी। ‘ततः किं? ततः किं? ततः किम्?’ यह शकराचार्य का पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिमाग में कस कर चक्कर लगाने लगा था। पर पास जवाब था नहीं।

आज की मौत कल पर ढकेलते-ढकेलते एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस दिन मजबूरन मरना ही पड़ता है। यह प्रसग उनपर नहीं आता जो ‘मरण के पहले ही’ मर लेते हैं, जो अपना मरण ओँखो से ढेखते हैं। जो मरण का ‘आगाझ’ अनुभव लेते हैं उनका मरण टलता है और जो इससे लिचते हैं, धबराते हैं उनकी छाती पर मरण लदता है। सामने खम्भा है यह बात अन्धे को उस खम्भे का छाती में प्रत्यक्ष धक्का लगने के नाद गाल्ग होता है। ओँखवाले को यह खम्भा पहले ही दिखाई देता है। अराः उसका धफा उसकी छाती को नहीं लगता।

जिन्दगी की ज़िम्मेदारी कोई निरी भोत नहीं है और गाँत ही कौन ऐरी वर्टी ‘भात’ है? अनुभव के अभाव से यह सारा ‘हाँआ’ है। जीवन और मरण दोनों आनन्द की बलु होना नाहिए। कारण, अपने परमप्रिय पिना ने—ईश्वर ने—नह दूसरे दिये हैं। ईश्वर ने जीनन दुःखमय नहीं रखा। पर हमें ज़िंदगी बसर करना आना नाहिए। कौन पिता है जो आपने बच्चों के लिए परेशानी की प़िन्दगी परम्पर करेगा? जिनपर ईश्वर तो प्रेम और कष्टपा वा सागर ठहरा। यह अपने लाड्डूले दग्गा के

लिए सुखमय जीवन का निर्माण करेगा कि परेशानी-भरा जीवन रचेगा ? कल्पना की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष ही देखिए न । हमारे लिए जो चीज़ जितनी ज़रूरी है उसके उतनी ही सुलभता से मिलने का इन्तज़ाम ईश्वर की ओर से है । पानी से हवा ज्यादा ज़रूरी है तो ईश्वर ने पानी से हवा को अधिक सुलभ किया है । जहाँ नाक है वहाँ हवा मौजूद है । पानी से अन्न की ज़रूरत कम होने की वजह से पानी प्राप्त करने की बनिस्वत अन्न प्राप्त करने में अधिक परिश्रम पड़ता है । 'आत्मा' सबसे अधिक महत्व की वस्तु होने के कारण वह हर एक को हमेशा के लिए दे रखी गयी है । ईश्वर की यह प्रेम-पूर्ण योजना है । इसका खयाल न करके हम निकम्मे जड़ जवाहरात जमा करने-जितने जड़ बन जाये तो तकलीफ हमें होगी ही । पर यह हमारी जड़ता का दोष है, ईश्वर का नहीं ।

जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज़ नहीं है, आनन्द से ओतप्रोत है, बशर्ते कि ईश्वर की रची हुई जीवन की सरल योजना को ध्यान में रखते हुए अयुक्त वासनाओं को दबाकर रखा जाये । पर जैसे वह आनन्द से भरी हुई वस्तु है वैसे ही, वह शिक्षा से भी भरपूर है । यह पक्की बात समझनी चाहिए कि जिसने जिन्दगी की जिम्मेदारी छोड़ी वह सारी शिक्षा का फल गँवा वैठा । बहुतों की धारणा है कि जिन्दगी की जिम्मेदारी का खयाल अगर बच्चों में पैदा हो जाय तो जीवन कुम्हला जायेगा । पर जिन्दगी की जिम्मेदारी का भान होने से अगर जीवन कुम्हला हो तो फिर वह जीवन रहनेलायक ही नहीं है । पर आज यह धारणा बहुतेरे शिक्षा-शास्त्रियों की है और इसका मुख्य कारण है जीवन के विषय में दुष्ट कल्पना—जीवन को 'कलह' मानना । जीवन अगर भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चों को उसमें दाखिल मत करो और खुद भी मत जियो । पर वह अगर जीने लायक वस्तु हो तो लड़कों को उसमें ज़रूर दाखिल करो । बिना उसके उन्हें शिक्षा नहीं मिलने की । भग-

वद्गीता जैसे कुरुक्षेत्र मे कही गयी वैसे शिक्षा जीवन-क्षेत्र मे देनी चाहिए —दी जा सकती है। ‘दी जा सकती है’, यह भी भाषा ठीक नहीं बनती। वहाँ वह मिल सकती है।

अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ। उसका उत्तर देने के लिए भगवद्गीता का निर्माण हुआ। इसी का नाम शिक्षा है। वचों को खेत मे काम करने दो। वहाँ कोई सवाल पैदा हो तो उसका उत्तर देने के लिए खण्डि-शास्त्र अथवा पदार्थ-विज्ञान की या दूसरी जिस चीज़ की जरूरत हो उसकी वाक्षिक्यत दो। यह सभी शिक्षा होगी। वचों को रखोई बनाने दो। उसमें जहाँ जरूरत हो रसायन-शास्त्र सिखाओ। पर असली बात यह है कि उनको ‘जीवन जीने दो’। व्यवहार मे काम करनेवाले आदमी को भी शिक्षा भिलती ही रहती है। वैसे ही छोटे वचों को भी मिलेगी। भेद इतना ही होगा कि वचों के आसपास जरूरत के अनुसार मार्ग-दर्शन करनेवाले मनुष्य मौजूद होगे। वह आदमी भी ‘सिखानेवाले’ बनकर ‘नियुक्त’ नहीं होगे। वह भी ‘जीवन जीनेवाले’ होंगे, जैसे व्यवहार में आदमी जीवन जीते हैं। अन्तर इतना ही है कि इन ‘शिक्षक’ कहलानेवालों का जीवन विचारमय होगा, उसमें के विचार माँके पर वच्चे को समझाकर बताने की योग्यता उनमें होगी। पर ‘शिक्षक’ नाम के किसी स्वतन्त्र धनने की ज़रूरत नहीं है, न ‘विद्यार्थी’ नाम के मनुष्य-कोटि से बाहर के किसी प्राणी की। और ‘क्या करते हो’ पृष्ठने पर ‘पढ़ता हूँ’ या ‘पढ़ाता हूँ’ ऐसे जवाब की ज़रूरत नहीं है। ‘जेतो चरता हूँ’ अथवा ‘बुनता हूँ’ ऐसी घुद धेनेवर वी-सी भाषा बोलो। पर जीनन के भीतर मे उत्तर आना चाहिए। ऐसके लिए उदाहरण नियार्थी गग-ट्रम्पण और गुरु विश्वामित्र का टेना चाहिए। नियामित्र यज्ञ करते थे। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दूधरथ से लड़कों की याचना की। उसी दाम के लिए दूधरथ ने लड़कों को रेजा। लड़कों

मेरी यह जिम्मेदारी की भावना थी कि हम यज्ञ-रक्षण के 'काम' के लिए जाते हैं। उसमे उन्हे अपूर्व शिक्षा मिली। पर यह बताना हो कि राम-लक्ष्मण ने क्या किया तो कहना होगा कि 'यज्ञरक्षा की'। 'शिक्षा प्राप्त की' नहीं कहा जायेगा। पर शिक्षा उन्हे मिली, जो वरवस मिलनी थी।

शिक्षा कर्तव्य कर्म का आनुष्ठानिक फल है। जो कोई कर्तव्य करता है उसे जाने-अनजाने वह मिलती ही है। लड़कों को भी वह उसी तरह प्राप्त करनी चाहिए। औरों को वह ठोकर खा-खाकर मिलती है। छोटे लड़कों में आज उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण रखना चाहिए कि बहुत ठोकरे न लगने पायें, और धीरे-धीरे उनके स्वावलम्बी बनने की अपेक्षा और योजना होनी चाहिए। शिक्षण फल है। और 'मा फलेषु कदाचन' यह मर्यादा इस फल के लिए भी लागू है। शिक्षा के लिए कोई कर्म करना सकाम हुआ—और उसमे भी 'इदमद्य मया लब्धम्'—आज मैंने यह पाया, 'इदं प्राप्यते'—कल वह पाऊँगा, इत्यादि वासनाएँ आती ही है। इसलिए इस 'शिक्षा-मोह' से छूटना चाहिए। इस मोह से जो छूटा उसे सर्वोत्तम शिक्षा मिली समझनी चाहिए। मौं बीमार है, उसकी सेवा करने में मुझे खूब शिक्षा मिलेगी। पर इस शिक्षा के लोभ से मुझे माता की सेवा नहीं करनी है। वह तो मेरा पवित्र कर्तव्य है, इस भावना से मुझे माता की सेवा करनी चाहिए। अथवा माता बीमार है और उसकी सेवा करने से मेरी दूसरी चीज़—जिसे मैं 'शिक्षा' समझता हूँ वह—जाती है तो इस शिक्षा के जाने के डर से मुझे माता की सेवा से बाज़ नहीं आना चाहिए।

ग्राथमिक महत्व के जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए, इसे स्वीकार करते हुए कुछ शिक्षा-शास्त्री जरा और आगे बढ़कर कहते हैं कि यह परिश्रम शिक्षा की दृष्टि से ही दाखिल करना चाहिए;

पेट भरने की दृष्टि से नहीं। आज 'पेट भरने का' जो विकृत अर्थ प्रचलित है उससे धवराकर यह लोग ऐसा कहते हैं और उस हृदयक वह ठीक है। पर मनुष्य को 'पेट' देने में ईश्वर का हेतु है। इमानदारी से 'पेट भरना' अगर मनुष्य साध ले तो समाज के बहुतेरे दुःख और पातकों का पता न रह जाये। इसीसे मनु ने 'थोऽर्थशुचिः सहि शुचिः'—जो आर्थिक दृष्टि से पवित्र है वही पवित्र है, यह यथार्थ उद्गार प्रकट किये हैं। सर्वेषाम्-विरोधेन' कैसे जियें, इस शिक्षा से सारी शिक्षा समा जाती है। अविरोध-शृंगति से शरीर-यात्रा करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। यह कर्तव्य करने से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसीसे शरीर-यात्रा के लिए उपयुक्त परिश्रम करने को ही शास्त्रकारों ने 'थश' नाम दिया है। अतः मैं शरीर-निर्वाह के लिए परिश्रम करता हूँ, यह भावना उचित है। 'शरीर-यात्रा' से मतलब साढ़े तीन हाथ के शरीर की यात्रा से नहीं है। समाज-शरीर की यात्रा, यह उदार अर्थ मनमें चैठाना चाहिए, मेरी शरीर-यात्रा मानी सुमाज की सेवा और ईश्वर की पूजा, इतना समीकरण हड़ होना चाहिए। और इस ईश्वर-सेवा में देह खपाना मेरा कर्तव्य है और वह मुझे करना चाहिए, यह शान हर एक को होना चाहिए। इसलिए वह छोटे बच्चों को भी होना चाहिए। इसके लिए उनकी ताक्त भर उन्हें जीवन में भाग लेने का मोका देना चाहिए, और जीवन को मुख्य केन्द्र बनाकर उसके आसपास आवश्यकतानुसार सारी शिक्षा को सजाना चाहिए।

इससे जीवन के दो खण्ड न होंगे। जीवन की निम्नेदारी अन्नानक आ पढ़ने से उत्तम होनेवाली अहंकर पैदा न होगी। अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर 'शिक्षा का मोह' नहीं चिपकेगा और निष्काश कर्म की ओर प्रवृत्ति होगी।

: १४ :

कोरा शिक्षण

एक देशसेवाभिलाषी युवक से किसी ने पूछा—“कहिए, अपनी समझ मे आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं ?”

उसने उत्तर दिया, “मेरा खयाल है, मैं सिर्फ शिक्षण का काम कर सकता हूँ और उसीका शौक है ।”

“ठीक है । अक्सर आदमी को जो आता है, मजबूरन उसका उसे शौक होता ही है । पर यह कहिए कि आप दूसरा कोई काम कर सकेगे या नहीं ?”

“जी नहीं । दूसरा कोई काम नहीं करना आयेगा । सिर्फ सिखा सकता हूँ । और विश्वास है कि अच्छा सिखा सकता हूँ ।”

“हौं, हौं, अच्छा सिखाने मे क्या शक है, पर अच्छा क्या सिखा सकते हैं ? कातना, धुनना, बुनना अच्छा सिखा सकेगे ?”

“नहीं, वह नहीं सिखा सकता ।”

“तब, सिलाई ? रँगाई ? बढ़इगिरी ?”

“न, यह सब कुछ नहीं ।”

“रसोई बनाना, पीसना बगैरह घरेलू काम सिखा सकेंगे ?”

“नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सिर्फ शिक्षण का”

“अरे, जो पूछा जाता है उसीमे ‘नहीं’, ‘नहीं’ और कहे जाते हैं ‘सिर्फ’ शिक्षण का काम कर सकता हूँ । इसके मानी क्या है ? वागवानी का काम सिखा सकियेगा ?”

देशसेवाभिलाषी ने ज़रा चिढ़कर कहा, “यह क्या पूछ रहे हैं ? मैंने शुल्क में ही तो कह दिया, मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आता । मैं साहित्य पढ़ा सकता हूँ ।”

प्रश्नकर्ता ने जरा मज़ाक से कहा, “ठीक कहा । अबकी आपकी बात समझ में आयी ! आप ‘रामचरितमानस’ जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं क्या ?”

अब तो देशसेवाभिलाषी महाशय का पारा गरम हो उठा और मुँह से कुछ ऊटपटाग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच में ही बोल उठा—“शाति, धर्म, तितिक्षा रखना सिखा सकेंगे ?”

अब तो हृद हो गयी । आग में जैसे मिठी का तेल डाल दिया हो । यह सवाद खूब ज़ोर से भभकता, लेकिन प्रश्नकर्ता ने तुरत उसे पानी डालकर बुझा दिया—“मैं आपकी बात समझा । आप लिखना-पटना सिखा सकेंगे और इसका भी जीवन में थोड़ा-सा उपयोग है; विल्कुल न हो ऐसा नहीं है । खैर, आप बुनाई सीखने को तैयार हैं ?”

“अब कोई नयी चीज़ सीखने का हौसला नहीं है और तिरपर बुनाई का काम तो मुझे आने का ही नहीं, क्योंकि आजतक एथ को ऐसी कोई आदत ही नहीं ।”

“माना, सीखने में कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन न आने की क्या बात है ?”

“धैं तो समझता हूँ, नहीं आयेगा । पर मान नीजिए, वही मेहनत से आया भी तो मुझे इसमें बड़ा शशाट मालूम होता है; इसलिए मुझसे यह नहीं होगा यही समझिए ।”

“ठीक, जैसे लिखना सिखाने को तैयार हूँ वैसे रुठ लिखने का काम कर सकते हैं ?”

“हाँ, ज़म्मर कर सकता हूँ । लेकिन मिर्झ बैठे-बैठे तिथिते रहने का

काम है ज्ञानी; फिर भी उसके करने में कोई आपत्ति नहीं है।” यह वात-चीत यहीं पूरी हो गयी। नतीजा इसका क्या हुआ यह जानने की हमें जरूरत नहीं।

शिक्षकों की मनोवृत्ति समझने के लिए यह वातचीत काफी है।
शिक्षक यानी—

किसी तरह को भी जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से शून्य;

कोई नयी कामलायक चीज सीखने में स्वभावतः जो असमर्थ हो गया है।

क्रियाशीलता से हमेशा के लिए उत्काशा हुआ;

‘कोरे शिक्षण’ का घमण्ड रखनेवाला;

‘कोरे शिक्षण’ का मतलब है जीवन से तोड़कर विलगाया हुआ मुर्दार शिक्षण और शिक्षक के मानी ‘मृत-जीवी’ मनुष्य।

‘मृत-जीवी’ को ही कोई-कोई बुद्धि-जीवी कहते हैं। पर यह है वाणी का व्यभिचार। बुद्धि-जीवी कौन है? कोई गौतम बुद्ध, कोई सुकरात, शकराचार्य अथवा जानेश्वर बुद्धि-जीवन की ज्योति जगाकर दिखाते हैं। ‘गीता’ में बुद्धि-ग्राह्य जीवन का अर्थ अतीन्द्रिय जीवन बतलाया है। जो इन्द्रियों का गुलाम है, जो देहासक्ति का मारा हुआ है वह बुद्धि-जीवी नहीं है। बुद्धि का पति आत्मा है। उसे छोड़कर टेहपरायण हो जानेवाली बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है। ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि का जीवन ही मरण है। और ऐसे जीवन-धारी मृत-जीवी कहा जायेगा। सिर्फ शिक्षण पर जीनेवाले जीव इस विशेष अर्थ में मृतजीवी होते हैं। इन सिर्फ शिक्षण पर जीनेवालों को मनु ने ‘मृतकाध्यापक’ उर्फ ‘घेतन-भोगी शिक्षक’ नाम देकर आद्व के काम में इनका निपेध किया है। ठीक ही है। शाद में तो मृत पूर्वजों की स्मृति को जिन्दा करना रहता है और जिन्होंने प्रत्यक्ष जीवन को मृत करने में कमाल किया है उनकी इस काम में क्या जरूरत?

शिक्षकों को पहले 'आचार्य' कहा जाता था। आचार्य अर्थात् आचारवान्। स्वयं आदर्श जीवन का आचरण करते हुए राष्ट्र से उसका आचरण करालेनेवाला आचार्य है। ऐसे आचार्यों के पुरुषार्थ से ही राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। आज हिन्दुस्तान की नयी तह बैठानी है। राष्ट्र-निर्माण का काग आज हमारे सामने है। आचारवान् शिक्षकों के बिना नह सम्भव नहीं है।

तभी तो राष्ट्रीय शिक्षण का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी व्याख्या और व्याप्ति हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। राष्ट्र का सुशिक्षित वर्ग निरन्त्रिओं और निष्क्रिय होता जा रहा है। इसका उपाय राष्ट्रीय शिक्षण की आग सुलगाना ही है।

पर वह अभि होनी चाहिए। अभि की दो शक्तियाँ मानी गयी हैं। एक 'स्वाहा' और दूसरी 'स्वधा'। ये दोनों शक्तियाँ जहाँ हैं वहाँ अभि है। 'स्वाहा' के मानी हैं आत्माहुति देने की, आत्मत्याग की शक्ति और 'स्वधा' के मानी हैं आत्मधारण की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ राष्ट्र-शिक्षण में जाग्रत होनी चाहिए। इन शक्तियों के होने पर ही वह राष्ट्रीय शिक्षण कहलायेगा। वाकी सब 'ठन-ठन गोपाल' है, कोरा शिक्षण है। ऊपर से दिखाई देता है कि अबतक हमारे राष्ट्रीय शिक्षकों ने बटा आत्मत्याग किया है। पर वह उतना सही नहीं है। साधारण स्वार्थ-त्याग अथवा मतलबी त्याग के मानी आत्मत्याग नहीं है। उसकी कसाई है। आत्मत्याग की शक्ति के साथ-साथ आत्मधारण की शक्ति न हुई तो त्याग कोर्द काहे का करेगा? जो आत्मा अपने जो खड़ा ही नहीं सम सकता वह कुछेगा कैसे? मतलब, आत्मत्याग की शक्ति में आत्मधारण पहले से शामिल ही है। वह आत्मधारण की शक्ति—'स्वधा' राष्ट्रीय शिक्षणों ने अभीतक भी सिद्ध नहीं की है। इसलिए आत्मत्याग का जो आभास-सा है वह आभास-मर ही है।

पहले स्वभा दीर्घी, उसके बाद स्वाद। राष्ट्रीय शिक्षण दो अर्थात्

राष्ट्रीय शिक्षकों को अब स्वधा-सम्पादन की तैयारी करनी चाहिए।

शिक्षकों को 'कोरे शिक्षण' की भ्रामक कल्पना छोड़कर स्वतन्त्र जीवन की जिम्मेदारी—जैसी किसानों पर होती है वैसी—अपने ऊपर लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी उसीमें दायित्वपूर्ण भाग देकर उनके चारों ओर शिक्षण की रचना करनी चाहिए, अथवा अपने-आप होने देनी चाहिए। 'गुरोः कर्मातिशेषेण' इस वाक्य का अर्थ है 'गुरु के काम पूरे करके वेदाभ्यास करना' यही ठीक है। नहीं तो गुरु की व्यक्तिगत सेवा इतना ही अगर 'गुरोः कर्म' का अर्थ ले तो गुरु की सेवा आखिर कितनी होगी? और उसके लिए कितने लड़कों को कितना काम करने को रहेगा। इसलिए 'गुरोः कर्म' करने के मानी हैं गुरु के जीवन में जिम्मेदारी से हिस्सा लेना। वैसा दायित्वपूर्ण भाग लेकर उसमें जो शका बगैरह पैदा हो उन्हे गुरु से पूछे और गुरु को भी चाहिए कि अपने जीवन की जिम्मेदारी निबाहते हुए और उसीका एक अग समझकर उसका यथाशक्ति उत्तर देता जाय। यह शिक्षण का स्वरूप है। इसीमें थोड़ा स्वतन्त्र समय प्रार्थना-स्वरूप वेदाभ्यास के लिए रखना चाहिए। प्रत्येक कर्म ईश्वर की उपासना के लिए देना पड़ता है, वही न्याय वेदाभ्यास अथवा शिक्षण के लिए लागू करना चाहिए। मतलब, जीवन की जिम्मेदारी के काम ही दिन के मुख्य भाग में करने चाहिए और उन सभीको शिक्षण का ही काम समझना चाहिए। साथ ही, रोज कुछ वक्त 'शिक्षण के निमित्त' मानकर भी देना चाहिए।

राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श अपने जीवन में उतारना राष्ट्रीय शिक्षक का कर्तव्य है। यह कर्तव्य करते रहने से उसके जीवन से अपने-आप उसके आसपास शिक्षा की किरणे फैलेंगी और उन किरणों के प्रकाश से आसपास के वातावरण का काम अपने आप हो

जायगा। इस प्रकार का शिक्षक स्वतः शिक्षण-केन्द्र है और उसके समीप रहना ही शिक्षा पाना है।

मनुष्य को पवित्र जीवन विताने की फिक्र करनी चाहिए। शिक्षण की फिक्र करने को वह जीवन ही समर्थ है; उसके लिए 'कोरे शिक्षण' की हवस रखने की ज़रूरत नहीं।

१५ :

भिक्षा

मनुष्य की जीविका के तीन प्रकार होते हैं—

(१) भिक्षा, (२) पेशा और (३) चोरी ।

भिक्षा, अर्थात् समाज की अधिक-से-अधिक सेवा करके समाज से सिर्फ शारीरधारण-भर को कम-से-कम लेना, और वह भी हारे दर्जे और उपकृत भावना से ।

पेशा, अर्थात् समाज की विशिष्ट सेवा करके उसका उचित बदला मँग लेना ।

चोरी, अर्थात् समाज की कम-से-कम सेवा करके या सेवा करने का नाटक करके या बिल्कुल सेवा किये बिना और कभी-कभी तो प्रत्यक्ष नुकसान करके भी समाज से ज्यादा-से-ज्यादा भोग लेना ।

प्रत्यक्ष चोर, लुटेरे, खूनी और इन्ही-सरीखे वे 'इन्तजामकार' पुलिस, सैनिक हाकिम वगैरह सरकारी नौकर; इन्तजाम के बाहर के वकील, वैद्य, शिक्षक, धर्मोपदेशक वगैरह उच्च उद्योगी और अव्यापारेषु-व्यापार करनेवाले—ये सब तीसरे वर्ग मे आते हैं ।

भूमि पर मशक्त करनेवाले किसान और जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी करनेवाले मजदूर, ये दूसरे वर्ग मे जाने के अभिलाषी हैं, जानेवाले नहीं । कारण, उनकी उचित पारिश्रमिक पाने की इच्छा होते हुए भी तीसरे वर्ग की करतूत के कारण आज उनमे से बहुतों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता और वे जबरन पहले वर्ग मे ढकेले जारहे हैं ।

पर जो जवरन पहले वर्ग में पहुँचाये जाते हैं वे निस्सदेह तीसरे वर्ग में दाखिल हो जाते हैं।

पहले वर्ग में दाखिल हो सकनेवाले वहुत ही थोड़े, सभी लगत के साधु पुरुष हैं। वहुत ही थोड़े हैं, पर हैं; और उन्हींके बल पर दुनिया टिकी है। वे थोड़े हैं पर उनका बल अद्भुत है।

“भिक्षावृत्ति लोप हो रही है, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए।” जब समर्थ यह कहते हैं तो उनका उद्देश्य इसी पहले वर्ग को बढ़ाना है।

इसीको गीता में ‘यज्ञ-शिष्ट’ अमृत खाना कहा है। और गीता विश्वास दिलाती है कि यह अमृत खानेवाला पुरुष मुक्त हो जाता है।

आज हिन्दुस्तान में बावन लाख ‘भीख मौगनेवाले’ हैं। समर्थ के समय में भी वहुत ‘भिक्षमंगे’ थे, फिर भी भिक्षा-वृत्ति का जीर्णोद्धार करने की ज़्यूरत समर्थ को क्यों जान पड़ी?

इसका जवाब भिक्षा की कल्पना से है। बावन लाख की भिक्षा का जो अर्थ है वह तो चोरी का ही एक प्रकार है।

भिक्षा का मतलब है अधिक-से-अधिक परिश्रम और कम-से-कम लेना। और इतना भी, विल्कुल न लेने पर शरीरनिर्वाह नहीं होता इसलिए उतने-भर के लिए लेना पटता है। पर इस भानकर नहीं। समाज का मुक्षपर यह उपकार है, इस भावना से। भिक्षा में परावलम्बन नहीं है, दूसरावलम्बन है; समाज की सद्व्यवहारा पर थढ़ा है; व्यातिगम संतोष है; कर्तव्यपरायणता है; फलनिरपेक्ष वृत्ति का प्रयत्न है।

लोक-सेवक का शारीर-न्यूनण एक सामाजिक कार्य है। खादी-प्रचार के सामाजिक काम के लिए यदि किसीको कोई पूँजी दी जाय तो उस पूँजी को वह उचित रूप से, एवं य रूपवर उस काम में लगाता है। मैं तो-न-सेवक हूँ तो मैंग शारीर-धारण-कार्य भी खादी के काम हैं। आवश्यकतानुसार, सामाजिक कार्य है, और उसके लिए मुझे इतना पर्यावरण, आवश्यकतानुसार,

समाज देता है। उस रकम का उपयोग मुझे उसी काम में करना चाहिए, उचित रूप से करना चाहिए, उसका हिसाब रखना चाहिए, और वह हिसाब लोगों की जांच के लिए रखना चाहिए। अर्थात् सब तरह से एक पंच जैसे व्यवस्था करेगा जैसे 'निर्मम' भावना से मुझे अपने शरीर की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भिक्षावृत्ति है।

कुछ सेवकों को कहते सुना जाता है—अपने पैसे को हम चाहे जैसे खर्च करें, सामाजिक पैसे का हिसाब ठीक रखेंगे; लोगों को दिखायेंगे, उनकी आलोचना सुनेंगे, उन्हे संतोष दिलायेंगे, नहीं तो क्षमा मौंगेंगे। पर अपने पैसे का हिसाब ठीक रखने को हम मजबूर नहीं हैं, और दूसरों को दिखाने की तो कोई बात ही नहीं। यदि सचाई से समाजसेवा करने वाला कोई आदमी यह कहे तो उसकी सेवा 'पेशा' बन गयी। पेशा ईमानदार सही, पर है 'पेशा।' भिक्षावृत्ति नहीं।

भिक्षा कहती है—'तेरा' पैसा कैसा? जैसे खादी के काम के लिए खादी का जाता मानकर तुझे पैसा सौपा गया उसी तरह तेरे शरीर के काम के लिए, तुझे उसका जाता समझकर, पैसा दिया गया। खादी के लिए दिया हुआ पैसा जब तेरा नहीं है तब तेरे शरीर के लिए दिया हुआ पैसा तेरा कैसे हुआ? दोनों काम सामाजिक ही हैं।

एक खादी-प्रचारक से पूछा गया, "तुम्हे कितने की जरूरत है?"

"तीस रुपये महीने की!"

"तुम तो अकेले हो, फिर इतने की जरूरत क्यों है?"

"दो-तीन गरीब विद्यार्थियों को मदद देता हूँ!"

"हम यह मान लेते हैं कि गरीब विद्यार्थियों को इस तरह मदद देना अनुचित नहीं है। पर मान लो कि खादी के काम के लिए तुम्हे पूँजी दी गयी तो उसमें से राष्ट्रीय शिक्षण के काम में लगाओगे क्या?"

"नहीं!"

“तब तुम्हारे शरीर का पोषण, जो एक सामाजिक काम है, उसके लिए तुम्हें दी गयी रकम में से गरीब विद्यार्थियों को मदद देने में, जो दूसरा सामाजिक काम है, खर्च करने का क्या मतलब ?”

यह इस भिक्षा-वृत्ति का महत्वपूर्ण दृष्टिविन्दु है। भिक्षा-वृत्तिवाले मनुष्य को दान का अधिकार नहीं है। दान हो या भोग ‘मैं’ ही दोनों में कर्ता है। और भिक्षा में ‘मैं’ की ही गुजाइश नहीं है। इसीसे दोनों का खात्मा हो गया। न भोग में कँसो, न त्याग में पडो—यह भिक्षावृत्ति का सूत्र है। भिक्षावृत्ति के मानी हैं ‘घर बढ़ा करना,’ बड़ी जिम्मेदारी सिर पर लेना। भिक्षा गैरजिम्मेदार नहीं है।

भिक्षा मॉगने के मानी है ‘मॉगना छोड़ देना।’ बाइबिल में कहा है, ‘मॉगो तो मिल जायेगा।’ उसका मतलब है भगवान् से मॉगो तो मिलेगा। पर समाज से ? ‘मॉगो मत, मिलेगा।’

‘भिक्षा मॉगना’ ये शब्द विसंवादी हैं—मेल नहीं खाते। कारण, भिक्षा के माने ही है न मॉगना।

भिक्षा मॉगना ये शब्द पुनरुक्त हैं। क्योंकि भिक्षा ही स्वतःसिद्ध मॉगना है। भिक्षा मॉगनी नहीं पड़ती। कर्तव्य की थैली में टके धरे हुए ही हैं।

[१३ : १७ : ४०]

१६

गाँवों का काम

असहयोग-आन्दोलन के समय से गाँवों की ओर लोगों का ध्यान खिंचा है। गाँवों का महत्व समझ में आने लगा है। कितने ही सेवक गाँवों में काम भी करने लगे हैं, और कुछ को उसमें कामयाबी भी हुई है। पर बहुतों को सफलता नहीं मिली है।

इसके पहले सुशिक्षितों की दृष्टि गाँवों की ओर गयी ही न थी। पहले तो नजर परायों की ओर थी। जैसे, इंग्लैण्ड की जनता को अनु-कूल करना चाहिए, सरकार को परिस्थिति समझानी चाहिए, आदि। बाद को निगाह अपनों की ओर फिरी। पर शहरों की ओर, सुशिक्षितों की ओर। 'सुशिक्षितों में राष्ट्रीय भावना पैदा करनी चाहिए' की बुनियाद पर सारा आन्दोलन चलता था। असहयोग के जमाने में गाँवों की ओर नजर गयी। आगे बढ़े तो रचनात्मक कार्यक्रम के आन्दोलन में गाँवों में प्रवेश करने की, ग्रामवासी जनता की सेवा करने की प्रत्यक्ष प्रेरणा हुई। और जो थोड़ा-बहुत नतीजा सामने है वह इसी प्रेरणा का फल है। इतने वर्षों के लम्बे अनुभव के बाद हमें सूझा कि 'तेरा साईं तेरे पास, तू क्यों भटके संसार में ?' फिर भी काम की शुरुआतही होने के कारण बहुत से स्थानों में गाँव का काम निष्कल हुआ।

यह कोई नयी बात नहीं है। शुरू-शुरू में ऐसा होता ही है। निराशा की कोई वजह नहीं, न निराश होने की स्थिति ही है। कारण, कुछ स्थानों में गाँवों के प्रयोग सफल भी हुए हैं। इसके सिवा जो प्रयोग अस-

फल प्रतीत होते हैं वे भी प्रतीत-भर होते हैं, दरअसल असफल नहीं हुए हैं। परथर तोड़ने में पहली चोट बेकार गयी-सी जान पड़ती है। पर उसका नतीजा तो होता ही है। इस मिसाल में फोड़ा जानेवाले परथर गाँव की जनता नहीं बल्कि हमारे सुशिक्षितों का हृदय है।

अब हमारे मन में गाँवों में जाने की वात तो आने लगी है, लेकिन इस गाँवों में अपने शहरी ठाठ-बाट के साथ जाना चाहते हैं, इससे हमारा काम जमता नहीं। गाँवों में ग्रामीण होकर जाना चाहिए। यही हमारी असफलता का मुख्य कारण है।

गाँव में गया हुआ सुशिक्षित मनुष्य आज भी ग्रामीण तो नहीं ही बन पाया। वहाँ वह 'परोपकार' के जोम में जाता है। उसे गाँववालों से खुद कुछ सीखना है वह वह भूल जाता है।

उसे लगता है 'अरे, ये बेचारे अज्ञान मे पड़े दिन बिता रहे हैं।' अपना धोर अज्ञान उसे नहीं दिखाई देता, और खुद उसे क्या करना चाहिए इसे विसारकर वह लोगों से काम लेने के फेर में पट जाता है। इसकी बजाह से वह ग्राम-जीवन से विलकुल अलग सा हो जाता है।

(१) अपनी सुशिक्षितपन की आदतें छोड़कर हमें गाँव में जाना चाहिए।

(२) गाँववालों को शिक्षा देने की नृत्ति लेकर नहीं जाना चाहिए।

(३) खुद भी काम में त्याना चाहिए।

ये तीन महत्वपूर्ण वातें हमें ज्ञान में रखनी चाहिए।

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी गाँव में जानैठता है और किसी एक काम को, जिसे—गाँव की मदद के बिना—पह कर सकता था, सारे गाँवभर में इलचर मन्त्राकर भी नहीं कर पाता। उपने काम का उसे पूरा हिसाब—छाग-क्षण का—रखना चाहिए। गाँव के आदमियों की निगाह में उन्होंनी आदमी की दृज्जत

होती है। जो सुशिक्षित आदमी गाँव में जाकर किसीको कुछ सिखाने का ख्याल छोड़कर रात-दिन काम में जुता रहेगा और अपने चरित्र की चौकसी करता रहेगा वह अपने-आप गाँव के लिए उपयोगी बन जायगा, और आकाश में जैसे तारे चन्द्रमा के चारों ओर इकट्ठे रहते हैं वैसे ही लोग उसके चारों ओर जमा हो जायेंगे। हिन्दुस्तान की ग्रामवासी जनता कृतज्ञ है, गुण परखने की शक्ति उसमें भरपूर है।

ग्राम-सगठन का काम चरित्रबल के अभाव में सम्भव नहीं है। और गाँव की जनता के चारित्र्य का बटखरा 'प्राथमिक' सद्गुणों पर अवलंबित है, और यही असली बटखरा है। प्राथमिक सद्गुणों से मतलब है नीति के मूलभूत सद्गुण। उदाहरणार्थ, आलस्य न होना, निर्भयता, प्रेम, इत्यादि। दिलाऊ उपर्जित गुण वक्तृत्व, विद्वत्ता वगैरह गाँवों के लिए बहुत उपयोगी नहीं होते। गाँव में काम करनेवाले में भक्ति की लगन होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यह प्राथमिक सद्गुणों का राजा है।

पर अपने लोगों की पवित्र भावना में अभी हम रसे ही नहीं। यह हमारी निष्फलता का बहुत ही बड़ा कारण है। गाँव के लोगों के वहम, अधविश्वास हममें न होने चाहिए। लेकिन उनमें जो कीमती भावनाएँ हैं वे तो हममें होनी ही चाहिए। पर वे नहीं हैं। भजन से हम भागते हैं। ईश्वर के नामोच्चारण से हमारे हृदय में भावना की बाढ़ आनी चाहिए पर वह नहीं आती। ईश्वर, धर्म, सन्तों के बारे में पूरी कल्पना न रखनेवाले गँवारों में जो भक्ति-भाव होता है वह उनके सम्बन्ध में वास्तविक और यथार्थ ज्ञान रखनेवालों में उनसे सौ गुना ज्यादा होना चाहिए। पर हमें ईश्वर अथवा साधु-सन्तों के सम्बन्ध में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता। इतना ही नहीं, भान भी नहीं होता, अलबत्ता, विपरीत ज्ञान भरपूर होता है। इस वजह से जनता के हृदय से हमारा हृदय मिल नहीं सकता। अस्तृश्यता-सरीखी जो विपरीत भावनाएँ धर्म के नाम से जनता

में रुद हो गया है उन्हे निकाल डालने का उसीका प्रयत्न सफल होगा या उसीको प्रवत्त करना चाहिए जिसके हृदय में जनता के हृदय की पवित्र भावनाएँ हिलोरें मारती हों। जनता की योग्य भावना जिसमें नहीं है वह जनता की अयोग्य भावना कैसे निकाल सकेगा ?

लोगों की भली भावनाओं में शामिल न हो सकना जैसे एक दोष है, वैसे ही दूसरे लोगों के आरीरिक परिचय की व्यर्थ इच्छा रखना भी दोष है और हमारे काम के लिए धातक है। किसी तरह लोगों से सूख जान-पहचान बढ़ाने की हवस से इधर-उधर के काम में व्यर्थ हाथ डालने से काम घिगड़ता है। बहुत जान-पहचान हो जाने से हमारा लोगों के प्रति आदर-भाव कम हो जाता है। लोगों की छोटी-मोटी वातों पर बेमतलब ध्यान देने से हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। सेवक को परिचय के बजाय प्रेमादर की ज्यादा जरूरत होती है। लोगों से परिचय कुछ कम हो और उनके लिए आदर अधिक, तो सेवक के लिए यह ज्यादा अच्छा है।

लेकिन 'लोगों से सूख जान-पहचान होनी चाहिए', यह बात अच्छे-अच्छे सेवावृत्तिवालों के मुँह से भी सुनी जाती है। पर इसकी जड़ में अटकार छिपा हुआ है। सेवक को सेवावृत्ति की मर्यादा जाननी चाहिए। हमारे द्वारीर में कोई ऐसा पारस पत्थर नहीं निपका हुआ है कि किसी-का किसी तरह भी हमसे सम्बंध छुड़ा नहीं कि वह सोना हुआ। येवा के निमित्त से लोगों से जितना परिचय होता हो ज़रूर होना चाहिए। हँड-हँडकर परिचय के मौके निकालने की सेवक के लिए जरूरत नहीं है। सच्चे देवक के पास नेत्रा अपने आप हाजिर रहती हैं, उसे प्रगंग हँड़ते नहीं पिलगा पाएता। शरीर से परिचय बढ़ाने और उसीको गाथ मन से जनता के बारे में अनादर बढ़ाते जाने में कोई खायदा नहीं है।

इसके बिबा हममें एक और दोष है—त्याग का गर्व। एग थोड़ा-बहुत त्याग कर पाते हैं। लेकिन त्याग का अभिग्रन्थ त्याग को भग नाला

है। त्याग करके हम किसीपर कोई एहसान नहीं करते। इसके सिवा हमारा त्याग शहर की निगाह से 'त्याग' माना भी जाये तो गॉव-गॉवर्ड के हिसाब से उसकी कोई बड़ी वक्त नहीं। गॉव में तो बहुत बड़े त्याग की ज़्रूरत है। स्वयं गॉव के लोग—चाहे मजबूरी का ही क्यों न हो—त्याग से ही रहते हैं। उस हिसाब से हमारा त्याग किसी गिनती में नहीं है। और फिर उसका 'गर्व'। इससे तो सेवा विल्कुल हो ही नहीं सकती।

इन दोषों को निकाल देने का प्रयत्न करने पर फिर हमारा गॉव का काम असफल न होगा।

अस्पृश्यता-निवारण का यज्ञ

अस्पृश्यता-निवारण की बात उठने पर कुछ लोग कहते हैं—“अरे, यह बात तो होने ही चाली है, ज़माना ऐसा ही आ गया है; इसके लिए इतना आग्रह रखने की क्या ज़रूरत ?” समय अनुकूल है इसलिए कोशिश की ज़रूरत नहीं और समय प्रतिकूल हो तो कोशिश से कुछ होनेका नहीं। “जब समय ही प्रतिकूल है तो हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, क्या होगा ?” मतलब निकला दोनों तरह से ‘कोशिश की ज़रूरत नहीं है !’ दुनियावी कामों में कोशिश और धर्म को भाग्य-भरोसे, खूब ! यह धर्म को धोखा देना है तो ! लेकिन धर्म कभी धोखे में नहीं पड़ सकता। धर्म को धोखे से डालनेवाला मनुष्य अपने-आपको ही धोखे में ढालता है। धर्म के मामले में ‘कम-से-कम क्या होना चाहिए जी ?’ यह कंजूसी जैसी बुरी है, वैसी ही ‘हो ही रहा है’, ‘हो ही जायगा’, यह भाग्य-वादिता भी बुरी है। ‘होनेवाला ही है’ इसके मानी क्या ? निना किये होनेवाला है ? लड़के की शादी बिना किये नहीं होती और अस्पृश्यता-निवारण बिना किये हो जायगा ! और समय के प्रदाह के मानी क्या है ? समाज के मिले-जुले कर्तृत्व को ही तो ‘समय का प्रदाह’ कहते हैं। उसमें से मैंने अपना कर्तृत्व निकाल लिया तो उतने हिस्से में सामुदायिक कर्तृत्व कमज़ोर पड़ जायगा, और चौं सथानों का एकमत हो गया तो सारा कर्तृत्व खत्म ! लेकिन “समय का प्रदाह अस्पृश्यता-निवारण के अनुग्रह है” इह रुक्ष अगर यह किया जाय कि “हरिकर्णों में जागृति आ गयी है, वे हमें

अपने-आप करा लेगो, फिर हम क्यों करें” तब तो ठीक ही है। वह भी होगा। लेकिन हमें फिर आत्म-शुद्धि का पुण्य नहीं नसीब होने का। ज्ञानदेव ने ऐसा कहा है कि दूध उफल जाने से होम हुआ नहीं कहलाता। अग्नि का आहुति लेना और अग्नि को आहुति देना, दोनों में भेद है। पहली चीज़ को आग लगाना कहते हैं और दूसरी को यज्ञ करना कहा जाता है। हम आत्म-शुद्धि के यज्ञ-कुण्ड में अस्पृश्यता की आहुति न देंगे तो सामाजिक विष्वव की आग लगाकर अस्पृश्यता जल जानेवाली है, यह निश्चित बात है। परमेश्वर हमें सद्बुद्धि द्दे !

दूसरा खंड

अन्य विचार

आजादी की लड़ाई की विधायक तैयारी

आजकल हिन्दुस्तान मे आजादी की लड़ाई की चर्चा चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार की लड़ाई आजिरी होगी और दूसरों की तो भविष्यवाणी है कि कई कारणों से स्वराज्य हमारी दृष्टि की ही नहों, हाथ की भी पहुँच मे आगया है।

अनेक कारणों की बदौलत स्वराज्य नजदीक चाहे आगया हो, पर 'स्वराज्य' के विषय मे मुख्य प्रश्न है कि 'त्वं' के लाय वह कितना नजदीक आया ? स्व-राज्य अनेक कारणों से नहीं मिलता, वह दो अकेले 'स्व-कारण' से ही मिलता है।

उधर यूरोप मे एक महायुद्ध हो रहा है। भेड़ियों का एक दल कहता है कि विरोधी दल के भेड़ियों द्वारा निश्चले यथे नेमनों को—सुभव हो तो जिन्दा नहीं तो कम-से-कम मरी हुई हालत में—हुड़ाने के लिए हमने यह महायुद्ध स्वीकार किया है। अन्यतक के बाठ महीनों मे तो भेड़ियों का पेट फाड़कर पुराने सेमनों को बहर निचालने के बाय नित-नये सेमने गले के नीचे उतारने का ही चिल्डिल जारी है। इधर विरोधी दल के भेड़ियों के पेट मे पहले ही से पहुँच हुए-बड़े-बड़े मोटे-ताजे अवक्षे सेमने इस आशा से कि भेड़ियों की इस झगड़ा-जाजी में यह लबक्ष है उगल दिये जायेंगे सन के लक्ष्मा ज्ञा ज्ञे त्रे :

‘हितक’ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ी जा रही है। हमारी लडाई अहिंसक साधनों में अहिंसक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगी। इन दोनों में भारी अन्तर होते हुए भी उस हिंसक लडाई से हम कई बातें सीख सकते हैं। लडाई के साधन चाहे जैसे क्यों न हो, आजकल का युद्ध सामुदायिक तथा सर्वोर्गीण सहयोग का एक ज़्यवर्दस्त प्रयत्न होता है। यगापि इस प्रयत्न का फल विव्यवसक होता है, और उद्देश्य भी विव्यवसक होता है, तथापि वह प्रयत्न स्वयं प्रायः सारा-का-सारा विधायक ही होता है। कहते हैं कि जर्मनी ने सत्तर लाख फौज तैयार की है। आठ करोड़ के गए का इतनी बड़ी फौज तैयार करना, इतने बड़े पैमाने पर लडाई के हरवा-हथियार, और साधन-सामग्री खुटाना, चुने हुए लोगों को फौज में भरती करने के बाद बाकी लोगों द्वारा राष्ट्रीय कारबार चलाना, संपत्ति की धारा अव्याहत गति से प्रवाहित रखने के लिए औंग्रेगिक योजनाएँ यथासंभव आखंड रूप से जारी रखना, सब स्कूल-कालिड बन्द कर देना, नित्य की जीवन-सामग्री की व्यक्तिगत मिलकियत के अधिकार पर सरकारी कानून लेना, जिस प्रकार विश्वरूपदर्शन में ऑस्ट्र, कान, नाक, राथ, पैर, सिर, मुँह अनन्त होते हुए भी हृदय एक ही दिखाया गया है, मानो उसी प्रकार सारे राष्ट्र का हृदय एक करना—यह सब इतना विशाल और इतना सर्वतोमुरा विधायक कार्यक्रम है कि उसके संचालनण होते हुए भी हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं।

लोग पूछते हैं—‘गांधीजी लडाई की तैयारी करने को कहते हैं, भगव इससे रचनात्मक कार्यक्रम का सम्बन्ध क्यों जोड़ देते हैं? दिनू-मुस्क्या एपत्ता, अस्तु-यता-निवारण, खादी और ग्रामोद्योग, मध्य-निर्णय, गांग ती सफाई तथा नदी तालीम,—वह सारा रचनात्मक कार्यक्रम है। इसमें लडाई का तत्त्व क्यों है?’ यह सबाल कौन लोग पूछते हैं? नहीं, जो यह मानते हैं कि ऐसे लडाई अहिंसक साधनों से ही जरनी चाहिए।

आजादी की लड़ाई की विधायक तैयारी

उनकी समझ मे यह क्यो नही आता कि हिसक लड़ाई के लिए भी अधिकाश मे विधायक कार्यक्रम की ही ज़रूरत होती है । सिपाहियो के लिए बिस्कुट बनाने से लेकर—नही, नही खेतो मे आलू बोने से लेकर—पनडुब्बियो द्वारा दुश्मनो के जहाज डुबाये जाने तक सब-का-सब लड़ाई का एक अखण्ड कार्यक्रम होता है और उसके अन्तिम अंश के सिवा शेष सारा प्रायः रचनात्मक ही होता है । इस विधायक कार्यक्रम पर ही उस अन्तिम विनाशक कार्यक्रम की सफलता अवलम्बित होती है । यह शुरूवाला अगर नदारद हो जाय तो वह पीछेवाला भी लापता हो जायगा । यह भेद जानकर ही दुश्मन सामनेवाले पक्ष के विनाशक कार्यक्रम को बेकार करदेने के उद्देश्य से उसके इस विधायक कार्यक्रम की ही टॉग तोड़ देने के फेर मे रहता है । जहाँ हिसक लड़ाई का यह हाल है वहाँ अहिसक लड़ाई तो विधायक कार्यक्रम के बिना हो ही कैसे सकती है ? ‘स्वराज्य’ के मानी है ‘सर्व-राज्य’ अर्थात् हरएक का राज्य । इस प्रकार का स्वराज्य बिना सामुदायिक सहयोग के, बिना उत्पादक कार्यक्रम के, बिना सर्वोपयोगी राष्ट्रीय अनुशासन के कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? काग्रेस के तीस लाख सदस्य हे । अगर वे राष्ट्र के लिए रोज आधा घटा भी काते तो भी कितना बड़ा सगठन होगा ? इसमे मुश्किल क्या है ? वर्धा तहसील को ही लीजिए । इस तहसील मे काग्रेस के छः हजार सदस्य है । उनको अगर बीस दुकडियो मे बॉट दिया जाय तो हरएक दुकड़ी मे तीन सौ सदस्य होगे । हर एक दुकड़ी सालभर मे तीन सौ सदस्यो को कातना सिखाने का इरादा करले तो कोई मुश्किल काम नहीं है । सबसे बड़ी बाधा है हमारी अश्रद्धा । “क्या लोग सीखने के लिए तैयार होगे ?” “क्या सीखने पर भी कातते रहेगे ?” “कताई का हिसाब रखेगे ?” “उसे काग्रेस के पास भेजेगे ?”—ऐसी अनेक शकाएँ हम किया करते है । इसके बदले हम काम शुरू कर दे तो एक-एक गॉठ अनुभव के बाद खुलने लगेगी ।

कम-से-कम वर्धा तहसील में इस कार्यक्रम को अमल में लाने की चेष्टा की जा सकती है। कांग्रेस कमेटियों, चरखासघ, ग्रामसुधार-केन्द्र, आप्रसो तथा अन्य संस्थाओं और गाँव के अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से यह काम हो सकता है। काम का वाक्तायदा हिसाब लिखा जाना चाहिए। समय-समय पर कातने की प्रगति की जानकारी भी लोगों को दी जानी चाहिए। कातना सिखाने के मानी यह हैं कि उसके साथ-साथ दूसरी भी कई बातें सिखायी जा सकती हैं और सिखायी जानी चाहिए। कार्यकर्ता इस सूचना पर विचार करें। बहुत मुश्किल नहीं मालूम होगी। लाभ-दायक होगी। करके देखिए।

[१ : ५ : ४०]

: २ :

सर्वधर्मसमभाव

दो प्रश्न हैं—

(१) सर्वधर्मसमभाव का विकास करने के लिए क्या गांधी-सेवा-संघ की ओर से कुछ ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है जिनमें भिन्न-भिन्न धर्मों का तुलनात्मक विचार हो ?

(२) क्या आश्रम तथा अन्य संस्थाओं में भिन्न-भिन्न धर्मों के महापुरुषों के उत्सव मनाकर उन अवसरों पर उन धर्मों के विषय में ज्ञान देना चांचनीय नहीं है ?

१—अगर समभाव की दृष्टि से कोई ग्रन्थ-लेखक पुस्तक तैयार करे और गांधी-सेवा-संघ उचित समझे तो ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित करना ठीक होगा । पर प्रकाशन-विभाग खोलना मुझे पसन्द नहीं है । सच बात तो यह है कि संसार में धर्मों के बीच से जो विषम भाव है वह उतना बुरा नहीं है । भारतवर्ष में भी काफी विरोध बताया जाता है, लेकिन वह तो अखबारी चीज़ है । वास्तव में विरोध ही नहीं । हमारी कई हजार वर्षों की संस्कृति ने हम लोगों में समभाव पैदा कर दिया है । देहात में अब भी वह नज़र आता है । आजकल की नयी प्रवृत्ति ने विरोध जरूर पैदा कर दिया है, पर वह धार्मिक नहीं है । उसका स्वरूप आर्थिक है । धर्म का तो बहाना ले लिया जाता है । और अखबारों में प्रकाशन द्वारा उसे महत्व मिल जाता है । अगर वही प्रकाशन का काम हम अपने हाथों में ले ले तो उन्होंके शब्द का उपयोग करेंगे । यह अच्छी नीति नहीं है । जिस शब्द

में प्रतिपक्षी निपुण है उसीका उपयोग करने से काम नहीं चलेगा । लेकिन इससे भी भयानक एक चीज़ और है । वह है सर्वधर्म-सम-अभाव । अभाव बढ़ रहा है, नास्तिकता बढ़ रही है । नास्तिकता से मेरा सकेत तात्त्विक नास्तिकता की ओर नहीं है । तात्त्विक नास्तिकता मेरे मैं टरता नहीं । पर लिखने से काम नहीं पार पड़ेगा । हम लिखें भी तो कितने लोग पढ़ेंगे ? गन्दा साहित्य पढ़नेवाले तो हजारों हैं । अपने जीवन मेरे हम जिन चीजों को उतार सकेंगे उन्होंका प्रचार होगा । पहले यही हुआ करता था । छापेखाने को आये तो सौ वर्ष हुए । इस बीच किसी नये लेखक की लिखी कोई ऐसी पुस्तक निकली है जिसने तुलसीकृत रामायण और तुका-राम के अभगो की तरह जनता मेरे प्रबोध किया हो ? प्रकाशन एक प्रचार का साधन तो है, पर धार्मिक प्रचार मेरे उसकी कीमत कम-से-कम है । जिस चीज़ को हम अपने अद्वेय पुरुषों के मुँह से सुनते हैं उसका अधिक असर होता है । प्रकाशन से विशेष लाभ की सभावना नहीं जान पड़ती ।

२—जहाँ आश्रम है वहाँ सब धर्म के प्रवर्त्तकों के विपय में भी अवसर पर चर्चा कर सकते हैं । पर मेरी वृत्ति तो निर्गुण रही है । रामनवमी या कृष्णाष्टमी पर मैंने प्रसंगवाचात् भाषण किये हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया । जहाँ ऐसे उत्सव हो सकते हैं, उनके होते रहने मेरे कोर्ट हर्ज़ नहीं है ।

[५ : ३ : ६]

: ३ :

स्वाध्याय की आवश्यकता

देहात मे जानेवाले हमारे कार्यकर्त्ताओं मे से अधिकाश उत्साही नवयुवक है। वे काम शुरू करते हैं उमग और श्रद्धा से, लेकिन उनका वह उत्साह अन्त तक नहीं टिकता। देहात मे काम करनेवाले एक भाई का खत मुझे मिला था। लिखा था — ‘मैं सफाई का काम करता तो हूँ, लेकिन पहले उसका जो असर गाँववालों पर होता था वह अब नहीं होता। इतना ही नहीं; बल्कि वे तो मानने लगे हैं कि इसको कहीं से तनख्वाह मिलती है इसीलिए यह सफाई का काम करता है।’ अन्त मे उस भाई ने पूछा है कि क्या अब इस काम को छोड़कर दूसरा काम हाथ मे ले लिया जाय ?

यो कार्यकर्त्ताओं को अपने काम मे शकाएं उत्पन्न होने लगती है और यह हाल सिर्फ कार्यकर्त्ताओं का नहीं, बड़े-बड़े विद्वानों और नेताओं की भी यही हालत है। इसका मुख्य कारण मुझे एक ही मालूम होता है। वह है स्वाध्याय का अभाव। यहाँ पर ‘स्वाध्याय’ शब्द का जिस अर्थ मे मै उपयोग करता हूँ उसे बता देना आवश्यक है। स्वाध्याय का अर्थ मै यह नहीं करता कि एक किताब पढ़कर फेक दी, फिर दूसरी ली। दूसरी लेने के बाद पहली भूल भी गये। इसको मै स्वाध्याय नहीं कहता। ‘स्वाध्याय’ के मानी है एक ऐसे विषय का अभ्यास जो सब विषयों और कार्यों का मूल है, जिसके ऊपर बाकी के सब विषयों का आधार है लेकिन जो खुद किसी दूसरे पर आश्रित नहीं। उस विषय मे दिनभर मे थोड़े समय के लिए एकाग्र होने की आवश्यकता है। अपने आप को और कातने आदि अपने सब कामों को उतने समय के लिए बिलकुल भूल जाना

चाहिए। अपने स्वार्थ के संसार में जितनी वाधाएँ और कठिनाइयाँ पैदा होती हैं वे सभी इस परमार्थी कार्य में भी खड़ी हो सकती हैं और यह भी संसार का एक व्यवसाय बन जाता है। अगर कोई समझता हो कि वह परमार्थी काम होने की बजह स्वार्थी संसार के झाझटों से मुक्त है तो यह समझ खतरनाक है। इगलिए जैसे कुछ समय के लिए संसार से अलग होने की आवश्यकता होती है वैसे ही इस काम से भी अलग होने की आवश्यकता है; क्योंकि वास्तव में तो वह काम केवल भावना का नहीं है, उसमें बुद्धि की भी आवश्यकता है। भावना तो देहातियों में भी होती है, लेकिन उनमें बुद्धि की न्यूनता है। उसे प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि और भावना एकदम अलग चीजें हों, सो नहीं हैं। इस विषय में मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ।

सूर्य की किरणों में प्रकाश है और उण्ठता भी है। उण्ठता और प्रकाश को तार्किक पृथक्करण से अलग-अलग कर सकते हैं। फिर भी जहाँ प्रकाश होता है वहाँ उसके साथ उण्ठता भी होती ही है। इसी तरह जहाँ सच्ची बुद्धि है वहाँ सच्ची भावना है; और जहाँ सच्ची भावना है वहाँ सच्ची बुद्धि है ही। उनका तार्किक पृथक्करण हम कर सकते हैं, लेकिन दरअसल वे एक-रूप ही है। कोई सोचता हो कि हमें बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, ऐसा की इच्छा है और इसके लिए भावना का होना काफी है, तो वह गलत सोचता है। इस बुद्धि की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। विद्वानों को भी ऐसे स्वाध्याय की ज़रूरत है। फिर कार्यकर्ता तो नम्र है न? उग्रों तो स्वाध्याय की विजेप रूप से ज़रूरत है। इस विषय में बहुत-से कार्यकर्ता सोचते हैं कि वीच-नीच में शहर में जाकर युस्तकात्य में जाना, मिथों से मिलना आदि वातं ग्राम-सेवा के लिए उपयोगी हैं, इनसे उत्पाद बढ़ता है और उस उत्पाद को लेकर फिर देशत में काम करने गे अनुकूलता होती है। लेकिन वे नहीं जानते कि जान और उत्पाद का स्थान शहर नहीं है। शहर शानियों का जहाँ नहीं है।

उपनिषद् मे एक कहानी है—एक राजा से किसी ने कहा कि एक विद्वान् ब्राह्मण आपके राज्य मे है। उसको खोजने के लिए राजा ने नौकर में। सारा नगर छान डालने के बाद भी उनको वह विद्वान् नहीं मिला। तब राजा ने कहा, ‘अरे, ब्राह्मणों को जहाँ खोजना चाहिए वहाँ जाकर हँड़दो’। तब वे लोग जगल मे गये और वहाँ उनको वह ब्राह्मण मिला। यह बात नहीं कि शहर मे कोई तपस्वी मिल ही नहीं सकता। संभव है, कभी-कभी शहर मे भी ऐसा मनुष्य मिल जाय, लेकिन वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल नहीं। आत्मा का पोषण-रक्षण आजकल शहरों मे नहीं होता। देहात मे निसर्ग के साथ जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है वह उत्साह के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शहर में निसर्ग से भेट कहाँ? जंगल मे तो नदी, पहाड़, जमीन सब चीज़े वही सामने दिखाई देती है, और जंगल के पास तो देहात ही होते है, शहर नहीं। सिर्फ उत्साह लेने के लिए ग्राम-सेवकों को शहर मे आना पड़े, इसके बजाय शहरवाले ही कुछ दिनों के लिए देहात मे जाकर कार्यकर्त्ताओं से मिलते रहे तो अधिक अच्छा हो। असल मे उत्साह तो दूसरी ही जगह है। वह जगह है अपनी आत्मा। उसके चिन्तन के लिए कम-से-कम रोज एकाध धटा अलग निकालना चाहिए। तस्वीर खींचनेवाला तस्वीर को देखने के लिए दूर जाता है, और वहाँ से उसको तस्वीर मे जो दोष दिखाई देते है उनको पास आकर सुधार लेता है। तस्वीर तो पास रहकर ही बनानी पड़ती है, लेकिन उसके दोष देखने के लिए अलग हट जाना पड़ता है। इसी प्रकार सेवा करने के लिए पास तो आना ही पड़ेगा। लेकिन कार्य को देखने के लिए खुद को अलग कर लेने की जरूरत भी है।

यही स्वाध्याय का उपयोग है। अपने को और अपने कार्य को बिलकुल भूल जाना और तटस्थ होकर देखना चाहिए। फिर उसीमे से उत्साह मिलता है, मार्ग-दर्जन होता है, बुद्धि की शुद्धि होती है।

दरिद्रों से तन्मयता

दो प्रश्न हैं—

(१) हममें से जो लोग आजतक तो मध्यमवर्ग का जीवन विताते आये हैं परन्तु अग दरिद्रवर्ग से एकरूप होना चाहते हैं, वे किस क्रम से अपने जीवन में परिवर्तन करें जिससे तीन चार वर्ष में वे निश्चित रूप में उन दरिद्रों से एकरूप हो जायें ?

(२) मध्यम अथवा उच्चवर्ग के लोग दरिद्रों से अपनी सज्जावना किस तरह प्रकट कर सकते हैं ? क्या इस प्रकार का कोई नियम बनाना ठीक होंगा कि संघ के सदस्य कोई ऐसा उपाय करे जिससे उनके ख़र्च में से हर १५) में से ४ रुपये दरिद्रों के घर सीधे पहुँच जायें ?

पहले तो हमें यह समझना है कि हम मध्यम वर्ग और उच्चवर्ग के माने जानेवाले 'प्राणी' हैं, अर्थात् हम प्राणवान् बनना चाहते हैं। जिनकी सेवा करना चाहते हैं उनके से बनना चाहते हैं। पानी कर्णका भी क्यों न हो, समुद्र की ओर ही जाना चाहता है। यद्यपि सब पानी समुद्र तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन चाहे वह मेरा नहाया हुआ हो, या गंगाजी का, दोनों की गति समुद्र की ओर है। दोनों निश्चितिक—नभ्र हैं। एक जगह थोड़ा पानी, उसकी ताकत कम होने के कारण, भले ही वीच में रुक जाय, और किसी छोटे वृक्ष को जीवन प्रदान दरने में उसका उपयोग हो—यद् तो हुआ उसका भाग्य—परन्तु उसकी गति तो समुद्र ही है। नमुद्रतक पहुँचने का भाग्य तो गंगा के समान महानदियों को ही प्राप्त

होता है। इसी तरह उच्च और मध्यम श्रेणियों पहाड़ और टीले के समान है। यहाँ जिसकी हमे सेवा करनी है वह महासमुद्र है। इस महासमुद्र तक सब न भी पहुँच सके, तो भी कामना तो हम यही करते हैं कि वहाँतक पहुँचे। अर्थात् जहाँतक पहुँच पायें उतने ही से सन्तोष न मान ले। हमें जिसकी सेवा करनी है उसका प्रश्न सामने रखकर अपने जीवन की दिशा बदलते रहना चाहिए और खुद निम्नगतिक—नम्र बनना चाहिए।

पर इसके कोई स्थूल नियम नहीं बनाये जा सकते। अगर बनाना शक्य हो तो भी वे मेरे पास नहीं हैं और न मैं चाहता ही हूँ कि ऐसे नियम बनाने का कोई प्रयत्न किया जाय। चार या पाँच वर्षों मे उच्च और मध्यम श्रेणी के लोगों को गरीब बना देने की कोई विधि नहीं है। हमें गरीबों की सेवा करनी है, यह समझकर जाग्रत रहकर शक्तिभर काम करना चाहिए। कोई नियम नहीं है, इसीलिए बुद्धि और पुरुषार्थ की गुजाइश है। पिछले सोलह वर्षों से मेरा यह प्रयत्न जारी है कि मैं गरीबों से एकरूप हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि गरीबों का जीवन व्यतीत करने मे मैं सफल हुआ हूँ। पर इसका उपाय क्या है? मुझे इसका कोई दुःख भी नहीं है। मेरे लिए तो प्राप्ति के आनन्द की अपेक्षा प्रयत्न का आनन्द बढ़कर है।

शिव की उपासना करनी हो तो शिव बनो, ऐसा एक गाढ़ीय सूत्र है। इसी तरह गरीबों की सेवा करने के लिए गरीब बनना चाहिए। पर इसमे विवेक की जरूरत है। इसके मानी यह नहीं कि हम उनके जीवन की बुराइयों को भी अपना ले। वे जैसे दरिद्रनारायण है वैसे मूर्ख-नारायण भी तो है। क्या हम भी उनकी सेवा के लिए मूर्ख बने? शिव बनने का मतलब यह नहीं है। जिनका धन गया उनकी बुद्धि तो उससे भी पहले चली गयी। उनके जैसा बनकर हमे अपनी बुद्धि नहीं खोनी चाहिए।

देहात मे किसान धूप मे काम करते हैं। लोग कहते हैं, ‘बैचारे

किसानों को दिनभर धूप में काम करना पड़ता है।” अरे, धूप में और खुले आकाश के नीचे काम करना, यही तो उनका वैभव नचा रह गया है ! क्या उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं ? धूपमें नो विटामिन काफी है। अगर हो सके तो हम भी उन्हीं की भाँति करना शुरू कर दें। पर वे जो रात में मकानों को सन्दूक बनाकर उनमें अपने आपको बन्द करके सोते हैं उसकी नक़ल हमें नहीं करनी चाहिए। हम काफी कपड़े रखें। उनसे भी हम कहे कि रात में आकाश के नीचे सोओ और नक्षत्रों का वैभव लटो। हम उनके प्रकाश का अनुकरण करें, उनके अंधकार का नहीं। उनके पास अगर पूरे कपड़े नहीं हैं तो हम उन्हें इतना समर्थ क्यों न बना दें कि वे भी अपने लिए काफी कपड़े बना ले ? उन्हें महीनों तक तरकारी नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। क्या हम भी साग-भाजी और दूध छोड़ दें ? यह विचार ठीक नहीं है। एक आदमी अगर दूब रहा है और अगर उसे देखकर हमें दुःख होता है तो क्या हम भी उसके पीछे दूब जायें ? इसमें दशा है, महानुभूति भी है। लेकिन वह दशा और सहानुभूति किस काम की जिसमें तारक-बुद्धि का अभाव हो ? सच्ची कृपा में तारक-शक्ति होनी चाहिए। तुलसीदासजी ने उसे ‘कृपालु अलायक’ कहा है।

हमें अपने जीवन की खराबियों को निकालकर उसे पूर्ण बनाना चाहिए। उसी प्रकार उनकी दुराइयों को दूर कर उनका जीवन भी पूर्ण बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। पूर्ण जीवन वह है जिसमें रा या उत्साह है। भोग या विलासिता को उसमें स्थान नहीं। हम दस्तियों-जैसे वर्ने या पूर्ण जीवन की ओर बढ़ें ? ज्योग कहते हैं, ऐसा करने से हमारा जीवन ल्यागमय नहीं दिखाई देगा। पर हमें हम वात का विचार नहीं करना है कि वह कैसा दिखाई देगा। हम यह भी न सोचें कि हमका परिणाम क्या होगा। हम परिणाम-परायणता को छोड़ देना चाहिए। हमारी जीवन-पद्धति उनसे भिन्न है, उन्हें नहीं मिलता; हम

बात का हमें दुःख हो तो वह उचित ही है । यह दुःख-बीज तो हमारी हृदय-भूमि मे रहना ही चाहिए । वह हमारी उन्नति करेगा । मुझे तो इसका कोई उपाय मिल भी जाय तो दुःख होगा । अगर किसी चमत्कार से कल ही हमे स्वराज्य मिल जाय तो उसमे कोई आनन्द नहीं । हमारे पुरुषार्थ और रचनात्मक शक्ति से तारक-बुद्धि का प्रचार होकर सारी देहाती जनता एक इच्छ भी आगे बढ़ सके तो हम स्वराज्य के नज़्दीक पहुँचेगे । जैसे नदियों समुद्र की ओर बहती है उसी प्रकार हमारी वृत्ति और शक्ति गरीबों की ओर बहती रहे, इसीमे कल्याण है ।

तरणोपाय ?

वैधानिक आन्दोलन करना, जनता की शिकायतें सरकार के सामने रखना और मीठे-मीठे ढग से उन शिकायतों का इलाज करा लेना और इतना करके संतोष मान लेना—शुरू शुरू में काग्रेस का कार्यक्रम था। लेकिन न तो शिकायतें दूर होती थीं और न संतोष ही मिलता था। पुक्त भर के अनुभव के बाद काग्रेस इस नतीजे पर पहुँची कि स्वराज्य के बिना चारा नहीं। यह अनुभव-सन्देश तरुणों को सुनाकर पितामह दादाभाई निवृत्त हो गये।

धुन के पछे तरुण काम में जुट गये। गुप्त पद्धति, सरकारी अहल-कारों का खून और सरकार को छारकर स्वराज्य प्राप्त करने का अपनी दृष्टि से स्वावलम्बी प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया। आन्दोलन के लिए पैसे की जरूरत होती ही है। वह कहो से लाया जाय? यह मार्ग परावलम्बी था। इसके अलावा अराजक तरुणों के लिए वह खुला भी नहीं था। युवकों ने डाके टालकर पैसे कमाने के स्वावलम्बी मार्ग का अवलम्बन किया। शुरू में इन टाकुओं की—जिनके घरों में टकैती हुई उन लोगों ने तो नहीं, पर जो सुरक्षित थे उन टोगों ने—योझी बहुत प्रशंसा भी की। इसलिए स्वार्थी टाकू भी उनके लिए इस अधिक मुराब्य साधन का प्रयोग करने लगे। जो भजन (?) जैसी उल्ज्ज्वल भंथा पर भी कल्पा कर सके उनके लिए टकैती एस्लगत करना सुनिहल तो था ही नहीं। फलतः दोनों प्रकार की उक्तियाँ से जनता पांडित हुई। उधर

सरकार ने भी दमन-नीति अखित्यार की । तरुणों के लिए जो सहानुभूति थी उसका स्रोत सूखने लगा । इतने में समझदार अहिंसावादी आये । वे कहने लगे कि पुराना वैधानिक आन्दोलन का मार्ग जिस प्रकार निरर्थक था उसी प्रकार यह गुप्त साजिशों का रास्ता भी बेकार है । इधर-उधर दो-चार खून करने से क्या फायदा ? हिंसा भी कारगर होने के लिए सगठित होनी चाहिए । असगठित, अव्यवस्थित, लुक-छिपकर की हुई हिंसा किसी काम की नहीं । और सगठित हिंसा हमारे बस की बात नहीं है । इसलिए हमे अहिंसा से ही प्रतीकार करना चाहिए । गाधीजी हमे रास्ता दिखाने के लिए समर्थ है । उनके मार्गदर्शन से लाभ उठाकर हमे जनता की प्रतीकार-शक्ति सगठित करनी चाहिए । जनता की शक्ति संगठित होने पर उसकी बदौलत संपूर्ण नहीं तो थोड़ी बहुत सत्ता हमारे हाथों में अवश्य आयेगी । यह सत्ता आने पर आगे का विचार कर लंगे ।

अवश्यही, यह अहिंसा नीति-रूप में थी, जो हमारे युवकों को भी गुप्त पड्यों की असफलता के और दक्षिण अफ्रीका में गाधीजी की सफलता के अनुभव के कारण कुछ-कुछ जँची । जो लोग अपनी परछाई तक से डरते थे उनको छोड़कर सारा-का-सारा राष्ट्र एकत्र होकर अहिंसक प्रतीकार के इस नये आन्दोलन में शामिल हुआ । गाधीजी की नैषिक अहिंसा को जोड़ने-घटाने से जितनी शक्ति प्रकट हो सकी उसी परिमाण में उसका परिणाम भी निकला और संगठित हिंसा की अव्यवहार्यता अन्वय-व्यतिरेक से सर्वमान्य हुई ।

इतने में यूरोप में महायुद्ध की आग भड़की । शौर्य, साधन-सम्पत्ति, संगठन, साहस आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध शक्तिशाली राष्ट्र पॉच-पॉच, दस-दस, दिनों में अपनी स्वतंत्रता गँवा वैठे । वीस साल पहले वैभव के शिखर पर पहुँचा हुआ फ्रास-जैसा राष्ट्र भी तीस लाख की फौज खड़ी कर, इंग्लैण्ड जैसे राष्ट्र का सहयोग प्राप्त कर, और शूरता की पराकाष्ठा कर, गुलाम-से-

भी-गुलाम हो गया । जिन हाथों ने पिछले महायुद्ध में फॉस को विजय प्राप्त करादी, शरण-पत्र लिखने के लिए भी वही हाथ काम आये ।

इमारी ऑखे खुल गयी । असंगठित हिंसा तो बेकार सावित ही ही चुकी थी । लेकिन कार्य-समिति कहती है कि अब यह स्पष्ट हो गया कि चाहे जितने बड़े पैमाने पर की गयी संगठित हिंसा भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बेकार है ।

असंगठित हिंसा और सुसंगठित हिंसा—नहीं, नहीं अतिसुसंगठित हिंसा भी—दोनों या तीनों बेकार सिद्ध हो चुकी हैं । तब कथा किया जाय गाँधीजी कहते हैं—“अहिंसा के प्रति अपनी निष्ठा ढढ़ करो ।”

हम कहते हैं—“‘हम अभी तैयार नहीं हैं ।’”

“तो तैयारी करो ।”

“अबसर बड़ा विकट है । नाजुक बक्कुआ गया है । हम दुर्बल गन्ता हैं । इसलिए वेसी तैयारी की आज तुरन्त गुंजाइश नहीं है ।”

“तो फिर घड़ीभर के लिए स्वस्थ (शात) रहो । मिल्टन कहता जो स्वस्थ (शात) रहकर प्रतीक्षा करते हैं वे भी सेवा करते हैं ।”

“हाँ, कहते तो और कई लोग भी ऐसा ही हैं; लेकिन हम ज़िम्मेदारी है । हमें कुछ-न-कुछ हाथ-पैर हिलाना ही चाहिए ।”

पानी में तैसेवाला तर जाता है । पानी पर स्वस्थ (शात) लेने वाला भी पानी की सतह पर रहता है । केवल हाथ-पैर हिलानेव तह में पहुँच जाता है । केवल “‘हम कुछ-न-कुछ कर जायेंगे’” में क्या होनेवाला है ?

व्यवहार में जीवन-वेतन

हर बात मे मै गणित के अनुसार चलता हूँ। शिक्षा-समिति (हिन्दु-स्तानी तालीमी सघ) के पाठ्यक्रम मे कातने-धुनने की जो योजना मैने दी है उसे देखकर किशोरलालभाई-जैसे चौकन्ने सज्जन ने भी कहा कि तुमने गति वगैरह का जो हिसाब रखा है उसपर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। गणित का इस प्रकार प्रयोग करनेवाला होने पर भी मै ऐसा मानता हूँ कि कुछ चीज़ों के 'मूले कुठाराधातः' करके उन्हे तोड़ डालना चाहिए। वहों 'धीरे-धीरे', 'क्रमशः' आदि शब्द-प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। मैं अपने जीवन मे ऐसा ही करता हूँ। १९१६ में मैने घर छोड़ा। यो तो घर की परिस्थिति कुछ ऐसी न थी कि मेरा वहाँ रहना असभव हो जाय। मॉ तो मुझे ऐसी मिली थी कि जिसकी याद मुझे आज भी नित्य आती है। पिताजी अभी जीवित है। उनकी उद्योगशीलता, अभ्यासवृत्ति, साफ़-सुथरापन, सजनता आदि गुण सभीको अनुकरणीय लगेंगे। लेकिन यह सब होते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि मै अब इस घर मे नहीं समा सकता। जब घर छोड़ा तब 'इन्टरमीडिएट' मे था। कितने ही मित्रों ने कहा—“दो ही साल और लगेंगे। बी० ए० करके डिग्री लेकर जाओ।” उन सबके लिए एक ही जवाब था कि “विचार करने का मेरा यह ढंग नहीं है।” घर छोड़ने के पहले भिन्न-भिन्न विषयों के सर्टिफिकेट लेकर चूल्हे के पास बैठ गया और तापते-तापते उन्हे जलाने लगा। मॉने पूछा, “क्या कर रहा है?” मैने कहा, ‘‘सर्टिफिकेट जला रहा हूँ।”

उसने पूछा, ‘क्यो ?’ मैंने कहा, “उनकी मुझे क्या जरूरत ?” मॉ ने कहा, “अरे, जरूरत न हो तो भी पड़े रहे तो क्या हर्ज है ? जलाता क्यो है ?” “पड़े रहे तो क्या हर्ज है ?” इन शब्दों की तह में वह भावना छिपी हुई है कि “आगे कभी उनका उपयोग करने की जरूरत पड़े तो ?” इस घटना की याद मुझे पारसाल आयी। सरकार ने मैट्रिक-पास को मतदान का अधिकार दिया है। मुझे वह अधिकार मिल सकता है। लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट कहौं है ? एकाध रुपया खर्चकर दरखास्त कर्तृ तो शायद उसकी नकल मिल जाय; पर मैंने कहा कि “क्या मतलब उस सर्टिफिकेट से ? पैंतीस करोड़ लोगों में से तीन करोड़ को मतदान का अधिकार मिला है। वाकी बत्तीस करोड़ को नहीं मिला है। मैं उन्हींके साथ क्यो न रहूँ ?”

सिंहगढ़ की घटना

मुझे मराठों के इतिहास की एक घटना याद आ रही है। गोह के कमन्द को भद्र से मराठे सिंहगढ़ पर चढ़ गये। लटाई में तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत टारकर भागने लगी और जिस रस्से के बल चढ़कर वह ऊपर आयी थी उनींके सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। तब तानाजी के ढोटे भाई गूर्जर्जी ने उस रस्से को काट डाला और चिल्डाकर कहने लगा, “गराठो, भागने कहौं हो ? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट डाला है।” यह सुनते ही मराठों की फौज ने सोचा कि चाहे लड़े या भागें, मरना तो निश्चित है। यह जानकर मराठा सेना ने फिर हिम्मत की और लटाई में जानकर मिर्गढ़ छताह किया। यह जो ‘रस्सा काट देने की नीति’ है उसका उपयोग कहीं-कहीं करना ही पड़ता है। मेरे विचार इस दंग के दोनों के कारण कुछ लोगों को वे अव्यवहार्य जान पढ़ते हैं। वे मुसर्वे कहते हैं, “तुम्हरे विचार तो अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें आप से ही वरण याद पैदा होना

चाहिए था । आज का समाज तुम्हारे विचारों पर अमल नहीं करेगा ।” इसके विपरीत कुछ लोगों को मेरे विचार पॉच-सात सौ साल पिछड़े प्रतीत होते हैं । वे कहते हैं कि साधु-सन्तों का साहिय पढ़-पढ़कर इसका दिमाग उसीसे भर गया है । वर्तमान समाज के लिए इन विचारों का कोई उपयोग नहीं ।

सौदे की कला

जब मैं पौनार में गणपतराव के यहाँ रहता था तो उनके यहाँ की एक छी मक्खन बेचने वर्धा आयी । शाम तक उसे कोई गाहक न मिला, क्योंकि वर्धा के बुद्धिमान लोगों ने भाव सस्ता करने का भी एक शास्त्र ढूढ़ निकाला है । यथासभव देर करके बाजार जाना चाहिए । उस वक्त चीजें सस्ती मिलती हैं । देहातवालों को लौटने की जल्दी रहती है, इसलिए वे औने-पौने अपनी चीजें बेच देते हैं । बिलकुल शाम को एक भला आदमी आया । उस बेचारी ने भाव दोपहर की अपेक्षा दो-तीन आने कम ही बतलाया । तो भी वह भला आदमी मोल-मुलाई ही करता रहा । आखिर उस छी ने सोचा कि अब पॉच मील इसे ढोकर वापस ले जाने से अच्छा है ‘जोही हाथ सोई साथ ।’ उसने आधे दाम में वह मक्खन बेच दिया ।

आज खरीदार और विक्रेता इकट्ठे होते ही सोचने लगते हैं कि सामने वाला मुझे फँसाने पर तुला है । अतः बेचनेवाला जो भी कीमत कहे खरीदार उससे कुछ कम ही मेरोंगेगा । माना जाता है कि जो कम-से-कम दाम मेरी चीज ले आये वह बड़ा होशियार है । लेकिन अबतक हम यह नहीं समझ पाये हैं कि पैसे गॉवाकर हृदय बचाने मेरी कुछ चतुराई है । जबतक कम-से-कम पैसे देने मेरी मानी जाती है तबतक गॉधी जी की बात समझ में नहीं आ सकती और न अहिंसा का प्रचार ही हो सकता है ।

युद्ध टालने का सच्चा उपाय

तरकीवे सोची जा रही है कि कलकत्ते में जापानी वम वरसायें तो हम आत्म-रक्षा किस तरह करें, लेकिन इनसे क्या होनेवाला है ? वम तो वरसनेवाले ही हैं। आज न सही दस साल बाद वरसेंगे। यदि एक ओर हम जापान का सस्ता माल खरीद कर उसे मदद करते रहेंगे और दूसरी ओर उसके वम न गिरे इसकी कोशिश करते रहेंगे, तो वे वम कैसे टलेंगे ? वम या युद्ध टालने का वास्तविक उपाय तो यही है कि हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें अपने आस-पास तैयार करायें और उनके उचित दाम दें।

हिंसाव का सही तरीका

एक बार एक सभा में मैंने पूछा कि “हिन्दुस्तान की औसत आयु-मर्यादा इफ्फीस साल और इंग्लैंड की वयालीस साल है। तो ब्रिटिश इंग्लैंड का मनुष्य हिन्दुस्तानी की अपेक्षा कितने गुना ज्यादा जीता है ?” छोटे-छोटे बालकों ने ही नहीं वल्कि बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोगों ने भी जवाब दिया कि “दुगुना जीता है !” मैंने उन सब को फ्रेल कर दिया। मैंने कहा कि “इफ्फीस दूने वयालीस होते हैं, यह सही है। लेकिन हर एक आदमी की उम्र के लड़कपन के पहले चौदह साल छोड़ देने चाहिए, क्योंकि उनसे समाज को कोई फायदा नहीं होता। ये चौदह साल यदि हम छोड़ दें तो हिन्दुस्तान का आदमी सात साल और इंग्लैंड का अद्वाईस साल जीता है। यानी हिन्दुस्तानी की अंगांग इंग्लैंड का मनुष्य दुगुना नहीं चोगुना जीता है।”

यही नियम मज़दूरी में भी घटित होता है। समाज में यहि सभी लोग उद्योगी और पर्सनलमन्डी होते हो चीज़ों के भाव नहीं जो दोने से या आठ आने वी जगह दो आने मज़दूरी होने से भी कोई कर्कि न पड़ता। तेली का तेल चुलाश चरीदता है, उसका कपड़ा तेली चरीदता

है, दोनों किसान से अनाज खरीदते हैं, किसान दोनों से तेल या कपड़ा खरीदता है। उस दशा में हम अनाज का भाव रुपये के चार सेर समझे या दस सेर समझे, क्या फर्क पड़ेगा? रोज़ाना मज़दूरी दो आने कहे या आठ आने, क्या फर्क होगा? क्योंकि, जब सभी उद्योगी और परस्परावलम्बी हैं तो एक चीज का जो भाव होगा उसी हिसाब से दूसरी चीजों के भाव भी लगाये जायेगे। महँगे दाम लगायेगे तो व्यवहार में बड़े-बड़े सिक्के भ्रतने होंगे, और सस्ते दाम लगायेगे तो सस्ते सिक्कों की जरूरत होगी। महँगे भावों के लिए रुपये लेकर बाजार में जाना होगा। सस्ते भाव होंगे तो कौड़ियों से लेन-देन का व्यवहार हो सकेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज समाज में एक ऐसा वर्ग है कि जो न तेल पेरता है, न कपड़ा बुनता है, न अनाज पैदा करता है और न दूसरा कोई उत्पादक श्रम करता है। हम अगर नीज़ों के दाम बढ़ादें तो एक सेर भटे के बदले आज इस वर्ग की ओर से हमें चार पैसे मिलते होंगे तो कल दो या चार आने मिलने लगेंगे। भाव या मज़दूरी बढ़ाने का यही लाभ या उपयोग है। लेकिन यह वर्ग हर हालत में बहुत छोटा ही रहेगा। इसलिए अगर हम सबकी मज़दूरी आठ आने कर दें तो चास्तव में वह चौरुनी न पड़कर ढेढ़ गुनी या दुरुनी ही पड़ेगी।

आठ आने मज़दूरी के सिद्धान्त का अमल

लेकिन आज आठ आने मज़दूरी के सिद्धात को कोई ग्रहण ही नहीं करता। उसे स्वीकार करने का मतलब है कि हमें अपनी सारी जीवनो-पर्योगी चीज़ों के दाम मज़दूरी के हिसाब से लगाने चाहिए। तब पता चलेगा कि ढाई-तीन सौ साल पहले का उस बेबकूफ तुकाराम का अर्थशाला आज १९३८ या १९३९ के आधुनिकतम अर्थशाला से मेल खाता है। (?) हम एक ऐसी जमात बनाना चाहते हैं जो मज़दूरी का उपर्युक्त सिद्धात अमल में लाये। हम अगर एक घड़ा खरीदने जायें तो

रुम्हारिन उसके दाम दो पैसे बतलायेगी। हमें चाहिए कि हम बढ़ा बनाने में लगा हुआ बक्तु वैरह पूछकर उससे कहे कि “मैं, मैं तुझे इस घटे के दो आने देंगा। क्योंकि इसके लिए तुझे इतने घटे सर्व करने पड़े हैं और उन घंटों की इतनी मज़दूरी के हिसाब से इतने दाम होते हैं।” आप ढो आने देकर वह मटका खरीदेंगे तो मटकेवाली सम-ओगी कि यह कोई बेवकूफ आदमी जान पड़ता है। दूसरी बार अगर आप एक झाड़ू लेने जायेंगे तो वह तुरन्त उसके दाम छः आने बतलायेगी। तब आप उससे सारा हिसाब पूछकर समझायेंगे कि झाड़ू के दाम छः आने नहीं बर्तिक दो या तीन आने हैं। तब वह छो समझ जायेगी कि यह आदमी बेवकूफ नहीं है, इसे अक्ल है और वह किसी-न-किसी हिसाब के अनुसार बलता है।

ठगा जाना एक बात है और विचारपूर्वक मौजूदा वाज़ार-भाव की अपेक्षा अधिक, लेकिन बस्तुतः उचित, कीमत देना यिलकुल दूसरी बात है। यह उचित कीमत ठहराने के लिए हमें भिन्न-भिन्न धन्धों का व्यव्यवन वर या उन धन्धों में पड़े हुए लोगों से प्रेम का सम्बन्ध कायम करके अलग-अलग चीज़ों का एक समय-पत्रक बनाना होगा। उतने समय की उचित मज़दूरी तय करनी होगी और उससे कचे माल की कीमत जोउकर जो दाम आये उतनी उस चीज की कीमत समझनी चाहिए। यदि हम ऐसी कीमत नहीं देते तो अहिंसा का पालन नहीं करते।

मज़दूरों का नया दान-शाखा

अब, यह मज़दूरी सब लोग आज नहीं हैं। यदि सुमिक्षन हो तो हम पूरी मज़दूरी का माल बेचनेवाली एक एजेंसी न्योल रुकते हैं। अगर वह सारा माल बिकवा दे तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता; लेकिन अगर यह सुमिक्षन न हो तो मज़दूरों को आज की तरह उर्ही पूरने भाव में राखना माल बेचना पड़ेगा। ऐसी हालत में उनके सामने दो रास्ते हैं।

एक तो यह कि वे कम दामों में अपना माल बेचने से इन्कार कर दे । लेकिन यह आज असम्भव है । दूसरा रास्ता यह है कि मजदूरों में ऐसी भावना—हिसाबी वृत्ति निर्माण हो कि वे कहे कि “इस चीज की उचित कीमत इतनी है । परन्तु यह धनवान मनुष्य वह कीमत नहीं देता । तो जितनी कीमत उसने दी है उतनी जमा करके बाकी के पैसे मैंने उसे दान में दिये, ऐसा मैं मान लेंगा ।” धनाढ़ी लोग गरीबों को जो दे वही दान है या केवल धनाढ़ी ही दान कर सकते हैं, यह धारणा क्यों हो ? जो लोग सदा दान दे रहे हैं उन्हें इस बात का ज्ञान करा देना चाहिए कि वे दान दे रहे हैं ।

समाजवाद का मंत्र

पूरी मजदूरी के सिवाय समाजवाद या साम्यवाद का दूसरा कोई इलाज नहीं । इतना ही नहीं, बल्कि इतना रक्तपात इस देश में होगा जितना कि रस या दूसरे किसी देश में न हुआ होगा । मैंने एक व्याख्यान में—पौनार की खादी-यात्रा में—साक्षात् महात्मा गांधी के सामने वेद का यह मन्त्र “मोघमञ्चविन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीसि वधृत् स तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाधो भवति केवलादी” पढ़ा जो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो धनिक अपने आसपास के लोगों की पर्वाह न करते हुए धन इकट्ठा करता है वह धन प्राप्त करने के बदले अपना वध प्राप्त करता है । ‘वध’ और ‘मृत्यु’ में यद्यपि सायणाचार्य कोई भेद नहीं करते तथापि मेरी हाइ से उन दोनों का भेद अत्यत स्पष्ट है । इस मन्त्र को आप समाजवाद का मन्त्र कह सकते हैं । मजदूरों या अमजीवियों के तमाम प्रश्नों का पूरी मजदूरी ही एकमात्र अहिंसक हल है ।

क्षेत्रनिष्ठ अर्थशास्त्र

अब मैं आज की खास बात पर आता हूँ । ग्राम-सेवा-मण्डल इस तहसील में खादी-उत्पत्ति का प्रयत्न ज्यादा जोरो से करनेवाला है । “जिस माल पर चरखा-संघ को कुछ नफा मिल जाता है वह खासकर वैसा माल तैयार करना चाहता है । चरखा-संघ का काम कई वर्ष से चल रहा है ।

इसलिए यद्यपि वह आज चार आने मज़दूरी देने को तैयार है तो भी हम तो तीन आने देकर ही खादी बनवायेंगे ।” आदि दलीलें देकर काम करना चाहता है । मैं कहता हूँ कि चरखा-संघ सावली में तो मज़दूरी ‘कलदार’ में देता है । लेकिन निजाम राज्य में ‘हाली’ (निजाम राज्य का सिक्का) में देता है । इसका समर्थन या इसके पीछे जो विचारधारा है उसे मैं समझ सकता हूँ । ‘कलदार’ तीन आने में सावली में जितना सुख मिल सकता है उतना ही सुख ‘हाली’ तीन आने में मुगलाह (निजाम राज्य) में मिल सकता है, क्योंकि वहाँ गरीबी ज़्यादा है । वह विचार-धारा इस प्रकार की है । उसी विचार-धारा के अनुसार सावली की अपेक्षा वर्षा में जीवन-निर्वाह अधिक महँगा है । इसलिए यहाँ सावली से ज़्यादा मज़दूरी देनी चाहिए । सावली में तीन आने देते हैं, इसलिए यहाँ भी तीन ही आने देते हैं, ऐसा कहने से काम न चलेगा ।

महमूद और फ़िर्दैसी का किस्सा

अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वही महमूद और फ़िर्दैसीवाला किस्सा चरितार्थ होगा । महमूद ने शाहनामे की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक दीनार देने का वादा किया । लेकिन जब उसने यह देखा कि फ़िर्दैसी का लिखा हुआ शाहनामा तो बड़ा भारी ग्रन्थ है तब इतने सोने के दीनार देने की उसकी हिम्मत न हुई । इसलिए उसने सोने के दीनारों की जगह चाँदी के दीनार दिये ।

खादीधारी कम हो जाने का डर

मैं इधर दस या बारह वर्ष से खादी के विषय में जित सीता में विचार और आचरण करता हूँ उतना बहुत ही शोटे लोग करते होंगे । आज भी खादी का रहस्य कुछ लोगों की समझ में नहीं आया है । पिछली सभा में यहाँ का खादी-भड़ार उठा देने के पक्ष में मैंने जो राय दी थी वह दूसरों की भिन्न गय होते हुए भी आजतक आयम है । उस बत्ते एक दलील यह

भी पेश की गयी थी कि यदि हम यहाँ से खादी-भंडार उठा लेंगे तो खादी-धारियों की सख्त्या बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जायेगी । मैं कहता हूँ कि खादीधारी कम होंगे या नहीं यह आप क्यों देखते हैं ? आपकी नीति सही है या नहीं यह क्यों नहीं देखते ? शिक्षा-समिति ने जो योजना बनायी है वह साल दो साल में व्यवहार में लायी जायेगी । तब वर्धा तहसील की दो लाख जनसख्त्या में से स्कूल में जाने लायक दसवाँ हिस्सा यानी बीस हजार लड़के निकलेंगे । अगर ये लड़के तीन घटे कातकर प्रौढ़ मनुष्य के काम का एक तिहाई यानी करीब एक घटे का काम करे तो भी बीस हजार लोगों को स्वावलम्बी बना सकने भर खादी तैयार होगी । तजवीज यह है कि यह सारी खादी सरकार खरीदे । पर 'सरकार खरीदे' इन शब्दों का मतलब यही हो सकता है कि 'लोग खरीदे' । क्योंकि सरकार आखिर कितनी जगह की खादी खरीद सकती है ! इसलिए अत मे तो उसे लोग ही खरीदेंगे । इसलिए स्वाभाविक रूप से बीस हजार खादीधारी होंगे । इस तरह खादीधारी कम हो जायेंगे यह डर ठीक नहीं है ।

हमारा उत्तरदायित्व

खादी के पीछे जो सही विचार-धारा है उसे समझाने की जिम्मेदारी हमारी है । यह काम और कौन करेगा ? इतने बड़े तामिलनाडु प्रान्त में चरखा-सघ के 'सूत-सदस्य' सिर्फ सात-आठ हैं । चरखा-सघ के कर्मचारियों का इस गिनती में शुमार नहीं है । जहाँ यह हालत है वहाँ खादी के विषय में कौन विचार करने जायगा ? नियमित रूप से सूत कातनेवाले और सूत देनेवाले लोगों की ज़रूरत है । लोग कहते हैं कि हमें कातने के लिए फुर-सत नहीं । हम सूत कातना नहीं चाहते और मजदूरी के रूप में ज्यादा पैसा भी देना नहीं चाहते । फिर अहिंसा का प्रचार कैसे हो ? राजाजी ने हाल ही मे मद्रास-सरकार की ओर से खादी-प्रचार के लिए दो लाख रुपये दिये हैं । लेकिन इतने से क्या होनेवाला है ? पहले की सरकार भी गृह-

उद्योग के नाम पर क्या ऐसी मदद किसी हालत में न देती ? आज सरकार जारी तरफ से परेशान की जा रही है। इधर जापान का डर है। उधर यूरोप में भीषण लटाई का डर है। ऐसी परिस्थिति में यह कौन कह सकता है कि हमें नुक्ता करने के लिए पुरानी सरकार भी पैसे न देती ? लेकिन ऐसे पैसों से खादी का असली काम पूरा नहीं होने का।

खादी के पीछे जो विचारधारा है उसे समाज के सामने कार्यरूप में उपस्थित करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए ग्रामसेवा-मण्डल को मेरी यह सलाह है कि वह आठ घंटे की आठ आने मज़दूरी देकर खादी बनवाये। कम-से-कम इतना तो करे कि जिस परिमाण में यहाँ (वर्धा) का जीवन-निर्वाह सावली से महँगा हो उस परिमाण में ज्यादा मज़दूरी देकर खादी बनवाये। इस खादी की खपत अगर न हो तो मैं खादीधारियों से साक्षात् पूछूँगा कि आप पुतलीबर का कपड़ा क्यों नहीं पहनते ? वह भी स्वदेशी तो है। समाजवादियों के सिद्धान्त के अनुसार उसपर राष्ट्र का नियन्त्रण हो इतना काफी है। एकाध आदमी पूरा जीवित या पूरा मृत है, वह मैं समझ सकता हूँ। लेकिन पौन जिन्दा और पाव मरा हुआ है, वह कथन मेरी समझ में नहीं आ सकता। या तो वह पूरा जिन्दा होगा या मरा हुआ। इसलिए अगर न्यादी भरतना है तो उसके मूल में जो भावनाएँ हैं, जो विचार हैं उन सबको ग्रहण कर उसे धारण करना चाहिए। जो खादी को इस तरट अगीकार करें वे ही दरअसल खादीधारी हैं। आज तक हम खादी शब्द की व्याख्या 'हाथ का कता और हाथ का तुना कपड़ा' इतना ही करते आये हैं, अब उसमें 'पूरी मज़दूरी देकर बनवाया हुआ' ये शब्द और लोट देने चाहिए।

: ७ :

श्रमजीविका (ब्रेड लेबर)

“ब्रेड लेबर” के मानी है “रोटी के लिए मज़दूरी !” यह शब्द आपमे से कई लोगों ने नया ही सुना होगा । लेकिन यह नया नहीं है । टॉल्स्टॉय ने इस शब्द का उपयोग किया है । उसने भी यह शब्द वॉन्डरेसा नामक एक लेखक के निबन्धों से लिया और अपनी उत्तम लेखन-जैली द्वारा उसको दुनिया के सामने रख दिया । मैंने यह विषय जान-बूझकर चुना है । शिक्षण-शास्त्र का अभ्यास करते हुए भी संभव है कि इस विषय का आपने कभी विचार न किया हो । इसलिए इसी विषय पर धोलने का मैंने निश्चय किया । इस विषय पर विचार ही नहीं बल्कि वैसा ही आचार करने की कोशिश भी मैं बीस साल से करता आ रहा हूँ, क्योंकि जीवन में और साथ-साथ शिक्षण में भी शरीर-श्रम को मैं प्रथम स्थान देता हूँ ।

हम दीन क्यों हुए ?

हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आवादी पैतीस करोड़ है और चीन की चालीस-पैतालीस करोड़ । ये दोनों राष्ट्र प्राचीन हैं । इन दोनों को मिला दिया जाय तो कुल आवादी अस्सी करोड़ तक हो जाती है । इतनी जन-संख्या दुनिया का सबसे बड़ा और महत्व का हिस्सा हो जाता है । और यह भी हम जानते हैं कि यही दोनों देश आज दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी, पीड़ित और दीन हैं । इसका कारण यह है कि इन दोनों मुळकों ने वृत्ति का जो आदर्श अपने सामने रखवा था उसका पूरा अनुसरण उन्होंने नहीं किया । और बाहर के राष्ट्रों ने उस वृत्ति को कभी स्वीकार दी

नहीं किया। मेरा मतलब यह कहने से है कि हिन्दुस्तान में शरीर-श्रम को जीवन में प्रथम स्थान दिया गया था और उसके साथ यह भी निश्चय किया गया था कि वह परिश्रम चाहे जिस प्रकार का हो—कातने का हो, बढ़ाई का हो, रसोई बनाने का हो, सबका मूल्य एक ही है। भगवद्गीता में यह बात साफ शब्दों में लिखी है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसीको चाहे जितना छोटा या बड़ा काम मिला हो, पर अगर उसने उस काम को अच्छी तरह किया है तो उस व्यक्ति को सम्पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। अब इससे अधिक कुछ कहना चाही नहीं रह जाता। मतलब यह कि हरएक उपयुक्त परिश्रम का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य एक ही है। इस प्राचीन धर्म का आचरण तो हमने किया नहीं, पर एक बड़ा भारी शूद्रवर्ग निर्माण कर दिया। शूद्रवर्ग यानी मज़दूरी करनेवाला वर्ग। यहाँ जितना बड़ा शूद्रवर्ग है उतना बड़ा शायद ही किसी दृग्मी जगह हो। हमने उससे अधिक-से-अधिक मज़दूरी करवायी और उसको कम-से-कम रखाने को दिया। उसका सामाजिक दर्जा हीन समझा। उसे कुछ भी शिक्षा नहीं दी। इतना ही नहीं, उसे अद्यत भी बना दिया। नतीजा यह हुआ कि कारीगरवर्ग में ज्ञान का पूरा अभाव हो गया। यह पशु के समान केवल मज़दूरी ही करता रहा।

हमारा कला-कौशल

प्राचीन काल में हमारे यहाँ कला कम नहीं थी। लेकिन पूर्वजों से मिलनेवाली कला एक बात है और उसमें दिन-प्रति-दिन प्रगति करना दूसरी बात। आज भी काफ़ी प्राचीन कारीगरी मौजूद है। उसको देखकर हमें आश्चर्य होता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है! अपनी प्राचीन कला को देखकर हमें आश्चर्य होता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है! आश्चर्य करने का प्रसंग हमारे सामने क्यों आना चाहिए? उन्हीं पूर्वजों की तो हम गत्तान हैं न? तब तो उनमें बढ़कर हमारी कला होनी चाहिए। लेकिन आज आश्चर्य

करने के सिवा हमारे हाथ मे और कुछ नहीं रहा। यह कैसे हुआ? कारीगरों मे ज्ञान का अभाव और हममे परिश्रम-प्रतिष्ठा का अभाव ही इसका कारण है।

ब्राह्मण और शूद्र की समान प्रतिष्ठा

प्राचीन-काल मे ब्राह्मण और शूद्र की समान प्रतिष्ठा थी। जो ब्राह्मण था वह विचार-प्रवर्त्तक, तत्त्वज्ञानी और तपश्चर्या करनेवाला था। जो किसान था वह ईमानदारी से अपनी मज़दूरी करता था। प्रातःकाल उठकर भगवान् का स्मरण करके सूर्यनारायण के उदय के साथ खेत मे काम करने लग जाता था और सायंकाल सूर्य भगवान् जब अपनी किरणों को समेट लेते तब उनको नमस्कार करके घर वापस आता था। उस ब्राह्मण में और इस किसान मे कुछ भी सामाजिक, आर्थिक या नैतिक भेद नहीं माना जाता था।

“उदर-पात्र”

हम जानते हैं कि पुराने ब्राह्मण “उदर-पात्र” होते थे, यानी उतना ही सचय करते थे जितना कि पेट मे अट्ठा था। यहाँ तक उनका अपरिग्रही आचरण था। आज की भाषा में कहना हो तो वे ज्यादा-से-ज्यादा काम देते थे और बदले मे कम-से-कम वेतन लेते थे। यह बात प्राचीन इतिहास से हम जान सकते हैं। लेकिन बाद मे ऊँच-नीच का भेद पैदा हो गया। कम-से-कम मज़दूरी करनेवाला ऊँची श्रेणी का और हर तरह की मज़दूरी करनेवाला नीची श्रेणी का माना गया। उसकी योग्यता कम, उसे खाने के लिए कम और उसकी प्रगति की, ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था भी कम।

प्राचीन भारत की उद्योगशालाएँ

प्राचीन काल में न्यायशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, वेदान्तशास्त्र इत्यादि शास्त्रों के अध्ययन का जिक्र हम सुनते है। गणितशास्त्र, वैद्यकशास्त्र,

ज्योतिष शास्त्र इत्यादि शास्त्रों की पाठशालाओं का ज़िक्र भी आता है। लेकिन उद्योगशाला का उल्लेख कहीं नहीं आया है। इसका कारण यह है कि हम वर्णाश्रम-धर्म माननेवाले थे, इसलिए हरएक जाति का धन्धा उस जाति के लोगों के घर-घर में चलता था और इस तरह हरएक घर उद्योगशाला था। कुम्हार हो या बढ़ी, उसके घर में बच्चों को बचपन ही से उस धन्धे की शिक्षा अपने पिता से मिल जाती थी। उसके लिए अलग प्रवन्ध करने की आवश्यकता न थी। लेकिन आगे क्या हुआ कि एक और हमने यह मान लिया कि पिता का ही धन्धा पुत्र को करना चाहिए, और दूसरी ओर बाहर से आया हुआ माल सस्ता मिलने लगा, इसलिए उसीको खरीदने लगे। मुझे कभी-कभी सनातनी भाइयों से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। मैं उनसे कहता हूँ कि वर्णाश्रम धर्म लुत थे रहा है। इसका अगर आपको दुःख है तो कम-से-कम स्वदेशी-धर्म का तो पालन कीजिए। बुनकर से तो मैं कहूँगा कि अपने बाप का धन्धा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसका बनाया हुआ कपड़ा मैं नहीं लूँगा तो वर्णाश्रम-धर्म कैसे ज़िन्दा रह सकता है? हमारी इस वृत्ति से उद्योग गया और उद्योग के साथ उद्योगशाला भी गयी। इसका कारण यह है कि हमने शरीर-अम को नीच मान लिया। जो आदमी कम-से-कम परिश्रम करता है वही आज सबसे अधिक बुद्धिमान् और नीतिमान् माना जाता है।

सफेदपोशों की अकड़

आज ही सुबह बातें हो रही थीं। किसी ने कहा, “अब बिनोबाजी किसान-जैसे दीखते हैं”, तो दूसरे ने कहा “लेकिन जबतक उनकी खोती सक्रेद है तबतक वे पूरे किसान नहीं हैं।” इस कथन में एक दंश था। जेती और त्वच्छ खोती की अद्यावत है, इस धारणा में दद्य है। जो अपने को ऊपर की श्रेणीवाले समझते हैं उनको यह अभिमान होता है कि एम बड़े साक रहते हैं, एमारे कपड़े विल्कुल सक्रेद बगले के पर-जैसे होते

है। लेकिन उनका यह सफाई का अभिमान मिथ्या और कृत्रिम है। उनके शरीर की डाकटरी जॉच—मै मानसिक जॉच की तो बात ही छोड़ देता हूँ—की जाय और हमारे परिश्रम करनेवाले मज़दूरों के शरीर की भी जॉच की जाय और दोनों परीक्षाओं की रिपोर्ट डाक्टर पेश करे और कह दे कि कौन ज्यादा साफ़ है। हम लोटा भी मलते हैं तो बाहर से। उसमे अपना मुँह देख लीजिए। लेकिन अन्दर से हमे मलने की ज़रूरत ही नहीं जान पड़ती। हमारे लिए अन्दर की कीमत ही नहीं होती। हमारी स्वच्छता केवल बाहरी और दिखावर्दी होती है। हमे शंका होती है कि खेत की मिट्ठी मे काम करनेवाला किसान कैसे साफ़ रह सकता है। लेकिन मिट्ठी मे या खेत मे काम करनेवाले किसान के कपड़े पर जो मिट्ठी का रंग लगता है वह मैल नहीं है। सफेद कमीज के बदले किसी ने लाल कमीज़ पहन लिया तो उसे रगीन कपड़ा समझते हैं। वैसे ही मिट्ठी का भी एक प्रकार का रंग होता है। रंग और मैल मे काफ़ी फ़र्क़ है। मैल मे ज़तु होते हैं, पसीना होता है, उसकी बदबू आती है। मृत्तिका तो ‘पुण्यगध’ होती है। गीता मे लिखा है, “‘पुण्योगधः पृथिव्या च’। मिट्ठी का शरीर है, मिट्ठी मे ही मिलनेवाला है, उसी मिट्ठी का रंग किसान के कपड़े पर है। तब वह मैलां कैसे है ? लेकिन हमको तो बिल्कुल सफेद, कपास जितना सफद होता है। उससे भी बढ़कर सफेद कपड़े पहनने की आदत पड़ गयी है। मानो ‘हाइट वाश’ ही किया है। उसे हम साफ़ कहते हैं। हमारी भाषा ही विकृत हो गयी है।

शुद्ध भाषा पर घमंड

अपनी उच्चारण-पद्धति पर भी हमे ऐसा ही मिथ्या अभिमान है। देहाती लोग जो उच्चारण करते हैं उसे हम अशुद्ध कहते हैं। लेकिन पाणिनि तो कहते हैं कि साधारण जनता जो बोली बोलती है वही व्याकरण है। तुलसीदासजी ने रामायण आम लोगों के लिए लिखी। वे जानते थे कि

मधुकर

देहाती लोग 'ष', 'श' और 'स' के उच्चारण में फर्क नहीं करते। आम लोगों की ज्ञान में लिखने के लिए उन्होंने रामायण में सब जगह 'स' ही लिखा। वे नम्र हो गये। उनको तो आम लोगों को रामायण सिखानी थी, तो फिर उच्चारण भी उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन आज के पढ़े-लिखे लोगों ने तो मज़दूरों को बदनाम करने का ही निश्चय कर लिया है।

असली धर्म

हमसे से कोई गीतापाठ, भजन और जप करता है, या कोई उपनिषद् कण्ठ कर लेता है, तो वह बड़ा महात्मा बन जाता है। जप, संध्या पूजा-पाठ ही धर्म माना जाता है। लेकिन दया, सत्य, परिश्रम में हमारी श्रद्धा नहीं होती। जो धर्म वेकार, निकम्मा, अनुत्पादक हो उसी को हम सज्जा धर्म मानते हैं। जिससे पैदावार होती है वह भला धर्म कैसे हो सकता है? भक्ति और उत्पत्ति का भी कहीं मेल हो सकता है? लेकिन वेद भगवान् में हम पढ़ते हैं—“विश्व की उत्पत्ति करनेवाले को कुछ कृति अर्पण करो। उसने विश्व की सृष्टि का रास्ता दिखा दिया, उसका अनुसरण करो।” लेकिन हमारी साधु की कल्पना इससे उत्की है। एक ब्राह्मण खेत में खोदने का काम कर रहा है या हल चला रहा है, ऐसी तस्वीर अगर किसी ने खींच दी तो वह तस्वीर खींचनेवाला पागल समझा जायगा। “क्या ब्राह्मण भी मज़दूर के जैसा काम कर सकता है?” यह सवाल हमारे यहाँ उठ सकता है। “क्या तत्त्वज्ञानी खा भी सकता है?” यह सवाल नहीं उठता। वह मजे में खा सकता है। ब्राह्मण को सिल्लना ही तो हम अपना धर्म समझते हैं, उसी को पुण्य मानते हैं।

हमारी मुलामी का फारण

हिन्दुस्तान की संस्कृति इस हृद तक गिर गयी, इसी बाग़ाने वाहर के लोगों ने इन ऊपरी लोगों को छटाकर हिन्दुस्तान को जीत लिया। बाहर के लोगों ने आजमण क्यों किया? परिश्रम से दुष्टकारा पाने के

लिए। इसीलिए उन्होंने बड़े-बड़े यन्त्रों की खेज की। शर्पर-शम कम-से-कम करके बचे हुए समय में मौज और आनन्द करने की उनकी दृष्टि है। इसका नतीजा आज यह हुआ है कि हरएक राष्ट्र अब यन्त्रों का उपयोग करने लग गया है, पहली मशीन जिसने निकाली उसकी हुक्मत तभीतक चली जबतक दूसरों के पास मशीन नहीं थी। मशीन से सम्पत्ति और सुख तभीतक मिला जबतक दूसरों ने मशीन का उपयोग नहीं किया था। हरएक के पास मशीन आजाने पर स्पर्धा शुरू हो गयी।

यूरोप एक 'चिड़ियाखाना' है

आज यूरोप एक बड़ा 'चिड़ियाखाना' ही बन गया है। जानवरों की तरह हरएक अपने अलग-अलग पिजडे में पड़ा है और पड़ा-पड़ा सोच रहा है कि एक दूसरे को कैसे खा जाऊँ। क्योंकि वह अपने हाथों से कोई काम करना नहीं चाहता। हमारे सुधारक लोग कहते हैं—“हाथों से काम करना बड़ा भारी कष्ट है, उससे किसी-न-किसी तरकीब से छूट सके तो बड़ा अच्छा हो। अगर दो घण्टे काम करके पेट भर सके तो तीन घण्टे क्यों करे? अगर आठ घण्टे काम करेंगे तो कब साहित्य पढ़ेंगे और कब संगीत होगा? कला के लिए वक्तः ही नहीं बचता।”

पुच्छविषाणुयुक्त पशु

भर्तृहरि ने लिखा है—“साहित्य-संगीत-कला-विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणवीनः”—जो साहित्य-संगीत-कला से विहीन है वह विना पुच्छविषाण (पूँछ और सींग) का पशु है। मैं कहता हूँ—“ठीक है, साहित्य-संगीत-कला-विहीन अगर पुच्छविषाणवीन पशु है, तो साहित्य-संगीत-कलावाला पुच्छविषाणवाला पशु है।” भर्तृहरि के लिखने का मत-लब क्या था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसपर से मुझे यह अर्थ सूझ गया। दूसरे एक पडित ने लिखा है—“काव्यशास्त्र-विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्”—बुद्धिमान् लोगों का समय काव्य-शास्त्र-विनोद में

कठता है। मानो उनका समय कठता ही नहीं, मानो वह उन्हें खाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा है। काल तो जाने ही बाला है। उसके जाने की चिन्ता क्यों करते हो ? वह सार्थक कैसे होगा पह देखो। गरीर-श्रम को दुःख क्यों मान लिया है, यही मेरी समझ में नहीं आता। आनन्द और सुख का जो साधन है उसीको कष्ट माना जाता है।

वास्तविक व्यायाम

एक अमेरिकन श्रीमान् से किसी ने पूछा, “दुनिया में सबसे अधिक धनवान् कौन है ?” उसने जवाब दिया—“जिसकी पचनेन्द्रिय अच्छी है वह।” उसका कहना ठीक है। सपन्ति खूब पट्टी है। लेकिन दूध भी हज़म करने की ताकत जिसमें नहीं है उसको उस सम्पन्ति से क्या लाभ ? और पचनेन्द्रिय कैसे मजबूत होती है ? काव्यशास्त्र से तो “कालो गच्छति”। उससे पचनेन्द्रिय थोड़े ही मजबूत होनेवाली है। पचनेन्द्रिय तो व्यायाम से, पश्चिम से मजबूत होती है। लेकिन आजकल व्यायाम भी पद्धति मिनिट का निकला है। मैंने एक किताब देखी—“फिफ्टीन मिनिट्स एक्सरसाइज़”। ऐसे व्यायाम से दीर्घायुषी बनेंगे या अत्यायुषी इसकी चिन्ता ही नहीं होती। सैण्टो भी जल्दी ही मर गया। इन लोगों ने व्यायाम का शास्त्र भी हिंसक बना रखा है। तीन मिनिट में एकदम व्यायाम हो जाना चाहिए। जल्दी-से-जल्दी उससे निपटकर काव्यशास्त्र में कैसे लग जाये, यही फ़िक्क है। थोड़े ही समय में एकदम व्यायाम करने की जो पद्धति है उससे न्यायु (मरन्त) बनते हैं, नसे (नर्न) नहीं बनती। और अमर्खेल जिस प्रकार पेड़ को दा जाती है वैने ही न्यायु आरोग्य को खा जाते हैं। नसे आगोग्य को बढ़ाती है। भीरे-धीरे और सतत जो व्यायाम मिलता है उससे नसें बनती हैं और पचनेन्द्रिय भजबूत होती है। चौंचोस घटे हम लगातार हवा लेते हैं; लेकिन अगर हम यह सोचने लगे कि दिनभर हवा लेने की गह तकरीब बयों उठाएं,

दो घटे में ही दिनभर की पूरी हवा मिल जाय तो अच्छा हो, तो कहना पड़ेगा कि हमारी स्वस्थति आखिरों दर्जे तक पहुँच गयी है। हमारा दिमाग इसी तरह से चलता है। पढ़ते-पढ़ते और बिगड़ जाती है तो हम ऐनक लगा लेते हैं। लेकिन औरखे न बिगड़े इसका कोई तरीका नहीं निकालते।

हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, भेदभाव बढ़ गया है और हमपर बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ है—इस सबका कारण यही है कि हमने परिश्रम छोड़ दिया है।

यह तो हुआ जीवन की दृष्टि से। अब शिक्षण की दृष्टि से परिश्रम का विचार करना है।

शरीर और मन का सम्बन्ध

हमने शिक्षण की जो नयी प्रणाली बनायी है उसका आधार उद्योग है, क्योंकि हम मानते हैं कि शरीर के साथ मन का निकट सम्बन्ध है। आजकल मनोविज्ञान (मानसशास्त्र) का अध्ययन करनेवाले हमें बहुत दिखाई देते हैं। पर बेचारों को खुद अपना काम-क्रोध जीतने का तरीका मालूम नहीं होता। मन के बारे में इधर-उधर की किताबें पढ़-पढ़कर दो-चार बातें कर सकते हैं। चौदह साल के बाद मनुष्य के मन में एकाएक परिवर्तन होता है इसलिए सोलह सालतक लड़कों की पढ़ाई होनी चाहिए, यह सिद्धान्त एक मानसशास्त्री ने मुझे सुनाया। सुनकर मुझे बड़ा आश्रय हुआ। मैंने कहा, “क्या मन में परिवर्तन होने का भी कोई पर्याप्त होता है? हम देखते हैं कि शरीर धीरे-धीरे बढ़ता है। किमी एक दिन एक-दम दो फुट ऊँचा हो गया हो, ऐसा नहीं होता। तो फिर मन में ही एकदम परिवर्तन कैसे हो सकता है?” बाद में मैंने उनको समझाया कि हड्डियों चौदह साल के बाद ज़्या तेज़ी से बढ़ती है और मन का शरीर के साथ सम्बन्ध होने से दिमाग भी उसी हिसाब से तेज़ी से विकसित होता है। शरीर और मन दोनों एक ही प्रकृति में, एक ही कोटि में आते हैं।

कार्लाइल का उदाहरण

कार्लाइल एक भारी तत्त्वज्ञेता और विचारक था। उसके ग्रन्थ पढ़ते-पढ़ते कई जगह कुछ ऐसे विचार आ जाते थे जो मेरे विचारों से मेल नहीं खाते थे। शंकराचार्य का जैसा सीधा, सरल विचार-प्रवाह मालूम होता है वैसा उसके लेखों में नहीं दीखता। उसका चरित्र बाद में मुझे पढ़ने को मिला। उससे मुझे मालूम हुआ कि कार्लाइल को सिर के दर्द की वीमारी थी। तब मुझे उसके लेखन-दोष का कारण मिल गया। मैंने सोचा कि जिस समय उसका सिर दर्द करता होगा उस समय का उसका लेखन कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होता होगा। योगशाल में तो मनःशुद्धि के लिए प्रथम शरीर-शुद्धि बतलायी गयी है। हमारे शिक्षण-शास्त्र का भी आधार वही है। शरीर-शुद्धि के साथ मनोशुद्धि होती है। लड़कों की मनोशुद्धि करनी है, उनको शिक्षा देनी है, तो शारीरिक श्रम करके उनकी भूख जाग्रत करनी चाहिए।

भूख भगवान् का सन्देश है

परिश्रम से उनकी भूख बढ़ेगी। जिसको दिनभर में तीन बार अच्छी भूख लगती है उसे अधिक धार्मिक समझना चाहिए। भूख लगना जिन्दा मनुष्य का धर्म है। जिसे दिनभर में एक ही दफ़ा भूख लगती है, संभवतः उसका जीवन अनीतिमय होगा। भूख तो भगवान् का सन्देश है। भूख न होती तो हुनिया विल्कुल अनीतिमान् और धार्मिक बन जाती। पिर नैतिक प्रेरणा ही हमारे अन्दर न होती। किसीको भी भूख प्यास अगर न लगती तो हमें अतिथि-सत्कार का मौजा कैसे मिलता? सामने यह सम्भा खड़ा है। इसका हम क्या सत्कार करेंगे? इसको न भूख है, न प्यास। हमें भूख लगती है, इसलिए हमारे पास धर्म है।

शिक्षक भी परिश्रम करे

लड़कों ने परिश्रम लेना है तो शिक्षक को भी उनके माथ परिश्रम करना चाहिए। क्षुस में शाहू लगाना होता है, लेकिन इसके

लिए या तो नौकर रखे जाते हैं या लड़के ज्ञाहू लगाते हैं। शिक्षक को हम कभी ज्ञाहू लगाते नहीं देखते। विद्यार्थी क्लास में पहले आ गये तो वे ज्ञाहू लगा ले, कभी शिक्षक पहले आ गया तो वह लगा ले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ज्ञाहू लगाने के काम को हमने नीचा मान लिया है। फिर शिक्षक भला वह कैसे करे? हम लड़कों को ज्ञाहू लगाने का भी काम देंगे तो शिक्षण की दृष्टि से देंगे। और शिक्षण की दृष्टि से जो परिश्रम लड़कों से कराना है वह शिक्षक को पहले सीख लेना चाहिए और लड़कों के साथ करना चाहिए। मैंने एक ज्ञाहू तैयार की है। एक रोज़ दो-तीन लड़कियाँ वहाँ आयी थीं। तब उनको मैंने वह दिखायी और उसमें कितनी बातें भरी हैं यह समझाया। समझाने के बाद जितनी बातें मैंने कहीं वे सब एक-दो-तीन करके उनसे दोहरवा लीं। लेकिन यह मैं तभी कर सका जब ज्ञाहू लगाने का काम मैं खुद कर चुका था। इस तरह हरएक चीज शिक्षण की दृष्टि से लड़कों को सिखानी चाहिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, “गाधीजी ने पीसना, कातना, जूते बनाना बगैरह काम खुद करके परिश्रम की प्रतिष्ठा बढ़ा दी।” मैंने कहा, “मैं ऐसा नहीं मानता। परिश्रम की प्रतिष्ठा किसी महात्मा ने नहीं बढ़ायी। परिश्रम की निज की ही प्रतिष्ठा इतनी है कि उसने महात्मा को प्रतिष्ठा दी।” आज हिन्दुस्तान में गोपाल कृष्ण की जो इतनी प्रतिष्ठा है वह उनके गोपालन ने उन्हे दी है। उद्योग हमारा गुरुदेव है।

सृष्टि ही पाठशाला है

दुनिया की हरएक चीज हमको शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप मे धूम रहा था। चारों तरफ बड़े-बड़े हरे वृक्ष दिखाई देते थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं? वे वृक्ष मेरे गुरु बन गये। मेरी समझ मे आगaya कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे-भरे दीखते हैं उनकी जड़ें जमीन मे गहरी पहुँची हैं और

वहों से उन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अन्दर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से वह सुन्दर हरा रंग उन्टे मिला है। इसी तरह हमें अन्दर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों के जैसे हरे-भरे हो जायें। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ़ मालूम होती है। ऐसे लोगों के लिए भगवान् का यह शाप है कि उनको आरोग्य और ज्ञान कभी मिलने दी वाला नहीं।

किताबें बुद्धि का कैदखाना हैं

किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है यह खयाल गलत है। पढ़ते-पढ़ते बुद्धि ऐसी होजाती है कि जिस समय जो पढ़ते हैं वही ठीक लगता है। एक भाई मुझसे कहते थे, “मैंने समाजवाद की किताब पढ़ी तो वे विचार ठीक जान पड़े। बाद मे गांधी-सिद्धान्त की पुस्तक पढ़ी तो वे भी ठीक लगे।” मैंने विनोद में उनसे कहा, “पहली किताब दो बजे पढ़ी होगी और दूसरी चार बजे। दो बजे के लिए पहली ठीक थी और चार बजे के लिए दूसरी।” मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत पढ़ने से हमारा दिमाग़ स्वतन्त्र विचार ही नहीं कर सकता। हुद विचार करने की शक्ति उस होजाती है। मेरा कुछ ऐसी राय है कि जबसे किताबें निकलीं तब से स्वतन्त्र विचार-पद्धति नष्ट होगयी है। युरान शरीक में एक सवाद आया है कि मुहम्मद सादव से कुछ विद्वान् लोगों ने पूछा, “तुम्हारे पढ़ले जितने पैग़म्बर आये उन सबने चमत्कार करके दिखाये। तुम तो कोई चमत्कार ही नहीं दिखाते, तो फिर पैग़म्बर कैसे बन गये?” उन्होंने जवाब दिया, “आप कौन सा चमत्कार चाहते हैं? एक दीज योग्या जाता है, उसमें ने बड़ा-सा वृन्ध पैदा होता है, उसमें फूल लगते हैं और उनमें से फल पैदा होते हैं। वह क्या चमत्कार नहीं है?” यह तो एक जवाब ही गगा। दूसरा जवाब उन्होंने यह दिया कि, “मुझ जैसा अनपढ़ जादमी मी आप लोगों को नान

दे सकता है, यह क्या काम चमत्कार है ? आप और कौन-सा चमत्कार चाहते हैं ?” हमारे सामने की सुष्टि ज्ञान से भरी है। हम उसकी तह तक नहीं पहुँचते, इसलिए उसमें जो आनन्द भरा है वह हमें नहीं मिलता।

उद्योग—ज्ञान और प्रेम का साधन

रोटी बनाने का काम माता करती है। माता का हम गौरव करते हैं। लेकिन माता का असली माता-पन उस रसोई में ही है। अच्छी-से-अच्छी रसोई बनाना, बच्चों को प्रेम से खिलाना—इसमें कितना ज्ञान और प्रेम-भावना भरी है ! रसोई का काम अगर माता के हाथों से ले लिया जाय तो उसका प्रेम-साधन ही चला जायगा। प्रेम-भाव प्रकट करने का यह मौका कोई माता छोड़ने के लिए तैयार न होगी। उसीके सहारे तो वह ज़िन्दा रहती है। मेरे कहने का मतलब कोई यह न समझे कि किसी-न-किसी बहाने मैं ज़ियों पर रोटी पकाने का बोझ लादना चाहता हूँ। मैं तो उनका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। इसीलिए हमने आश्रम में रसोई का काम मुख्यतः पुरुषों से ही कराया है। मेरा मतलब इतना ही था कि जैसे रसोई का काम माता छोड़ देगी तो उसका ज्ञान-साधन और प्रेम-साधन चला जायगा, वैसे ही हम अगर परिश्रम से घृणा करेगे तो ज्ञान-साधन ही खो वैठेगे।

बालकों से मज़दूरी

लोग मुझसे कहते हैं, “तुम लड़कों से मज़दूरी कराना चाहते हो। उनके दिन तो गुलाब के फूल जैसे खिलने और खेलने-कूदने के हैं।” मैं कहता हूँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन वह गुलाब का फूल किस तरह खिलता है, यह भी तो जरा देखो। वह पूर्णरूप से स्वावलम्बी है। जमीन से सब सच्च चूस लेता है। खुली हवा में अकेला खड़ा होकर धूप, वारिश, बादल सब सहन करता है। बच्चों को भी वैसा ही रख्खो। मैं यह पसन्द करता हूँ। उनसे पूछकर ही देखो कि फूल को पानी देने में, चन्द्रकला को घटती-बढ़ती देखने में आनन्द आता है, या किताबों में और व्याकरण

के नियम घोखते रहने में ? सुर्गाँव (वर्धी) का एक उदाहरण मुझे मालूम है। वहाँ एक प्राथमिक पाठशाला है। करीब ७ से ११ साल तक के लड़के उसमें पढ़ते हैं। गाँववालों की राय है कि वहाँ का शिक्षक अच्छा पढ़ाता है। परीक्षा को एक या दो महीने बाकी थे, तब उसने सुवह ७ से १०॥ तक और दोपहर में २ से ५॥ तक, और रात को फिर ७ से ९ बजे तक—यानी कुल ९ घटे पढ़ाना शुरू किया। न मालूम इतने घटे वह क्या पढ़ाता होगा और विद्यार्थी भी क्या पढ़ते होंगे ! अगर लड़के पास हो गये तो हम समझते हैं कि शिक्षक ने ठीक पढ़ाया है। इस तरह ९-९ घटे लड़कों से पढाई करनेवाला शिक्षक लोक-प्रिय हो सकता है। लेकिन मैं तीन घंटे कातने की बात कहूँ तो कहते हैं, “यह लड़कों को हैरान करना चाहता है।” ठीक ही है। जहाँ बड़े काम से बचने की फ़िक्र में हैं वहाँ लड़कों को काम देने की बात भला कौन सोचे ?

उत्पादन का आग्रह क्यों ?

फिर लोग यह पूछते हैं कि “उद्योग इष्ट है, यह तो मान लिया। लेकिन उससे इतना उत्पादन होना ही चाहिए, यह आग्रह क्यों ?” मेरा जवाब यह है कि “लड़कों को तो जब कोई चीज बनती है तभी आनन्द आता है। बेचारे मेहनत भी करें और उससे कुछ पैदा न हो, तो क्या इसमें उन्हें आनन्द आ सकता है ? किसी से अगर कहा जाय कि ‘चर्फी तो पीसो, लेकिन उसमें गेहूँ न जलो और आटा भी तैयार न रहो दो’, तो वह पूछेगा, ‘फिर यह नाहर क्यों शुमाने का मतलब ?’ तो क्या इस यह कहेंगे कि ‘भुजाएँ और छाती मज़बूत बनाने के लिए ?’ ऐसे उद्योग में क्या कुछ आनन्द आ सकता है ? वह तो बेकार की मेहनत यो जायगा। अतः उत्पादन में ही आनन्द है !”

इसलिए सुख्ख्य दृष्टि यह है कि शरीर श्रम की महिमा को हरा समझें।

प्राइमरी स्कूलों में हम उद्योग के आधार पर शिक्षण न देगे तो शिक्षा को अनिवार्य न कर सकेगे ।

देहाती खुश होंगे

आज गॉववाले कहते हैं कि “लड़का स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसमें काम के प्रति धृष्णा पैदा हो जाती है और हमारे लिए वह निकम्मा हो जाता है । फिर उसे स्कूल क्यों भेजे ?” लेकिन हमारी पाठशालाओं में अगर उद्योग शुरू हो गया तो मॉ-बाप खशी से अपने लड़के को स्कूल भेजेंगे । लड़का क्या पढ़ता है, यह भी देखने आयेंगे । आज तो लड़के की क्या पढ़ाई हो रही है, यह देखने के लिए भी मॉ-बाप नहीं आते । उनको उसमें रस ही नहीं मिलता । उद्योग के पढ़ाई में दाखिल होजाने के बाद इसमें फूँक पड़ेगा । गॉववालों के पास काफी ज्ञान है । हमारा शिक्षक सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता । वह गॉववालों के पास जायगा और अपनी कठिनाइयों उनको बतायेगा । स्कूल के बगीचे में अच्छे पपीते नहीं लगते तो वह उसका कारण गॉववालों से पूछेगा । फिर वे बतायेंगे कि इस-इस किस्म की खाद डालो, खाद खराब होने से पपीते में कीड़े लग जाते हैं । हम समझते हैं कि हम कृषि-कालेज में पढ़े हुए हैं, इसलिए हमारे ही पास ज्ञान है । लेकिन हमारा ज्ञान किताबी होता है । हम उसे व्यवहार में नहीं लाते । जबतक हम प्रत्यक्ष उद्योग नहीं करते तबतक उसमें प्रगति और वृद्धि नहीं होती । अगर हम गॉववालों का सहयोग चाहते हैं, उनके ज्ञान से अगर हमें लाभ उठाना है, तो स्कूलों में उद्योग शुरू करना चाहिए । हमारे और उनके सहयोग से उस ज्ञान में सुधार भी होगा ।

यह सब तब होगा जब हमारे शिक्षकों में प्रेम, आनन्द और श्रम के प्रति आदर उत्पन्न होगा । हमारी नयी शिक्षा-प्रणाली इसी आधार पर बनायी गयी है ।

ब्रह्मचर्य की कल्पना

यों तो हर धर्म में मनुष्य-समाज के लिए कल्याणकारी बातें पायी जाती हैं। इस्लाम धर्म में ईश्वर-भजन है। 'इस्लाम' शब्द का अर्थ ही 'भगवान् का भजन' है। अहिंसा भी ईसाई धर्म में पायी जाती है। हिन्दू ऋषि-मुनियों ने परीक्षा करके जो तत्त्व निकाले हैं वे भी दूसरे धर्मों में पाये जाते हैं। लेकिन हिन्दूधर्म ने विशिष्ट आचार के लिए एक ऐसा शब्द बनाया है जो दूसरे धर्मों में नहीं देखा पड़ता। वह है 'ब्रह्मचर्य'। ब्रह्मचर्याश्रम की व्यवस्था हिन्दू-धर्म की विशेषता है। अंग्रेजी में ब्रह्मचर्य के लिए शब्द ही नहीं है। लेकिन उस भाषा में शब्द नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि उन लोगों में कोई संयमी हुआ ही नहीं। ईसामगीह खुद ब्रह्मचारी थे। वैसे अच्छे-अच्छे लोग संयमी जीवन विताते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्याश्रम की वह कल्पना उन धर्मों में नहीं है जो हिन्दू-धर्म में पायी जाती है। ब्रह्मचर्याश्रम का हेतु यह है कि मनुष्य के जीवन को आरम्भ में अच्छी खाद मिले। जैसे वृक्ष को जब वह छोटा होता है तब खाद की अधिक आवश्यकता रहती है; बटा हो जाने के बाद खाद देने से जितना लाभ है, जब वह छोटा होता है तब खाद देने से उसमें अधिक लाभ होता है। यही मनुष्य-जीवन का शाल है। यह खाद अगर अत तक मिलती रहे तो अच्छा ही है, लेकिन कम-से-कम जीवन के आरम्भ-काल में तो वह बहुत आवश्यक है। इस वर्षों को दूष देते हैं। उसे वह अत तक मिलता रहे तो अच्छा ही है, नेकिन अगर नहीं

मिलता तो कम-से-कम बचपन में तो मिलना ही चाहिए। शरीर की तरह आत्मा और बुद्धि को भी जीवन के आरम्भ-काल में अच्छी खूराक मिलनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्याश्रम की कल्पना है। न्राषि लोग जिस चीज़ का स्वाद जीवनभर लेते थे उसका थोड़ा-सा अनुभव अपने बच्चों को भी मिले, इस दयादृष्टि से उन्होंने ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना की। लेकिन आज मैं उस आश्रम के विषय में नहीं बोलूँगा। शास्त्र का आधार भी मुझे नहीं लेना है। अनुभव से बाहर के शब्दों का मुझे व्यसन नहीं।

अनुभव से मैं इस निर्णय पर आया हूँ कि आजीवन पवित्र जीवन विताने की दृष्टि से कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो ब्रह्मचर्य की अभावात्मक विधि उसके लिए उपयोगी नहीं होती। ‘दाउ शैल्ट नॉट स्टोल’ आज मेरे काम नहीं आयेगा। ‘सत्य वद’ इस तरह की ‘पोंजिटिव’ यानी भावात्मक आज्ञा ब्रह्मचर्य के काम में आती है। विषय-वासना मत रखें, यह ब्रह्मचर्य का ‘नेगेटिव’ याने अभावात्मक रूप हुआ। सब इदियो की शक्ति आत्मा की सेवा में खँचँ करो, यह उसका भावात्मक रूप है। ‘ब्रह्म’ यानी कोई वृहत् कल्पना। अगर मैं चाहता हूँ कि इस छोटी-सी देह के सहारे दुनिया की सेवा करूँ, उसके ही काम में अपनी सब शक्ति खँचँ करूँ, तो यह एक विशाल कल्पना हुई। विशाल कल्पना रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन आसान हो जाता है। ब्रह्म शब्द से डरिए नहीं। मान लीजिए, एक आदमी अपने बच्चे की सेवा करता है और मानता है कि यह बच्चा परमात्म-स्वरूप है, इसकी सेवा में मैं सब कुछ अर्पण कर दूँगा, और तुलसीदासजी जैसे रघुनाथजी को ‘जागिए रघुनाथ कँवर’ कहकर जगाते थे वैसे ही उस लड़के को जगाता है, तो उस लड़के की भक्ति से भी वह आदमी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। मेरे एक मित्र थे। उन्हें बीड़ी पीने की आदत थी। सौभाग्य से उनके एक

लड़का हुआ। तब उनके मनसे विचार आया कि मुझे बीड़ी का व्यसन लगा है, इससे मेरा जो विगड़ा सो विगड़ा, लेकिन अब मेरा लड़का तो उससे बच जाय। मेरा उदाहरण लड़के के लिए ठीक न होगा। उदाहरण उपस्थित करने के लिए तो मुझे बीड़ी छोड़ ही देनी चाहिए। और तबसे उनकी बीड़ी छूट गयी। यही कल्पना थोड़ी-सी आगे बढ़ कर देश-सेवा की कल्पना उनके मन में आती तो वे संपूर्ण ब्रह्माचर्य का आसानी से पालन कर सकते। देश की सेवा कोई ब्रह्मभाव से करता है तो वह ब्रह्मचारी है। उसे उसमें कष्ट ज़ख्म उठाने पड़ेगे। लेकिन वे सब कष्ट उसे बहुत कम मालूम होगे। माता अपने बच्चे की सेवा रात-दिन करती है। जब उसके पास कोई सेवा की रिपोर्ट मौगले जायगा तो वह क्या रिपोर्ट देगी? आर्यसमाज के सेक्रेटरी से कोई रिपोर्ट मौगले तो सौ पत्रों की लम्ही रिपोर्ट दे देगे। लेकिन माता इतनी सेवा करती है कि उसकी वह रिपोर्ट ही नहीं दे सकती। वह अपनी रिपोर्ट इस वाक्य में दे देगी कि “मैंने तो लड़के की कुछ भी सेवा नहीं की।” भला, माता की रिपोर्ट इतनी छोटी क्यों? इसका कारण है। माता के दृढ़दय में बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसके मुकाबिले मैं उसकी कुछ भी सेवा नहीं हुई है, ऐसा उमेर लगता है। सेवा करने में उसे कष्ट कुछ कम नहीं सहने पड़े हैं; लेकिन वे कष्ट उसे कष्ट मालूम नहीं हुए। इसलिए हम अपने सामने कोई वृद्धत् कर्त्पना रखनेंगे तो मालूम होगा कि अभीतक तो हमने कुछ भी नहीं किया। इटियो का निश्चय करना, यही एक वाक्य हमारे सामने हो तो हम गिनती करने लग जायेंगे कि इतने दिन हुए और अभीतक कुछ फल नहीं डिलाई देता। लेकिन किसी वृद्धत् कर्त्पना के लिए हम उटिय-निश्चय करते हैं तो ‘यह हम करते हैं’, ऐसा ‘कर्तव्य प्रयोग’ नहीं रहता। ‘निश्चय किया जाता है’ ऐसा ‘कर्मणि प्रयोग’ हो जाता है, या यों कहिए कि निश्चय ही हमें करना है। भीमपितामह के रामने एक कल्पना आ गयी कि पिता के

संतोष के लिए मुझे सयम करना है। बस, पिता का संतोष ही उनका ब्रह्म हो गया, और उससे वह आदर्श ब्रह्मचारी बन गये। ऐसे ब्रह्मचारी पाश्चात्यों में भी हुए हैं। एक सायंटिस्ट की बात कहते हैं कि वह रात-दिन प्रयोग में मग्न रहता था। उसकी एक बहिन थी। भाई प्रयोग में लगा रहता है और उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, यह देखकर वह ब्रह्मचारिणी_रहकर भाई के ही पास रही और उसकी सेवा करती रही। उस बहिन के लिए 'बधु-सेवा' ही ब्रह्म की सेवा हो गयी। देह के बाहर जाकर कोई भी कल्पना द्वैषिण। अगर किसी ने हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को भोजन देने की कल्पना अपने सामने रखी तो इसके लिए वह अपनी देह समर्पण करदेगा। वह मानलेगा कि मेरा कुछ मी नहीं है, जो कुछ है वह सब गरीब जनता का है। 'जनता की सेवा' उसका ब्रह्म होगयी। उसके लिए जो आचार वह करेगा वही ब्रह्मचर्य है। हरएक काम में उसे गरीबों का ध्यान रहेगा। वह दूध पीता होगा तो उसे पीते वक्त उसके मन में विचार आजायगा कि मैं तो निर्वल हूँ इसलिए मुझे दूध पीना पड़ता है, पर गरीबों को दूध कहाँ मिलता है? लेकिन मुझे उनकी सेवा करनी है, यह सोचकर वह दूध पियेगा। मगर इसके बाद फौरन ही वह गरीबों की सेवा करने के लिए दौड़ जायगा। बस, यही ब्रह्मचर्य है। अध्ययन करने में अगर हम मग्न होजायें तो उस दशा में विषय-वासना कहाँ से रहेगी? मेरी माता काम करते-करते भजन गाया करती थी। रसोई में कभी-कभी नमक भूल से दुबारा पड़जाता था। लेकिन चितन में मैं इतना मग्न रहता था कि मुझे इसका पता ही न चलता था। वेदाध्ययन करते समय मैंने अनुभव किया है कि देह मानो है ही नहीं, कोई लाश पड़ी है, ऐसी भावना उस समय हो जाती थी। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि 'वच्पन से वेदाध्ययन करो'। मैंने अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य रखा। उसके बाद देश की सेवा करता रहा। वहाँ भी

इत्तिय-निग्रह की आवश्यकता थी। लेकिन वचपन में इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास हो गया था, इसलिए बाद में मुझे वह कठिन नहीं मालूम हुआ। मैं यह नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य आसान चीज़ है। हाँ, विशाल कल्पना मन में रखेंगे तो आसान है। जैना आदर्श सामने रखना और उसके लिए सबसी जीवन का आचरण, इसको मैं ब्रह्मचर्य कहता हूँ।

यह हुई एक बात। अब एक दूसरी बात और है। किसी एक विषय का सबसे और बाकी के विपर्यो का भोग, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। कल मैंने देवशर्माजी की 'तरगित हृदय' नाम की पुस्तक देखी। उसमे 'जरा-सा' के विपर्य पर कुछ लिखा था। पुस्तक मुझे अच्छी लगी। 'हतना थोड़ा-सा करने क्या होता है', ऐसा मत सोचो। बोलने में, रहन-सहन में, हरएक बात में संयम की आवश्यकता है। मिट्टी के बर्तन में छोटा-सा छिद्र हो तो उसमे क्या हम पानी भरेंगे? एक भी छिद्र घड़े में है तो वह पानी भरने के लिए बेकार ही है। ठीक उसी तरह जीवन का हाल है। जीवन में एक भी छिद्र नहीं रखना चाहिए। चाहे जैसा जीवन विताते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यह मिथ्या आकाश है। बातचीत, भोजन, स्वाध्याय वगैरह सभी बातों में संयम रखना चाहिए।

: ८ :

स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का अर्थ

ज्ञान के अन्न की कमी

अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे कार्यकर्त्ताओं को ज्ञान की खूराक जितनी पहुँचानी चाहिए उतनी पहुँचाने की व्यवस्था हम नहीं करते। राष्ट्र की विशालता और प्रश्नों की जटिलता के लिहाज से हमारे पास कार्यकर्त्ता बहुत कम है और उन कार्यकर्त्ताओं के पास ज्ञान की पूँजी इससे भी कम है। हमें बहुत-से कार्यकर्त्ताओं की जरूरत है। लेकिन हम सिर्फ बड़ी सख्त नहीं चाहते। अगर हमारे पास कर्तव्यदक्ष, चरित्रवान् और अपने कार्य की भूमिका भलीभौति समझनेवाले ज्ञानवान् कार्यकर्त्ता थोड़े भी हो तो भी काम बहुत होगा।

आज से ठीक एक महीने बाद, २६ जनवरी को, हमें स्वतंत्र्य की प्रतिज्ञा करनी है। आजतक की हुई प्रतिज्ञा अधिक सष्टु भाषा में दुहरानी है। करीब दश वर्ष से हर साल हम उसे दुहराते हैं। इतनी बड़ी पुनरावृत्ति का क्या प्रयोजन है, यह आप लोगों को समझाने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ।

आचिरत युद्ध

हम कहते हैं कि अब स्वराज्य की लड़ाई नजदीक आ रही है, लेकिन यह ग़लत है। “लड़ाई करीब है” कहने का मतलब यह होता है कि आज लड़ाई जारी नहीं है। यह बात सही नहीं है। हमारी लड़ाई तो निरन्तर जारी ही है और जारी रहनी चाहिए। हमारी लड़ाई का रूप एक

नदी के तमान है। वह निरन्तर बहती ही रहती है। पिर भी, उनके प्रवाह में ग्रामियों में और वरसात में फ़र्क होता है। जाड़ों में हम नदी का असली रूप देख पाते हैं, किन्तु वह बहती तो अखण्ड रहती है। उसी प्रकार हमारी लड़ाई भिन्न-भिन्न रूप लेती हुई भी नित्य जारी है। हम कार्यकर्त्ताओं की यह धारणा होनी चाहिए कि हम तो हमेशा लड़ाई में ही लगे हुए हैं।

जो यह मानते हैं कि अवश्यक हम नहीं लड़ रहे थे और अब लड़ने-वाले हैं उनके सामने यह सवाल पेश होता है कि अब लड़ाई के लिए क्या तैयारी करें? वे सोचते हैं कि अब लेल में जाना पड़ेगा, इसलिए अपनी आदते बदलनी चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारी लड़ाई हमेशा जारी है। हम लड़ाई की आदते डाल चुके हैं। अब उन आदतों के बदलने का क्या मतलब है? अब क्या 'विना-लड़ाई-की' आदते डालनी होगी? हमें निरन्तर यही भाव जाग्रत रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई हमेशा जारी है।

केवल सौखिक पुनरुच्चार व्यर्थ है

इस साल स्वातंत्र्य की प्रतिशा में कुछ नयी बातें जोड़ दी गयी हैं और उन बातों के साथ उस प्रतिशा का पुनरुच्चार करने के लिए कहा गया है। लेकिन जहाँ श्रद्धा न हो वहाँ निरी दुष्टीनी से क्या होगा? मुझे एक कहानी याद आती है। एक था साधु। उसने अपने चेले से कहा कि "रामनाम जपने से मनुष्य हर एक संकट से पार हो सकता है।" उसके बाक्यमें शिष्य को श्रद्धा तो थी लेकिन उसे इसका पूरा-पूरा विश्वास नहीं था कि रामनाम चाहे जिस संकट से उसे तार देगा। ऐह बार उसे नदी पार करनी थी। वह बेचारा अर्थद्वालु रामनाम रटने कुप नदी पार करने लगा। जैसे-जैसे गतेतक पानी में गया और घहाँ से गोते खाता हुआ वही सुधिकल से बापस आया। गुरु से कहने लगा "लगातार नाम-

स्मरण किया, लेकिन पानी कम नहीं हुआ। सब अकारथ गया।” गुरु बोला, “‘अनेक बार नामस्मरण किया इसीलिए अकारथ गया। अगर नामस्मरण मेरे तुझे श्रद्धा थी तो एक बार किया हुआ नामस्मरण तुझे काफ़ी क्यों नहीं लगा? श्रद्धा कम थी इसीलिए तूने बार-बार नामस्मरण किया और इसीलिए गौते खाये।” स्वातन्त्र्य की प्रतिज्ञा एकबार मनोयोग-पूर्वक करनेवाला सचमुच निश्चयी है, यह हम मान सकते हैं। लेकिन अगर वह हर साल प्रतिज्ञा करने लगे—इस साल नम्बर एक की प्रतिज्ञा, अगले साल नम्बर दो की प्रतिज्ञा, तीसरे साल नम्बर तीन की प्रतिज्ञा, इस तरह प्रतिज्ञाएँ करने लगे—तो यह शक होने लगेगा कि इसकी प्रतिज्ञा का कोई अर्थ भी है या नहीं? केवल मौखिक पुनरुच्चार से प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं होती।

स्वावलम्बी और परावलम्बी फ़ाक़ाकशी

लेकिन इस साल की प्रतिज्ञा महज़ दुहराने के लिए नहीं है। उसमें महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। हमारी गुलामी के अनेक कारण हैं। अग्रेज़ी राज्य पर हम कई आक्षेप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आक्षेप तो यह है कि अग्रेज़ी राज्य की वदौलत हमें फ़ाक़ाकशी की देन मिली। आप अगर लोगों से पूछिए कि “आपकी स्वराज्य की परिभाषा क्या है”; तो वे इस प्रकार जवाब देंगे, “आप कहते हैं कि आठ प्रान्तों में कांग्रेस का राज स्थापित होगया। कॉंग्रेस का उस तरह का राज अगर न्यारह-के-न्यारहो प्रान्तों में होजाये, और अवृतक जो अधिकार नहीं मिले थे वे भी सब मिलजायें। मगर हमारी फ़ाक़ाकशी ज्यों-की-त्यों बनी रहे, तो हम तो यही कहेंगे कि यह स्वराज्य नहीं है। यही हमारी परिभाषा है।” परावलम्बन की जगह स्वावलम्बन प्राप्त होजाय, मगर भूखो मरना बना ही रहे, तो केवल भारत की ही जनता नहीं, विक्त भारत की जनता की जैसी शोचनीय दशा में रहनेवाली ससार के किसी भी देश की जनता कहेगी कि, हम यह स्वावलम्बी फ़ाक़ाकशी नहीं चाहते। न हम स्वाव-

लम्बी उपवास के कायल हैं, न परावलम्बी उपवास के। हम तो भूखों मरना ही नहीं चाहते। हमें फ़ाकाकशी ही नहीं चाहिए, पिर उसका विशेषण कुछ भी क्यों न हो।

कुछ वक्ता जोश में आकर कह देते हैं कि “गुलामी में चाहे जितना खाने को मिले, तो भी हमें गुलामी नहीं चाहिए, स्वतन्त्रता चाहिए। पिर, स्वतन्त्रता में हमारी चाहे जितनी बुरी हालत हो, भूखों भी क्यों न मरना पड़े।” लेकिन उन्हीं वक्ताओं से अगर आप यह पूछें कि “अगर स्वराज्य में रेलगाड़ियों न हों तो ?” तब वे कहने लगते हैं कि “ऐसा स्वराज्य किस काम का ?” उनसे पूछिए कि “रेलगाड़ीवाली गुलामी की अपेक्षा विना-रेलगाड़ीवाली स्वतन्त्रता क्या अच्छी नहीं है ?” लेकिन वात उनके गले नहीं उतरेगी। “स्वराज्य की कमी सुराज्य से पूरी नहीं हो सकती”, यह कहनेवाले विना-रेलवाले स्वराज्य की कल्पना से भी घबराते हैं। तब बतलाइए कि अगर भूखों मरने की कल्पना से साधारण आदमी घबराने लगे तो क्या आश्र्य ?

स्वराज्य रोटी का सवाल है

यहाँ मुझे कोंकण की कातकरी नामक जाति के एक रिवाज की याद आती है। कातकरी अपनी जाति के मरे हुए आदमी से कहता है, “ऐस, अगले जनम में बामण बनेगा तो रट-रटकर मरेगा; अमुक बनेगा तो अमुक काम कर-करके मरेगा, लेकिन अगर कातकरी बनेगा तो वन का शजा बनेगा।” वह गाँव की संस्कारवान परतन्त्रता नहीं चाहता; उसे जगल की संस्कार-हीन स्वतन्त्रता ही प्रिय है। शहरी और बनौले चूहों की कठानी मशहूर है। बनौला नूहा कहने लगा कि “मुझे न शहर की यह धान चाहिए और न यह पराधीनता।” अगर जनता की भी यही हालत होती तो हमें सर्वत्र स्वतन्त्रता ही दिखाई देती। स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा तो टेढ़ वेद-काल से चली आयी है—

‘व्यचिष्टे बहुपार्ये यतेमहि स्वराज्ये’

इस वेद-वचन मे स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा व्यक्त की गयी है। ‘व्यचिष्ट’ का अर्थ है अत्यन्त व्यापक, जिसमे सबको मत-दान का अधिकार हो; और ‘बहुपार्य’ से मतलब है—जिसकी बहुसख्या अल्पसख्या की रक्षा के लिए सावधान है, ऐसे स्वराज्य के लिए हम कोशिश कर रहे हैं—यह उस प्रतिज्ञा का अर्थ है। मतलब यह कि उस अत्रि ऋषि के जमाने से पंडित जवाहरलाल के इस जमाने तक वही स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा विद्यमान है। वेद की प्रतिज्ञा जैसी आप चाहते हैं ठीक वैसी ही है। उसमें भी बहुवचन का प्रयोग है।

सारांश यह कि हम अपने जोशीले व्याख्यानों या कविताओं मे स्वराज्य की जो व्याख्या करते हैं वह आम जनता के गले नहीं उतरी है। जिसमे अन्न-जल का इन्तज़ाम न हो वैसा स्वराज्य जनता नहीं चाहती। उसे नैमित्तिक उपवासो का अभ्यास है। एकादशी, शिवरात्रि के दिन वह प्रत रखती है। लेकिन रोज का भूखो मरना वह सहन नहीं कर सकती। आप इसे हमारा पशुत्व भले ही कह लीजिए, लेकिन इस मानवीय पशु को पेटभर अन्न चाहिए। समाजवादियों और साम्यवादियों के कथन में यही तथ्याश (सत्य) है। हमारी भी मुख्य पुकार यही है। हम फ़ाकाकशी नहीं चाहते। हमे भरपेट अन्न चाहिए। चाहे आप इसे हमारा अधिकार कहे, कर्तव्य कहे, या और किसी नाम से पुकारें। भरपेट खाने की स्वतन्त्रता हमे चाहिए।

हिन्दुस्तान मे इस प्रकार की स्वतन्त्रता स्थापित हो, यह हमारा प्रधान विचार है। मैं स्वराज्य के विषय मे विचार क्यों करता हूँ? इसलिए कि हिन्दुस्तान मे स्वराज्य के बारे में विचार न करना महापाप है। स्वराज्य का सवाल फ़ाकाकशी से मुक्त होने का सवाल है। जैसा कि तिलक महाराज कहते थे, वह ‘दाल-रोटी का सवाल’ है।

वर्तमान यूरोप—अहिंसा का पदार्थ पाठ

कोई-कोई पूछते हैं कि अहिंसा से स्वराज्य कैसे मिलेगा ? इसकी चर्चा अगर हम आज शुरू करें तो वह स्वराज्य-प्राप्ति तक लंबम नहीं होगी। इसलिए मैं इस फेर में नहीं पढ़ता। वर्तमान यूरोप का चिन्ह अहिंसा का पदार्थ-पाठ है। अहिंसा के अभाव से क्या होता है, इसका पता मौजूदा यूरोप को देखने से चलता है। छोटे-छोटे राष्ट्र तो आज कच्चे खाये जा रहे हैं। आजकल तो सभी काम विजली के बटन की तेज़ी से होते हैं। पहले आदमी सौ-सौ वर्ष जीते थे, अब तडाक-फटाक मर जाते हैं। पन्द्रह दिन में पूरे-पूरे राष्ट्र गगड़ हो जाते हैं। पहले ऐसी बातें न किसीने देखी थीं, न सुनी थीं। आज तो मानों बटन दबाते ही राष्ट्र नदारद होजाता है। चीन का कितना बड़ा हिस्सा जापान निगल गया है, इसका आज हमें पता ही नहीं। भविष्य में जब नया नक़्शा तैयार होगा तब हमें पता चलेगा। शतालों की हत्ती तैयारी करने पर भी आखिर चीन की क्या हालत हुई ? फिर हिन्दुस्तान-जैसा गलित-कलेवर राष्ट्र शतालों से स्वराज्य कब पाराकरता है ? ‘यतेमहि’ (कोशिश करना) तो अत्रि के जमाने से शुरू ही है। क्या उसी तरह अनन्त कालतक कोशिश ही करते रहे ? आज तो सब कोई लाटी में ही विचार करते हैं।

यूरोप की बुद्धि-बल में अथवा

कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि “नुम नये विचार नहीं पढ़ते। आधुनिक विचारों के साथ परिचय नहीं बटाते।” युनता हूँ कि ये विचार यूरोप से जहाज़ में आते हैं और बम्बर्द के बन्दर पर लगते हैं। भगर उधर से जो कुछ आता है वह सब अच्छा ही होता है, ऐसा तो अनुभव नहीं है। उधर से दून्हुएजा की हवा आयी जिससे लाट लास आदमी चलने ले। विचारों की हवा के ये झक्कोरे बरहे मेरेयानों बन्द कीजिए।

हम् शिक्षा लेने के लिए किस पाठशाला में जायें, यह भी तो सोचने की बात है। जिस शिक्षक की पाठशाला में पॉच सौ छड़ियों 'और सिर्फ' दो ही चार पुस्तके हो उसकी पाठशाला में भी क्या हम् जायेगे ? यूरोप के लोग बहुत-सी पुस्तके लिखते हैं। उनके पीछे खर्च भी बहुत करते हैं, यह मैं जानता हूँ। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी तो देखता हूँ कि वे फौज पर पुस्तकों से कितना गुना ज्यादा खर्च करते हैं। हमे विचार भी तो उसीसे ग्रहण करना चाहिए जिसका उस विचार में विश्वास हो। शक्तराचार्य-जैसा कोई हो तो उससे हम विचार ले सकते हैं, क्योंकि उसकी तो यह प्रतिज्ञा है कि, "मैं विचार ही दूँगा।" उससे पूछिए कि "अगर मेरी समझ में न आये तो ?" तो वह यही जवाब देगा कि "मैं फिर समझाऊँगा।" "और फिर समझ में न आया तो ?" "दुबारा समझाऊँगा।" "और फिर भी न आया तो ?" "फिर समझाऊँगा, समझाता ही जाऊँगा। अन्त तक विचार से ही समझाऊँगा।" जिसकी ऐसी प्रतिज्ञा है उस शक्तराचार्य से विचार सीखने को मैं तैयार हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा अगर कोई जर्मन या रशियन करता तो उसकी पुस्तके भी मैं खरीदता। लेकिन वह सिर्फ इतना ही कहता है कि "तुम मेरी पुस्तके पढ़ो।" और अगर हम पूछते हैं कि "हमारी समझ में न आया तो ?" तो वह जवाब देता है, "पिटोगे।" जिसका विचारों की अपेक्षा छड़ी में अधिक विश्वास है उससे विचार कैसे ले ?

हथियारपरस्ती बनाम बहादुरी

यूरोप की पद्धति का अनुकरण करना हिन्दुस्तान के खून में ही नहीं है। कहा जाता है कि अग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों के हथियार छीन लिये, यह बड़ा नैतिक अपराध किया है। मैं भी यही मानता हूँ। जूनरदस्ती समूचे राष्ट्र के हथियार छीनना घोर अपराध है। लेकिन मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि "इन सुट्ठीभर लोगों ने उस समर्थ के पच्चीस करोड़

लोगों के हथियार छीन कैसे लिये ? इन पञ्चीस करोड़ के हाथ क्या धास खाने गये थे ? उनके हथियार माँगते ही इन्होने दे कैसे दिये ?” इसका एक ही कारण हो सकता है। वे हथियार हम लोगों के जीवन का अग नहीं थे। अगर हमारे जीवन का अंग होते तो वे छीने नहीं जाते। तुकाराम ने एक भले आदमी का जिक्र किया है। उसके एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार थी। बेचारे के दोनों हाथ उलझे हुए थे, इस-लिए वह कोई बहादुरी का काम नहीं कर सकता था। वही न्याय तो यहाँ पर भी घटित नहीं करना है न ? इसलिए हमारे हथियार छीन लिये गये। इसका सीधा अर्थ यही हो सकता है कि हिन्दुस्तान के लोगों के स्वभाव में हथियार नहीं थे। कुछ फौजी जातियाँ थीं। दूसरे लोग भी हथियार रख सकते थे। लेकिन रखेन-रखे उन पर जंग चढ़ गया था।

लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हिन्दुस्तान के लोग बहादुर नहीं थे। इसका मतलब इतना ही है कि उनका हथियारों पर दारमदार नहीं था। हिन्दुस्तान के सारे इतिहास में वह आरोप किसीने नहीं किया है कि यहाँ के लोग शूर-वीर नहीं हैं। सिकन्दर को सारी धरती नरम लगी, लेकिन हिन्दुस्तान में उसने खासी ठोकर खायी। जहाँ-जहाँ ऊँट जासकता था वहाँ वहाँ सुसलमान म मंज़े चलेगाये। जहाँ खजूर और रेत थी वहाँ उनका ऊँट बढ़ता चलागया। लेकिन हिन्दुस्तान में प्रवेश पाने में उन्हें चीस साल लगे। हिन्दुस्तान बहादुर नहीं था इसका इतिहास में कोई सबूत नहीं है।

हमारी संस्कृति की मर्यादा

लेकिन हमारी संस्कृति की एक मर्यादा निश्चित थी। इसीलिए हमने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण कभी नहीं किया। किसी-न-किसी कारण से हमारी संस्कृति अहिंसक रही। तभी तो हमारी पेंतीस करोड़ जनता है। सूरोपीय राष्ट्र दो या चार करोड़ की ही बात कर सकते हैं। यहाँ पेंतीस करोड़ हैं।

हिंसा दूटी-फूटी और अहिंसा अखण्ड है

इसका यह कारण है कि हिंसा का सिद्धान्त दूटा-फूटा और अहिंसा का सिद्धान्त सावित है। यूरोप की हालत कॉच के 'याले-जैसी है। जमीन पर पटकते ही टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। आप ज़रा एकाध कॉच का प्याला जमीन पर पटककर तमाशा देखिए। यूरोपीय राष्ट्रों के नकशों के समान छोटे-बड़े टुकड़े हो जायेगे। लेकिन हम लोगों ने अपना पानी धीने का सावित प्याला बड़ी हिफाजत से रखा है। कोई सजन बम्बई जाते हैं, वहाँ किराये पर एक कमरा ले लेते हैं। अकेले एक मियों और अकेली एक बीची—यह जनाब का परिवार कहलाने लगा! वही हाल यूरोपीय राष्ट्रों का है। यूरोप हमें सिखाता है कि अगर हम अहिंसा का मार्ग अपनायेगे तभी एक राष्ट्र की हैसियत से जीसकेगे। यह बात हमारी जनता बड़ी जल्दी समझ जाती है। लेकिन हम शिक्षितों के गले वह अबतक नहीं उत्तरती, क्योंकि हम पढ़े-लिखे लोग अग्रेजों के मानस-पुत्र जो ठहरे। अग्रेजों का हमपर घरदहस्त है। उन्होंने हमारे दिमागों पर जादू करदिया है। इसीलिए तो पूँजी का कही ठिकाना न होते हुए भी हम बड़े पैमाने पर उत्पादन की लम्बी-लम्बी बातें किया करते हैं। हैसियत चरखा खरीदने की भी नहीं, पर बात करते हैं पुतलीघर खोलने की।

हमारा बौद्धिक पारतन्त्र्य

अग्रेजी राज मे हमारी आम जनता का यह नुकसान हुआ है कि वह भूखों मरने लगी है और शिक्षित वर्ग का नुकसान इस बुद्धि-पारतन्त्र्य के रूप मे हुआ है। हम उनकी तीन करोड़ की किताबें खरीदते हैं। 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपञ्चम्', कहकर, हाथ जोड़कर उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और तीन करोड़ सप्ते गुरुदक्षिणा मे देते हैं। उन्होंने हमारी बुद्धि 'स्व-न्तंत्र'—याने अपने तंत्र (वश) में करली है। हमसे कहा जाता है कि उनसे शिक्षा ले ! क्या शिक्षा ले ? बहुत बड़े पैमाने पर हत्या

करने की ? क्या यह भी बड़े पैमाने पर उत्पादन का ही एक रूप समझा जाय ? हम उनसे क्या सीखें ? समाज-शास्त्र, सीखें ? जिन लोगों ने पैतीस करोड़ जनता को एक में बॉध रखा थे समाज-शास्त्र जानते हैं या वे, जो दो-दो, तीन-तीन करोड़ के नन्हे-नन्हे राष्ट्र बनाकर आपस में लड़ते-संगड़ते रहते हैं ? कहा जाता है कि किसी ज़माने में फ्रान्स में एक क्रान्ति हुई और उससे स्वतन्त्रता, समता तथा वंधुता के सिद्धान्त उत्पन्न हुए। उससे कितने ही पहले ये मुद्रीभर पारसी इस देश में आये और हमने उनकी रक्षा की । तो क्या हम वंधुता जानते ही न थे ? ऐ यूरोप, तेरे पास ऐसा क्या है कि हम तुझसे वंधुता का पाठ पढ़े ? तूने हमको लूटा, क्या यही तेरी वंधुता का सबूत समझा जाय ?

याद रखिए कि अगर आप हिंसा के फेर में पढ़े तो इस देश के यूरोप के उमान छोटे-छोटे टुकड़े होकर ही नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी खात परिस्थिति के कारण टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। हमारा तो चूरा ही हो जायगा ।

प्रतिज्ञा के तीन भाग

हमारी स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा के तीन भाग हैं । पहला—स्वतन्त्रता की आवश्यकता क्यों है, दूसरा—स्वतन्त्रता जिस मार्ग से प्राप्त करनी है उस मार्ग में श्रद्धा, और तीसरा—हमारी साधन-सामग्री अर्थात् रचनात्मक कार्यक्रम । अवश्यक दो भागों का विवरण किया । अब रचनात्मक कार्यक्रम पर आता हूँ ।

रचनात्मक कार्यक्रम

रचनात्मक कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम-एकता, अस्वश्रूतता-निवारण, शाम-सेवा और खादी आदि का समावेश है ।

मुख्य बात यह है कि हम तच्चे दिल से और लगन से काम करें । लोग कहते हैं, “तुम रचनात्मक कार्यक्रम पर ज़ोर देने होः लेनिन उधर जिन्हा क्या करते हैं, अम्बेडकर का क्या कहना है, वह भी तो मुनो ।

उसे सुनकर गुस्सा आता है।” अम्बेडकर कहते हैं कि “इन लोगों ने मूने का समझौता किया और इन्हीं बदमाशों ने उसे तोड़ दिया।” हम कहते हैं, “हमने ईमानदारी से उस समझौते पर अमल करने की कोशिश की।” पर ज़रा वस्तुस्थिति तो देखिए। जनता मे क्या हो रहा है? दूर की बात जाने दीजिए। सेवाग्राम और पौनार को ही ले लीजिए। पौनार मे कातने के लिए जो लड़के आते हैं उनमे कुछ हरिजन लड़के भी हैं। उनमे एक हरिजन लड़के से मैंने कहा, “तू खाना पकाना जानता है?” उसने कहा ‘नहीं।’ मैंने कहा, “हमारे यहाँ रसोई बनाने आया कर, हम तुड़े सिखा देगे।” वह हमारे यहाँ रसोई बनाने आने लगा। मैं पौनार के कुछ लोगों को न्यौता देने लगा। शुरू मे जो दस-पाँच लोग आये वे ही आये। अब कोई नहीं आता। मैं वहाँ गाय के दूध से धी बनाता हूँ और मष्टा मुफ्त मे बॉटा हूँ। लेकिन मुफ्त का मष्टा लेने के लिए भी कोई नहीं आता। यह हाल है!

अच्छा, हम कार्यकर्ता लोग भी लगन से काम करते हो, सो बात भी नहीं है। किसी कार्यकर्ता से कहा जाय कि एक हरिजन लड़के को बिलकुल अपने निज के बेटे के समान् अपने परिवार मे रखें, तो वह कहता है कि यह बात हमारी स्त्री को पसन्द नहीं है, मेरी माँ तो मानेगी ही नहीं। “स्त्री को पसन्द नहीं है, माँ मानती नहीं है” यह सब सही है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? यही कि हम हरिजनों को दूर-रखते हैं। इसलिए अम्बेडकर तो मुझे अवतार ही लगता है। चाहे किसी प्रकार की क्यों न हो, हरिजनों मे वह चेतना तो पैदा करता है। वह हमारा भरोसा कैसे करे? “इसे पसन्द नहीं है, वह मानता नहीं है”, इन बातों का मूल्य हमारे नजदीक हरिजनों को अपनाने से भी अधिक है। हम कहते हैं, हम हरिजनों को अपने घर मे नहीं रख सकते, हम उनके घर भोजन नहीं कर सकते। इस तरह हृदय से हृदय कैसे मिलेगा?

समाजवादी की युक्ति वेकार है

समाजवादी कहता है, “तुम यह अस्पृश्यता निवारण का झंझट ही छोड़ो । गरीबी और भूख के असल सवाल ही लो ।” मैं कहता हूँ, “भाई, तुम्हारी युक्ति बड़ी अच्छी है, मैं उसे स्वीकार करने को भी तैयार हूँ । लेकिन भाई मेरे, वह काम नहीं आयेगी । हिन्दुस्तान से भी ज़्यादा कगाल लोग दुनिया मेरे और कहीं हैं ? लेकिन मेरा मुफ्त दिया हुआ गढ़ा मी सर्वो लोग लेने को तैयार नहीं हैं । यह सवाल तुम्हारी तदबीर से हल नहीं होगा । तुम कहोगे कि अब छुआदूत कम हो चला है । रेल मेरे, स्कूलों मेरे लोग छूत नहीं मानते । लेकिन इसमे तो बहुत-कुछ करामात अग्रेजों की है । इसका यह अर्थ नहीं कि जनता ने छुआदूत मानना छोड़ दिया है ।”

वास्तविक अस्पृश्यता-निवारण

अश्वमेध सहस्रेण सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ।

‘(हजारों अश्वमेधों के साथ सत्य तोला गया; पाया गया कि सत्य ही श्रेष्ठ है ।) हरिजनों के लिए बोर्डिंग पोलना, उन्हें छात्रवृत्तियों देना, ये सब बाह्य कृतियों अश्वमेधों के समान हैं । ऐसे हजारों अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा एक हरिजन लड़का अपने परिवार में रखना—जिस प्रेम से दूसरे अपने कुटुम्बियों से पेश आते हैं उसी प्रेम से उसके साथ व्यवहार करना—यह सत्य अधिक महत्व रखता है । हमें उनके सुख-दुःख में शामिल होना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए और इस तरह उनकी स्थिति को ओढ़ लेना चाहिए ।

सांप्रदायिक दंगों का इलाज

हिन्दू-मुस्लिम-एकता के सवाल से भी ऐसा ही खिलचाढ़ किया जारहा है । आज जो कुछ होरा है मैं उसे खिलचाढ़ ही कहूँगा ।

एक कहता है, “‘तुम आपस मे लड़ते हो, इसलिए तुम्हे स्वराज्य नहीं मिलेगा।’” दूसरा जवाब देता है, “‘स्वराज्य नहीं है इसीलिए तो आपस मे लडाई होती है।’”—ऐसा तमाशा चल रहा है। ज़रा देहात मे जाकर देखिए। वहाँ हिन्दू-मुसलमानों मे वैर नहीं है। सच पूछिए तो उनसे वैर है ही नहीं। कुछ महत्वाकांक्षी, बेकार और पढ़े-लिखे लोग दोनों को लड़ाकर खिलवाड़ करते हैं। इन लोगों के तीन विशेषण ध्यान मे रखिए—पढ़े-लिखे, महत्वाकांक्षी और बेकार। ये लोग हिन्दू-मुसलमानों को बख्ख स उभाड़कर उनके झगड़ों का खिलौने की तरह उपयोग करते हैं।

इसका क्या इलाज किया जाय? इलाज एक ही है। जहाँ कहीं ऐसी दुर्घटना होजाय वहाँ जाकर हम अपने प्राण देदें। यह उपाय देहात मे काम नहीं आ सकता, क्योंकि दगे वहाँ से शुरू नहीं होते। पढ़े-लिखे, बेकार और महत्वाकांक्षी लोग जहाँ दगे करते हैं—या उनके शब्दों मे कहे तो ‘व्यवस्था करते हैं’—वहाँ जाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इन व्यवस्थापको ने दुनिया को परेशान कर डाला है। उनसे इतनी ही विनय है कि “‘भाई यह धन्धा छोड़ो और खुद व्यवस्थित बनो।’” लेकिन वे मानेगे नहीं। इसलिए यही एक इलाज है कि जहाँ दंगा हो जाय वहाँ जाकर हम अपना सिर फुड़वा ले। सौ दो सौ शान्तिपरायण लोगों को ऐसे मौकों पर अपने सिर फुड़वा लेने चाहिए।

इन झगड़ों का कोई हद्दो हिसाब ही नहीं। ये सिर्फ हिन्दू-मुसलमानों मे ही नहीं हैं। पहले ब्राह्मणों तर दल था ही। अब सुनते हैं, कोई मराठी-लीग भी स्थापित हुई है। भुखमरे टुकड़ों रो का बाज़ार गर्म है। मैं जब बड़ौदे मे रहता था तो वहाँका एक पारसी किसी त्यौहार के उपलक्ष मे कभी-कभी भिखारियों को अब बॉटता था। उन टुकड़ों के लिए

वे आपस में लड़ते थे । वही हाल यहाँ है । सरकार से जो टुकड़े मिलेंगे उन्हें ये बीच मे ही हड्पना चाहते हैं । हमारे तत्त्वज्ञान मे मृत्यु के डर को स्थान नहीं है । और अब रोटियो के अभाव मे भूखो मरने का भी अभ्यास हमें होगया है । इसलिए जहाँ दर्गा हो रहा हो वहाँ हमें शान्ति-पूर्वक जाकर बैठ जाना चाहिए । इच्छा हो तो कातना शुल्क कर देना चाहिए । इतना काफी है । हम लोगो की ऐसी धारणा है कि निना नारियल और सिंदूर चढ़ाये पूजा नहीं होती । नारियल की जगह भौसियी, नारंगी, आम आदि चढाने से काम नहीं चलता । नारियल और सिन्दूर ही चाहिए । इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना सिर फुड़वाकर अपना रक्त चढायें तो पूजा पूरी हो जायगी । लेन-देन के समझौतो से इन झगड़ो का निवारा नहीं होगा । न 'लेन' चाहिए, न 'देन' । मुस्लिम लीग से तसकिया कैसे किया जाय ?

सर्व-सुलभ उपासना

खादी के विषय मे भी लोग इसी तरह पूछते हैं । कहते हैं कि "खादी तो टीक है; लेकिन वह कातने की बला आप क्यों लगा रहे हैं ?" मैं कहता हूँ कि, "क्या कर्ले ? अगर कातने के लिए न कहूँ तो क्या मेर्याद बनाने के लिए कहूँ ? आप तो कहते हैं न कि लोग भूखों भर रहे हैं ? ऐसी हालत मे कुछ-न-कुछ निर्माण करने की क्रिया ही राष्ट्रीय उपासना हो सकती है । इसीको आज अनुशासन कहते हैं । नहीं तो स्वराज्य के आन्दोलन में आप जनता को किस तरह शामिल करेंगे ?" अगर कोई काम न हो तो सिर्फ मुझ-जैसा बानूनी आदमी ही स्वराज्य का आन्दोलन कर सकेगा—अर्थात् व्याख्यान दे सकेगा । लाखों, करोड़ों लोगों को स्वराज्य के आन्दोलन में सीधे शामिल होने की कोई तरकीब निकालिए । जो तर-कीब निकालें वह भी ऐसी हीनी चाहिए कि लोग उसे सहज में समझ सकें । अख्यार्थवालों को जब कोई यात यास तौर पर लोगों के रामने रननी होती

है तो वे एक-एक इंच के बड़े टाइपो में शीर्षक देते हैं। यूरोप में तो अब सिर्फ़ शीर्षकों से ही काम नहीं चलता, चित्र देने पड़ते हैं। वहाँ के मज़दूर चित्रों पर से समाचार भौप जाते हैं। तात्पर्य यह कि स्थूल, स्पष्ट और लोगों का ध्यान आकृष्ट करने लायक चीज़ होनी चाहिए। तभी कुछ काम होगा। खादी और चरखा लोगों की समझ में आसानी से आनेवाला, अहिं-सक आन्दोलन का प्रत्यक्ष चिन्ह है। उससे सारे राष्ट्र में सूर्ति की आग पैल सकती है। अगर इस इमारत में कल आग लग जाय तो इसके जलने में कितनी देर लगेगी? आप ऐसा हिसाब न लगाइए कि इसमें पहली चिन-गारी लगने के लिए चालीस साल लगे तो सारी इमारत जलने में कितने साल लगेंगे। ऐसा ऊटपटौंग त्रैशिक आप न करें। इस इमारत में आग लगने से चालीस साल भले ही लग गये हों, लेकिन उसके खाक होने के लिए एक घटा काफ़ी है। इसलिए तोते के समान क्रांति के सिद्धान्त रटने-रटाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ़ तोता पढ़ाने से राष्ट्र प्रज्वलित नहीं होते।

मंत्र और तंत्र का संबंध

‘हन्तलग्न जिन्दावाद’ इत्यादि कई तरह के मन्त्र अच्छे-अच्छे और पढ़े-लिखे आदमी भी रास्ते पर उच्चस्वर से चिल्हा-चिल्हाकर पढ़ते हैं। पढ़े-लिखे लोग कहते हैं कि पुराने लोगों को मन्त्रों में वेहद विश्वास था। मेरी शिकायत यह है कि आप लोगों का विश्वास मन्त्रों में पुराने आदमियों की बनिस्वत कहीं अधिक है। स्वराज्य का मंत्र आप जनता तक कैसे पहुँचायेंगे? इसका एक ही रास्ता है—मंत्र के साथ तंत्र भी चाहिए। जनता के साथ सपर्के कायम रखने के लिए मंत्र की द्योतक किसी-न-किसी बाह्य कृति की जरूरत है। इतिहास में इस बात के सबूत विद्यमान हैं कि ऐसे तन्त्रयुक्त मंत्र से समूचे राष्ट्र प्रज्वलित हो उठते हैं।

विधान-पंचायत किसलिए ?

आज हम क्या मॉग रहे हैं ? हम आज ही स्वतन्त्रता नहीं मॉगते । वह 'सौदा' हम आज नहीं कर रहे हैं । हम इतना ही कहते हैं कि आप अपनी नेकनीयती साक्षित करने के लिए इतना तो करें कि हमारी विधान पंचायत की मॉग मंजूर कर ले ।

यह विधान-परिषद् क्या है ? आप सिर्फ शब्दों से चिपके न रहिए । स्वराज्य जब मिलेगा तब मिलेगा, पर शब्दों के जंजाल से तो, आज ही छुटकारा पाइए । विधान-परिषद् की मॉग का इतना ही मतलब है कि हरएक वालिंग व्यक्ति को मतदान का अधिकार ही, और वह किस तरह का राज्य चाहता है यह तय करने की उसे आजादी ही । अगर वह यह तय करे कि मौजूदा राज ही अच्छा है तो भी कोई ऐसा नहीं ।

'हरिजन' मे वापू के नाम एक अग्रेज का लिखा पत्र छपा है । वह कहता है कि सब लोगों की राय लेने के झंझट में पड़ने के बदले साथाने लोगों की सलाह से इसका निर्णय किया जाय । उसकी बात सुन्ने भी जँचती है । 'आदमी पीछे एक राय', यह बात तो सुन्ने भी बेतुकी-सी भालम होती है । हरएक को एक ही राय क्यों ? एक ही सिर है इसलिए ? सिर की तरफ़ ध्यान गया इसलिए 'की आदमी' एक राय का नियम बना और अगर कानों की तरफ़ ध्यान जाता तो ? तब हरएक की दो-दो रायें होनी चाहिए, ऐसा कहते । "हरएक के दो कान होते हैं, इसलिए हरएक के दो रायें होनी चाहिए ।" हरएक को एक ही राय का अधिकार होना चाहिए, इसका मुझे कोई समुक्तिक कारण नहर नहीं आता, सिवा इसके कि हरएक के एक ही सिर होता है । क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि एक मनुष्य में जितनी बुद्धि होती है उसकी अपेक्षा दूसरे में एज़ारगुनी अधिक होती है । फिर भी वापू ने उस अग्रेज गज़न की

जो जवाब दिया वह ठीक है। बापू पूछते हैं कि “ये स्याने लोग हैं कहाँ, और उनका प्रमाणपत्र क्या है?” यह सबाल मुझे भी कुण्ठित कर देता है। मैं एक स्याने को दूसरे हजार आदमियों की अपेक्षा अधिक महत्व देता हूँ। लेकिन इस स्यानेपन का प्रमाणपत्र क्या हो? आज तो यही परिमाण होगयी है कि बायसराय जिसे प्रमाणपत्र देदे वही स्याना है। इस तरह के स्यानों ने गोलमेज-परिषद् में जो घपला किया उसे दुनिया जानती है। अगर यह कहा जाय कि जिसे काग्रेस कहेगी वही स्याना समझा जाय, तो यह बात भी बहुत-से लोग मानने को तैयार नहीं है। हम अपने घरों में भी यही करते हैं। जब किसी एक की या किसी बुजुर्ग की बात मानने के लिए परिवार के लोग तैयार नहीं होते तो हम सभी की राय ले लेते हैं। वही अब तय किया गया है। विधान-पंचायत द्वारा हम इस प्रश्न का निपटारा करनेवाले हैं।

बोलती चिपरियाँ और गँगे आदमी

कहा जाता है कि इन निरक्षर लोगों की राय लेने से काम कैसे चलेगा? मैं कहता हूँ कि लिखने पढ़ने का यह व्यर्थ बोलबाला क्यों? बिना तकलीफ के दूसरे लोगों के भेजों में ज्ञान ढूँस देने की आलसी लोगों की हिमाकत का नाम है लिखना-पढ़ना। इस लिखने-पढ़ने से बहुत नुकसान हुआ है। सेगँव के महात्मा गांधी किशोरलाल भाई से कुछ कहना चाहते हैं तो एक पुरजे पर लिखकर बन्द लिफाफे में भेजते हैं। वह लिफाफा लेकर एक अनाड़ी आदमी किशोरलाल भाई को दे देता है और वे बापू की बात समझ लेते हैं। बचपन में हम ‘बोलती चिपरी’ (टार्किंग चिप) का किस्सा पढ़ा करते थे। लोग कहते हैं कि

“‘टार्किंग चिप’ (बोलती चिपरी) का किस्सा—दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज़ को दूसरे अंग्रेज के पास एक छोटा सा सन्देश भेजना था। लिखने-लिखाने का सामान पास था नहीं। एक चिपरी (लकड़ी के ढुकड़े)

“देखो क्या चमत्कार है ! पढ़ने-लिखने की कला की बदौलत चिपरियों भी बोलने लगाएँगे ।” मेरी यह शिकायत है कि सिर्फ चिपरियों ही बोलने-वाली नहीं हुईं, बल्कि बोलनेवाले चिपरियों-जैसे गूंगे हो गये । अगर लिखने की कला न होती तो गाँधीजी को अपनी जगह छोड़कर किशोर-लालभाई के पास जाना पड़ता । लेकिन हमेशा ऐसा करना मुश्किल है । इसलिए दूसरा उपाय यह करना पड़ता कि उन्हें अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह समझा-बुझाकर होगियार बनाना पड़ता कि वे ठीक-ठीक सदेसा पहुँचा सके । लेकिन लिखने की कला की बदौलत आदमियों का काम चिपरियों बनाने से चल सकता है । गाँधीजी के पास जितने वेद-कूफ आदमी रह सकते हैं उतने क्या कभी प्राचीन ऋषियों के पास रह सकते थे ? आज चिट्ठी के ज़रिये गाँधीजी की बात बीच के आदमियों को लॉघकर मेडक : (?) के समान छल्लूंग मारकर किशोरलाल भाई के पास पहुँच जाती है । “हिन्दुस्तान के लोग मेड-बकरियों की भौति अपढ़ है, तभी तो तीन-चार लाख गोरे उनपर राज्य कर सकते हैं । इतनी तो मेड़ भी कोई नहीं सेभाल सकता ।” इस तरह की बातें मैं अरु सर व्याख्यानों से सुनता हूँ । मेरा जवाब यह है कि अगर हिन्दुस्तान के लोग मेड होते तो उनकी देखभाल के लिए बहुत-से लोगों की जरूरत पड़ती । वे आदमी हैं—और ज़िमेदार और समझदार आदमी हैं—इसलिए उनकी राज्य-व्यवस्था के लिए बहुत आदमियों की जरूरत नहीं । ये फालतू तीन-चार लाख गोरे जब नहीं थे तब भी उनका राज्य नृव अच्छी तरह चलता था ।

पर लिखकर वहाँ के एक आदिनवासी को दे दिया । उसने हाथ में लेफ्ट पृष्ठा, क्या कहना होगा ? साहब योला, यह चिपरी बोल देगी । पानेगाले ने लानेवाले से कहा, ठीक है, समझ गया । आदिनवासी ने समझा चिपरी ने हूँसे बोल दिया । उसे इस ‘बोलती चिपरी’ पर धड़ा अवरुद्ध हुआ ।

यहाँ के लोग अपढ़ भले ही हो, लेकिन अज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ इसपर कभी बहस नहीं हुई कि स्त्रियों को मतदान का अधिकार हो या नहीं। यूरोप में स्त्रियों को मतदान के अधिकार के लिए पुरुषों से लड़ना पड़ा। हमारे यहाँ एनी वेसेण्ट और सरोजिनी देवी का कॉग्रेस का अध्यक्षपद प्राप्त करना स्वाभाविक माना गया।

मतलब यह कि यहाँ के लोग समझदार और अनुभवी हैं। पढ़े-लिखे न हों, तो भी विधान-पचायत के लिए प्रतिनिधि चुनने के लायक हैं।
फरवरी, १९४०]

खादी और गादी की लड़ाई

सोनेगोव की खादी-यात्रा में शिष्ट लोगों के लिए गादी (गहो) विद्यायी गयी थी। 'शिष्ट' की जगह चाहे 'विशिष्ट' कह लीजिए, क्योंकि वहाँ जो दूसरे लोग आये थे वे भी शिष्ट तो थे ही। उस मौके पर मुझे कहना पड़ा था कि खादी और गादी की अनवन है, दोनों की लड़ाई है और अगर इस लड़ाई में गादी की ही जीत होनेवाली हो तो हम खादी को छोड़ दें।

लोग कहते हैं, 'खादी की भी तो गादी बन सकती है?' हाँ, बन क्यों नहीं सकती? अंगूर से भी शराब बन सकती है। लेकिन बनानी नहीं चाहिए और बनाने पर उसे अंगूर में झुमार न करना ही उचित है।

इसे ध्यान देना चाहिए भावार्थ की तरफ। बीमार, कमज़ोर और बृद्धों के लिए गादी का इन्तजाम किया जाय तो वात और है। लेकिन जो शिष्ट समझे जाते हैं उनमें और दूसरों में फर्ज़ करके उनके लिए भैदर-दर्शक गही तकिये का आसन लगाना विल्कुल दूसरी ही चीज़ है। इस दूसरी तरह की गादी और खादी में विरोध है।

वास्तव में तो जो गादी हमेशा आलसी लोगों और सटमलों की सोहनत करती है उसे शिष्ट जनों के लिए विद्याना उनका आदर नहीं वल्कि अनादर करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश शिष्ट लोग भी इस में अपना अपमान नहीं समझते। हमने तो यहाँतक कमाल कर दिया कि अंकरा-चार्य की भी गही बनाने से बाज़ नहीं आये! शंकराचार्य तो कर गये—

“कौपीनवन्तः खलु भास्यवन्तः” — “लैंगोटिये ही सबसे बड़भागी है ।” और किसीको उनकी यह बात चाहे जैचे या न जैचे, कम-से-कम आचार्य के भक्तो को तो जैचनी चाहिए ।

राष्ट्र ऊपर उठते हैं और गिरते हैं । लेकिन आलस्य, विलासिता और जड़ता कभी ऊपर उठती ही नहीं । शिवाजी महाराज कहा करते थे कि “हम तो धर्म के लिए फकीर बने हैं ।” लेकिन पेशवा तो पानीपत की लड्डाई के लिए भी सकुदुम्ब, सपरिवार गये, भानो किसी बरात में जा रहे हो । और वहाँ से कार्य-सिद्धि से हाथ धोकर अपना-सा मुँह लेकर लौटे ! गिबन ने कहा है—“रोम चढ़ा कैसे ?” “सादगी से”, “रोम गिरा कैसे ?” “भोग-विलास से ।”

कुछ साल पहले, असहयोग के आरम्भकाल में, देश के युवकों और बूढ़ों में, पुरुषों और स्त्रियों में, त्यागवृत्ति और वीरता का सचार होने लगा था । सत्रह-सत्रह आने गजबाली खादी—टाट जैसी मोटी—लोग बढ़े अभिमान से बेचते थे और खरीदनेवाले भी अभिमान से खरीदते थे । आगे चलकर धीरे-धीरे हम खादी का कुछ और ही ढग से गुणगान करने लगे । खादी बेचनेवाले गर्व से कहने लगे, “देखिए अब खादी में कितनी तरक्की हो गयी है ! बिलकुल अप-टू-डेट—अद्यतन-पोशाक, विलासी, भड़कीर्णी, महीन, जैसी आप चाहे, खादी की बनवा लीजिए । और सो भी पहले की अपेक्षा कितने सस्ते दामो में !” खरीदार भी कहने लगे, “खादी की प्रतिष्ठा इसी तरह दिन-दूनी रात-चौरानी बढ़े और एक दिन वह मिल के कपड़े की पूरी-पूरी बराबरी करे ।” लेकिन उनकी समझ में यह मोटी-सी बात न आती थी कि यदि खादी को मिल के कपड़े की ही बराबरी करनी है तो फिर खादी की जरूरत ही किसलिए है ? मिले ही क्या बुरी है ? वैद्य अपनी दवाई की तारीफ करने लगा, “बिलकुल सस्ती दवाई है, न परहेज़ की जरूरत, न पथ्य की ।” मरीज़ आ गया

चकमे में। लेकिन वेचारा यह भूल गया कि ‘‘पथ्य-परहेज़ नहीं तो फ़ायदा भी नहीं।’’

कोई गलत अर्थ न समझे। कहने का यह मतलब कर्तव्य नहीं है कि मज़दूरों को पूरी-पूरी मज़दूरी देकर खादी सस्ती करना हमारा कर्तव्य नहीं है। यह भी कोई नहीं कहता कि खादी सब लोगों की सब तरह की ज़रूरते पूरी न करे। प्रश्न केवल इतना ही है कि खादी का गौरव किस बात में है? किसीकी ओर्खें विगड़ गयी हो तो उसे ऐनक ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन ऐनकधारी को देख उसे ‘‘पञ्चलोचन’’ कहकर उसकी बढ़ाई तो नहीं की जा सकती।

यहाँ एक प्रसग सहज ही याद आ रहा है। एक रसिक दृष्टियाला कलाधर एक बार पंढरपुर जाकर विठोवा के दर्शन कर आया। मुझसे कहने लगा, “विठोवा के सारे भक्त उनके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते, उनके उद्घोष (स्लोगन्स) सुन-सुन कर तो जो ऊब गया। लेकिन मुझे तो उस मूर्ति को देखकर कहीं भी सुन्दरता का चयाल नहीं आया! एक निरा बेडौल पत्थर नज़र आया! मूर्तिकार और भक्तगण दोनों मुझे तो ऐसा लगता है कि, यद्यच्छालाभ से ही सन्तुष्ट हो गये। पचतन्त्रवाले जिस्ते में जिस तरह उन तीन धूतों ने सिर्फ वार-वार कह-कह-कर बकरे को कुत्ता बना दिया, ठीक उसी तरह इन लोगों ने चिरा-चिरा-कर एक बेडौल पत्थर में सुन्दरता निर्माण करने की ठान ली है।” मैंने जवाब दिया, “हाँ, यही बात है। इस उसार की भीगा नदी में गांते खानेवालों को उधारने का जिसने प्रण किया है उसे तो मज़वृत्त, दृढ़, ठोग और दृष्टा-कद्वा ही होना चाहिए। वह यदि ग्रेप-गव्या पर लेटनेवाले या पचायतन का ठाट जमाकर तसवीर सिंचवाने के लिए आवन लगानेवाले देखता की सुन्दरता का अनुशरण करे तो क्या यह उसे शोभा देगा?” रामदास ने सिखाया है—“मनुष्य के अन्तर्गत का शृंगार है चातुर्व; वज्र

तो केवल बाहरी सजावट है। दोनों में कौन-सा श्रेष्ठ है, इसका विचार करो।” इसीलिए शिवाजी को हड्डे-कड्डे मावले-जैसे साथी मिले।

मेरा समाजवादी दोस्त कहेगा, “तुम तो वस वही अपना पुराना राग अलापने लगे। वस, फिर उसी दरिद्रनारायण की पूजा में मगन हो गये! यहाँ दरिद्रता के पुजारी नहीं है। अपने राम तो वैभव के आराधक हैं।” मैं उससे कहना चाहता हूँ, ‘‘मेरे दोस्त, इस तरह अकल के पीछे लट्ट लेकर मत पड़ो। हम कब दारिद्र्य को नारायण कहते हैं? हम तो ‘दरिद्र’ को नारायण के नाम से पुकारते हैं। और ‘दरिद्र’ को नारायण नाम दिया, इसका यह मतलब थोड़े ही है कि धनिक ‘नारायण’ नहीं हो सकता? यदि मैं कहूँ कि ‘मैं ब्रह्म हूँ’ तो इसका यह अर्थ थोड़े ही है कि ‘तुम ब्रह्म नहीं हो?’ वस, अब तो सन्तोष हुआ? दरिद्र भी नारायण है और श्रीमान् भी। दरिद्रनारायण की पूजा उसकी दरिद्रता दूर करने से पूरी होती है, और श्रीमन्नारायण की पूजा उसे सच्चे ऐश्वर्य का अर्थ समझाकर उसका त्याग करवाने से होती है, और जब किसी मूर्ख-नारायण से पाला पड़े तो उसकी पूजा इस प्रकार विश्लेषण करके समझाने से होती है! क्यों, ठीक है न?”

लेकिन, इस यथार्थ विनोद को जाने दीजिए। अगर समाजवादी दोस्त को वैराग्य नहीं सुहाता तो वैभव ही सही। वैभव किसे कहना चाहिए और वह कैसे प्राप्त किया जाता है, इन बातों को भी रहने दीजिए। लेकिन समाजवादी कम-से-कम साम्यवादी तो है न? दो-चार आदमियों को नरम-नरम गादी मिले और वाकी सबको टाट के चीथड़े या धूल नसीब हो, यह तो उसे नहीं भाता न? जब मैंने खादी और गादी की लड्डाई की बात छेड़ी तो मेरे मन में यह अर्थ भी तो था ही। सब लोगों के लिए गादी लगायी गयी होती तो दूसरा ही सघाल खड़ा होता। लेकिन यह सुमकिन नहीं था। और सुमकिन नहीं था इसीलिए सुनासिव भी नहीं था, यह ध्यान में आना जरूरी था।

आजकल हमारे कुछ दोस्तों में, एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर विषम व्यवहार का बड़ा ज़ोर है। साम्यवाद और विषम व्यवहार वहे आनन्द से साथ-साथ चल रहे हैं। फैजपुर के बाद हरिपुरा की काग्रेस ने विषमता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया। अध्यक्ष, विधिए पुरुष, वडे नेता, छोटे नेता, प्रतिनिधि, माननीय दर्शकगण और देहाती जनता—इन सबके लिए वहाँ दर्जेवार प्रवन्ध किया गया था। गांधीजी के लिए यह दारुण दुःख का विषय था, यह बात जाहिर हो नुकी है। यह विषम व्यवहार खास मौकों पर ही होता हो, सो बात भी नहीं। हमारे जीवन और मन में उसने घर कर लिया है। “मज़दूरों को पूरा-पूरा वेतन दिया जाना चाहिए या नहीं”, इस विषय पर बहस हो सकती है; पर, “व्यवस्थापकों को पूरा वेतन दिया जाय या नहीं”, इसकी बहस कोई नहीं छेड़ता। जिन्हे हम देहात की सेवा के लिए भेजते हैं उन्हें अपना रहन-सहन ग्राम-जीवन के अनुकूल बनाने की हिदायतें देते हैं। उन्हें देहात में भेजने और हिदायतें देने को तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन हमें हर बात की तीव्र तो क्या, तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि स्वयम् हमको भी अपनी हिदायतों के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। साम्य की भेद से दुश्मनी है, लेकिन विवेक से तो नहीं है? इसीलिए यूटों के लिए गाढ़ी हमने मज़ूर कर ली है। इसी तरह देहात की सेवा के लिए जानेवाले युवक कार्यकर्त्ता और उन्हें वहाँ भेजनेनाले दुरुर्ग नेताओं के जीवन में थोड़ा-बहुत फर्क होना न्याय-संगत है और विवेक उसे मंजूर करेगा। इसीलिए साम्य-सिद्धात की भी उसके खिलाफ कोई विकायत नहीं रखेगी। लेकिन आज जो फर्क पाया जाता है वह थोड़ा-बहुत नहीं है। अन्सर वह बहुत मोटा, नजर में सहज ही आनेवाला ही नहीं वल्कि चुभनेवाला होता है। हस विषम धैमत का नाम गाढ़ी है। और इस गाढ़ी से न्यायी की दुश्मनी और लड़ाई है।

हाल ही मेरे आश्रम मेरे एक बात की चर्चा हो रही थी। आश्रम की आवादी बढ़ रही है, इसलिए अब नयी जगह मोल लेकर ग्राम-रचना-शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित नकशा बनाना चाहिए। बुनकर, कातनेवाले, बढ़ाई आदि मज़दूर और व्यवस्थापक-वर्ग, परिवार, दफतर के कार्यकर्त्ता, आश्रमवासी, मेहमान आदि के लिए किस प्रकार के मकान बनवाने चाहिए, यह मुझसे पूछा गया। पूछनेवाला खुद साम्यपूजक तो था ही, और मैं साम्यवादी हूँ यह भी जानता था। मैंने कुछ मन-ही-मन और कुछ प्रकट रूप मेरे कहा—“मैं दाल हज़म नहीं कर सकता, इसलिए दही खाता हूँ। मज़दूर को दही का शौक तो है, लेकिन वह दाल हज़म कर सकता है। इसलिए दाल से काम चला लेता है। इतनी विषमता तो हम विवेक की दुहाई देकर-हज़म कर गये। लेकिन क्या हमारे लिए मकान भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होना जरूरी है? जिस तरह के मकान मेरे मज़दूर अपनी जिन्दगी बसर करता है उसी तरह का मकान मेरे लिए भी काफी क्यों नहीं हो सकता? या फिर, उसका भी मकान मेरे मकान के समान क्यों न हो?”

आप चाहे वैराग्य का नाम ले चाहे वैभव का, विषमता को वर्दान्त हरिगिज़न कीजिए। इसीका नाम है “आत्मौपम्य”। सच्चा साम्यवाद यही है। उसपर तुरन्त अमल किया जाना चाहिए। साम्यवाद का कोई महत्व नहीं है; महत्व है “तत्काल साम्यवाद” का। साम्यवाद को तुरन्त कार्यान्वित करने की सिफृत का नाम अहिंसा है। अहिंसा हरएक से कहती है कि “तू अपने-आप से प्रारम्भ करदे तो तेरे लिए तो आज ही साम्यवाद है।” अहिंसा का चिह्न है खादी। खुद खादी ही अगर मेदभाव सहे, तब तो यही कहना होगा कि उसने अपने हाथों अपना गला घोट लिया।

इस सारे अर्थ का समाहित सूत्र-वाक्य है—“खादी और गादी मेरे लड़ाई है।”

: ? ? :

निर्दोष दान और श्रेष्ठ कला का प्रतीक—खादी

खादी पहनने में महान् धर्म है। हम लोगों में धर्म करने की वृत्ति है। दान करने की वृत्ति भी है। यह बहुत अच्छी बात है। इस भूमि में अनेक साधु-सन्त पैदा हुए और उन्होंने भारतीय जीवन को दान-भावना से भर दिया है। आप सब सालभर में कुछ-न-कुछ दान करते हैं, धर्म करते हैं। लेकिन दान करते समय आप कभी विचार भी करते हैं? आज तो हमने विचार से इस्तीफ़ा ही दे दिया है। विवेक अब हमारे पास रहा ही नहीं। विचार का चिराग बुझ जाने से आचार अधा हो गया है। मेरे नज़दीक विचार या बुद्धि की जितनी कीमत है उतनी तीनों लोक में और किसी चीज़ की नहीं है। बुद्धि बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब दान देते हैं तो क्या सोचते हैं? चाहे जिसे दान दे देने से क्या वर् धर्म-कार्य भली भौति हो जाता है? दान और त्याग में भेद है। एग त्याग उस चीज़ का करते हैं जो खुरी होती है। अपनी पवित्रता को उत्तरांतर बढ़ाने के लिए हम उस पवित्रता में वाधा डालनेवाली चीज़ों का त्याग करते हैं। घर को स्वच्छ करने के लिए कूदे-करकट का त्याग करते हैं, उसे फेंक देते हैं। त्याग का अर्थ है फेंक देना। लेकिन दान का मतलब फेंकना नहीं है। हमारे दरवाजे पर कोई भिरारी आगया, कोई वावाज़ी आगये, देदी उसे एक मुट्ठी या एकाध पैसा—इतने से दानकिया नहीं होती। वह मुद्री-भर अन्न आपने फेंक दिया, वह पैसा फेंक दिया। उम कर्म में लापरवाही है। उसमें न तो हृदय है और न बुद्धि। बुद्धि और

निर्दोष दान और श्रेष्ठ कला का प्रतीक—खाद्य

भावना के सहयोग से जो क्रिया होती है वही सुन्दर होती है। मानी 'फेकना' नहीं, बल्कि 'बोना' है।

बीज बोते समय जिस तरह हम जमीन अच्छी है या नहीं इसका विचार करते हैं, उसी तरह हम जिसे दान देते हैं वह भूमि, वह व्यक्ति, कैसा है इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए। किसान जब बीज बोता है तो एक दाने के सौ दाने करने के ख्याल से बोता है। वह उसे बड़ी सावधानी से बोता है। घर के दाने खेत में बोता है। उन्हे चाहे जैसे बेतरतीब बखर नहीं देता। घर के दाने तो कम थे लेकिन वहाँ खेत में वे सौगुने बढ़ गये। दान-क्रिया का भी यही हाल है। जिसे हमने मुट्ठी-भर दाने दिये, क्या वह उनकी कीमत बढ़ायेगा? क्या वह उन दानों की अपेक्षा सौगुने भूत्य का कोई काम करेगा? दान करते समय लेनेवाला ऐसा छूटिए जो उस दान की कीमत बढ़ाये। हम जो दान करे वह ऐसा हो जिससे समाज को सौगुना फायदा पहुँचे। वह दान ऐसा हो जो समाज को सफल बनाये। हमे यह विश्वास होना चाहिए कि उस दान की बदौलत समाज में आलस्य, व्यभिचार और अनीति नहीं बढ़ेगी। आपने एक आदमी को पैसे दिये, दान दिया और उसने उनका दुरुपयोग किया, उस दान के बल पर अनीतिमय आचरण किया; तो उस पाप की ज़िम्मेदारी आपपर भी है। उस पापमय मनुष्य से सहयोग करने के कारण आप भी दोषभारी बने। आपको यह देखना चाहिए कि हम असत्य, अनीति, आलस्य, अन्याय से सहयोग कर रहे हैं या सत्य, उद्योग, श्रम, लगन, नीति और धर्म से। आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि आपके दिये हुए दान का उपयोग होता है या दुरुपयोग। अगर आप इसका ख्याल न रखेंगे तो आपकी दान-क्रिया का अर्थ होगा किसी चीज को लापरवाही से फेंक देना। हम जो दान देते हैं उसकी तरफ़ हमारा पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिए। दान का अर्थ है बीज बोना। आपको

“लीजिए, यह बाबाजी अब हमें हिसाब रखना सिखायेंगे ! यहाँ तो सारी उम्र जमा-खर्च में ही गुज़री है ।” लेकिन मैं फिर साफ-साफ कहता हूँ कि आप जमा-खर्च नहीं जानते । यह आपको मुझसे सीखना चाहिए ।

लोग कहते हैं कि खादी महँगी होती है । मैंने दोपहर को कुछ मिन्टों को हिसाब करके दिखा दिया कि वह महँगी नहीं है । उन्होंने मुझे ऑकड़े बतलाये । साल में अगर मिल का कपड़ा १०) का खरीदना पड़े तो उतनी ही खादी के दाम १५) हो जाते हैं । मतलब यह कि दर महीने साढ़े ३: आने ज्यादा ढेने पड़ते हैं । यानी हर रोज़ कठीब ढाई पाई, अर्थात् लगभग कुछ नहीं । जो जनता स्वराज्य ग्रास करना चाहती है वह अगर रोज़ ढाई पाई भी न दे सकती हो और पाँच तोले अधिक बज़न होने के कारण खादी न बरत सकती हो, तो वह साफ़ शब्दों में यही क्यों नहीं कह देती कि हमें न स्वराज्य की चाह है और न स्वतन्त्रता की । लेकिन इसे जाने दीजिए । मैं दूसरी ही बात कहूँगा । आप जब मिल का कपड़ा खरीदते हैं तो १०) कपड़े खाते खर्च लिखते हैं और खादी खरीदते हैं तो लिखते हैं १५) कपड़े खाते नाम । लेकिन मैं कहता हूँ कि खादी का हिसाब लिखने में आपको १५) खादी-खाते खर्च नहीं लिखना चाहिए । १५) के दो भाग कीजिए । १०) का कपड़ा और ५) दान-धर्म, कुल मिलाकर १५) इस तरह हिसाब लिखिए । आपको जो ५) अधिक देने पड़े वे दूर रहनेवाले श्रमिकों को मिले । यह बात्त-विक दान-धर्म है । खादी कितने लोगों को आश्रय दे सकती है, इसका विचार कीजिए । हमारे देश की मिले तिहाई हिन्दुस्तान के कपटों की ज़्यरत पूरी करती है । अगर हम यह भमझ लें कि उनमें पाँच लाख मजदूर काम करते हैं तो हिन्दुस्तान की मिलों का कपड़ा स्वरीदाने ने पाँच लाख मजदूरों को रोज़ी मिलती है । सारे हिन्दुस्तान की ज़्यरत पूरी करने-लायक कपड़ा तैयार करने का वे इरादा करलें तो १५ लाख मजदूरों की

काम मिलेगा। परन्तु खादी ?—खादी करोड़ो मजदूरों को काम दे सकती है। अगर हम विलायती कपड़ा बिल्कुल न खरीदे तो मिल के जरिए १५ लाख मजदूरों को काम दे सकते हैं। लेकिन अगर खादी मोल ले तो करोड़ो मजदूरों को काम दे सकते हैं। खादी न खरीदना करोड़ो लोगों के मुँह का कौर छीन लेने के बराबर है। आधुनिक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि सम्पत्ति का जितना वितरण हो उतना ही समाज का कल्याण होगा। किसी एक के पास दौलत न रहने पाये, वह बैट जानी चाहिए। यह बात खादी के द्वारा ही हो सकती है। मिल का पैसा मिलवाले और उनके हिस्सेदारों की जेब में जाता है। खादी के द्वारा उसका वितरण होता है। आना-आना, आध-आध आना उन गरीबों को मिलेगा जो सारे देश में फैले हुए हैं। रक्ती-रक्ती या पाई-पाई का ही फायदा क्यों न हो, लेकिन सबका होगा; जैसे वृष्टि की बूँदें होती हैं। किसी नल की धार कितनी ही मोटी और बैगवती क्यों न हो, वह एक ही जगह बड़े ज़ेर से गिरती है, सारी पृथ्वी को हरियाली से सुशोभित करने की शक्ति उसमें नहीं है। वर्षा रिमझिम रिमझिम पड़ती है, लेकिन वह सर्वत्र पड़ती है, मिट्टी के कण-कण को वह अलकृत करती है। सूर्य का प्रकाश, हवा, वर्षा, ये सब परमात्मा की ऐसी महान् देने हैं जो सबको मिलती है। खादी में भी यही खूबी है। जो दैवी गुण, जो व्यापकता वृष्टि में है वही खादी में भी है।

हमारे शास्त्रकारों ने दान की व्याख्या ही “दानं संविभाग.” की है। दान का अर्थ है जो एक जगह इकट्ठा हो उसे सर्वत्र सम्यक् बैट देना। यह क्रिया खादी के द्वारा ही सम्भव होती है। महाभारत में अर्थशास्त्र का एक महान् नियम बताया गया है, व्यापक और सनातन अर्थशास्त्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। “दरिद्रान् भर कौन्तेय, मा प्रयच्छेश्वरे धनम्”—“जो महेश्वर है, श्रीमान् है उसे दान न दो, बल्कि जो दरिद्री है उसकी ज़रूरत पूरी करो।” श्रीमानों के भरण की

जल्लत नहीं है, जो दस्ती है उनके पेट के गढ़े को पाठना है। उनको भर दो। यह सनातन सत्य है। आप ज़री की शाल या मिल का कपड़ा खरीदते हैं तो पैसा श्रीमान् की तिजूरी में जाता है। जो गलेतक हूँस चुका है और खा-खाकर ऊब गया है उसी को आपने फिर रबड़ी खिला दी। यह तो अधर्म हुआ, अन्याय हुआ। परन्तु यदि आपने खादी खरीद ली तो वह धेला-पैसा दरिद्रनारायण के घर में जायगा। महाभारत और शाल-कार यहीं तो कहते हैं।

कोई-कोई कहते हैं, खादी में कला नहीं है। उसमें तरह-तरह के रंग नहीं हैं। जो ऐसा कहते हैं वे कला का अर्थ ही नहीं समझते। मैं भी कला की कद्द करनेवाले में से हूँ। एक बार मैं अपने एक मित्र के घर गया। वह मित्र पैसेवाला था। उसने पचास रुपये में एक सुन्दर चित्र खरीदा था। उस चित्र के रंग वह मुझे दिखा रहा था। एक जगह वहुत ही सुहावना गुलाबी रंग था। उसे दिखाकर वह बोला, “कैसा सुन्दर है! क्यों?” मैंने जवाब दिया, “ऊँडहूँड”। उसने कहा, “शायद आपको चित्रकला में रुचि नहीं है?” मैंने उससे कहा, “भलेमानस, मुझे चित्रकला में खूब रुचि है। सुन्दर चित्रों के देखने में मुझे अपार आनन्द आता है। लेकिन कहीं सुन्दर चित्र ही नहीं हैं। मुझे चित्रकला से प्रेम है; उच्च चित्र-कला की मैं कद्द करता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा मुझे चित्रकला का ज्ञान अधिक है, मैं उसका मर्म समझता हूँ। इस चिन का वह गुलाबी रंग सुन्दर है। लेकिन मैं तुमसे दूसरी ही बात कहना चाहता हूँ। इस चित्र के तुमने पचास रुपये दिये। जरा तरिजनों की वस्ती में जाकर देखो। वहाँ तुम फीके चेहरेवाले बच्चे पायोगे। योज़ लघेरे वहाँ जाओ, पन्डर मिनट चलना पड़ेगा। योज़ एक सेर दूध लेकर जाया करो और वहाँ को पिलाया करो। फिर एक सहीने बाद उन लड़कों के सुँदर देखो। उन स्थाय और फीके रंगबाले चेहरों पर गुलाबी रंग आ जायगा। यह वाँ मात्रा

बढ़ने से चेहरे पर लाली आ जायगी । अब तुम्हीं खत्तलुओ, इस निर्जीव चित्र में जो गुलाबी रंग है वह श्रेष्ठ है या वह जो उन जीवित चित्रों में दिखाई देगा ? वे बालक भी इस चित्र-जैसे सुन्दर देख पड़ेगे । मेरे भाई, ये जीवित कला के नमूने मरते जा रहे हैं । इन निर्जीव चित्रों को लेकर कला के उपासक होने की डीग मारते हो और इस महान् दैवी कला को मिट्टी से मिलने देते हो ।” इसी प्रकार का अविचार यहाँ भी हो रहा है । खादी के द्वारा आप वास्तविक कला-पूजक बनेगे, क्योंकि दरिद्रनारायण के चेहरे पर ताज़गी, सुख़ी ला सकेगे । समाज में जो भाई मरणोन्मुख है उन्हे जिला कर समाज में दाखिल करा सकेगे । इससे बढ़कर कला कौन-सी हो सकती है ?

खादी के द्वारा द्रव्य का वितरण होता है । वह अत्यन्त मोहताज, मेहनती और दरिद्र मजदूरों को मिलता है । खादी के द्वारा कला की—जीवित कला की उपासना होती है । ईश्वर के बनाये जीवित चित्रों को न कोई धोता है, न पोछता है और न सजाता है । उधर निर्जीव चित्रों को सुन्दर-सुन्दर चौखटों से सजाते हैं, लेकिन इधर दरिद्र बालकों के शरीर पर न कपड़े हैं, न पेट में अन्न । ये द्रव्य चित्र खादी के द्वारा चमकेगे ।

इतना ही नहीं, खादी में और भी कई बातें हैं । सबसे श्रेष्ठ दान कौन-सा है ? सभी धर्मों में बार-बार एक ही बात कही गयी है—गुसदान श्रेष्ठ है । बाइबल में कहा है, “तुम्हरा दाहिना हाथ जो देता हो उसे बायो हाथ न जानने पाये ।” सब धर्मग्रथों की यही सिखावन है । खादी के द्वारा यह गुसदान होता है । यही नहीं, बल्कि खुद दाता भी यह नहीं जानता कि मैं दान कर रहा हूँ, और न लेनेवाले को इसका पता होता है कि मैं दान ले रहा हूँ । खरीदार कहता है, मैंने खादी खरीदी । जिस गरीब को पैसे मिलते हैं वह सोचता है, मैंने अपने श्रम का मेहनताना लिया । इसमें किसी का दबैल बनने की ज़रूरत नहीं; किर भी इसमें दान तो है ही । दान

तो वही है जो किसी को दीन नहीं बनाता। दया या मेहरवानी से हम जो देते हैं उसके कारण दूसरे की गर्दन छुकाते हैं। समाज में दो तरह के पाप हैं। एक की गर्दन ज़रूरत से ज्यादा तनी हुई—घमण्ड के कारण तनी हुई, और दूसरे की ज़रूरत से ज्यादा छुकी हुई—दीनता से छुकी हुई होती है। ये दोनों पाप ही हैं। एक उन्मत्त और दूसरा दब्रल तथा दुर्बल। गर्दन सीधी हो और लचीली भी हो। लेकिन न तनी हुई हो, न छुकी हुई। कर्मशून्य मनुष्य को बड़ी शान से जब हम प्रत्यक्ष दान देते हैं तब हम तो अपनी शान और मिजाज में मस्त होते हैं और वह मगान दीन होता है। पाप दोनों तरफ़ है। खादी में गुस्तदान सिद्ध होता है। हमारे दिल में तो दान की भावना भी नहीं होती, फिर भी दूसरे को मदद तो पहुँचती ही है। दान देनेवाले और लेनेवाले ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। लेकिन वास्तविक धर्म पर अमल हो रहा है।

आजकल हम गुस्तदान की महिमा भूल गये हैं। यह विज्ञापन युग है। मेरी मॉ मुझे वर्तमान गुस्तदान की पोल बताया करती थी। लड्डू के अन्दर चबन्नी या दुअन्नी रख दी जाती है लेकिन पण्डितजी से धीरे से कह दिया जाता है, “ज़रा धीरे-धीरे चवाइए, अदर चबन्नी है।” गुस्तदान देने के लिए लड्डू में चबन्नी रख दी जाती है, लेकिन अगर पण्डितजी को सतर्क न किया जाय तो बेचारे के दौतों पर आफत आजाय। मतल्ब, फिर वह दान गुस्त तो नहीं रहेगा, किसी-न-किसी वहाने प्रकट होगा ही। आजकल समाज में दानी लोग अपना नाम खुदवाते हैं। पैसे देते और कहते हैं, “हमारा नाम दे दीजिए।” यह अधःपतन है। मुझसे एक बार एक श्रीमान् कहने लगे, “मुझे कुछ रुपये देने हैं।” मैंने कहा, “वहुत अच्छा, लाहए।” उन्होंने कहा, “उस इमारत में मेरा नाम दे दीजिए।” मैंने जवाब दिया, “आपके रुपये मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार का दान लेने में मुझे आपकी आत्मा का घोर अपमान करने का

पाप लगेगा । आप खुद अपनी आत्मा का अपमान करने पर—पाप करने पर उतारू हो गये है, पर मै उसमे हाथ बैठाना नहीं चाहता । यह पाप है और आपको यह समझाना मेरा काम है ।” इसमे आत्मा का कितना बड़ा अपमान है ! क्या आप अपनी इच्छाओं को, अपनी अनन्त आत्मा को उन पत्थरों मे कैद करना चाहते है ? इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गुस्तान की शिक्षा दी । आजकल के दान दरअसल दान ही नहीं है । आपने पैसे देकर इमारत पर अपना नाम खुदवाया । इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने अपने हाथों अपनी कब्र बनवाली; आपने खुद अपनी बडाई करवाली । इसमें दान क्या किया ? गुस्त दान बहुत ही पूजनीय वस्तु है । मैंने आपसे कहा कि खादी खरीदने मे १०) खादी-खाते और ५) दानधर्म-खाते आप लिखें । यह जो साल भर मे दान-धर्म होगा वह गुस्त होगा । यह दान देते हुए—यह गुस्त दान देते हुए—आपको यह गर्व न होगा कि मै बड़ा उपकार कर रहा हूँ, और जिस गरीब को दो-चार आने मिलेंगे उसे भी किसीके दरवाजे पर जाकर “बाबा, एक मुट्ठी” कहने के बजाय, “मै अपनी मेहनत का खाता हूँ”, यह अभिमान होगा । यह गुस्तान का महान् धर्म भी खादी खरीदने से सिद्ध होगा । दूसरे दानों की जरूरत ही न रहेगी । असल मे वे दान ही नहीं है । दान वही है जो दूसरों को स्वाभिमान सिखाये । खादी खरीदने मे जो मदद पहुँचेगी, जो गुस्तान दिया जायगा उसकी बदौलत मजदूरों को देहात मे ही काम मिलेगा, उन्हे अपना घरवार छोड़ना न पड़ेगा । देहात की खुली हड्डा मे वे रह सकेंगे । देहात छोड़कर शहर मे आने पर वे कई बुरी आदतों और ऐवों के शिकार बन जाते हैं और उनके चरित्र तथा स्वास्थ्य का नाश होता है सो न होगा । देहातियों के शरीर और मन निरोग और निरालस रहेंगे । मतलब, खादी के द्वारा जो दान होता है उससे समाज मे कितना कार्य हुआ यह देखना चाहिए । आदमियों

के गरीर और हृदय—उनकी शारीरिक शक्ति और चरित्र शुद्ध रखने का श्रेष्ठ उद्देश्य खादी द्वारा सफल होता है। इसी का नाम है चीज़ बोना। यही वास्तविक दान है, गुप्त दान है, संविभाग है, जीती-जागती और खेलतीहुई कला निर्माण करनेवाला दान है।

“दरिद्रान् भर कौन्तेय”, “दानं संविभागः”, इन सूत्रों को आप न भूले। आपके श्रेष्ठ पूर्वजों की यह दान-नीति है। जो अनीति और आलस को बढ़ाता है वह दान ही नहीं है। वह तो अधर्म है। उस दान को देनेवाला और लेनेवाला दोनों पाप के हिस्तेदार होते हैं। दोनों “अवसि नरक-अधिकारी” हैं। इसलिए विवेक की आँख खुली रखकर दान कीजिए। यही कर्म-कुशलता है। आप दया-धर्म का पालन करते हैं। हृदय के गुण की तो रक्षा की, लेकिन बुद्धि के गुण का नाश किया। बुद्धि और हृदय का जब विलगाव होता है तो अनर्थ होता है। हृदय कहता है “दया करो, दान करो”; लेकिन “दया किस प्रकार करे, दान कैसे करें”, यह तो बुद्धि ही सिखाती है, विचार ही बतलाता है। जहाँ बुद्धि और हृदय का संयोग होता है वहीं योग होता है। ज्ञान और बुद्धि की एकता का ही नाम योग है। यही कर्म-कुशलता है। आज दान महज एक लड्डि है। जब आचार में से विचार निकल जाता है तो निर्जीव रुद्धि ही बाकी रह जाती है। इसलिए विवेकयुक्त दान-धर्म सीखिए। दान-जैसी कोई स्वतन्त्र चीज़ ही नहीं रह जानी चाहिए। इस प्रकार के गुप्तदान समाज के नित्य के व्यवहार में हुआ करते हैं। खादी के द्वारा इसका पालन कैसे होता है, यह मैंने दिखा दिया। अगर आप इसे ठीक समझते हो तो इसपर अमल करें।

हमारा जन्म इस भारत-भूमि में हुआ है। इस भूमि का प्रत्येक कण मेरे लिए पवित्र है। सैकड़ों श्रेष्ठ साधु-हन्त इस भूमि में उत्पन्न हुए और लोगों को जगाने हुए विचरते रहे। इस धूलि की उनके चरणों का दर्श

हुआ होगा। जी चाहता है कि इस धूलि मे खूब लोहूँ। “दुर्लभं भारते जन्म”। मेरे अहोभाग्य है कि मै इस भूमि मे पैदा हुआ। “मैं इस भारतवर्ष मे उत्पन्न हुआ”, इस विचार से ही कभी-कभी मेरी ओँखो से आसुओ की धारा बहने लगती है। आप ऐसी श्रेष्ठ भूमि की सन्तान है। आप अपने-आपको धन्य माने। आज जरा बुरे दिन आगये हैं। क्लेश, कष्ट, अपमान सहने पड़ते हैं। लेकिन इस विपत्ति में धीरज देनेवाला विचार भी तो पास ही है। हम सब आशा से काम करें, विवेकपूर्ण कर्म करें, अपने जीवन मे दर्शन का प्रवेश करें। सुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इस देश के अच्छे दिन आयेगे। लेकिन जरूरत है सुन्दर कृति की। वही कीजिए।

श्रमदेव की उपासना

बाह्य अनुकरण

मनुष्य को प्रायः बाह्य अनुकरण की आदत रहती है। आकाश के तारों को देखकर जी ललचता है, इसलिए हम अपने मन्दिरों में कॉच की हाड़ियों और झाड़-फ़ानूस टॉगते हैं। आकाश के नक्षत्र तो, आनन्द देते हैं, पर ये हाड़ियों और झाड़ तो घर के अन्दर की स्वच्छ वायु को जलाते हैं। चार महीने की वर्षा के बाद धुलेहुए आकाश के अनशिनत नक्षत्रों को देखकर हमने दिवाली मनाना शुरू किया। छुट्टपन में हम एक वृक्ष के फल में नारियल का तेल ढालकर दिये जलाते थे। अब तो देहात में भी भयानक धुओं उगलनेवाले मिठी के तेल के दिये जलाये जाते हैं। इसी तरह देहात में हम कॉग्रेस की नक्ल उतारते हैं। आरम्भ संगीत से करते हैं; प्याहे लोग उसे समझें न। यह फलाना गोट, वह दिमाका गोट, ऐसे दरवाजों के नाम भी रख लेते हैं। लेकिन अनुकरण अन्दर से होना चाहिए।

वैभव और वैराग्य

मेरा मतलब यह है कि काग्रेस में राष्ट्र का वैभव नजर आना चाहिए, लेकिन खादी-यात्रा के द्वारा तो उसका वैराग्य ही प्रकट होना चाहिए। हिमालय से निकलनेवाली गंगा गंगोत्री के पास छोटी और शुष्क है। प्रयाग की गंगा में नदियों, नाले और नालियों मिलकर वह वैभवशालिनी बन गती है। दोनों स्थानों में वही पवित्र गंगाजी हैं। लेकिन गंगोत्री

की गंगा यदि प्रयाग की गगा के अनुकरण का दम भरे तो प्रयाग की विशालता उसे प्राप्त होने के बजाय वह अस्वच्छ, अशुद्ध हो जायगी। कॉग्रेस के समान बड़े-बड़े सम्मेलनों में राष्ट्र का वैभव और सिद्धि प्रकट होती है। छोटी-सी खादी-यात्रा में वैराग्य और शुद्धि के दर्शन होने चाहिए। हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न करें, कॉग्रेस का वैभव देहात में नहीं ला सकते। वहाँ तो देहातियों के दिल की ताकत और देहाती जीवट ही प्रकट होना चाहिए।

मुख्य वस्तु—देव-दर्शन

हम खादी-यात्रा में क्यों एकत्र होते हैं? व्याख्यान, खेल-कूद, राष्ट्र-गीत के लिए नहीं। चाहे जिस तीर्थ-स्थान को ले लीजिए। तीर्थ-स्थान में मेला लगता है। और भी हजारों चीजें होती हैं। लेकिन यात्री वहाँ किस लिए जाते हैं? देव-दर्शन के लिए। कोई कहेगा, उस पथर में क्या धरा है जी! लेकिन तीर्थ-यात्री के लिए वह पथर नहीं है। उमरेड (नागपुर के पास की एक तहसील) के पास रहनेवाला एक अछूत लड़का पढ़रपुर जाता है। उसे कोई मन्दिर में जाने भी नहीं देता। लेकिन वह तो वहाँ देवता के दर्शनों के लिए ही गया; हम उसे पागल भले ही कहे। पढ़रपुर के देवता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ जो मेला लगता है उससे लाभ उठाने के लिए वहाँ हम उस मौके पर खादी-ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। पर हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता। चाहे शुद्ध उद्देश्य से ही क्यों न हो, लेकिन यदि जनता को फॉसना ही है तो कम-से-कम मैं तो उसे सीधे अपना मतलब बताकर फॉसूँगा। खादी-ग्रामोद्योग का स्वतन्त्र मन्दिर हम क्यों नहीं बना सकते? दूसरे मेलों से लाभ उठाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है?

परिश्रम ही देवता है

खादी-यात्रा में हम खादी, ग्रामोद्योग और अहिंसा के प्रेमी क्यों

एकत्र होते हैं ? मुझ-जैसे कई ऐसे आदमी भी होगे जिन्हें दो दिन रहने की फुरसत भी न हो । वे यहाँ किस खास चीज के लिए आये ? मेरा उत्तर है—सब मिलकर एकत्र कातने के लिए । परिश्रम हमारा देवता है, उसके दर्जनों के लिए । मेरी इच्छा गाधी-सेवा-संघ के सम्मेलन में जाने की थी । सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ सामुदायिक शारीर-श्रम का कार्यक्रम होता है । खादी-यात्रा में यह गदी किसलिए ? खादी और गादी (गदी) की लड़ाई है । अगर इस लड़ाई में गादी की जीत होने-वाली हो तो हमको खादी छोड़ देनी चाहिए । दुबले-पतले, कमज़ोर आदमियों और बूढ़ों के लिए गादी का उपयोग भले ही होता रहे । हमें तो ज़मीन लीप-पोतकर अपना मुख्य कार्यक्रम करना चाहिए । दूसरे ही कार्यक्रम मुख्य होने लगें तो यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई किसान हमारे घर मेहमान आये, हम सुन्दर चौक पूरकर उसके सामने तरह-तरह की चटनी और अचारों के ढेर लगाकर थाली लगायें, लेकिन उसमें रोटी रखें केवल दो तोले ! वह बेचारा कहेगा कि मेरा इस तरह मज़ाक क्यों उड़ाते ही, भाई ? इसी प्रकार देहाती कहेगे, हम यहाँ मज़दूरी करने के लिए आते हैं । क्या आप लोग हमारे साथ मज़ाक करने आते हैं ?

श्रीकृष्ण—प्रतिनिधि

दूसरे लोग हमसे पूछते हैं, तुम्हारा धर्म कैसा है ? श्रीकृष्ण की लोग जय बोलते हैं । लेकिन सौ मेरे निन्यानवे लोग गीता का नाम तक नहीं जानते । मुझे इसका इतना दुःख नहीं है । गोपालकृष्ण का नाम तो सब लोग जानते हैं न ? उनकी जीवनी तो सब जानते हैं न ? कृष्ण की महत्ता इसलिए नहीं है कि उन्होंने गीता का गायन किया । वह तो उनके जीवन के कारण है । द्वारकाधीश होने के बाद भी सारा राज-काल सँभाल-कर श्रीकृष्ण कभी-कभी ग्वालों के साथ रहने आया करते थे । गायं चराते थे, गोवर उठाते थे । उन्हें इस सारे काम ये इतना प्रेम था, इसीलिए

आज भी लोगों के दिल में उनके लिए इतना प्रेम है और वे उनका स्मरण करते हैं। परिश्रम के प्रतिनिधि बनकर भगवान् श्रीकृष्ण जो कुछ करते थे वह हमें अपना प्रधान कार्य समझकर करना है। इसके अलावा और जो कुछ करना चाहे कीजिए; पर अनुकरण का अभिनय न हो।

महात्माजी विलकुल तंग आ गये हैं। अहिंसा के बल पर हमने इतनी मज़िल तय की। लेकिन अब तो हमारी सरकार को भी हिन्दू-मुसलमानों के दगो में पुलिस और फौज बुलानी पड़ती है। अहिंसा के बल पर हम दगे शान्त नहीं करा सकते, यह एक तरह से अहिंसा की द्वार ही है। दुर्बलों की अहिंसा किस काम की? कोई-कोई कहते हैं, इसमें मंत्रियों का क्या कुसूर है? मैं कहता हूँ, तिनके के बराबर भी कुसूर उनका नहीं है। लेकिन आजिर मन्त्री बनकर भी क्या हम यही करते रहेगे? अँग्रेजों के आने से पहले भी तो हम यही करते थे—जब जरूरत होती, अँग्रेजों की सेना का आवाहन करते थे। तब और अब मैं फिर भेद ही क्या रहा? गाधी के द्वैशमक्त अनुयायी भी हमारी फौज की शरण लेते हैं, इसकी अँग्रेजों को कितनी खुशी हो रही होगी? अगर बिना फौज के काम ही न चलता हो तो अपनी फौज खड़ी कीजिए। आज तो फौज में चुन-चुनकर तामसी लोग भरती किये जाते हैं। कम-से-कम आप ऐसा तो न करेगे। आप देश की हालत जाननेवाले लोगों को फौज में भरती करेगे।

महात्माजी ने अपने दो लेखों में यह बात साफ़ कर दी है कि अहिंसा वीरों की होनी चाहिए, दुर्बलों की कदापि नहीं। जब शख्स को धार शरीर में लगती है तभी वीरता की परीक्षा होती है। आप अहिंसा का दम भरेगे और मरने से डरेगे तो ऐन मौके पर आपको पता चलेगा कि आप कायर हैं।

काग्रेस के ३१ लाख सदस्य बन गये हैं। लेकिन सख्त्या को लेकर हम क्या करे? रोज़ जिन्हे एक ही जून रोटी नसीब होती है ऐसे सब लोगों

को सदस्य बनालें तो पैंतीस करोड़ सदस्य बन जायेंगे । दोनों जून खाने-बाले को बनाना हो तो कम-से-कम चार-पाँच करोड़ को इनमें से कम कर देना पड़ेगा । सिंधिया के पास साठ हजार फौज थी । होलकर के पास चालीस हजार । लेकिन वेलजली ने पाँच हजार फौज से उनको हरा दिया । क्यों ? जब वेलजली ने चढ़ाई की तो सिंधिया के दस हजार जवान पाखाने गये थे और दस हजार सो रहे थे । इस तरह के तमाशाबीन किस काम के ? और फिर अहिंसा की लड़ाई में ऐसे आदमियों से तो काम नहीं चलेगा । बड़े के पेड़ के नीचे जो लोग आराम करने आते हैं वे उसकी छाया से लाभ उठाते हैं; लेकिन उनसे से कोई उसके काम नहीं आयेगा ।

मन्त्रि-पद स्वीकार कर लेने से लाभ चाहे जो हुआ हो, लेकिन एक बड़ा भारी नुकसान हुआ । लोगों की स्वावलम्बन की हिम्मत घटी हुई सी दीख पड़ती है । उधर वह बूढ़ा (गांधी) विल्कुल परेशान हो रहा है । संयुक्तप्रान्त की असेम्बली में दगो के बारे में वहस होती है और मुख्ल-मानों की ओर से शिकायत आती है कि मन्त्री जनता की अच्छी तरह रक्षा नहीं कर सके । अगर इसे हिंसा का ही मार्ग लेना था तो हमने ये अठारह साल अपने अच्छे-से-अच्छे लोगों को अहिंसा की शिक्षा देने में विताने की बेवकूफी क्यों की ? जर्मनी और इटली की तरह इन नौजवानों को भी उत्कृष्ट फौजी शिक्षा दी गया होती ? इसलिए गांधीजी कहते हैं कि मेरा मार्ग यदि बद्धादुरो के मार्ग के रूप में ज़ंचता हो तो उने स्वीकार करो, बरना छोड़ दो ।

गृहीतों की सत्ता

पैनार में मंजदूरों के राथ उठता थेठता है । मैंने उनसे गदा, तुम लोग अपनी मजदूरी इकट्ठी करके आपस में बराबर-बराबर बॉट लो । आपको शायद सुनकर अचरज होगा, पर मंजदूरों ने कहा, “कोई हर्द

नहीं ।” लेकिन इस प्रस्ताव पर अमल कैसे हो ? उनसे अलग रहकर ? जब मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँगा तब हम सब मिलकर उसपर अमल करेगे । आपको अपने हजार आन्दोलन छोड़कर इस सच्ची राजनीति की ओर ध्यान देना चाहिए । मजदूरों की मजदूरी की शक्ति प्रकट होनी चाहिए । आप गरीबों के हाथों में सज्जा देना चाहते हैं न ? तब तो उनके हाथों का खूब उपयोग होने दीजिए । बचपन में हम एक श्लोक पढ़ा करते थे ‘कराये चसते लक्ष्मी’—अँगुलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी निवास करती है । तो फिर बताइए, क्या इन अँगुलियों का ठीक-ठीक उपयोग होना आवश्यक नहीं है ? क्या उनमें उत्तम कला-कौशल आना जरूरी नहीं है ? हम विदेशी-बख्त-बहिष्कार कमेटी बनाते हैं । उसमें गद्दी, कलम, कागज और दूसरी हजार चीजें होती हैं । लेकिन चरखा, धुनकी नदारद । गाधी-सेवा-संघ में हर महीने हजार रुज कातने का नियम है । लेकिन शिकायत यह है कि उसका भी भली-भाँति पालन नहीं होता । ये स्वराज्य प्राप्त करने के लक्षण नहीं हैं । फिर तो आपका स्वराज्य सपने की चीज़ है । जबतक हम मजदूरों के साथ परिश्रम करने के लिए तैयार न होगे तबतक उनका हमारा ‘एका’ कैसे होगा ? जबतक हम उनमें छुल-मिल न जायें तबतक हमारी अहिंसा की शक्ति प्रकट न होगी ।

कताई की दर

कताई की मजदूरी की दर बढ़ायी जानेवाली है, इससे कुछ लोगों को शिकायत है । कुछ लोग कहते हैं कि मजदूरी चाहे जितनी बढ़ाइए लेकिन खादी सस्ती रहे । अब इस दलील के सामने अर्थशास्त्रज्ञ क्या अपना सिर पीटे ? कताई की दर बढ़ाकर खादी सस्ती कैसे करे ? शायद इसका भी मेल बैठाने में सफलता मिल जाय । लेकिन उसके लिए यन्त्र, तोप, हवाई जहाज आदि की सहायता लेनी पड़ेगी । शहर में रहनेवाले जमनालालजी यदि कहें कि खादी सस्ती मिलनी चाहिए तो भले ही कहें, मगर देहात के

लोग भी जब यही कहने लगते हैं तो वडा आश्र्य होता है। आप कहते हैं कि मजदूरों को जिन्दा रहने के लायक सुविधा हो। अग्रेज़ भी तो दिलोजान से यही चाहते हैं कि हम जिये और जन्मभर उनकी मजदूरी करें।

मजदूर और व्यवस्थापक

खादी का व्यवस्थापक यदि २०) वेतन लेता है तो त्यागी समझा जाता है। उसे निजी काम के लिए या वीमारी के कारण सवेतन छुट्टी मिल सकती है। लेकिन उसके मातहत काम करनेवाले को केवल डेढ़ आने मजदूरी मिलती है। निजी काम के लिए या वीमारी की छुट्टियाँ नदारद। हाँ, यिना वेतन के चाहे जितनी छुट्टियाँ लेने की सुविधा है। इन वेचारे मजदूरों को अगर खादी-यात्रा में आना हो तो अपनी रोज़ी का त्याग करके आना पड़ता है और इसके अलावा यहाँ का खर्च भी देना पड़ता है। शायद तुलना कढ़वी लगे। लेकिन कड़वे-मीठे का का सवाल नहीं है; सवाल तो है सच और झट का।

कुछ लोग कहते हैं, समाजवादियों ने मजदूरों को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया है, इसलिए हमें मजदूरों में जाकर उन्हे समाजवादियों के चगुल से छुड़ाना चाहिए। लेकिन आप मजदूरों में किस टैंग से प्रवेश करना चाहते हैं? अगर अहिंसक ढग से उनमें शामिल होना है तब तो व्यवस्थापक और मजदूर में आज जो अन्तर है वह घटता ही जाना चाहिए। व्यवस्थापकों को मजदूरों के समान बनना चाहिए। मजदूरों का वेतन बढ़ाना चाहिए। “मजदूरों का वेतन बढ़ाकर उनका और एक विशेष वर्ग तुम निर्माण करोगे,” ऐसा आवेप भी कुछ लोग करते हैं। तो किस मुश्पर यह भी आधिकारिक वयों न किया जाय कि मैं देश की सेवा करनेवाले देश-सेवकों का ही एक खास वर्ग बनाने जा रहा हूँ। मजदूरी की दर बढ़ाये यिना मैं मजदूरों के साथ एकलप किए तरह ही सकता हूँ? उनका और मेरा ‘एका’ कैसे ही सकता है?

श्रम की प्रतिष्ठा

किशोरलालभाई का आग्रह था कि शिक्षकों को कम-से-कम २५) मासिक वेतन मिलना चाहिए। पौनार के मास्टरों को १६,) माहवार मिलता है। मजदूरों को उनसे ईर्ष्या होती है। तीन साल पहले मेरे प्राण-परखेरु उड़ चुके थे, सो कताई के भाव बढ़ते ही फिर इस शरीर मे लौट आये। बेचारों को दस-दस घटे मेहनत करनी पड़ती है, तब कही बड़ी मुश्किल से चार आने पैसे मिलते हैं। और यहाँ तो कम-से-कम खर्च छः आने का है। भला बताइए, मैं उनमे कैसे शामिल हो सकता हूँ १

आज तो श्रम की प्रतिष्ठा केवल वाद्यय—साहित्य—मे है। इससे कोई फायदा नहीं। श्रम का अधिक मूल्य देना ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा बढ़ाना है और इसका आरम्भ हम आप सबको मिलकर करना है।

यहाँ इतने खादीधारी आते हैं, लेकिन सब अपना-अपना चरखा या तकली नहीं लाते। यहाँ तकली भूलकर आना, मानो नाई का अपना उस्तरा भूल आना है। हम यहाँ खिलबाड़ के लिए नहीं आते। हमारी खादी-यात्रा मे वैराग्य का वैभव और श्रम की शक्ति प्रकट होनी चाहिए।

राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

आज तक खादी का कार्य हमने श्रद्धा से किया है। अब श्रद्धा के साथ साथ विचारपूर्वक करने का समय आ गया है। खादीवाले ही यह समय लाये हैं, क्योंकि उन्होंने ही खादी की दर बढ़ायी है।

सन् १९२० में हमने सत्रह आने गज खादी खरीदी थी। मगर सस्ती करने के इरादे से दर कम करते-करते चार आने गज पड़ने लगी। चारों ओर ‘‘थंत्र-युग’’ होने के कारण कार्यकर्त्ताओं ने मिल के भाव दृष्टि में रखकर धोरे-धीरे कुशलता-पूर्वक उसे सस्ता किया। इस देतु की सिद्धि के लिए जहाँ गरीबी थी उन स्थानों में कमसे-कम मजदूरी देकर खादी-उत्पत्ति का कार्य चलाना पड़ा। लेनेवालों ने भी ऐसी खादी इसलिए ली कि वह सस्ती थी। मध्यमवर्ग के लोग कहने लगे—अब खादी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके भाव मिल के कपड़े के बराबर हो गये हैं, वह टिकाऊ भी काफ़ी है और महँगी भी नहीं है। अर्थात्, ‘‘थुद-मुली और घनदुधी’’ इस कहावत के अनुसार खादी-रूपी गाय लोगों को चाहिए थी। उन्हें वह वैसी मिल गयी और वे मानने लगे कि खादी इस्तेमाल करके हम महान् देश-सेवा कर रहे हैं।

यह बात तो गाधीजी ने सामने रखी है कि अब मजदूरों को अधिक मजदूरी दी जाय, उन्हें रोजाना आठ आने मिलने चाहिए। क्या यह भी लालचुणकड़ की बकवास है या उनकी दुद्धि सठिया गयी है? या उनके कहने में कुछ सार भी है? इसपर हमें विचार करना चाहिए। हम अभी

सोठ के अन्दर ही है, ससार से अभी ऊब नहीं गये है, दुनिया में अभी हमें रहना है। यदि ये विचार हमें नहीं ज़चते तो यह समझकर हम इन्हे छोड़ सकते हैं कि यह खबरी लोगों की सनक है। सच बात तो यह है कि जबसे खादी की मजदूरी बढ़ी तबसे मुझमें मानो नयी-जान आ गयी। पहले भी मैं यही काम करता था। मैं व्यवस्थित कातनेवाला हूँ। उत्तम पूनी और निर्दोष चरखा काम में लाता हूँ। कातते समय मेरा सूत दूटता नहीं, यह आपने अभी देखा ही है। मैं श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक कातता हूँ। आठ घण्टे इस तरह काम करने पर भी मेरी मजदूरी सबा दो आने पड़ती थी। रीढ़ में दर्द होने लगता था। लगातार आठ घण्टे काम करता था, मौनपूर्वक कातता था, एकबार पालथी जमायी कि चार घण्टे उसी आसन में कातता रहता। तो भी मैं सबा दो आने ही कमा सकता था। सारे राष्ट्र में इसका प्रचार कैसे हो, इसका विचार मैं करता रहता था। यह मजदूरी बढ़ गयी इससे मुझे आनन्द हुआ, कारण मैं भी एक मजदूर ही हूँ। “धायल की गति धायल जाने।”

मेरे हाथ के सूत की धोती पॉच रूपये की हो, तब भी धनी लोग बारह रूपये में खरीदने को तैयार हैं। कहते हैं, “यह आपके सूत की है, इसलिए हम इसे लेते हैं।” ऐसा क्यों? मैं मजदूरों का प्रतिनिधि हूँ। जो मजदूरी मुझे देते हो वही उन्हे भी दो। ऐसी परिस्थिति में मुझे यहीं चिन्ता हो गयी कि इतनी सस्ती खादी कैसे जीवित रह सकेगी। अब मेरी यह चिन्ता दूर हो गयी है। पहले कातनेवाले चिंतित रहते थे कि खादी कैसे टिकेगी। आज वैसी ही चिन्ता पहननेवालों को मालूम हो रही है।

ससार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं—(१) काश्तकार, (२) दूसरे धन्धे करनेवाले और (३) कुछ भी धन्धा न करनेवाले, जैसे बूढ़े, रोगी, बच्चे, वेकार वैरह। अर्थशास्त्र का—सचे अर्थशास्त्र का यह नियम

है कि इन तीनों वर्गों में जो ईमानदार हैं उन सबको पेटभर-अन्न, वस्त्र और आश्रय की आवश्यक सुविधा होनी ही चाहिए। कुटुम्ब भी इरो तत्त्व पर चलता है। जैसा कुटुम्ब में वैसा ही समत्त राष्ट्र में होना चाहिए। इसीका नाम है “राष्ट्रीय अर्थशास्त्र”—“सन्दा अर्थगाल्स”। इस अर्थ-गाल्स में सब ईमानदार आदमियों के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। आलसी याने गैर-ईमानदार लोगों के पोषण का भार राष्ट्र के ऊपर नहीं हो सकता।

इंग्लैण्ड-सरीखे देशों में (जो यन्त्र-सामग्री से सम्पन्न हैं) दूसरे देशों की सम्पत्ति बहकर आती है, सब वाजार खुले हुए हैं, नाना प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं, तो भी वहाँ वेकारी है। ऐसा क्यों? इसका कारण है यन्त्र। इस वेकारी के कारण प्रति सप्ताह वेकारों को भिक्षा (टोल) देनी पड़ती है। ऐसे २०—२५ लाख वेकारों को मजदूरी न देकर अन्न देना पड़ता है। आप कहते हैं कि भिखारियों को काम किये वगैर अन्न न दो, पर वहाँ अन्नदान का रिवाज चालू है। इन लोगों को काम दीजिए। इन्हें काम देना कर्तव्य है। ‘काम दो, नहीं तो खाने को दो’, यह नीति इंग्लैण्ड में है तो सारे संसार में क्यों न हो? वहाँ भी उसे लागू कीजिए। पर वहाँ लागू करने पर काम न देकर ॥। करोड़ लोगों को अन्न देना पड़ेगा। यहाँ कम से-कम ॥। करोड़ मनुष्य ऐसे निकलेंगे। यह भी हिसाब देखकर कह रहा हूँ। इतने लोगों को अन्न कैसे दिया जा सकेगा? नहीं दिया जा सकता—मन में ठान लिया जाय तो भी नहीं दिया जा सकता। उधर, चूंकि इंग्लैण्डवाले दूसरे देशों की सम्पत्ति लट्ट लाते हैं, इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। ईमानदारी से राज करना ही तो ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकता।

हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है, तो भी यहाँ ऐसा कोई धन्धा नहीं जो कृषि के साथ-साथ किया जा सके। जिया देश में केवल नेती होती

है वह राष्ट्र दुर्वल समझा जाता है। यहाँ हिन्दुस्तान में तो ७५ प्रतिशत से भी ज्यादा काश्तकार है। यहाँ की जमीन पर कम-से-कम दस हजार बरस से काश्त की जाती है। अमेरिका हिन्दुस्तान से तिगुना बड़ा मुल्क है, पर आबादी वहाँ की सिर्फ १२ करोड़ है। जमीन की काश्त केवल ४०० वर्पं पूर्व से ही हो रही है, इसलिए वहाँ की जमीन उपजाऊ है और वह देश समृद्ध है। अपने राष्ट्र के काश्तकारों के हाथ में और भी धन्धे दिये जायें तभी वह सम्मल सकेगा। काश्तकार, यानी (१) खेती करनेवाला, (२) गोपालन करनेवाला और (३) धुनकर कातनेवाला। काश्तकार की यह व्याख्या की जाय तभी हिन्दुस्तान में काश्तकारी टिक सकेगी।

सारांश, यह वर्तमान परिपाठी बदलनी ही पड़ेगी। बहुत लोग दुःख प्रकट करते हैं कि खादी का प्रचार जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसमें दुःख नहीं आनन्द है। खादी बीड़ी के बडल अथवा लिप्टन को चाय नहीं है। खादी एक विचार है। आग लगाने को कहे तो देर नहीं लगती, पर यदि गाँव बसाने को कहे तो इसमें कितना समय लगेगा, इसका भी विचार कीजिए। खादी निर्माण का काम है, विव्वस का नहीं। यह विचार अँग्रेजों के विचार का शत्रु है। तब खादी की प्रगति धीमी है, इसका दुःख नहीं, यह तो सज्जाग्य ही है। पहले अपना राज था तब खादी थी ही; पर उस खादी से और आज की खादी से अन्तर है। आज की खादी में जो विचार है वह उस समय नहीं था। आज हम खादी पहनते हैं इसके क्या मानी है, यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आज की खादी का अर्थ है सारे सासार में चलते हुए प्रवाह के विरुद्ध जाना। यह पानी के प्रवाह के ऊपर चढ़ना है। इसलिए जब हम यह बहुत-सा प्रतिकूल प्रवाह—प्रतिकूल समय जीत सकेंगे, तभी खादी आगे बढ़ सकेगी। “इस प्रतिकूल समय का संहार

करनेवाली मैं हूँ”, यह वह कह सकेगी। “कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्यवृद्धः”, ऐसा अपना विराट् रूप वह दिखलायेगी। इसलिए खादी की यदि मिल के कपड़े से तुलना की गयी तो समझ लीजिए कि वह मिट गयी—मर गयी। इसके विपरीत उसे ऐसा कहना चाहिए कि ‘‘मैं मिल की तुलना में सस्ती नहीं, महँगी हूँ। मैं वडे मोल की हूँ। जो-जो विचारणील मनुष्य है मैं उन्हे अलकृत करती हूँ। मैं सिर्फ शरीर ढाँपने-भर को नहीं आयी; मैं तो आपका मन हरण करने आयी हूँ।’’ ऐसी खादी यकायक के से प्रसूत होगी। वह धीरे-धीरे ही आगे जायगी और जायगी तो पक्के तौर से जायगी। खादी के प्रचलित विचारों की विरोधिनी होने के कारण उसे पहननेवालों की गणना पागलों में होगी।

मैंने अभी जो तीन वर्ग बताये हैं—काश्तकार, अन्य धन्धा करने-वाले और जिनके पास धन्धा नहीं—उन सभी ईमानदार मनुष्यों को हमें अन्न देना है। इसे करने के लिए तीन शर्तें हैं। एक तो सर्वप्रथम काश्तकार की व्याख्या बदलिए। (१) खेती, (२) गो-रक्षण और (३) कातने का काम करनेवाले, ये सब काश्तकार हैं—काश्तकार की ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। अन्न, वस्त, बैल, गाय, दूध इन वस्तुओं के विषय में काश्तकार को स्वावलम्बी होना चाहिए। यह एक शर्त हुई। दूसरी शर्त यह है कि जो वस्तुएँ काश्तकार तैयार करें वे सब ‘दूसरों को महँगी ख़रीदनी चाहिएँ। तीसरी बात यह कि इनके सिवाय वाकी की चीजें जो काश्तकार को लेनी हो वे उसे सस्ती मिलनी चाहिएँ। अन्न, वस्त, दूध ये वस्तुएँ महँगी, पर घड़ी, गिलास-जैसी वस्तुएँ सस्ती होनी चाहिएँ। वास्तव में दूध महँगा होना चाहिए जो है सस्ता, और गिलास सस्ते होने चाहिएँ जो हैं महँगे। यह आज की स्थिति है। आपको यह विचार रुढ़ करना चाहिए कि अच्छे-से-अच्छे गिलास सस्ते और मध्यम दूध भी महँगा होना चाहिए। इस प्रकार का अर्थशास्त्र आपको तैयार करना चाहिए। खादी, दूध और

अनाज सस्ता होते हुए क्या राष्ट्र सुखी हो सकेगा ? इने-गिने कुछ ही नौकरों को नियमित रूप से अच्छी तरखावाह मिलती है, उनकी बात छोड़िए । जिस राष्ट्र में ७५ प्रतिशत काश्तकार हो उसमे यदि ये वस्तुएँ सस्ती हुईं तो वह राष्ट्र कैसे सुखी होगा ? उसे सुखी बनाने के लिए खादी, दूध, अनाज, ये काश्तकारों की वस्तुएँ महँगी और बाकी की चीजें सस्ती होनी चाहिए ।

मुझसे लोग कहते हैं, “तुम्हारे ये सब विचार प्रतिगामी हैं । इस बीसवीं सदी मे तुम गाधीवाले लोग यत्र-विरोध कर रहे हो ।” पर मैं कहता हूँ कि क्या आप हमारे मन की बात जानते हैं ? हम सब यत्र-विरोधी हैं यह आपने कैसे समझ लिया ? मैं कहता हूँ कि हम यत्रवाले ही हैं । एकदम आप हमें समझ सके यह बात इतनी सरल नहीं है । हम तो आपको भी हजाम कर जानेवाले हैं । मैं कहता हूँ कि आपने यन्त्रों का आविष्कार किया है न ? हमें भी वे मान्य हैं । काश्तकारों की वस्तुएँ छोड़कर बाकी की वस्तुएँ आप सस्ती कीजिए । अपनी यन्त्रविद्या काश्तकारों के धन्धों के अलावा दूसरे धन्धों पर चलाइए और वे सारी वस्तुएँ सस्ती होने दीजिए । पर आज होता है उल्टा । काश्तकारों की वस्तुएँ सस्ती, पर इतने यन्त्र होते हुए भी यन्त्र की सारी वस्तुएँ महँगी । मैं खादीवाला हूँ, तो भी यह नहीं कहता कि चकमक से आग पैदा कर लो । मुझे भी दियासलर्इ चाहिए । काश्तकारों को एक पैसे मे पॉच डिविया क्यों नहीं देते ? आप कहते हैं कि हमने बिजली तैयार की और वह गॉवों को चाहिए । तो दीजिए न आध आने मे महीने भर । आप खुशी से यन्त्र निकालिए, पर उनका वैसा उपयोग होना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ । केले चार आने दर्जन होने चाहिए और आप के यन्त्रों की बनी वस्तुएँ पैसे, दो पैसे मे मिलनी चाहिए । मक्कलन दो रुपये सेर आपको काश्तकार से खरीदना चाहिए । यदि आप कहे कि हमें यह ज़ंचता नहीं,

तो काश्तकार भी कह दे कि हम अपनी चीजें खाते हैं, हमारे खाने के बाद वचेगी तो आप को देगे । मुझे चताइए, कौन-सा काश्तकार इसका विरोध करेगा ?

इसलिए यह खादी का विचार समझ लेना चाहिए । बहुतों के सामने यह समस्या है कि खादी महँगी हुई तो क्या होगा ? पर किनका ? किसानों को खादी खरीदनी नहीं, बेचनी है । इसलिए उनके लिए खादी महँगी नहीं, वह उन्हे दूसरों को महँगी बेचनी है ।

१४ :

‘वृक्षशास्त्रा’-न्याय

कॉम्प्रेस और किसान सभाएँ

मेरा यह बराबर अनुभव रहा कि शहरातियों की अपेक्षा देहाती अधिक बुद्धिमान होते हैं। शहराती जड़ है। जड़ सम्पत्ति की सोहबत से जड़ बन गये हैं।

मैं आज देहातों की जागृति के बारे में दो शब्द कहूँगा। आजकल किसानों के संगठन के लिए किसान-सभाएँ कायम की जा रही हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, “किसान-सभाएँ बन रही हैं, यह देखकर तुम्हें कैसा लगता है?” मैं कहता हूँ, “क्या मैं इतना जड़ हूँ कि किसान-सभाओं की स्थापना से खुश न होऊँ?” किसान-सभाएँ बननी चाहिए और गॉव-गॉव में बननी चाहिए। लेकिन इसके सम्बन्ध में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। डाली जबतक पेड़ से जुड़ी रहेगी तभीतक उसे पोषण मिलेगा। अलग होते ही वह तो सूख ही जायगी, साथही पेड़ को भी नुकसान पहुँचायेगी। पचास साल पहले लगाये हुए जिस वृक्ष की छाया मेरे यह सभा हो रही है उसे छोड़कर किसान-सभाएँ यदि अलग हो जायें तो इससे उनका नुकसान तो होगा ही, साथ ही पेड़ की भी हानि होगी। इसलिए किसानों का सारा संगठन कॉम्प्रेस से अविस्त्र ही होना चाहिए। ‘कॉम्प्रेस के अनुकूल’ से यह मतलब नहीं है कि वे सिर्फ अपने नाम में कहीं ‘कॉम्प्रेस’ शब्द लगा दे। आज-कल ‘स्वराज्य’ शब्द का महत्व है। इसलिए कई संस्थाएँ उसे अपने नाम के साथ जोड़ती हैं—जैसे ‘वर्णाश्रम-स्वराज्य-सघ’।

मेरा मतलब इस तरह की अनुकूलता से नहीं हैं। 'कॉग्रेस के अनुकूल' से मतलब यह है कि उनकी वृत्ति और दृष्टि अपने आंदोलन से कॉग्रेस की शक्ति बढ़ाने की होनी चाहिए।

कॉग्रेस के हाथों मेरा राजशक्ति आगयी है, इसका क्या अर्थ है? दही मेरे से सारा मक्कलन निकाल लेने पर सरकार ने मट्टे का चौथाई हिस्सा हमारे लिए रख दिया है। यही चार आना मट्टा ग्यारहों प्रान्तों मेरे बॉट दिया गया है। उनमेरे से हमारी हुक्मगत सात प्रान्तों मेरे है। याने ढाई आने मट्टा हमारे पल्ले पड़ा है। आप पूछेंगे कि फिर हमने यह स्थिति क्यों मंजूर की? मेरा जवाब है, "पच्चर लगाने के लिए!" भारत के बड़े-बड़े नेताओं ने निश्चय किया कि ब्रिटिश सत्ता की धरन में यह जो ज़रा-सी दरार पड़ गयी है उसमे पच्चर लगा दी जाये। अगर इस उद्योग में पच्चर के ही टूट जाने का अन्देशा होता तो यह स्थिति कदापि स्वीकार न कीगयी होती। लेकिन उन्हे विश्वास है कि उनकी पच्चर फौलाद की बनी हुई है। पर याद रहे, केवल पच्चर लगा देने से ही काम नहीं चलता। उसपर धन की चोटे भी मारनी पड़ती हैं। हमारे आंदोलन उस पच्चर पर लगायी जानेवाली चोटें हैं।

इसलिए हमे आन्दोलन बड़ी कुशलता से करना चाहिए। जिन्हें हमने अपना मत टेकर भेजा है उनके काम मेरे हमारे आन्दोलन से मदद ही पहुँचे, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। हमारी माँगें ऐसी हीं और ऐसे ढग से पेश कीजायें कि हमारे प्रतिनिधि सोने तो न पायें, लेकिन उनका बल भी किसी तरह कम न होने पाये।

मैं क्रोधी आदमी हूँ। क्रोधी और सच्चे आदमी की जीभ अक्सर सुन-लाती रहती है। तुकाराम का यही हाल था। उन्होंने "मेरा तो सुँह सुन-लाता है" कहकर भगवान् फोल्द सरी-खरी वातं मुनायाँ। मैं यह नहीं कहता कि किसानसभावाले कम ज़ोर से बोलें, लेकिन तुकाराम के उमान उनका

ज़ेर प्रेम का हो । तब उनका ज़ेर उनके प्रेम का लक्षण माना जायगा । यिन प्रेम का ज़ेर दिखाने का परिणाम यह होगा कि जिनसे हम सब एक होकर लड़ना चाहते हैं वे तो सुरक्षित रहेगे और जिन्हे हमने चुनकर भेजा है उनसे हम लड़ते रहेंगे ।

लगन चाहे कितनी ही हो, लेकिन अगर बुद्धि चली गयी तो सब कुछ चला गया । बोलने मे हमेशा विवेक रहे । हम जो-कुछ कहे उसके सबूत और अक पेश करे । स्वराज्य लड्डू तो है, लेकिन मेरी का लड्डू है । उसमे ज़िम्मेदारी का कड़आपन है । हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं ? इसलिए कि अड़चनो को दूर करने मे अपनी बुद्धि लगाने का मौका हमे मिले । आज हमे कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए हम जड़ हो गये हैं । कल अग्रेज़ यहाँ से अपनी फौज हटाले तो हम सुसीचत मे पड़ जायेगे; लेकिन हम यह चाहते हैं, क्योंकि उस हालत मे हमे अपनी अङ्ग लगाने का मौका मिलेगा । हमे जो ‘मैडगिल’ भात दिया जा रहा है वह हम नहीं चाहते । हमे तो ज़रा करारी रोटी चाहिए । बुद्धिमत्ता के जो-जो क्षेत्र आज हमारे लिए विल्कुल बन्द हैं वे थोड़े-बहुत खोल दिये गये हैं । इसलिए स्वराज्य की जिम्मेदारी का खायाल रखकर किसानो को अपने आन्दोलन सोच-विचारकर समझदारी के साथ चलाने चाहिए । अपने मुँह से निक-लनेवाले शब्दो को उन्हे तौल-तौल-कर कहना चाहिए । ‘‘व्रह्मवाक्य’’ के समान “किसान-वाक्य” भी भाषा का मुहावरा बन जाना चाहिए । सबका यह विव्यास हो जाना चाहिए कि किसानों का वाक्य कभी असत्य या गैर-ज़िम्मेदार हो ही नहीं सकता । आज भी सरकार का हाथ कम मज़बूत नहीं है, वह खासा मज़बूत है । लेकिन उसे पकड़ने की हिम्मत हमने लोगों के बल पर की है । इसलिए लोगों के आन्दोलन जोश से भरे हुए, उत्साहवर्धक, किन्तु प्रेमयुक्त और विवेक तथा सत्य के अनुकूल ओर अपने प्रतिनिधियों की ताक़त बढ़ाने की दृष्टि से होने चाहिए ।

समर्थ रामदास ने कहा था कि आन्दोलन से सामर्थ्य है। लेकिन हम समझ वैठे हैं कि केवल वकवास में ही वल है। आजकल की हमारी सभाएँ निरी वकवास होती है। एक समय था जब कॉग्रेस सरकार के सामने केवल शिकायतें पेश करनेवाली संस्था थी। उस समय वह भी शोभा देता था।

जिमि वालक करि तोतरि वाता ।
सुनहि सुदित मन पितु अरु माता ॥

लेकिन वडे होने पर? चालीस साल के बाद भी अगर हम फिर 'यह दीजिए', 'वह दीजिए', 'यह नहीं हुआ', 'वह नहीं हुआ', आदि शिकायतें सरकार के सामने पेश करते रहें, तो तब और अब की हालत में अन्तर ही क्या रहा? 'यह दीजिए', 'वह दीजिए'—लेकिन 'दीजिए' कहों से? असली शक्ति तो ग्राम-संगठन है। जनता की शक्ति व्यढ़नी चाहिए। रोधोकर भीख मँगने से थोड़े ही वह बढ़ेगी? हिन्दुस्तान की आर्थिक तवाही अग्रेजो के व्यापार के कारण हुई है। जबतक देशत की शक्ति नहीं बढ़ेगी, हिन्दुस्तान सम्पन्न कैसे होगा? 'लगान माफ करो, लगान माफ करो', कहकर अपने दुखड़े रोने से क्या होगा? कॉग्रेस की बदौलत हमें आन्दोलन करने के लिए आधार, आश्वासन और सुयोग ग्रात हुआ है। इससे अधिक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम तो यही समझने लगे हैं कि जैसे हम मंजिल पर ही पहुँच गये हों! बनचराद्द माफ हो गयी, राजाजी को खादी के लिए दो लाख रुपये भिल गये। हमने समझा वस अब तो मंजिल आ ही गयी। इसीको मैं वकवान कहता हूँ। खादी के लिए दो लाख! अजी, दो सौ करोट भी काढ़ी न होंगे। सारे देश को हमें खादीमय बनाना है। दो लाख से क्या दोता है? लेकिन यह काम कोई भी सरकार नहीं बर सकती। यह तो जनता को ही करना चाहिए।

हमारे देहाती भाई शहरातियों से अच्छी तरह लड़ते भी तो नहीं। देहाती चीजों के भाव बहुत गिर गये हैं। शहरी चीजे महँगी बिकती हैं। देहातियों को चाहिए कि वे शहराती दूकानदार से कहे, “घड़ी के दाम वीस रुपये बताते हो, दो रुपये मे देदो। मेरा मक्कन छः आने सेर मँगते हो ? तीन रुपये सेर दूँगा। इसके लिए मुझे इतनी मेहनत और खर्च जो करना पड़ा है।”

देहातों को सहयोग से पूँजी जुटाकर भॉति भॉति के उद्योग झुल करने चाहिए। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। सरकार से आपको उचित ‘संरक्षण मिल सकता है। यदि हम ऐसा कुछ करेग तो हमारी हलचलें ‘आन्दोलन’ के नाम की अधिकारणी होगी। वरना सारी हलचलें निरी बकवास और हड्डबड़ाहट ही सिद्ध होगी। हरएक गाँव को एक छोटा-सा राष्ट्र समझकर बहाँ की सम्पत्ति बढ़ाने का सामुदायिक दृष्टि से विचार होना चाहिए। गाँव के आयात और निर्यात पर गाँव की चुगी हीनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपनी सरकार को बल-ग्रदान कर सकेंगे, वरना हमारे आन्दोलन फुजूल है।

राजनीति या स्वराज्यनीति

एक भिखारी का स्वप्न

एक भिखारी सपने में राजगद्दी पर बैठा। उसे यह कठिनाई हुई कि अब राज कैसे चलाऊँ? वेचारा सोचने लगा, “प्रधानमन्त्री से मैं क्या कहूँ? सेनापति मेरी कैसे सुनेगा?” आखिर भिखारी का ही तो दिमाग ठहरा। वह कोई निर्णय न कर सकता था। कुछ देर के बाद उसकी नींद ही खुल गयी और सारे प्रश्न हल हो गये।

हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। यह मानकर कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिल चुका है, लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया। उन्हे एकदम विश्वस्य-दर्शन हो गया। “वाल्य आकर्षण का क्या करे, भीतरी वगावत और अराजकता का सामना कैसे करें?” एक ने कहा, “हिसा किसी काम नहीं आयेगी।” दूसरे ने कहा “अद्विता के लिए हमारी तैयारी नहीं है।” तीसरा बोल उठा, “कुछ अद्विता, कुछ हिसा, जो कुछ बन पड़ेगा, करेंगे। फिलहाल हम गाधीजी को मुक्त कर देंगे। सरकार के साथ तो हमारा अद्वितात्मक असहयोग है ही, लेकिन देखा जायगा। अगर ईश्वर की कृपा से सरकार के दिल में सुबुद्धि उपजी और उसने स्वराज्य का शब्दोदक (दान का शान्तिक संकल्प) हमारे द्वारा में दे दिया तो हम उसके युद्ध-यत्र की सहायता करेंगे। शर्लैण्ट के पास शल्स-सामग्री है और हमारे पास जन-बल है। दोनों को मिलाने से बहुत-सा नवाल हल हो जायेगा।” तात्पर्य यह कि हमने अभी स्वराज्य

हासिल नहीं किया है, इसलिए विचारों की ये उलझानें पैदा हो रही हैं। अगर हमने अहिंसा की शक्ति से स्वराज्य प्राप्त कर लिया होता या प्राप्त करनेवाले हो—और कार्य-समिति तो साफ-साफ कह रही है कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमारे पास अहिंसा के सिवा दूसरी शक्ति नहीं है—तो उसी शक्ति द्वारा आगे की सारी समस्याएँ कैसे हल की जा सकती हैं, यह हमें सूझता या सूझेगा। आज तो श्रद्धा दृढ़ करने का ही सबाल है। यह कदम-व-कदम अर्थात् क्रमगः ही होता है। यही ज्ञान की महिमा है।

न्यायान्याय का बलाबल

लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारे नेता गिड़गिडा कर सरकार से यह विनती करते हुए देख पड़ते हैं कि “गांधीजी का त्याग करना हमारे लिए आसान नहीं था। लेकिन इतना कठिन त्याग करके भी हमने सहयोग का हाथ आप की तरफ बढ़ाया है। सरकार हमें स्वराज्य का वचन दे दें और हमारा सहयोग ले ले।”

इस विचित्र घटना पर ज्यों-ज्यों विचार करता हूँ त्यो-त्यो विचार को अधिकाधिक व्यथा होती है। मान लीजिए, सरकार ने यह विनती स्वीकार कर ली और सरकार के युद्ध-यन्त्र में काग्रेस दाखिल हो गयी। तो जिस क्षण वह स्वराज्य का वचन प्राप्त करती है उसी क्षण स्वराज्य के अर्थ को वह सैकड़ों वर्ष दूर ढकेल देती है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है।

जिसने हिंसात्मक युद्ध में योग देने का निश्चय कर लिया उसने शुरू-शुरू में न्याय-अन्याय का जो कुछ थोड़ा-बहुत विचार किया हो सो किया हो, लेकिन एक बार युद्ध-चक्र में दाखिल हो जाने के बाद फिर तो न्याय-अन्याय की अपेक्षा बलाबल का विचार ही मुख्य हो जाता है।

हिंसा का शब्द स्वीकार करने के बाद बलाबल का ही विचार मुख्य है। हमारे पक्ष में अगर कुछ न्याय हो तो ठीक है, न हो तो न सही। हिन्दुस्तान या दूसरा कोई भी देश अगर आज के यान्त्रिक संसार की

हिंसा में शामिल होगा तो उसे न्याय और लोकतन्त्र की भाषा तक छोड़ देनी होगी ।

हिंसात्मक सहयोग का मतलब

ट्रिटेन से आज हिंसात्मक सहयोग करने के लिए तैयार होने का अर्थ केवल अहिंसा का परित्याग ही नहीं है, बल्कि हिंसा के गहरे पानी में एकदम उत्तर जाना है । “हम हिन्दुस्तान के बाहर आदमी नहीं भेजेंगे”, यह कहना सुमिक्खन नहीं; क्योंकि हिन्दुस्तान का बचाव-जैसी कोई अलग चीज़ ही नहीं रह जाती । अफ्रीका का किनारा, भूमध्यसागर आदि सब को हिन्दुस्तान की ही सरहदें मानना पड़ेगा । दूसरा कोई चारा नहीं है ।

अर्थात्, कायेस की बीस साल की कमाई और उसकी बदौलत ससार में पैदा हुई आशा तो हवा हो ही गयी, लेकिन साथ-साथ हिन्दुस्तान की हजारों वर्ष की कमाई भी अकारथ गयी । हिन्दुस्तान का जितना इतिहास ज्ञात है उसमें हिन्दुस्तानी अपने देश के बाहर स्वेच्छापूर्वक सहार के लिए गये हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है । यह भी सम्भव नहीं कि हम सिर्फ बचाव के लिए हिंसा करें, हमले के लिए नहीं । कोई भी मर्यादा नहीं रह सकती । ‘अमर्यादा-पुरुषोत्तम’ ही हमारे इष्टदेव होंगे, और हम उनकी पूर्ण उपासना करेंगे तभी सफल होंगे ।

शत्रु-निर्माण का कार्यक्रम

और फिर ससार भर से दुश्मनी मोल लेने का साहस हम किस निरते पर कर सकते हैं? आज जितनी दूर तक दिलाई देता है उतने का विचार किया जाय तो यही कहना होगा कि द्वृग्लैण्ड के बल पर । इस बात पर भी विचार करना ज़रूरी है । जिस राष्ट्र में जमीन का औसत फी आदमी एक एकड़ है उन राष्ट्र के लिए—अगर वह दूसरे राष्ट्रों को लटने का ख़्याल छोट दे तो—चाहे वह कितना ही ज़ोर क्यों न मारे, कौन्ज पर ज्यादा ख़ुचैं करना नासुमिक्ख है । और सौभाग्य से हिन्दुस्तान की आर्थिक

परिस्थिति मे कितनी ही उन्नति क्यों न हो, ' उसके लिए यह बात सम्भव भी नहीं है ।

“हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ी फौज रखना मुमकिन नहीं, इसलिए उसे बिना फौज का रास्ता ही आसान पड़ेगा” — यह बात जवाहरलालजी भी कभी-कभी कहा करते हैं। इस तरह का राष्ट्र स्वाश्रयी (अपने भरोसे) रहकर शत्रु-निर्माण-कला का प्रयोग नहीं कर सकता। फलतः उसे पराश्रित होकर (दूसरों के भरोसे ही) उस कला के प्रयोग करने होंगे। इसका अर्थ क्या होगा ? — इंग्लैण्ड से आज हम निरे स्वराज्य का ही नहीं बल्कि बिल्कुल पक्के — पूर्ण स्वराज्य का बचन ले लेते हैं और वह उसे सप्रेम, सधन्यवाद और सब्याज (ब्याज सहित) लौटा देते हैं। भगवान् ने अर्जुन को गीता का उपदेश देने के बाद उससे कहा, “तू अपनी इच्छा से जो कुछ करना हो सो कर”। और फिर कहा, “सब कुछ छोड़-कर मेरी शरण आ”। दोनों का सम्मिलित अर्थ यह है कि “तू अपनी खुशी से मेरी शरण आ”। ईश्वर के लिए भक्त को यही करना चाहिए। इंग्लैण्ड के लिए हमें भी वही करना होगा ।

अज्ञ दुर्योधन का अनुकरण

नैषिक अहिंसा को ताक़ पर रखकर सरकार से हिंसात्मक सहयोग — अर्थात् सरकार और दूसरे हिंसानिष्ठ लोगों के हिंसात्मक सहयोग की स्वीकृति — की नीति की यह सारी निष्पत्ति ध्यान मे लाने पर यही कहना पड़ता है कि शास्त्र और यादवों की सेना लेकर कृष्ण को छोड़नेवाले अज्ञ दुर्योधन का ही अनुकरण हम कर रहे हैं। इसके बदले अगर काश्रेस अपनी अहिंसा मजबूत करे, अनायास मिलनेवाले स्वराज्य की आशा का ही नहीं बल्कि कल्पना का भी त्याग कर दे, अपने सहयोग का अर्थ नैतिक सहयोग घोषित कर दे, और स्वराज्य का सम्बन्ध वर्तमान युद्ध से न जोड़-कर जिस प्रकार मिष्टी से श्रीगणेशजी की मूर्ति का निर्माण किया जाता

है उसी प्रकार अपनी शक्ति से यथासमय अपने अभ्यन्तर से स्वराज्य का निर्माण करने की कारीगरी अखिलयार करले, तो क्या यह सब्र प्रकार से उत्तम नहीं है ?

चिरजीवी स्वराज्य का मंगलमय युद्ध

ऐसा स्वराज्य किसी के टालने से टल नहीं सकता। सूर्य भगवान् के समान वह सहज ही उदित होगा। सूर्य तो पूर्व दिशा में उदय होता है, लेकिन उसका प्रकाश और गरमी ठेठ पश्चिम तक सभी दिशाओं में फैलती है। स्वराज्य के विषय में भी यही होगा। उसका जन्म तो हिन्दुस्तान में होगा, लेकिन उसकी बदौलत सारी दुनिया के लिए मुक्ति का रास्ता खुल जायगा। उसका शत्रु पैदा होने से पहले ही मर जायगा। भीतरी-दंगे-फराद की सभावना मिटाकर ही उस स्वराज्य का आविर्भाव हुआ होगा; इसलिए भीतरी कलह के निवारण का सबाल सामने आयेगा ही नहीं। यही हाल वाह्य आक्रमण का भी होगा। या अगर यह मान भी लिया जाय कि इन दो समस्याओं के अवग्रोष कायम रहेंगे तो भी उनको हल करना आज जितना कठिन मालूम होता है उतना नहीं मालूम होगा। यह स्वराज्य कितनी ही देर मे क्यों न मिले तो भी वही जटदी-से-जलदी मिलेगा। क्योंकि वही 'स्वराज्य' होगा और वही चिरजीवी होगा।

निप्तियता का कार्यक्रम

लेकिन कुछ लोग यह शका करेंगे कि हिन्दुस्तान को क्या सचमुच अहिंसा से स्वराज्य मिलेगा ? यहाँ इस शंका का विचार करने की जरूरत नहीं है; क्योंकि यह शंका ही नहीं है, यह तो निपित्य लोगों का निश्चय है। वे यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान के लिए हिंसा से स्वराज्य प्राप्त करना सम्भव नहीं और उनका यह विश्वास है कि अहिंसा से कभी किसीको स्वराज्य मिल ही नहीं सकता। इसलिए निपित्य रद्दकर आलोचनात्मक साहित्य की वृद्धि करना उनका निश्चित कार्यक्रम है। तब उनके पीछे

पड़ने से क्या फ़ायदा ? इसके अलावा, काग्रेस आजतक यह मानती है कि संगठित अहिंसा ही स्वराज्य का एकमात्र व्यवहार्य साधन है, और ऐसे विचारवाले लोगों के ही लिए यह लेख है ।

स्वराज्य-सम्पादन और स्वराज्य-रक्षण

लेकिन काग्रेसवालों के दिमाग में कुछ दूसरी ही तरह की गड़बड़ी पैदा हो रही है । एक व्यवस्थित सरकार का सामना करके स्वराज्य प्राप्त करना और एकाएक होनेवाले बाहरी हमले या अन्दरूनी लड़ाई-झगड़ों का निवारण करना, दोनों उन्हे बिल्कुल भिन्न कोटि की समस्याएँ प्रतीत होती हैं । उनके सामने यह जटिल समस्या है कि पहली बात तो हम अपनी टूटी-फूटी अहिंसा से साध सकते हैं, लेकिन दूसरी बात बलवानों की नैषिक अहिंसा के बिना सध ही नहीं सकती । वह नैषिक अहिंसा हम कहाँ से लाये ?

मेरे नम्र विचार मे यह एक झम है और इसका निवारण होना नितान्त आवश्यक है । जिस प्रकार स्वराज्य-प्राप्ति नैषिक अहिंसा के बिना असम्भव है उसी प्रकार स्वराज्य-रक्षण भी नैषिक अहिंसा के बिना असम्भव है । अबतक दुर्बलों की अहिंसा का एक प्रयोग हमने किया । उसकी बदौलत थोड़ी-बहुत सत्ता मिली या मिलने का आभास हुआ । मैं ‘आभास’ कहता हूँ, कारण, काग्रेस के शासन-काल मे जो-जो विचित्र घटनाएँ घटीं उन्हे हम जानते ही हैं । फिर भी, उसे आभास कहने के बदले यही मान लिया जाय कि हमने थोड़ी-बहुत सत्ता प्राप्त कर ली । परन्तु इस सत्ताभास अथवा इस अल्पसत्ता मे और जिसे हम स्वराज्य कहते हैं और जिसके पीछे ‘पूर्ण’ विशेषण लगाये बिना हमारी आत्मा को कल नहीं पड़ती उस हमारे उद्घोषित ध्येय मे जमीन-आसमान का अन्तर है । यह अन्तर चाहे जैसी मिलावटी और अव्यवस्थित अहिंसा से नहीं काटा जा सकता । उसके लिए बलवानों की पराक्रमी अहिंसा की ही ज़रूरत होगी, यह समझ लेने का समय अब आ गया है । जितनी ज़दी हमारी

समझ में यह बात आजायगी उतनी ही जल्दी हमारे विचारों की ये गुथियाँ सुलझ जायेंगी ।

प्रयत्नसिद्ध बनाम प्रवाहपतित स्वराज्य

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्वराज्य गणेशजी की वह मूर्ति है जिसका निर्माण हमें मिट्टी में से करना है । नदी के प्रवाह के साथ वहकर आनेवाला वह नर्मदा-गणेश नहीं है । हमारे कुछ बुजु़गों और बड़े-बूढ़ों की यह समझ हो गयी है कि हमने जो कुछ थोड़ी-बहुत अहिंसा का प्रदर्शन किया है उससे मानो भगवान् प्रसन्न हो गये हैं, और उन प्रसन्न भगवान् ने हमारे संकट-मोचन के लिए यह युद्ध भेज दिया है । युद्ध भाव से किये हुए हमारे उस अत्यतम प्रयत्न और भगवान् की इस अपरग्पार कृपा के संयोग से अब हमारा कार्य जल्दी ही सिद्ध होनेवाला है । इस कल्पना के भेवरजाल में पड़ने के कारण हम इस गफलत में हैं कि हमारी कमज़ोर अहिंसा भी हमें स्वराज्य में वरवस ढकेलकर ही रहेगी । लेकिन इसके विपरीत अनुभव हुआ और इंग्लैण्ड ने सचमुच हमें स्वराज्य दे भी दिया तो भी वास्तव में स्वराज्य नहीं मिलता, अपनी यह राय मैं ऊपर पेश कर चुका हूँ ।

दो समस्याओं का विश्लेषण

तब सवाल यह उठता है कि “क्या आप व्यवस्थित सरकार से लोटा लेना और वाह्य आक्रमण तथा भीतरी अराजकता का प्रतीकार करना, इन दो बातों में कोई कर्की ही नहीं करते ?” उत्तर यह है कि “करते हैं और नहीं भी करते ।” एक क्षेत्र में दुर्वल अहिंसा से काम चल जायगा और दूसरे क्षेत्र में बलवती अहिंसा की आवश्यकता होगी, यह तरह का कोई फ़र्क हम नहीं करते । यदि स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वराज्य हो तो दोनों क्षेत्रों में बलवती अहिंसा की ही आवश्यकता होगी । लेकिन व्यवस्थित सरकार से टक्कर लेने में उसकी जो कस्ती होगी उससे भिन्न प्रलार की

कसौटी दूसरे क्षेत्रों के लिए होगी, यह फ़ॉर्क हम करते हैं। उसमें भी मैं भिन्न प्रकार की कसौटी कहता हूँ। अधिक कड़ी कसौटी भी निश्चित रूप से नहीं कहता और न ‘कम कड़ी’ ही कहता हूँ।

मत-परिज्ञान नहीं, स्वभाव-परिज्ञान

इसपर कुछ लोग कहते हैं, “तुम्हारी सारी बातें मज्जूर हैं, लेकिन व्यक्ति की हैसियत से। नैषिक अहिंसा में हमारी श्रद्धा है। हम उसकी तैयारी भी करेंगे। लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमारे सिर्फ पैर ही नहीं लड़खड़ाते; दिमाग भी डगमगाने लगता है। क्या आज की स्थिति में जनता के लिए अहिंसा हितकर होगी? हमारी राय में न होगी।”

इसके जवाब में दूसरे कहते हैं, “अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी से फैसला करा ले।”

मैं कहता हूँ, “यह सारी विचार-धारा ही अनुपयुक्त है। आम-जनता—जिसकी गिनती चालीस करोड़ से की जाती है वह जनता—हिन्दुस्तान की जनता-जैसी प्राचीन और अनुभवी जनता—अनेक मानव-समूह से बनी हुई जनता—विना किसी से पूछे-पाछे अहिंसक मान ली जानी चाहिए। उसे बरबस हिंसा के दल में ढकेलना या उसकी अदिसकता का सबूत ‘अखिल भारतीय’ नाम धारण करनेवाली काग्रेस कमेटी से मॉगना नाहक समय नष्ट करना है। हिन्दुस्तान की जनता अहिंसक, अहिंसक और अहिंसक ही है। वह ‘अहिंसावादी’ नहीं है। यह ‘वाद’ तो उसके नाम पर विद्वान् सेवकों को खड़ा करना है। वह ‘अहिंसाकारी’ भी नहीं है। यह कार्य उसकी तरफ से उसके सत्याग्रही सेवकों को करना है। उन दोनों को मिलाकर उससे ‘क्या तू अहिंसावादी है?’? और ‘क्या तू अहिंसाकारी है?’? ऐसा ऊपर्युगा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप से अहिंसा में हमारी श्रद्धा हो तो अहिंसा से शक्ति का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। इस कार्य में जनता का उत्तम आशीर्वाद सदा हमारे साथ है।

आहिंसा-जैसे प्रश्न के विषय में जनता के मत-परिज्ञान की चर्तृत नहीं, उसका स्वभाव-परिज्ञान काफी है।”

‘तुरत क्या करें?’

इसपर फिर कुछ लोग कहते हैं “यह भी माना लेकिन हमारा प्रश्न तो तुरत का है। अगर अहिंसा का आग्रह लेकर बैठ जायेगे तो हम तैयारी तो करेंगे, शक्ति भी प्राप्त करेंगे और यथासभव सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वर्तमान काल में तो हम बिल्कुल ही एक कोने में पढ़े रहेंगे। दूसरे पक्ष आगे आयेंगे। सरकार उनकी सहायता ले लेगी और राजनीति में हम पीछे छूट जायेंगे।”

स्वराज्य-साधना और राज्य-कामना

कोई हर्ज नहीं। हमे राजकारण (राजनीति) से सरोकार ही नहीं। हमे तो स्वराज्यकारण (स्वराज्य-नीति) से मतलब है। जैसा कि गाधीजी ने लिखा है, “जो आगे बढ़ेगे वे भी तो हमारे भाई-बन्द ही होंगे।” मैं तो कहता हूँ कि अपनी इस पवित्र स्वराज्य-साधना में ईश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि वह हमे चाहे जिस कोने में पौक दे, लेकिन भ्रम या मोह में न डाले। हम स्वराज्य-साधक हैं, हमें राज्य-कामना का सर्वशं न हो। —‘नत्वहं कामये राज्यम्।’

[२२-७-४०]

१६

सेवा व्यक्ति की ; भक्ति समाज की

बीस बरस से मैंने कुछ किया है तो सार्वजनिक काम ही किया है । जब विद्यार्थी अवस्था में था तब भी मेरी प्रवृत्ति सार्वजनिक सेवा की ही थी । यो कह सकते हैं कि जीवन में मैंने सिवा सार्वजनिक सेवा के न कुछ किया है, न करने की इच्छा ही है । पर मेरा आशय यह है कि जिस प्रकार सार्वजनिक सेवा और लोगों ने की है वैसी मैंने नहीं की । सबसे एक भाई ने सुझसे पूछा कि “आप कॉग्रेस में नहीं जायगे क्या ?” मैंने कहा कि, “मैं तो कॉग्रेस में कभी नहीं गया ।” सेवा की मेरी पद्धति और प्रवृत्ति कॉग्रेस में जाना और वहाँ बहस करना नहीं रही है । इसका महत्व मैं जानता हूँ सही, पर यह मेरे लिए नहीं है । मैं कॉग्रेस की प्रवृत्तियों से अनभिज्ञ नहीं हूँ । विचार करनेवाले भाई तो बहुत हैं । मैं तो उन लोगों में हूँ जो मूकसेवा करना चाहते हैं । फिर भी मेरी सेवा उतनी मूक नहीं होसकी जितनी कि मैं चाहता हूँ । मेरा सेवा का उद्देश्य भक्ति-भाव है । भक्ति-भाव से ही मैं सेवा करता हूँ, और २० साल से प्रत्यक्ष सेवा कर रहा हूँ । प्रचार अभीतक न किया है और न आगे करने की समावना ही है ।

मैंने एक सूत्र-सा बना लिया है, “सेवा व्यक्ति की, भक्ति समाज की ।” व्यक्ति की भक्ति मेरी आसक्ति बढ़ती है, इसलिए भक्ति समाज की करनी चाहिए । सेवा समाज की करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते । समाज

तो एक कल्पनामात्र है। कल्पना की हम सेवा नहीं कर सकते। माता की सेवा करनेवाला लड़का दुनियाभर की सेवा करता है, यह मेरी धारणा है। सेवा प्रत्यक्ष वस्तु की ही हो सकती है, अप्रत्यक्ष वस्तु की नहीं। समाज अप्रत्यक्ष, अव्यक्त या निर्गुण वस्तु है। सेवा तो वह है जो परमात्मा तक पहुँचे। आजकल सेवा की कुछ अनोखी-सी पद्धति देखने में आती है। सेवा के लिए हम विशाल क्षेत्र चाहते हैं। पर अगर असली सेवा करनी है, सेवामय बन जाना है, अपने को सेवा में खपा देना है, तो किसी देहात में चले जाइए। मुझसे एक भाई ने कहा कि “बुद्धिशाली लोगों से आप कहते हैं कि देहात में चले जाइए। विशाल बुद्धि के विस्तार के लिए उतना लम्बा-चौड़ा क्षेत्र वहाँ कहाँ है?” मैंने कहा कि, “ऊँचाई तो है, अनन्त आकाश तो है! वह लम्बा सफर नहीं कर सकता। पर ऊँचा सफर तो कर सकता है, गहरा तो जा सकता है!” सन्त इतने ऊँचे चढ़ते थे कि उसका कोई हिसाब नहीं मिलता। कोई बड़े-से-बड़ा विज्ञानवेत्ता भी आकाश की ऊँचाई मालूम नहीं कर सकता। देहात में हम लम्बा-चौड़ा नहीं, पर ऊँचा सफर कर सकते हैं। वहाँ ऊँचे-से-ऊँचे चढ़ने का अवसर है। ऊँची या गहरी सेवा वहाँ ज्यूँ हो सकती है। हमारी वह एकाग्र सेवा प्रथम श्रेणी की सेवा हो जायगी, और फलदायक भी होगी।

राष्ट्र के सारे प्रश्न देहात के व्यवहार से आ जाते हैं। जितना समाज-शास्त्र राष्ट्र में है उतना एक कुटुम्ब में भी आ जाता है, देहात में तो है ही। समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए गोंव में कानून गुंजाइश है। मैं तो इस विश्वास को बुद्धि का अभाव हो मानूँगा कि प्रौढ़-विवाह प्रचलित होने से भारतवर्ष मुघर गया, और बाल-विवाह से विगड़ गया था। प्रौढ़-विवाह में भी अक्सर वैवाहिक आनन्द देखने में नहीं आता, और बाल-विवाह के भी ऐसे उदाहरण देखे गये हैं जिनमें पति-पत्नी सुख-

शान्ति से रहते हैं। विवाह-संस्था में सभ्रम की पवित्र भावना कैसे आये, यह मसला हमने हल कर लिया तो सब कुछ कर लिया। विवाह का उद्देश्य ही यह है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान की राजनीति का नमूना भी देहात में पूरा-पूरा मिल जाता है। एक देहात की भी जनता को हमने आत्म-निर्मार्ग कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। वहाँ के अर्थशास्त्र को कुछ व्यवस्थित कर दिया तो बहुत कुछ होगया। मुझे आशा है कि देहाती भाई-बहनों के बीच में रहकर आप उनके साथ एकरस हो जायेंगे। हौं, वहाँ जाकर हमें उनके साथ दरिद्र-नारायण बनना है, पर 'बेवकूफ़-नारायण' नहीं। अपनी बुद्धि का उनके लिए उपयोग करना है, निरहकार बनना है। हम यह न समझे कि वे सब निरे बेवकूफ़-ही होते हैं। भारत के देहातों का अनुभव और देखों की तरह चन्द्र सदियों का नहीं, कम-से-कम २० हजार वर्ष का है। वहाँ जो अनुभव है उससे हमें लाभ उठाना है। ज्ञान-भडार की तरह द्रव्य-भडार भी वहाँसे पैदा करना है और पूरी तरह से निरहकार बनकर उसमें प्रवेश करना है।

एक प्रश्न यह है कि सबर्ण हिन्दू समझते हैं कि ये सुधारक तो गाँव को बिगाढ़ रहे हैं; सबर्णों के साथ हमारा उतना सम्बन्ध नहीं जितना कि हरिजनों के साथ है। सबर्णों को अपनी प्रवृत्ति की ओर खींचने और उनकी शका दूर करने के विषय में सोचा क्या गया है?

अस्पृश्यता-निवारण का काम हमें दो प्रकार से करना है। एक तो हरिजनों की आर्थिक अवस्था और उनकी मनोवृत्ति में सुधार करके और दूसरे हिन्दूधर्म की शुद्धि करके, अर्थात् उसको उसके असली रूप में लाकर। अस्पृश्यता माननेवाले सब दुर्जन हैं, यह हम न माने। वे अज्ञान में हैं, ऐसा मान सकते हैं। वे दुर्जन या दुष्शुद्धि नहीं हैं, यह तो उनके विचारों की सकीर्णता है। प्लेटो ने कहा था कि “सिवा ग्रीक लोगों के मेरे ग्रन्थों का अध्ययन और कोई न करे।” इसका यह अर्थ हुआ कि

ग्रीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य की आत्मा व्यापक है, पर अव्यापकता उसमें रह ही जाती है। आखिर मनुष्य की आत्मा एक देह के अदर वसी हुई है। इसलिए सनातनियों के प्रति खूब प्रेमभाव होना चाहिए। हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। हम तो वहाँ बैठकर चुपचाप सेवा करें। हरिजनों के साथ-साथ जहाँ जब अवसर मिले सवणों की भी सेवा करें। - एक भाई हरिजनों का सर्वश्रेष्ठ नहीं करता, पर वह दयालु है। हम उसके पास जायें, उसकी दयालुता का लाभ उठायें। उसकी मर्यादा को समझकर उससे बात करें। थोड़े दिन में उसका हृदय शुद्ध हो जायेगा, उसके अन्तर का अन्धकार दूर हो जायेगा। सूर्य की तरह हमारी सेवा का प्रकाश स्वतः पहुँच जायेगा। हमारे प्रकाश में हमारा विद्वास होना चाहिए। प्रकाश और अन्धकार की लड़ाई तो एक क्षण में ही खत्म हो जाती है। लेकिन तरीका हमारा अहिंसा का हो, प्रेम का हो। मेरी मर्यादा यह है कि मैं दरवाज़ा ढकेलकर अन्दर नहीं चला जाऊँगा। मैं तो सूर्य की किरणों का अनुकरण करूँगा। दीवार में, छप्पर में या किवाड़ में कहीं ज़रा-सा भी छिड़ होता है तो किरणें चुप-चाप अन्दर चली जाती हैं। यही दृष्टि हमें रखनी चाहिए। हममें जो विचार है वह प्रकाश है, यह मानना चाहिए। किसी गुफा का एक लाख वर्ष का भी अन्धकार एक क्षण में ही प्रकाश से दूर हो जायेगा। लेकिन यह होगा अहिंसा के ही तरीके से। सनातनियों को गालियों देना तो अहिंसा का तरीका नहीं है। हमें मुँह से खूब तौल-तौलकर शब्द निकालने चाहिए। हमारी वाणी की कड़ता यदि चली गयी तो उनका हृदय पलट जायेगा। ऐसी लड़ाई आज की नहीं, बहुत पुरानी है। सन्तों का जीवन अपने विरोधियों के साथ झगड़ने में ही वीता। पर उनके झगड़ने का तरीका प्रेम का था। जिस भगवान् ने हमें शुद्धि दी है उसीने हमारे प्रतिपक्षियों को भी दी है। आज से १५-२० वर्ष पहले हम भी तो उन्हींकी तरह असुखता मानते थे।

हमारे सन्तो ने तो आत्मविश्वास के साथ काम किया है । वाद-विवाद में पड़ना हमारा काम नहीं । हम तो सेवा करते-करते ही ख़ुस्त हो जाये । हमारे प्रचार-कार्य का सेवा ही विद्योष साधन है । दूसरों के दोष बताने और अपने विचार सामने रखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए । माँ अपने बच्चे के दोष थोड़े ही बताती है, वह तो उसके ऊपर प्रेम की वर्णी करती है, उसके बाद फिर कहीं दोष बतलाती है । असर ऐसी ही प्रेममयी सेवा का होता है ।

ग्राम-सेवा और ग्राम-धर्म

जब हम सेवा करने का उद्देश्य लेकर देहात में जाते हैं तब हमें यह नहीं सूझता कि कार्य का आरम्भ किस प्रकार करना चाहिए। हम वहाँ में रहने के आदी हो गये हैं। देहात की सेवा करने की इच्छा ही हमारा मूलधन—हमारी पूँजी होती है। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि इतनी थोड़ी पूँजी से व्यापार किस तरह शुरू करें। मेरी सलाह तो यह है कि हमें देहात में जाकर व्यक्तियों की सेवा करने की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए, न कि सारे समाज की तरफ। सारे समाज के सभी पृष्ठों कि वह किसके साथ लड़ता है तो वह कहेगा “शत्रु के साथ।” लेकिन लड़ते समय वह अपना निशाना किसी एक ही व्यक्ति पर लगाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी सेवा-कार्य करना होगा। समाज अव्यक्त है, परन्तु व्यक्ति व्यक्त और स्पष्ट है। उसकी सेवा हम कर सकते हैं। डाक्टर के पास जितने रोगी जाते हैं उन सबको वह दवा देता है, मगर हरएक रोगी का वह स्वयाल नहीं रखता। प्रोफेसर सारे क्लास को पटाता है, पर हरएक विद्यार्थी का वह ध्यान नहीं रखता। ऐसी सेवा से बहुत लाभ नहीं हो सकता। वह डाक्टर जब कुछ रोगियों के व्यक्तिगत सम्पर्क में आयेगा, या प्रोफेसर जब कुछ उने हुए विद्यार्थियों पर ही विशेष ध्यान देगा, तभी धास्तविक लाभ हो सकेगा। छों, इवना ग्रयाल हमें ज़्यूर रखना होगा कि व्यक्तियों की सेवा करने में अन्य व्यक्तियों की

हिसा, नाश या हानि न हो। देहात मे जाकर इस तरह अगर कोई कार्य-कर्ता सिर्फ २५ व्यक्तियों की ही सेवा कर सका, तो समझना चाहिए कि उसने काफी काम कर लिया। ग्राम-जीवन मे प्रवेश करने का यही सुलभ तथा सफल मार्ग है। मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी व्यक्तिगत सेवा की है उन्हींने मेरे जीवन पर अधिक प्रभाव डाला है। बापूजी के लेख मुझे कम ही याद आते हैं। लेकिन उनके हाथ का परोसा हुआ भोजन मुझे सदा याद आता है, और मैं मानता हूँ कि उससे मेरे जीवन मे बहुत परिवर्तन हुआ है। यह है व्यक्तिगत सेवा का प्रभाव। व्यक्तियों की सेवा मे समाज-सेवा का निषेध नहीं है। समाज गीता की भाषा मे अनिर्देश्य है, निर्गुण है, और व्यक्ति सगुण और साकार, अतः व्यक्ति की सेवा करना आसान है।

दूसरी और सूचना मै रखना चाहता हूँ। हमे देहातियों के सामने ग्राम-सेवा की कल्पना रखनी चाहिए, न कि राष्ट्र-धर्म की। उनके सामने राष्ट्र-धर्म की बातें करने से लाभ न होगा। ग्राम-धर्म उनके लिए जितना स्वाभाविक और सहज है उतना राष्ट्र-धर्म नहीं। इसलिए हमे उनके सामने ग्राम-धर्म ही रखना चाहिए, राष्ट्र-धर्म नहीं। इसमे भी वही बात है जो व्यक्तिसेवा के विषय मे मैंने ऊपर कही है। ग्राम-धर्म सगुण, साकार और प्रत्यक्ष होता है; राष्ट्र धर्म निर्गुण, निराकार और परोक्ष होता है। बच्चे के लिए त्याग करना मौं को सिखाना नहीं पड़ता। आपस के झगड़े मिटाना, गाँव की सफाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आयात नियंत्रण की वस्तुओं और ग्राम के पुराने उद्योगों की जाँच करना, नये उद्योग खोज निकालना, इत्यादि गौव के जीवन-व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली हरएक बात ग्राम-धर्म मे आ जाती है। पुरानी पञ्चायत-पद्धति नष्ट हो जाने से देहात की बड़ी हानि हुई है। झगड़े निवारने मे पञ्चायत का बहुत उपयोग होता था। अभी इस असेम्बली के चुनाव से हमे यह अनुभव हुआ है कि देहा-

तियों को राष्ट्र-धर्म समझाना कितना कठिन है। सरदार बहुभार्द और पंडित मालवीयजी के बीच मतभेद हो गया, अब इसमें वेचारा देहाती समझे तो क्या समझे? उसके मन में दोनों ही नेता समानरूप से पूज्य हैं। वह किसे माने और किसे छोड़े? इसलिए ग्राम-सेवा में हमें ग्राम-धर्म ही अपने सामने रखना चाहिए। वैदिक ऋषियों की भौति हमारी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि “ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्”—हमारे ग्राम में बीमारी न हो।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह है सेवक के रहन-सहन के सम्बन्ध की। सेवक की आवश्यकताएँ देहातियों से कुछ अधिक होने पर भी वह ग्राम-सेवा कर सकता है। लेकिन उसकी वे आवश्यकताएँ विजातीय नहीं, सजातीय होनी चाहिए। किसी सेवक को दूध की आवश्यकता है, दूध के बिना उसका काम नहीं चल सकता, और देहातियों को तो धी-दूध आजकल नसीब नहीं होता; तो भी देहात में रहकर वह दूध ले सकता है, क्योंकि दूध सजातीय अर्थात् देहात में पैदा होनेवाली चीज़ है। किन्तु सुगन्धित साबुन देहात में पैदा होनेवाली चीज़ नहीं है, इसलिए साबुन को विजातीय आवश्यकता समझना चाहिए और सेवक को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कपड़े साफ़ रखने की बात लीजिए। देहाती लोग अपने कपड़े मैले रखते हैं, लेकिन सेवक को तो उन्हें कपड़े साफ़ रखने के लिए समझाना चाहिए। इसके लिए बाहर से साबुन भेगाना और उसका प्रचार करना मैं ठीक नहीं समझता। देहात में कपड़े साफ़ रखने के लिए जो साधन उपलब्ध है वा हो सकते हैं उन्हींका उपयोग करके कपड़े साफ़ रखना और लोगों को उसके विप्रव में समझाना सेवक का धर्म हो जाता है। देहात में उपलब्ध होनेवाले साधनों में ही जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ओर उसकी ईमेज़ दृष्टि रहनी चाहिए। सजातीय बलु का उपयोग करने में भी सेवक वो विवेक और रंगम की

आवश्यकता तो रहती ही है। अखबार का शौक् देहात मे पूरा न हो सकेगा।

मैं जो खास बाते यहाँ कहना चाहता था वे तो मैंने कह दी। अब दो-तीन और बाते कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। खादी प्रचार के कार्य मे अभीतक चरखे का ही उपयोग हुआ है। एक लाख के इनाम वाले चरखे की अभी खोज हो रही है। मैं उसे एक लाख का चरखा कहता हूँ। लेकिन मेरे पास तो एक सवालाख का चरखा है, और वह है तकली। मैं सचमुच ही उसे सवालाख का चरखा मानता हूँ। खादी-उत्पत्ति के लिए चरखा उत्तम है। लेकिन सार्वजनिक चला-स्वावलम्बन के लिए तकली ही उपयुक्त है। नदी का पाट चाहे कितना ही बड़ा क्षेत्र न हो, वह वर्षा का काम नहीं दे सकता। नदी का उपयोग तो नदी के तट पर रहनेवाले ही कर सकते हैं। पर वर्षा सबके लिए है। तकली वर्षा के समान है। जहाँ कहीं वह चलेगी वहाँ वस्त्र स्वावलम्बन का कार्य अच्छी तरह चलेगा। मुझसे ब्रिहार के एक भाई कहते थे कि वहाँ मजदूरी के लिए भी तकली का उपयोग हो रहा है। तकली पर कातनेवालों को वहाँ हफते मे तीन-चार पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उनके कातने की जो गति है वह तीन या चार गुनी तक बढ़ सकती है। गति बढ़ाने से मजदूरी भी तीन या चार या पाँच गुनी तक मिल सकेगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारे देश मे एक व्यक्ति को १४-१५ गज कपड़ा चाहिए, इसके लिए प्रतिदिन सिर्फ एक सौ तार कातने की जरूरत है। यह काम तकली पर आध घण्टे मे हो सकता है। चरखा बिगड़ता भी रहता है, पर तकली तो हमेशा ही आप की सेवा मे हाजिर रहती है। इसीलिए मैं उसे सवालाख का चरखा मानता हूँ।

देहात मे सफाई का काम करनेवाले सेवक कहते हैं कि कई दिनतक यह काम करते रहने पर भी देहाती लोग हमारा साथ नहीं देते। यह

शिकायत ठीक नहीं। स्व-धर्म समझ कर ही अगर हम यह काम करेंगे तो अकेले रह जाने पर उसका दुःख हमें न होगा। सर्व अकेला ही होता है न? यह मेरा काम है, दूसरे करें या न करें, मुझे तो अपना काम करना ही चाहिए—यह समझकर जो सेवक कार्यारम्भ करेगा उसको सिंहावलोकन करने की, यानी यह देखने की कि मेरे पीछे मदद के लिए कोई और है या नहीं, आवश्यकता ही न रहेगी। सफाई सम्बन्धी सेवा है ही ऐसी चीज़ कि वह व्यक्तियों की अपेक्षा समाज की ही अधिकतया होगी और होनी चाहिए। परन्तु सेवक की वृष्टि यह होनी चाहिए कि अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसीलिए उसे पूरा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इसमें सेवक का स्वार्थ भी है, क्योंकि मार्ग की गन्दगी का असर उसके स्वास्थ्य पर भी अवश्य पड़ता है।

ओपधि-वितरण में एक बात का हमेशा खयाल रखना चाहिए कि हम अपने कार्य से देहातियों को पर्गु तो नहीं बना रहे हैं। उनको तो स्वावलम्बी बनाना है। उनको स्वाभाविक तथा संयमशील जीवन और नैसर्गिक उपचार सिखाने चाहिए। रोग की दवाइयों देने की अपेक्षा हमें ऐसा जतन करना चाहिए कि रोग होने ही न पाये। यह काम देहातियों को अच्छी और स्वर्च आदतें सिखाने से ही हो सकता है।

: १८ :

साहित्य उल्टी दिशा में

पिछले दिनों एक बार हमने इस बात की खोज की थी कि देहात के साधारण पढ़े-लिखे लोगों के घर में कौन-सा मुद्रित बाल्मय (छपा हुआ साहित्य) पाया जाता है। खोज के फलस्वरूप देखा गया कि कुल मिला-कर पाँच प्रकार का बाल्मय पढ़ा जाता है—

(१) समाचारपत्र, (२) स्कूली किताबें, (३) उपन्यास, नाटक, गल्प, कहानियाँ आदि, (४) भाषा में लिखे हुए पौराणिक और धार्मिक ग्रन्थ, और (५) वैद्यक सम्बन्धी पुस्तके।

इससे यह अर्थ निकलता है कि हम यदि लोगों के हृदय उन्नत करना चाहते हैं तो उन्हें पाँच प्रकार के बाल्मय की उन्नति करनी चाहिए।

पारसाल का ज़िक्र है। एक मित्र ने मुझसे कहा, “मराठी भाषा कितनी ऊँची उठ सकती है, यह ज्ञानदेव ने दिखाया; और वह कितना नीचे गिर सकती है, यह हमारे आज के समाचारपत्र बता रहे हैं!” (साहित्य-सम्मेलन के) अध्यक्ष की आलोचना और हमारे मित्र के उद्गार का अर्थ “प्राधान्येन व्यपदेशः” सूत्र के अनुसार निकालना चाहिए। अर्थात् उनके कथन का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि सभी समाचारपत्र अक्षरशः प्रशात महासागर की तहतक जा पहुँचे हैं। मोटे हिसाब से परिस्थिति क्या है, इतना ही बोध उनके कथनों से लेना चाहिए। इस दृष्टि से दुखपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि यह आलोचना यथार्थ है।

लेकिन इसमें दोष किसका है ? कोई कहता है सम्पादकों का; कोई कहता है पाठकों का; कोई कहता है पूँजीपतियों का । गुनाह में तीनों ही शरीक है, और “कमाई का हिस्सा” तीनों को वरावर-वरावर मिलनेवाला है, इसमें किसीको कोई अक नहीं । परन्तु मेरे मत से—अपराधी ये तीनों भले ही हो—अपराध करनेवाला दूसरा ही है, और वही इस पाप का वास्तविक ‘धनी’ है । वह कौन है ?—साहित्य की व्याख्या करनेवाला चट्टोग्र अथवा रुचिभ्रष्ट साहित्यकार ।

“विरोधी विवाद का बल, दूसरों का जी जलाना, ‘जली-कटी या तीखी बाते कहना, मर्खौल (उपहास), छल (व्यंग्य), गर्मभेद (मर्मस्फर्द्द), आड़ी-टेढ़ी सुनाना (बक्सोक्ति), कठोरता, पेचीदगी, संदिग्धता, प्रतारणा (कपट)” —ज्ञानदेव ने ये बाणी के दोष बतलाये हैं । परन्तु हमारे साहित्यकार तो ठीक उन्हीं अवगुणों को ‘बारभूपा’ या साहित्य की सजावट मानते हैं । पिछले दिनों एक बार रामदास की, ‘ओछी तबीयतवालों को विनोद भाता है’, इस उक्ति पर कई साहित्यिक बड़े गरम होगये थे । रामदास के आश्रय पर ध्यान देकर, उससे उचित उपदेश लेने के बदले इन लोगों ने यह आविष्कार किया कि विनोद का जीवन और साहित्य में जो स्थान है रामदास वही नहीं समझ पाये थे । उपहास, छल, मर्मस्फर्द्द आदि ज्ञानदेव ने अस्वीकार किये, इसे भी हमारे साहित्यकार—अपनी साहित्य की परिभाषा के अनुसार—ज्ञानदेव के अज्ञान का ही फल समझेगे ।

ज्ञानदेव या रामदास को राष्ट्र-कल्याण की लगन थी और हमारे विद्वानों को चट्टपटी भाषा की चिंता रहती है, चाहे उससे राष्ट्रध्वनि दी क्यों न होता हो—यह इन दोनों में सुख्य भेद है । हमारी साहित्य-निष्ठा ऐसी है कि चाहे सत्य भले ही मर जाय, साहित्य जीता रहे ।

“हे प्रभो, अभीतक सुरों पूर्ण अनुभव नहीं होता है, तो क्या, मेरे

साहित्य उलटी दिशा में

देव, मैं केवल कवि ही बनकर रहूँ ?” — इन शब्दों में तुकाराम ईश्वर से अपना दुखड़ा रोते हैं और ये (साहित्यकार) खोज रहे हैं कि तुकाराम के इस वचन में काव्य कहाँतक सधा है । हमारी पाठशालाओं की शिक्षा का सारा तरीका ही ऐसा है । मैंने एक निबन्ध पढ़ा था । उसमें लेखक ने तुलसीदास की शेक्सपियर से तुलना की थी और किसका स्वभाव-चित्रण किस दर्जे का है इसकी चर्चा की थी । मतलब यह कि जो तुलसीदास की रामायण हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए — देहातियों के लिए भी — जीवन की मार्ग-प्रदर्शक पुस्तक है उसका अध्ययन भी यह भला आदमी स्वभाव-चित्रण की शैली की दृष्टि से करेगा । शायद कुछ लोगों को मेरे कथन में कुछ अतिशयता प्रतीत हो, लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा ही जान पड़ता है कि इन शैली भक्तों ने राष्ट्र के शील की हत्या का उद्घोग शुरू किया है ।

शुकदेव का एक श्लोक है जिसका भावार्थ यह है कि “जिससे जनता का चित्त शुद्ध होता है वही उत्तम साहित्य है ।” जो साहित्य-चाल्कार कहलाते हैं, और जिनसे आज हम प्रभावित हैं, वे यह व्याख्या स्वीकार नहीं करते । उन्हें तो शृंगार से लेकर वीभत्स तक विभिन्न रस माने हैं, और यह निश्चित किया है कि साहित्य वही है जिसमें ये रस है । साहित्य की यह समूची व्याख्या स्वीकार कर लीजिए, उसमें कर्तव्य-शून्यता मिला दीजिए, फिर कोई भी बतला दे कि आज के मराठी समाचारपत्रों में जो पाया जाता है उसके सिवा और किस साहित्य का निर्माण हो सकता है ।

: १६ :

लोकमान्य के चरणों में

आज का नैमित्तिक धर्म

आज का नैमित्तिक धर्म लोकमान्य का पुण्यस्मरण है। आज तिलक की पुण्यतिथि है।

१९२० में तिलक शरीर-रूप से हमारे अन्दर नहीं रहे। उस समय मैं वग्वाई गया था। चार-पाँच दिन पहले ही पहुँचा था। परन्तु डॉक्टर ने कहा 'अभी कोई डर नहीं है।' इसलिए मैं एक काम से सावरमती जाने को रवाना हुआ। मैं आधा रास्ता भी पार न कर पाया होऊँगा कि मुझे लोकमान्य की मृत्यु का समाचार मिला। मेरे अत्यन्त निकट के आत्मीय, सहयोगी और मित्र की मृत्यु का जो प्रभाव हो सकता है वही लोकमान्य के निधन का हुआ। मुझपर बहुत गहरा असर हुआ। उस दिन से जीवन मे कुछ नयापन सा आ गया। मुझे ऐसा लगा गानों कोई बहुत ही प्रेम करनेवाला कुछस्त्री चल वसा हो। इसमें ज़रा भी अत्युक्ति नहीं है। आज इतने बरस हो गये। आज फिर उनका स्मरण करना है। लोकमान्य के चरणों में अपनी वह तुच्छ अद्वाजलि अपनी गहरी श्रद्धा के कारण मैं चढ़ा रहा हूँ।

नाम-महिमा

तिलक के विषय मे जब मैं कुछ कहने लगता हूँ तो युँह ये शब्द निकालना कठिन हो जाता है, गद्गद हो उठता हूँ। साधु सन्तों का नाम लेते ही मेरी जो स्थिति होती है वही इस नाम से भी होती है। मैं अपने

चित्त का भाव प्रकट ही नहीं कर सकता। उत्कट भावना को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। गीता का भी नाम लेते ही मेरी यही स्थिति हो जाती है। मानो स्फूर्ति का सचार हो जाता है। भावनाओं की प्रचण्ड बाढ़ आ जाती है। वृत्ति उमड़ने लगती है। परन्तु यह बड़प्पन मेरा नहीं है। बड़प्पन गीता का है। यही हाल तिलक के नाम का है। मैं तुलना नहीं करता। क्योंकि तुलना मे सदा दोष आ जाते हैं। परन्तु जिनके नाम-स्मरण मे ऐसी स्फूर्ति देने की शक्ति है उन्हींसे से तिलक भी है। मानो उनके स्मरण मे ही शक्ति सचित है। रामनाम को ही देखिए। कितने जड़ जीवों का इस नाम के स्मरण से उद्धार हो गया, इसकी गिनती कौन करेगा? अनेक आन्दोलन, अनेक ग्रन्थ, इतिहास, पुराण—इनमे से किसी भी चीज का उतना प्रभाव न हुआ होगा जितना कि रामनाम का हुआ है और हो रहा है। राष्ट्रों का उदय हुआ और अस्त हुआ। राज्यों का विकास हुआ और लय हुआ। किन्तु रामनाम की सत्ता अवधितरूप से विद्यमान है। तुलसीदासजी ने कहा है “कहऊँ नाम बड़ राम ते।” —“हे राम, मुझे तुझसे तेरा नाम ही अधिक प्रिय है। तेरा रूप तो उस समय के अयोध्यावासियों ने और उस जमाने के नर-वानरों ने देखा। हमारे सामने तेरा रूप नहीं, लेकिन तेरा नाम है। जो महिमा तेरे नाम मे है वह तेरे रूप मे नहीं। हे राम, तूने शबरी, जटायु आदि का उद्धार किया। लेकिन वे तो सुसेवक थे। इसमे तेरा बड़प्पन कुछ नहीं। परन्तु तेरे नाम ने अनेक खलजनों का उद्धार किया, यह वेद कहते हैं।”

“शबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ।

नाम उधारे अमित खल वेद-विदित गुनगाथ।”

तुलसीदासजी कहते हैं, राम की महिमा गानेवाले मूढ़ है। राम ने तो बड़े-बड़े सेवकों का ही उद्धार किया। परन्तु नाम ने? नाम ने असख्य जड़-मूढ़ों का उद्धार किया। शबरी तो असामान्य ली थी। उसका घैरान्य

और उसकी भक्ति कितनी महान् थी । वैसा ही वह जटायु था । इन श्रेष्ठ जीवों का, इन भक्तजनों का राम ने उद्धार किया । कौन वडी वात हुई ? परन्तु रामनाम तो दुर्जनों को भी उद्वारता है । और दरअसल मुझे इसका अनुभव हो रहा है । मुझसे वड़ा खल दूसरा कौन हो सकता है ? मेरे समान दुष्ट मैं ही हूँ । मुझे इस विषय मे दूसरों का मत जानने की जरूरत नहीं । नाम से उद्धार होता है । जिन्होने पवित्र कर्म किये, अपना शरीर परमार्थ मे खपाया, उनके नाम में ऐसा सामर्थ्य आ जाता है ।

मनुष्य की विशेषता

इसी मे मनुष्य की विशेषता है । आहार-विहारादि दूसरी वातों में मनुष्य और पशु समान ही हैं । परन्तु जिस प्रकार मनुष्य पशु या पशु से भी नीच बन सकता है, उसी प्रकार पराक्रम से, पौरुष से वह परमात्मा के निकट भी जा सकता है । मनुष्य में ये दोनों शक्तियों हैं । खूब मास और अडे वगैरह खाकर, दूसरे प्राणियों का भक्षणकर वह ग्रेर के समान हृष्ट-पुष्ट भी बन सकता है; या दूसरों के लिए अपना शरीर भी फेंक सकता है । मनुष्य अपने लिए अनेकों का घात करके पशु बन सकता है; या अनेकों के लिए अपना वलिदान कर पवित्रनामा भी बन सकता है । पशु की शक्ति मर्यादित है । उसकी बुराई की भी मर्यादा है । लेकिन मनुष्य के पतन की या ऊपर उठने की कोई सीमा नहीं है । वह पशु से भी नीचे गिर सकता है, और इतना ऊपर चढ़ सकता है कि देवता ही बन जाता है । जो गिरता है वही चढ़ भी सकता है । पशु अधिक गिर भी नहीं सकता इसलिए चढ़ भी नहीं सकता । मनुष्य दोनों वातों में पराकाशा कर सकता है । जिन लोगों ने अपना जीवन तारे संसार के लिए अर्पण कर दिया उनके नाम में बहुत वडी पवित्रता आ जाती है । उनका नाम ही तारे के समान हमारे सम्मुख रहता है । हम नित्य तर्पण करते हुए कहते हैं, 'वसिंठ तर्पयामि', 'भारद्वाजं तर्पयामि',

‘अत्रिं तर्पयामि’। इन ऋषियों के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या सात या आठ सौ पञ्च से उनकी जीवनी लिख सकते हैं? शायद एकाध सफा भी नहीं लिख सकेंगे। लेकिन उनकी जीवनी न हो तो भी वसिष्ठ यह नाम ही काफी है। यह नाम ही तारक है। और कुछ शोष रहे या न रहे, केवल नाम ही तारे के समान मार्ग-दर्शक होगा, प्रकाश देगा। मेरा विश्वास है कि सैकड़ों वर्षों के बाद तिलक का नाम भी ऐसा ही पवित्र भाना जायेगा। उनका जीवन-चरित्र आदि बहुत-सा नहीं रहेगा, किन्तु इतिहास के आकाश में उनका नाम तारे के समान चमकता रहेगा।

‘चरित्र’ और ‘चारित्र’ का भेद

हमे महापुरुषों के चारित्र का अनुसरण करना चाहिए, न कि उनके चरित्र का। दरअसल महत्व चारित्र का है। शिवाजी महाराज ने सौ दो सौ किले बनवाकर स्वराज्य प्राप्त किया। इसलिए आज यह नहीं समझना चाहिए कि उसी तरह किले बनाने से स्वराज्य प्राप्त होगा। किन्तु जिस वृत्ति से उन्होंने अपना जीवन विताया और लडाई की वह वृत्ति, वे गुण हमे चाहिए। जिस वृत्ति से शिवाजी ने काम किया उस वृत्ति से हम आज भी स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि उस समय का रूप हमारे काम का नहीं है, उसका भीतरी रहस्य उपयोगी है। चरित्र उपयोगी नहीं, चारित्र उपयोगी है। कर्तव्य करते हुए उनकी जो वृत्ति थी वह हमारे लिए आवश्यक है। उनके गुणों का स्मरण आवश्यक है। इसीलिए तो हिन्दुओं ने चरित्र का बोझ छोड़कर नाम-स्मरण पर जोर दिया। इतने महान् व्यक्तियों का सारा चरित्र दिमाग में रखने की कोशिश करें तो उसी के मारे दम छुटने लगे। इसीलिए केवल गुणों का स्मरण करना है, चरित्र का अनुकरण नहीं।

एक मज़ेदार कहानी

एक कहानी मशहूर है। कुछ लड़कों ने ‘साहसी यात्री’ नाम की

एक पुस्तक पढ़ी। फौरन वह तत्र किया कि जैसा उस पुस्तक में लिखा है वैसा ही हम भी करे। उस पुस्तक में बीस-पच्चीस युवक थे। ये भी जहाँ-तहाँ से बीस-पच्चीस इकट्ठे हुए। पुस्तक में लिखा था कि वे एक जंगल में गये। फिर क्या था? ये भी एक जंगल में पहुँचे। पुस्तक में लिखा था कि उन लड़कों को जंगल में एक शेर मिला। अब ये बैचरे शेर कहाँ से लाये? आखिर, उनमें जो एक बुद्धिमान लड़का था वह कहने लगा, “अरे भाई, हमने तो शुरू से आखिरतक गलती ही की। हम उन लड़कों की नकल उतारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलटा ही हो रहा है। वे लड़के कोई पुस्तक पढ़कर थोड़े ही निकले थे मुसाफिरी करने! हमसे तो शुरू में ही गलती हुई।”

वास्तविक शाद्द

तात्पर्य यह कि हम चरित्र की सारी घटनाओं का अनुकरण नहीं कर सकते। चरित्र का तो विस्मरण होना चाहिए। केवल गुणों का स्मरण पर्याप्त है। इतिहास तो भूलने के लिए ही है और लोग उसे भूल भी जाते हैं। लड़कों के ध्यान में वह सब-का-सब रहता भी नहीं है। इसके लिए उन पर फुजूल मार भी पड़ती है। इतिहास से हमें सिर्फ़ गुण ही लेने चाहिए। जो गुण हैं उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, श्रद्धापूर्वक याद रखना चाहिए। पूर्वजों के गुणों का श्रद्धापूर्वक स्मरण शी शाद्द है। यह शाद्द पावन होता है। आज का शाड़ मुझे पावन प्रतीत होता है। उसी प्रकार आपको भी अवश्य होता होगा।

तिलक का गुण-स्मरण

तिलक का पहला गुण कौन-सा था? तिलक जातिः ब्राह्मण थे। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं हैं वे भी उनका स्मरण कर रहे हैं। तिलक महाराष्ट्र के भराठे थे। लेकिन पंजाब के पंजाबी और बंगाल के बंगाली भी उन्हें पूज्य मानते हैं। हिन्दुस्तान तिलक का ब्राह्मणत्व और उनका

मराठापन, सब कुछ भूल गया है। यह चमत्कार है। इसमें रहस्य है—दोहरा रहस्य है। इस चमत्कार में तिलक का गुण तो है ही, हमारे पूर्वजों की कमाई का भी गुण है। जनता का एक गुण और तिलक का एक गुण—दोनों के प्रभाव से यह चमत्कार हुआ कि ब्राह्मण और महाराष्ट्रीय तिलक सारे भारत में सभी जातियों द्वारा पूजे जाते हैं। दोनों के गुण की ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रीय रामलीला में मैं क्या बनूँ ?

इस अवसर पर मुझे अहल्या की कथा याद आ रही है। रामायण में मुझे अहल्या की कथा बहुत सुहाती है। राम का सारा चरित्र ही श्रेष्ठ है। और उसमें यह कथा तो बहुत ही प्यारी है। आज भी यह बात नहीं कि हमारे अन्दर राम (सत्त्व) न रहा हो। आज भी राम है। राम-जन्म हो चुका है, चाहे उसका किसी को पता हो या न हो। परन्तु आज राष्ट्र में राम है, क्योंकि अन्यथा यह जो थोड़ा-बहुत तेज का सचार देख पड़ता है वह न दिखाई देता। गहराई से देखे तो आज राम का अवतार हो चुका है। यह जो रामलीला हो रही है इसमें कौन-सा हिस्सा लें, किस पात्र का अभिनय करें, यह मैं सोचने लगता हूँ। राम की इस लीला में मैं क्या बनूँ ? लक्षण बनूँ ? नहीं, नहीं। उनकी वह जाग्रत्ति, वह भक्ति कहाँ से लाऊँ ? तो क्या भरत बनूँ ? नहीं, भरत की कर्तव्य-दक्षता, उत्तरदायित्व का बोध, उनकी दयालुता और त्याग कहाँ से लाऊँ ? हनुमान का तो नाम भी मानो राम का हृदय ही है। तो फिर गौठ मे पुण्य नहीं है, इसलिए क्या रावण बनूँ ? ऊँड़हूँ। रावण भी नहीं बन सकता। रावण की उत्कटता, महत्वाकांक्षा, मेरे पास कहाँ है ? फिर मैं कौन-सा स्वॉग लें ? किस पात्र का अभिनय करें ? क्या ऐसा कोई पात्र नहीं है जो मैं बन सकूँ ? जटायु, शबरी ?—ये तो सुसेवक थे। अन्त में मुझे अहल्या नजर आयी। अहल्या तो पत्थर बनकर बैठी थी।

अहल्या का आख्यान

सोचा, मैं अहल्या का अभिनय करूँ। जड पत्थर बनकर बैठूँ। इतने मे वह अहल्या बोल उठी, “सारी रामायण मे सबसे तुच्छ जडमूढ पात्र क्या मैं ही ठहरी? अरे बुद्धिमान, क्या अहल्या का पात्र सबसे निकृष्ट है? मुझमे क्या कोई योग्यता ही नहीं? अरे, राम की यात्रा मे तो अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक हजारो पत्थर थे, उनका क्यों नहीं उद्धार हुआ? मैं कोई नालायक पत्थर नहीं हूँ। मैं भी गुणी पत्थर हूँ।” अहल्या की बात मुझे जँच गयी। परन्तु अहल्या के पत्थर मे गुण थे, तो भी यह सारी महिमा केवल उस पत्थर की नहीं। उसी प्रकार सारी महिमा राम के चरणों की भी नहीं। अहल्या के समान पत्थर और राम के चरणों-जैसे चरण, दोनों का संयोग चाहिए। न तो राम के चरणों से दूसरे पत्थरों का ही उद्धार हुआ, और न किसी दूसरे के चरणों से अहल्या का ही।

अहल्या-राम-न्याय

इसे मैं अहल्या-राम-न्याय कहता हूँ। दोनों के मिलाप से काम होता है। यही न्याय तिलक के दृष्टान्त पर घटित होता है। तिलक का ब्राह्मणत्व, महाराष्ट्रीयत्व आदि सब भूलकर सारा हिन्दुस्तान उनकी पुण्य-स्मृति मनाता है। इस चमत्कार मे तिलक के गुण और जनता के गुण, दोनों का स्थान है। इस चमत्कार के दोनों कारण हैं। कुछ गुण तिलक का है और कुछ उन्हे माननेवाली साधारण जनता का। हम इन गुणों का जरा पृथक्करण करें।

तिलक का गुण

तिलक का गुण यह था कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारे भारत-वर्ष का विचार किया। तिलक के फूल वार्षर्द्ध में गिरे, इसलिए वहाँ उनके हमारक मन्दिर होंगे। उन्होंने मराठी में लिखा, इसलिए मराठी भाषा में

उनके स्मारक होगे। लेकिन तिलक ने जहाँ कही जो कुछ किया—चाहे जिस भाषा मे क्यों न किया हो, वह सब भारतवर्ष के लिए किया। उन्हे यह अभिमान नहीं था कि मै ब्राह्मण हूँ, मै महाराष्ट्र का हूँ। उनमे पृथक्ता की, भेद की, भावना नहीं थी। वह महाराष्ट्रीय थे तो भी उन्होंने सारे भारतवर्ष का विचार किया। जिन अर्वाचीन महाराष्ट्रीय विभूतियों ने सारे भारतवर्ष का विचार किया, तिलक उनमे से एक थे। और दूसरे जो मेरी दृष्टि के सामने आते हैं वह थे महर्षि न्यायमूर्ति रानडे। तिलक ने महाराष्ट्र को अपनी जेब मे रखदा और सारे हिन्दुस्तान के लिए लड़ते रहे। “हिन्दुस्तान के हित मे मेरे महाराष्ट्र का भी हित है, इसीलिए पूने का हित है, पूने मे रहनेवाले मेरे परिवार का हित है और परिवार में रहनेवाले मेरा भी हित है। हिन्दुस्तान के हित का विचार करने से उसी मे महाराष्ट्र, पूना, मेरा परिवार और मै, सबके हित का विचार आ जाता है”। यह तत्त्व उन्होंने जान लिया था, और उसीके अनुसार उन्होंने काम किया। ऐसी विशाल उनकी व्याख्या थी। जो सज्जी सेवा करना चाहता है उसे वह सेवा किसी मर्यादित स्थान मे करनी पड़ेगी। लेकिन उस मर्यादित स्थान मे रहकर की जानेवाली सेवा के पीछे जो वृत्ति रहेगी वह विशाल, व्यापक और अमर्यादित होनी चाहिए।

मर्यादित क्षेत्र और व्यापक सेवा

शालग्राम मर्यादित है। लेकिन उसमे मैं जिस भगवान् के दर्शन करता हूँ वह सर्वब्रह्माण्डव्यापी, चर-अचर, जड़-चेतन सबमे निवास करनेवाला ही है। तभी तो वह वास्तविक पूजा हो सकती है। ‘जलेस्थले तथा काष्ठे विष्णुः पर्वतमूर्धनि। उस त्रिभुवन-व्यापक विष्णु को यदि वह पुजारी शालग्राम में न देखेगा तो उसकी पूजा निरा पागलपन होगी। सेवा करने मे भी खूबी है, रहस्य है। अपने गाँव मे रहकर भी

मैं विश्वेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। दूसरे को न लूटते हुए जो सेवा की जाती है वह अनमोल हो सकती है, होती भी है।

कुछ दृष्टान्त

त्रुकाराम ने अपना देहु नामक गाँव नहीं छोड़ा। रामदास दस गाँवों में विचरे और सेवा करते रहे। फिर भी दोनों की सेवा का फल एक है, अनन्त है। यदि बुद्धि व्यापक हो तो अल्प कर्म से भी अपार मूल्य मिलता है। सुदामा मुट्ठीभर ही तण्डुल लेकर गये थे लेकिन उन तण्डुलों में प्रचण्ड शक्ति थी। सुदामा की बुद्धि व्यापक थी। बहुत बड़ा कर्म करने पर भी कुछ अभागों को बहुत थोड़ा फल मिलता है। लेकिन सुदामा छोटे-से कर्म से बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सके। जिसकी बुद्धि शुद्ध, निष्पाप, पवित्र तथा समत्वयुक्त है, भक्तिमय और प्रेममय है, वह छोटी-सी भी क्रिया करे तो भी उसका फल महान् होता है। मूल्य बहुत बड़ा होता है। यह एक महान् आध्यात्मिक सिद्धान्त है। माँ का पत्र दो ही शब्दों का क्यों न हो, विलक्षण प्रभाव डालता है। वह प्रेम की स्थाही से पवित्रता के स्वच्छ कागज पर लिखा होता है। दूसरा कोई पोथा कितने ही सफेद कागज पर क्यों न लिखा हुआ हो, यदि उसके मूल में शुद्ध बुद्धि न हो, निर्मल बुद्धि न हो, जो कुछ लिखा गया है वह प्रेम में ढला हुआ न हो, तो सारा पोथा बेकार है।

व्यापकता की मुहर

परमात्मा के यहाँ 'कितनी सेवा', यह पूछ नहीं है। 'कैसी सेवा', यह पूछ है। तिलक अत्यन्त बुद्धिमान, विद्वान्, नाना शास्त्रों के पण्डित थे, इसलिए उनकी सेवा अनेकाग्री और बहुत बड़ी है। परन्तु तिलक ने जितनी कीमतों सेवा की उतनी ही कीमती सेवा एक देहाती सेवक भी कर सकता है। तिलक की सेवा विपुल और बहुआग्री थी तो भी उसका मूल्य और एक तुच्छ सेवक की सेवा का मूल्य घरावर हो सकता है। पक

गाड़ीभर ज्वार रास्ते से जा रही हो लेकिन उसकी कीमत मैं अपनी छोटी-सी जेव मेर ख सकता हूँ। दस हजार का नोट अपनी जेव मेर ख सकता हूँ। उसपर सरकारी मुहरभर लगी हो। आपकी सेवा पर व्यापकता की मुहर लगी होनी चाहिए। अगर कोई सेवा तो बहुत करे पर व्यापक दृष्टि और वृत्ति से न करे तो उसकी कीमत व्यापक दृष्टि से की हुई छोटी-सी सेवा की अपेक्षा कम ही मानी जायगी। व्यापक वृत्ति से की हुई अल्प सेवा अनमोल हो जाती है, यह उसकी खूबी है। आप और मैं सब कोई सेवा कर सके, इसीलिए परमात्मा की यह योजना है। चाहे जहाँ चाहे जो कुछ भी कीजिए, पर सकुचित दृष्टि से न कीजिए। उसमे व्यापकता भर दीजिए। यह व्यापकता आज के कार्यकर्त्ताओं मेर कम पायी जाती है। कुशल कार्यकर्त्ता आज सकुचित दृष्टि से काम करते हुए देख पड़ते हैं।

तिलक की व्यापकता

तिलक की दृष्टि व्यापक थी, इसलिए उनके चारित्र्य मेर मिठास और आनन्द है। हिन्दुस्तान के ही नहीं, बल्कि सार के किसी भी समाज के वास्तविक हित का विरोध न करते हुए चाहे जहाँ सेवा कीजिए। चाहे वह एक गोंव की ही सेवा क्यों न हो, वह अनमोल है। परन्तु यदि चुद्धि व्यापक हो तो अपनी दृष्टि व्यापक बनाइए। फिर देखिए आपके कर्मों मेर कैसी स्फूर्ति का संचार होता है। कैसी विजयी का संचार होता है। तिलक मेर यही व्यापकता थी। ‘मैं भारतीय हूँ’, यह शुरू से ही उनकी वृत्ति रही। बंगाल मेर आन्दोलन शुरू हुआ। उन्होंने दौड़कर उसकी मदद की। बंगाल का साथ देने के लिए महाराष्ट्र को खड़ा किया। स्वदेशी का ढका बजाया। ‘जब बंगाल लडाई के मैदान मेर खड़ा है तो हमें भी जाना ही चाहिए। जो बंगाल का हुःख है वह महाराष्ट्र का भी हुःख है।’ ऐसी व्यापकता, सार्वराष्ट्रीयता तिलक मेर थी। इसीलिए प्रते

के निवासी होकर भी वे हिन्दुस्तान के प्राण बन गये। सारे देश के प्रिय बने। तिलक सारे भारतवर्ष के लिए पूजनीय हुए, इसका एक कारण यह था कि उनकी दृष्टि सार्वराष्ट्रीय थी, व्यापक थी।

जनता का गुण

लेकिन इसका एक दूसरा भी कारण था। वह था जनता की विशेषता। जनता का यह गुण कार्यकर्त्ताओं में भी है, क्योंकि वे भी तो जनता के ही हैं। लेकिन उनको खुद इस बात का पता नहीं है। तिलक के गुण के साथ जनता के गुण का स्मरण भी करना चाहिए, क्योंकि तिलक अपने-आपको जनता के चरणों की धूल समझते थे। जनता के दोप, जनता की दुर्बलता, जनता की त्रुटियाँ, सब कुछ वे अपनी ही समझते थे। वे जनता से एकरूप हो गये थे, इसलिए जनता के गुणों का स्मरण तिलक के गुणों का स्मरण ही है।

भारतीय राष्ट्रधर्म—हमारे पूर्वजों की देन

यह जो जनता का गुण है वह हमारा कमाया हुआ नहीं है। हमारे महान्, पुण्यवान्, विशालदृष्टिवाले पूर्वजों की यह देन है। यह गुण मानो हमने अपनी माँ के दूध के साथ ही पीया है। उन श्रेष्ठ पूर्वजों ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य किस प्रान्त का, किस जाति का है, यह देखने के बदले इतना ही देखो कि वह भला है या नहीं, वह भारतीय है या नहीं। उन्होंने हमे यह सिखाया कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमें देशभिमान सिखाया। तब कहा हम राष्ट्रीयता से परिचित हुए। पर यह गलत है। एकराष्ट्रीयता की भावना अगर हमें किसी ने सिखायी है तो वह हमारे पुण्यवान् पूर्वजों ने। उन्होंने की कृपा से वह अनूठी देन हमें प्राप्त हुई है।

‘दुर्लभं भारते जन्म’

हमारे राष्ट्रपिंग ने हमें यह सिखावन दी कि ‘दुर्लभं भारते जन्म’।

‘दुर्लभं वंगेषु जन्म’, ‘दुर्लभं गुर्जरेषु जन्म’, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऋषि ने तो यही कहा कि ‘दुर्लभं भारते जन्म’। काशी में गगातट पर रहनेवाले को किस बात की तडप होती है ? वह इसके लिए तडपता है कि काशी की गंगा की बहँगी या कॉवर भरकर कब रामेश्वर को चढ़ाऊँ १ मानो काशी और रामेश्वर उसके मकान का आँगन और पिछवाड़ा हो। वास्तव में तो काशी और रामेश्वर में पन्द्रह सौ मील का फासला है, परन्तु आपको आपके श्रेष्ठ ऋषियों ने ऐसा वैभव दिया है कि आपका आँगन पन्द्रह सौ मील का है। रामेश्वर में रहनेवाला इसलिए तडपता है कि रामेश्वर के समुद्र का जल काशी-विश्वेश्वर के मस्तक पर चढ़ाऊँ। वह रामेश्वर का समुद्र-जल कागी तक ले जायगा। कावेरी और गोदावरी के जल में नहानेवाला भी ‘जयगगे’ ‘हरगगे’ ही कहेगा। गगा सिर्फ काशी में ही नहीं, यहाँ पर भी है। जिस बर्तन में हम नहाने के लिए पानी लेते हैं उसे भी गगाजल (गंगालय) नाम दे दिया है। कैसी व्यापक और पवित्र भावना है यह। यह भारतीय भावना है।

भारतीय राष्ट्र-भावना

यह भावना आध्यात्मिक नहीं, किन्तु राष्ट्रीय है। आध्यात्मिक मनुष्य ‘दुर्लभं भारते जन्म’ नहीं कहेगा। वह कुछ और ही कहेगा। जैसा कि तुकाराम ने कहा, ‘आमुचा स्वदेश। सुवनत्रया मध्ये वास ॥’ (स्वदेशो भुवनत्रयम्) उन्होंने आत्मा की मर्यादा को व्यापक बना दिया। सारे दरवाजो, सारे किलो को तोड़कर आत्मा को प्राप्त किया। तुकाराम के समान महापुरुषों ने, जो आध्यात्मिक रँग में रँगे हुए थे, अपनी आत्मा को स्वतंत्र सचार करने दिया। ‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ इस भावना से प्रेरित होकर, सारे भेद-भावों को पार कर जो सर्वत्र चिन्मयता के दर्शन कर सके वे धन्य हैं। लोग भी समझ गये कि ये सारे विश्व के हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है। परन्तु ‘दुर्लभं भारते जन्म’ की जो कल्पना ऋषियों ने की वह आध्यात्मिक नहीं, राष्ट्रीय है।

चाल्मीकि में राष्ट्र-भावना

चाल्मीकि ने अपनी रामायण के प्रारम्भिक श्लोकों में राम के गुणों का वर्णन किया है। राम का गुणगान करते हुए राम कैसे थे इसका वे यों वर्णन करते हैं कि, 'समुद्र इव गाम्भीर्ये स्थैर्ये च हिमवानिव'—“स्थिरता ऊपरवाले हिमालय-जैसी और गाम्भीर्ये पैरों के निकटवाले समुद्र-जैसा।” देखिए, कैसी विगाल उपमा है। एक सास में हिमालय से लेकर कन्या-कुमारी तक के दर्शन कराये। पौच्छ भील ऊँचा पर्वत और पौच्छ भील गहरा सागर एकदम दिखाये। तभी तो यह रामायण राष्ट्रीय हुई। चाल्मीकि के रोम-रोम में राष्ट्रीयत्व भरा हुआ था। इसलिए वे सार्व-राष्ट्रीय रामायण रच सके। उनकी रामायण संस्कृत में है तो भी सबकी आदरणीय है। वह जितनी महाराष्ट्र में प्रिय है उतनी ही मद्रास की तरफ केरल में भी है। श्लोक के एक ही चरण में उत्तर भारत और उत्तिण का समावेश कर दिया। विगाल और भव्य उपमा है।

हमारे राष्ट्र-धर्म की विशेषता

हमसे कोई पूछे कि हम कितने हो, तो हम तुरन्त बोल उठेंगे, हम पैतीस करोड़ वहन-भाई हैं। अग्रेज से पूछो तो वह चार करोड़ वतलायेगा। फरासीसी सात करोड़ वतलायेगा। जर्मन छः करोड़ वतलायेगा। बेल-जियन साठ लाख वतलायेगा। यूनानी आध करोड़ वतलायेगा। और हम पै-ती-स करोड़ ! ऐसा फर्क क्यों हुआ ? हमने इन पैतीस करोड़ को एक माना। उन्होंने नहीं माना। सच पूछो तो जर्मनों की भाषा और फरासीसियों की भाषा अधिक विसदृश नहीं है, जैसी मराठी और गुजराती। यूरोप की भाषाएँ लगभग एक-सी हैं। उनका धर्म भी समान है। भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में परस्पर रोटी-बेटी-व्यवहार भी होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने यूरोप के अलग-अलग टुकड़े कर ठाले। हिन्दुस्तान के प्रान्तों ने अपने को अलग-अलग नहीं माना। यूरोप के लोगों ने ऐसा

मान लिया। हिन्दुस्तान भी तो रूस को छोड़ बाकी के सारे यूरोप के बराबर एक खण्ड (महाद्वीप) ही है। लेकिन हमने भारत को एक खण्ड, यानी अनेक देशों का समुदाय न मानकर भारतवर्ष के नाम से सारा एक ही देश माना, एक राष्ट्र माना।

यूरोप की भेद-भक्ति

उन अभागे यूरोपासियों ने सारा यूरोप एक नहीं माना। उन्होंने यूरोप को एक खण्ड (महाद्वीप) माना। उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये। एक-एक टुकड़े को अपना मान लिया और एक दूसरे से धनधोर युद्ध किये। पिछले महासमर को ही ले लीजिए। लाखों लोग मरे। वे एक दूसरे से लड़े, मगर आपस में नहीं लड़े। यह कुसूर उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमने भारत को एक राष्ट्र मान लिया और हम आपस में लड़े।

हमारा दोष भी भूषण है

अग्रेज या यूरोपीय इतिहासकार हमसे कहा करते हैं कि “तुम आपस में लड़ते रहे, अन्तस्थ कलह करते रहे।” आपस में लड़ना बुरा है, यह तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन यह दोष स्वीकार करते हुए भी मुझे इस आरोप पर अभिमान है। हम लड़े, लेकिन आपस में। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक है, यह बात इन इतिहासकारों को भी मज़बूर है। उनके आक्षेप में ही यह स्वीकृति आ गयी है। कहा जाता है कि यूरोपीय राष्ट्र एक दूसरे से लड़े, लेकिन अपने ही देश में आपस में नहीं लड़े। लेकिन इसमें कौन-सी बड़ाई है। एक छोटे-से मानव-समुदाय को अपना राष्ट्र कह कर यह शैखी बघाना कि हमारे अन्दर एकता है, आपस में फूट नहीं है, कौन-सी बहादुरी है? मान लीजिये कि मैंने अपने राष्ट्र की ‘मेरा राष्ट्र यानी मेरा शरीर’, इतनी संकुचित व्याख्या कर ली; तो आपस में कभी युद्ध ही न होगा। हूँ, मैं ही अपने मुँह में चट से एक थप्पड़ जड़ दूँ तो अलवत्ता लड़ाई होगी। परन्तु ‘मैं ही मेरा राष्ट्र हूँ’ ऐसी व्याख्या करके

मैं अपने भाई से, मॉ से, किसी से भी लड़ू, तो भी वह आपस की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर को ही अपना राष्ट्र मान लिया है। सारांश, हम आपस में लड़े यह अभियोग सही है, परन्तु वह अभिमानास्पद भी है, क्योंकि इस अभियोग में ही अभियोग लगानेवाले ने यह मान लिया है कि हम एक हैं, हमारा एक ही राष्ट्र है। यूरोप के अभागों ने इस कल्पना का विनाश किया। हमें उसकी शिक्षा दी गयी है। हतना ही नहीं, वह हमारी स्वारंग में पैठ गयी है। हम पुराने जमाने में आपस में लड़े, तो भी यह एकराष्ट्रीयता की भावना आज भी विद्यमान है। महाराष्ट्र ने पजाब पर, गुजरात और बंगाल पर चढ़ाइयाँ की, फिर भी यह एक राष्ट्रीयता की, आत्मीयता की भावना नष्ट नहीं हुई।

जनता-व्यापी भावना

जनता के इस गुण की बदौलत तिलक सब्र प्रान्तों में ग्रिय और पूज्य हुए। तिलक-गाधी तो अलौकिक पुरुष हैं। सब प्रान्त उन्हें पूजेंगे ही। परन्तु राजगोपालचार्य, जमनालालजी आदि तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन उनकी भी सारे प्रान्तों में प्रतिष्ठा है। पजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक उनका आदर करते हैं। हमें उसका पता भले ही न हो, लेकिन एकराष्ट्रीयता का यह महान् गुण हमारे खून में ही घुल-मिल गया है। हमारे यदों एक प्रान्त का नेता दूसरे प्रान्त में जाता है, लोगों के सामने अपने विचार रखता है। क्या यूरोप में यह कभी हो सकता है? जरा जाने दीजिए मुसोलिनी की रूस में फासिजम पर व्यास्थान देने। लोग उसे पत्थर मार-मार कर कुचल डालेंगे वा फॉसी पर लटका देंगे। हिटलर और मुसोलिनी जब मिलते हैं तो कैसा जबरदस्त बन्दोबस्त किया जाता है, कैसी त्रुपचाप गुप्त रूप से मुलाकात होती है। मानों दो खूनी आदमी किसी साजिश के लिए एक दूसरे से मिल रहे हों। किन्तु, परकोटे, दीवारें सब तरफ लटी करके सरे

यूरोप में द्वेष और मत्सर फैला दिया है इन लोगों ने । पर हिन्दुस्तान में ऐसी बात नहीं है । तिलक-गाधी को छोड़ दीजिए । ये लोकोन्तर पुरुष हैं । किन्तु दूसरे साधारण लोगों का भी सर्वत्र आदर होता है । लोग उनकी बाते ध्यान से सुनते हैं । ऐसी राष्ट्रीय भावना ऋषियों ने हमें सिखायी है । समाज और जनता में सर्वत्र इसका असर मौजूद है । अज्ञात रूप से वह हमारी नस-नस में विद्यमान है ।

तिलक की जनता से एकरूपता

हमें इस गुण का पता नहीं था । आइए, अब ज्ञानपूर्वक हम उससे परिचय करलें । आज तिलक का स्मरण सर्वत्र किया जायगा । उनके ब्राह्मण होते हुए भी, महाराष्ट्रीय होते हुए भी, सब जनता सर्वत्र उनकी पूजा करेगी, क्योंकि तिलक की दृष्टि व्यापक थी । वह सारे भारतवर्ष का विचार करते थे । वह सारे हिन्दुस्तान से एकरूप होगये थे । यह तिलक की विशेषता है । भारत की जनता भी प्रान्ताभिमान आदि का खयाल न करती हुई गुणों को पहचानती है । यह भारतीय जनता का गुण है । इन दोनों के गुणों का यह चमत्कार है कि तिलक का सर्वत्र सब लोग स्मरण कर रहे हैं । जैसे एक ही आम की गुठली से पेड़, शाखा और आम पैदा होते हैं उसी प्रकार एक ही भारत माता के बाह्यतः जुदा-जुदा पुत्र दिखाई देते हैं—कोई क्रोधी, कोई स्नेही । फिर भी मीठे और मुलायम आम जिस गुठली से पैदा होते हैं उसीसे पेड़ का कठिन-धड़ भी पैदा होता है । इसी तरह हम ऊपर से कितने ही भिन्न क्यों न दिखाई दे, तो भी हम एक ही भारतमाता की सन्तान हैं, यह कदापि न भूलना चाहिए । इसे ध्यान में रखकर प्रेम-भाव बढ़ाते हुए सेवकों को सेवा के लिए तैयार होना चाहिए । तिलक ने ऐसी ही सेवा की आशा है, आप भी करेंगे ।

निर्भयता के प्रकार

निर्भयता तीन प्रकार की होती है—विज्ञ निर्भयता, ईश्वरनिष्ठ निर्भयता, विवेकी निर्भयता। 'विज्ञ' निर्भयता वह निर्भयता है जो खतरों से परिचय प्राप्त करके उनके इलाज जान लेने से आती है। यह जितनी प्राप्त हो सकती हो उतनी कर लेनी चाहिए। जिसकी सौंपो से जान-पहचान हो गयी, निर्विष और सविष सौंपो का भेद जिसने जान लिया, सौंप पकड़ने की कला जिसे सिद्ध हो गयी, सौंप काटने पर किये जानेवाले इलाज जिसे मालूम हो गये, सौंप से बचने की युक्ति जिसे विदित हो गयी, वह सौंपो की तरफ से काफी निर्भय हो जायगा। अवश्य ही वह निर्भयता सौंपोतक ही सीमित रहेगी। हरएक को शायद वह प्राप्त न हो सके, लेकिन जिसे सौंपो में रहना पड़ता है उसके लिए यह निर्भयता व्यावहारिक उपयोग की चीज़ है। क्योंकि उसकी बदौलत जो हिम्मत आती है वह मनुष्य को अ-स्वाभाविक आचरण से बचाती है। लेकिन यह निर्भयता मर्यादित है।

दूसरी यानी ईश्वरनिष्ठ निर्भयता, मनुष्य को पूर्ण निर्भय बनाती है। परन्तु दीर्घ प्रयत्न, पुरुषार्थ, भक्ति इत्यादि साधनों के सतत अनुष्ठान के बिना वह प्राप्त नहीं होती। जब वह प्राप्त होगी तो किसी अवान्तर सहायता की जरूरत ही न रहेगी।

इसके बाद तीसरी, विवेकी निर्भयता है। वह मनुष्य को अनावश्यक और ऊटपटाँग साढ़े नहीं करने देती। और पिर भी अगर खतरं का

सामना करना ही पड़े तो विवेक से बुद्धि शान्त रखना सिखाती है। साधक को चाहिए कि वह इस विवेकी निर्भयता की आदत डालने का प्रयत्न करे। वह हरएक की पहुँच में है।

मान छीजिए कि मेरा शेर से सामना हो गया और वह मुझपर झपटना ही चाहता है। सम्भव है कि मेरी मृत्यु अभी बदी ही न हो। अगर बदी हो तो वह टल नहीं सकती। परन्तु यदि मै भयभीत न होकर अपनी बुद्धि शान्त रखने का प्रयत्न करूँ तो बचने का कोई रास्ता सूझने की सभावना है। या ऐसा कोई उपाय न सूझे तो भी अगर मै अपना होश बनाये रखूँ तो अन्तिम समय में हरि-स्मरण कर सकूँगा। ऐसा हुआ तो यह परम लाभ होगा। इस प्रकार यह विवेकी निर्भयता दोनों तरह से लाभदायी है। और इसीलिए वह सबके प्रयत्नों का विषय होने योग्य है।

[अक्टूबर, १९४०]

: २१ :

आत्मशक्ति का अनुभव

सत्पुरुषों की अखण्ड परम्परा

आप सब जानते हैं कि आज गांधीजी का जन्म-दिन है। ईश्वर की कृपा से हमारे इस हिन्दुस्तान में गांधीजी-जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति इससे पहले भी हुए हैं। ईश्वर हमारे यहाँ समय-समय पर ऐसे अच्छे व्यक्ति भेजता आया है। आइए, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे देश में सत्पुरुषों की ऐसी ही अखण्ड परम्परा चलती रहे।

खादी-सप्ताह

मैं आज गांधीजी के विषय में कुछ न कहूँगा। अपने नाम से कोई उत्सव हो, यह उन्हे पसन्द नहीं है। इसलिए उन्होंने इस सप्ताह को खादी-सप्ताह नाम दिया है। अपने से सम्बन्ध रखनेवाले उत्सव को कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकता, परन्तु गांधीजी इस उत्सव को प्रोत्साहन दे सकते हैं। कारण, यह उत्सव एक सिद्धान्त के प्रसार के लिए, एक विचार के विस्तार के लिए मनाया जाता है।

मनुष्य ईश्वर का सन्देश है

गांधीजी किसी ज्ञानी पुरुष के एक कथन का लिक्र किया करते हैं, जिसका आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जीवतक समाप्त नहीं हो जाता तबतक उसके विषय में मौन रहना ही उचित है। मुझे तो व्यक्ति का स्वूल चरित्र भूलजाने-जैसी ही वात मालूम होती है। मनुष्य ईश्वर की लिखी हुई एक चिट्ठी है, एक सन्देश है। चिट्ठी का मज़मून दैरणा

चाहिए। उसकी लम्बाई-चौड़ाई और वजन देखने से मतलब नहीं है।

संकल्प-बल

अभी यहाँ जो कार्यक्रम रहा उसमे लड़को ने खासा उत्साह दिखाया। ऐसे कार्यक्रमो मे लड़के हमेशा उत्साह और आनन्द से शरीक होते हैं। परन्तु जो प्रौढ़ लोग यहाँ इकट्ठे हुए उन्होने एकत्र बैठकर उत्साह से सूत काता, यह कार्यक्रम का बहुत सुन्दर अग है। साल भर मे कई त्योहार आते हैं, उत्सव भी होते हैं। हम उस दिन के लिए कोई-न-कोई कार्यक्रम भी बना लेते हैं, परन्तु उसी दिन के लिये कार्यक्रम बनाने से हम उस उत्सव से पूरा लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे अवसरो पर शुरू किया हुआ कार्यक्रम हमे सालभर तक चलाना चाहिए। इस-लिए यहाँ एकत्र हुई मण्डली को मैंने यह सुझाया कि वे लोग आज से अगले साल के इसी दिनतक रोज आध घटा नियमित रूप से कातने का सकल्प करें। अगर आप ऐसा शुभ निश्चय करेगे तो उस निश्चय को पूरा करने मे ईश्वर आप की हर तरह से सहायता करेगा। ईश्वर तो इसके इन्तजार मे ही रहता है कि कौन कब शुभ निश्चय करे और कब उसकी मदद करने का सुयोग मुझे मिले। रोज नियमित रूप से सूत कातिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उसका लेखा भी रखना चाहिए। यह लेखा लोगो के लिए नहीं रखना है, अपने दिल को टटो-लने के लिए रखना है। निश्चय छोटा-सा ही क्यो न हो, मगर उसका पालन पूरा-पूरा होना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारा संकल्प-बल बढ़ेगा। यह शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है, लेकिन हमे उसका अनुभव नहीं होता। आत्म-शक्ति का अनुभव हमे नहीं होता, क्योंकि कोई-न-कोई संकल्प करके उसे पूरा करने की आदत हम नहीं ढालते। छोटे-छोटे ही संकल्प या निश्चय कीजिए और उन्हें कार्यान्वित कीजिए। तब आत्मशक्ति का अनुभव होने लगेगा।

मरणोन्मुख आत्म-ज्ञान

दूसरी बात यह है कि गॉव मे जो काम हुआ है उसके विवरण से यह पता चलता है कि वे ही लोग काम करते हैं जिन्हे इस काम मे शुल्क से दिलचस्पी रही। हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि दूसरे लोग इसमे क्यों नहीं शामिल होते। कातनेवाले कातते हैं इतना ही कानी नहीं है। इसका भी विचार करना चाहिए कि न कातनेवाले क्यों नहीं कातते। हमने अपना फर्ज अदा कर दिया इतना बस है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इसका भी चिन्तन करना चाहिए कि यह चीज़ गॉवभर मे कैसे फैलेगी? इसमे असली दिक्कत यह है कि हम आयद ही कभी ऐसा मानकर व्यवहार करते हो कि सारा गॉव एक है। जब आग लग जाती है, बाढ़ आती है या कोई छूट की बीमारी फैलने लगती है, तभी हम सारे गॉव का विचार करते हैं। लेकिन यह तो अपवाद हुआ। हमारे नित्य के व्यवहार मे यह बात नहीं पायी जाती। जब किसी का स्पर्श-ज्ञान विलकुल नष्ट होनेवाला होता है तो उसे मामूली स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ता। जोर से चुटकी काटिए तो थोड़ा-सा पता चलता है। यहीं हाल हमारा है। हमारा आत्म-ज्ञान विलकुल मरणोन्मुख हो गया है।

मनुष्य और पशु का भेद

पशुओं का आत्मज्ञान उनकी देह तक सीमित रहता है। वे अपनी सन्तान को भी नहीं पहचानते। अलवत्ता मादा को कुछ दिनों तक यह जान होता है, क्योंकि उसे दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन यह पहचान भी तभीतक होती है जबतक वह दूध पिलाती रहती है। उसके बाद अक्सर वह भी भूल जाती है। नर को तो उतनी भी पहचान नहीं होती। कुछ जानवरों मे तो वाप अपने बच्चे को खा ही जाता है। मनुष्य अपने बाल-बच्चों को पहचानता है, इसलिए वह पशु भे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। कौन-सा प्राणी कितना श्रेष्ठ है, इसका

निश्चय उसके आकार से नहीं होता । उसकी आत्मरक्षा की शक्ति या युक्ति से भी इसका पता नहीं चलता । उसका आत्मज्ञान कितना व्यापक है, इसी से उसके बड़प्पन का हिसाब लगाया जा सकता है । दूसरे प्राणियों का आत्मज्ञान उनके शरीर तक ही रहता है । जगली मानी गयी जाति के मनुष्यों में भी वह कम-से-कम उनके परिवारतक व्यापक होता है । जितनी कमाई होती है वह सरे घर की मानी जाती है । कुछ कुदुम्बों में तो यह कौटुम्बिक प्रेम भी नहीं होता । भाई-भाई, पति-पत्नी और बाप-बेटों में ज्ञागड़े-टटे होते रहते हैं ।

कुदुम्ब-निष्ठा और आम-निष्ठा

हिन्दुस्तान में फिर भी कौटुम्बिक प्रेम थोड़ा-बहुत पाया जाता है । लेकिन कुदुम्ब से बाहर वह बहुत कम मात्रा में है । जब कोई भारी आपत्ति आ पड़ती है तो उतने समय के लिए सारा गाँव एक हो जाता है । आम तौर पर कुदुम्ब से, बाहर देखने की चृत्ति नहीं है । इसका यह मतलब हुआ कि हिन्दुस्तान का आत्म-ज्ञान मौत की तरफ बढ़ रहा है, इरलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समूचे गाँव को एक इकाई मानकर सारे गाँव की चिन्ता कीजिए । यह गोपालकृष्ण का मन्दिर कौन-सा सन्देश सुनाता है ? इस मन्दिर का मालिक गोपालकृष्ण है । उसके पास उसके सब बालकों को जाने की इजाजत होनी चाहिए । यह मन्दिर हरिजनों के लिए खोलकर आपने इतना काम किया है । किन्तु मन्दिर खोलने का पूरा अर्थ समझकर, 'इस गोपालकृष्ण की छत्रच्छाया में यह सारा गाँव एक है,' ऐसी भावना का विकास कीजिए ।

विदेशी माल खरीदने का पाप

गाँव की प्राथमिक आवश्यकता की चीजें गाँव में ही बननी चाहिए । अगर हम ऐसी चीजें बाहर से लाने लगेंगे तो बाहर के लोगों पर झुल्म होगा । जापान की मिलों और कारख़ानों में भजदूरों को बाहर बाहर

घटे काम करना पड़ता है। कम-से-कम मजदूरी में उनसे ज्यादा-से ज्यादा काम लिया जाता है। वे यह सब किसलिए करते हैं? हिन्दुस्तान के बाजार अपने हाथ में रखने के लिए। मगर उनकी भाषा में “हमारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए!” यह वहाँ के मालदार पूँजीपति करते हैं। वहाँ के शरीबों का इसमें कोई फायदा नहीं। वहाँ के मालदार आदमियों का भी कल्याण इसमें नहीं है और हमारा तो हरगिज नहीं है। हमारे उनका माल खरीदने से उन्हे जो पैसा मिलता है उसका वे कैसा उपयोग करते हैं? उस पैसे से वे वम बनाते हैं। उनकी बदौलत वे आज चीन को हरा रहे हैं। इंग्लैंड, जर्मनी आदि राष्ट्रों का भी यही कार्यक्रम है। बाहर का माल खरीदकर हम इस प्रकार दुर्जनों का लोभ बढ़ाते हैं, शास्त्रास्थ और गोला-बारूद बनाने के लिए पैसा देते हैं। इसका उपयोग राष्ट्र-के-राष्ट्र वीरान करदेने के लिए हो रहा है।

दुष्टता से सहयोग

बीस-बीस हजार फुट की ऊँचाई पर से वम गिराये जाते हैं। जर्मन लोग बडे गर्व से कहते हैं कि “हमने लन्दन को वेचिराग कर दिया।” अंग्रेज कहते हैं, “हमने वर्लिन को भून डाला।” और हम लोग समाचारपत्रों में ये सब खबरें पढ़ पढ़ कर मजे लेते हैं। औरतें और बच्चे मर रहे हैं। मन्दिर, विद्यालय और दवाखाने ज़र्मांदोज़ हो रहे हैं। लड़नेवाले और न लड़नेवाले में कोई फर्क नहीं किया जाता। क्या इन लड़नेवालों को हम पापी कहे? लेकिन हम पुण्यवान् कैसे यादित हो सकते हैं? हम ही तो उनका माल खरीदते हैं!

परस्पर दान और सहयोग

इस प्रकार हम दुर्जनों को उनके दुष कार्य में सक्रिय सहायता देते हैं। यह कहना व्यर्थ है कि हम तो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीजें खरीदते हैं; हम किसी की मदद नहीं करते। घरीदना और वेचना केवल

मामूली व्यवहार नहीं है। 'उनमे भी' परस्पर दान है। हम जो खरीदार हैं और वे जो बेचनेवाले हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। हम परस्पर के सहयोगी हैं। एक दूसरे के पाप-पुण्य में हमारा हिस्सा है। अमेरिका नकद सोना लेकर इंग्लैण्ड को सोना बेचता है, तो भी यह माना जाता है कि वह इंग्लैण्ड की मदद करता है और अग्रेज़ इस सहायता के लिए उसका उपकार मानते हैं। व्यापार-व्यवहार में भी पाप-पुण्य का बड़ा भारी सबाल है। बैकवाला हमें ब्याज देता है, लेकिन हमारे पैसे किसी व्यापार में लगाता है। बैक में पैसे रखनेवाला उसके पाप-पुण्य का हिस्सेदार होता है। जिसका उपयोग पाप के लिए होता हो ऐसी कोई भी मदद करना पाप ही है। इसलिए अपने गाँव की प्राथमिक आवश्यकता की चीजें बनाने का काम भी दूसरों को सौंपने का मतलब यह है कि हम खुद परावलम्बन और आलस्य का पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप में डालने में सहायता करते हैं।

स्वावलम्बन अर्थात् दुर्जनों की शक्ति का नाश

हिन्दुस्तान और चीन दोनों बहुत बड़े देश हैं। उनकी जन-सख्या पचासी करोड़, यानी ससार की जन-सख्या के आधे से कुछ ही कम है। इतने बड़े देश है, लेकिन सिवा नाज के इनमे और क्या उत्पन्न होता है? ये दो विराट् लोक-संख्या वाले देश गैरसुलक्ष्मी के माल के खरीदार हैं। चीन में तो फिर भी कुछ माल तैयार होता है, पर हिन्दुस्तान में वह भी नहीं होता। हिन्दुस्तान सर्वथा परावलम्बी है। हम समझते हैं कि हम तो अपनी ज़रूरत की चीजें खरीदते हैं; हमसे मिले हुए पैसे का उपयोग जो लोग पाप में करते होंगे वे पापी हैं, हम कैसे पापी हुए। बौद्ध-धर्मावलम्बी स्वयं जानवरों को मारना हिंसा समझते हैं; लेकिन कसाई के मारे हुए जानवर का मास खाने में वे हिंसा नहीं मानते। उसी प्रकार का विचार यह भी है। हमे ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए।

गाधीजी जब यह कहते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा प्रत्येक गाँव को स्वावलम्बी बनना चाहिए तब वे हरएक गाँव को सुखी बनाना चाहते हैं और साथ-साथ दुर्जनों से लोगों पर जुल्म करने की शक्ति भी छीन लेना चाहते हैं। इस उपाय से दुर्जन और उन्हे शक्ति देनेवाले आलसी लोग, दोनों पुण्य के रास्ते पर आयेंगे।

हमारी ज़िम्मेदारी

हम अपने पैरों पर खड़े रहने में किसी से द्वेष नहीं करते। अपना भला करते हैं। अगर हम लंकाशायर, जापान या हिन्दुस्तान की मिलो का कपड़ा न खरीदे तो मिलवाले भूखों न मरेंगे। उनका पेट तो पहले ही भरा हुआ है। बुद्धिमान होने के कारण वे दूसरे कई धन्वे भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसान ग्रामोद्योग खो वैठने के कारण उत्तरोत्तर कंगाल हो रहे हैं। इसके अलावा बाहर का माल खरीदकर हमने दुर्जनों का बल बढ़ाया है। दुर्जन सघटित होकर आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसके लिए हम सब तरह से ज़िम्मेदार हैं।

दुर्जनों की कोई जाति नहीं

वास्तव में ईश्वर ने दुर्जनों की कोई अलग जाति नहीं पैदा की है। जब द्रव्य-संग्रह की धुन सवार हो जाती है तब जन्मसिद्ध सजन भी धीरे-धीरे दुर्जन बनने लगता है। अगर हम स्वावलम्बी हो गये, हमारे गाँव अपने उद्योग के बल अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सजन को दुर्जन बनानेवाली लोभ-वृत्ति की जड़ ही उखड़ जायेगी और आज जो सच्चाधारी बनकर बैठे हैं उनकी लोगों पर जुल्म करने की शक्ति निन्यानवे फ़ीसदी जायद हो जायगी। “लेकिन जुल्म करने की जो एक प्रनिश्चित शक्ति द्योप रह जायगी उसका क्या इलाज है?” निन्यानवे प्रतिशत नष्ट हो जाने के बाद वाक्ता रहा हुआ एक प्रतिशत उपने-आप सुरक्षा जायगा। लेकिन जैसे चिराग बुझने के बक्तु ज्यादा भयकता है उसी तरह अगर वह

एक प्रतिशत जोर मारे तो हमें उसका प्रतिकार करना पड़ेगा ।

निवैरं प्रतिकार का अस्त्र

इसके लिए सत्याग्रह के शस्त्र का आविष्कार हुआ है । दुर्जनों से हमें द्वेष नहीं करना है, पर दुर्जनता का प्रतिकार अपनी पूरी ताकत से करना है । आजतक दुर्जनों की सत्ता जो सासार में चलती रही इसका सबब यह है कि लोग दुर्जनों के साथ व्यवहार करने के दो ही तरीके जानते थे । 'लोग' शब्द से मेरा मतलब है 'सजन कहे जानेवाले लोग ।' या तो वे 'झगड़े का मुँह काला' कहकर निष्क्रिय होकर बैठ जाना जानते थे, या फिर दुर्जनों से दुर्जन होकर लड़ते थे । जब मैं दुर्जन से उसी का शस्त्र लेकर लड़ने लगता हूँ तो उसमें और मुझमें जो भेद है उसे बताने का इसके सिवा दूसरा तरीका ही नहीं है कि मैं अपने माथे पर 'सजन' शब्द लिखकर एक लेबिल चिपका लौँ; और जब मैं उसका शस्त्र बरतता हूँ तो अपने शस्त्र के प्रयोग में वही अधिक प्रवीण होगा, अर्थात् मेरी किस्मत में पराजय तो लिखी ही है । या फिर मुझे सवाया दुर्जन बनकर उसको मात करना चाहिए । जो थोड़े-बहुत सजन थे वे इस 'दुष्ट-चक्र' से डरकर निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाते थे । इन दोनों पगडियों को छोड़कर हमें सत्याग्रह से यानी स्वयं कष्ट सहकर, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए और अन्याय करनेवाले के प्रति प्रेमभाव रखना चाहिए, ऐसा यह अभग शस्त्र हमें प्राप्त हुआ है । इसी शस्त्र का वर्णन करते हुए ज्ञानदेव ने कहा है, "अगर मित्रता से ही बैरी मरता हो तो नाहक कटार क्यों बोधें ?" गीता कहती है, "आत्मा अमर है, मारनेवाला बहुत करेगा तो हमारे शरीर को मारेगा; हमारी आत्मा को, हमारे विचार को वह नहीं मार सकता ।" यह गीता की सिखावन ध्यान में रखते हुए सजनों को निर्भयता और निवैरं बुद्धि से प्रतिकार के लिए तैयार हो जाना चाहिए ।

। निन्यानबे प्रतिशत और एक प्रतिशत ।

दुर्जनों की निन्यानबे प्रतिशत शक्ति नष्ट करने का काम खादी और आमोद्योगों का है । निन्यानबे प्रतिशत जनता के लिए यही कार्यक्रम है । दोष एक प्रतिशत काम अहिंसक प्रतिकार का है । यदि पहला सुचारू रूप से हो जाय तो दूसरे की ज़रूरत ही न पड़नी चाहिए । और अगर ज़रूरत पड़े ही तो उसके लिए जनसंख्या के एक प्रतिशत की भी आवश्यकता न होनी चाहिए । थोड़े से निर्भय, निर्वैर और आत्मज्ञ पुरुषों द्वारा यह काम हो सकता है । मैं समझता हूँ इन बातों में गान्धी-जयन्ती का सारा सार आ जाता है ।

[२-१०-४०

सेवा का आचार-धर्म

सहनाववतु । सहनौ भुनक्तु ।
 सहवीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु ।
 मा विद्विषावहै । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ।

मैंने आज अपने भाषण का आरम्भ जिस मन्त्र से किया है वह मन्त्र हमारे देश के लोग पाठशाला मे अध्ययन शुरू करते समय पढ़ा करते थे ! यह मन्त्र गुरु और शिष्य के मिल कर कहने के लिये है । “परमात्मा हम दोनों का एक साथ रक्षण करे । एक साथ पालन करे । हम दोनों जो कुछ सीखे वह, हम दोनों की शिक्षा, तेजस्वी हो । हम दोनों मे द्वेष न रहे । और सर्वत्र शांति रहे ।” यह इस मन्त्र का संधिस अर्थ है । आश्रम मे भोजन के प्रारम्भ मे यही मन्त्र पढ़ा जाता है । अन्यत्र भी भोजन आरम्भ करते समय इसे पढ़ने की प्रथा है । “इस मन्त्र का भोजन से क्या सम्बन्ध है ? इसके बदले कोई दूसरा भोजन के समय पढ़ने योग्य मन्त्र क्या खोजा ही नहीं जा सकता ?” यह सवाल एक बार बापू से किया गया था । उन्होंने वह मेरे पास भेज दिया था । मैंने एक पत्र मे उसका विस्तार से उत्तर दिया है । वही मैं थोड़े मे यहाँ कहनेवाला हूँ ।

समाज के दो विभागों का सहजीवन

इस मन्त्र मे समाज दो भागो मे बँटा गया है और ऐसी प्रार्थना की गयी है कि परमात्मा दोनों का एक साथ रक्षण करे । भोजन के समय इस मन्त्र का उच्चार अवश्य करना चाहिए; क्योंकि हमारा भोजन केवल पेट

भरने के लिए ही नहीं है, ज्ञान और सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी मौग की गयी है कि हमारा वह ज्ञान, वह सामर्थ्य और वह भोजन भगवान् एक साथ कराये। इसमें केवल पालन की प्रार्थना नहीं है। एक साथ पालन की प्रार्थना है। पाठशाला में जिस प्रकार चुरु और शिष्य होते हैं उसी प्रकार सर्वत्र द्वैत है। परिवार में पुरानी और नयी पीढ़ी, समाज में स्त्री-पुरुष, वृद्ध-तरुण, शिक्षित-अशिक्षित आदि भेद हैं। उसमें फिर गरीब अमीर का भेद भी है। इस प्रकार सर्वत्र भेद-द्वितीय आती है। हमारे इस हिन्दुस्तान में तो असत्य भेद हैं। यहाँ प्रान्त-भेद है। यहाँ का स्त्री-वर्ग विलकुल अपग रहता है। इसलिए यहाँ स्त्री-पुरुष में भी बहुत बड़ा भेद है। हिन्दू और मुसलमान का भेद तो प्रसिद्ध ही है। परन्तु हिन्दू-हिन्दू में भी, हरिजनों और दूसरों में भेद है। हिन्दुस्तान की तरह ये भेद संसार में भी हैं। इसलिए इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गयी है कि हमे “एक साथ तार, एक साथ मार।” मारने की प्रार्थना प्रायः कोई नहीं करता। इसलिये यहाँ एक साथ तारने की प्रार्थना है। लेकिन “यदि तुझे मारना ही हो तो कम-से-कम एक साथ मार”, ऐसी प्रार्थना है। सारांश, “हमें दूध देना है तो एक साथ दे, सखी रोटी देना है तो भी एक साथ दे, हमारे साथ जो कुछ करना है वह सब एक साथ कर”, ऐसी प्रार्थना इस मन्त्र में है।

यह भेद कैसे दूर हो ?

देहात के लोग यानी किसान और गरीब और अमीर, इनका अन्तर जितना कम होगा उतना ही देग का कदम आगे बढ़ेगा। अन्तर दो तरह से मेटा जा सकता है। ऊपरवालों के नीचे उतरने से और नीचेवालों के ऊपर चढ़ने से। परन्तु दोनों ओर से यह नहीं होता। हम सेवक कहलाते हैं लेकिन किसान-मजदूरों की तुलना में तो चोटी पर ही हैं।

भोग और ऐश्वर्य किसे कहें ?

लेकिन सवाल तो यह है कि भोग और ऐश्वर्य किसे कहे ? मैं अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर्लै और पड़ोस में ही दूसरा भूखो मरता रहे, इसे ? उसकी नजर बशबर मेरे भोजन पर पड़ती रहे और मैं उसकी परवाह न कर्लै ? उसके आक्रमण से अपनी थाली की रक्षा करने के लिए एक डडा लेकर बैठूँ ? मेरा स्वादिष्ट भोजन और ढंडा तथा उसकी भूख, इसे ऐश्वर्य माने ? एक सज्जन आकर मुझसे कहने लगे कि “हम दो आदमी एकत्र भोजन करते हैं, परन्तु हमारी निभ नहीं सकती। मैंने अब अलग भोजन करने का निश्चय किया है।” मैंने पूछा, “सो क्यो ?” उन्होंने जवाब दिया, “मैं नारंगियों खाता हूँ, वह नहीं खाते; वह मजदूर है, इसलिए वह नारंगियों खरीद नहीं सकते। अतः उनके साथ खाना मुझे अनुचित लगता है।” मैंने पूछा—“क्या अलग घर मेरे रहने से उनके पेट मे नारंगियों चली जायेगी ? आप दोनों मेरे जो व्यवहार आज हो रहा है वही ठीक है। जबतक दोनों एक साथ खाते हैं तबतक दोनों के निकट आने को सम्भावना है। एकाध बार आप उनसे नारंगियों लेने का आग्रह भी करेंगे। लेकिन यदि आप दोनों के बीच सुरक्षितता की दीवार खड़ी कर दी गयी तो भेद चिरस्थायी हो जायेगा। दीवार को सुरक्षितता का साधन मानना कैसा भयकर है। हिन्दुस्तान मेरे हम सब कहते हैं, हमारे सन्तों ने पुकार-पुकार कर कहा है, कि ईश्वर सर्वसाक्षी है, सर्वत्र है। फिर दीवार की ओट मेरे छिपने से क्या फायदा ? इससे दोनों का अन्तर थोड़े ही घटेगा !”

सेवकों का भी यहीं हाल

यहीं हाल हम खादी-धारियों का भी है। जनता के अन्दर अभी खादी का प्रवेश ही नहीं हुआ है। इसलिए जितने खादीधारी हैं वे सब सेवक ही हैं। यह कहा जाता है कि हमे और आपको गौवों में जाना

चाहिए। लेकिन देहात मे जाने पर भी, वहों के लोगों को जहाँ सूखी रोटी नहीं मिलती वहों मैं पूरी खाता हूँ। मेरा धी खाना उस भूखे को नहीं खटकता। आज भी किसान कहता है कि अगर मुझे पेटभर रोटी मिल जाय तो तेरे धी की मुझे ईर्ष्या नहीं। मुझे तेल ही मिलता रहे तो भी संतोष है। यह भेद उसे भले ही न अखरता हो; मगर हम सेवकों को बहुत अखरता है। लेकिन इस तरह कबतक चलता रहेगा? पारसाल मे एक खासा दुबला-पतला जीव था। इस साल मुटा गया हूँ। मुझे यह मुटापा बहुत खटकता है। मैं भी उन्हीं लोगों जैसा दुबला-पतला हूँ, यह सन्तोष अब जाता रहा।

देहाती रहन-सहन में सुधार

इस टेंगी हुई तरक्ती पर लिखा है कि आवश्यकताएँ बढ़ाते रहना सभ्यता का लक्षण नहीं है; वल्कि आवश्यकताओं का संस्करण सभ्यता का लक्षण है। तो भी मैं कहता हूँ कि देहातियों की आवश्यकताएँ बढ़ानी चाहिए। उन्हे सुधारना भी चाहिए। लेकिन उनकी आवश्यकताएँ आज तो पूरी भी नहीं होती। उनका रहन-सहन विल्कुल गिरा हुआ है। उनके जीवन का मान बढ़ाना चाहिए। मोटे हिसाब से तो यही कहना पड़ेगा कि आज हमारे गरीब देहातियों की आवश्यकताएँ बढ़ानी चाहिए।

वृत्ति-परिवर्तन की आवश्यकता

यदि हम गाँवों मे जाकर बैठे हैं तो हमें इसके लिए प्रवल प्रयत्न करना चाहिए कि ग्रामवासियों का रहन-सहन ऊपर उठे और हमारा नीचे उतरे। लेकिन हम ज़्या-ज़्या-सी बातें भी तो नहीं करते। महीना-डेढ़ महीना हुआ, मेरे पैर मे चोट लग गयी। किसी ने कहा उसपर मरहम लगाओ। मरहम मेरे स्थान पर आ भी पहुँचा। किसी ने कहा, मोम लगाओ, उससे ज्यादा क्यायदा होगा। मैंने निश्चय किया कि मर-हम और मोम दोनों आजिर मिट्टी के ही वर्ग के तो हैं। इसलिए

मिछी लगा ली । अभी पैर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है । लेकिन अब मजे मे चल सकता हूँ । हमे मरहम जल्दी याद आता है, लेकिन मिछी लगाना नहीं सूझता । कारण, उसमे हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं ।

हमारे सामने इतना बड़ा सूर्य खड़ा है । उसे अपना नगा शरीर दिखाने की हमें बुद्धि नहीं होती । सूर्य के सामने अपना शरीर खुला रखो, तुम्हारे सारे रोग भाग जायेंगे । लेकिन हम अपनी आदत और शिक्षा से लाचार हैं । डाक्टर जब कहेगा कि तुम्हे तपेदिक हो गया तब वही करेगे ।

हम अपनी जरूरते किस तरह कम कर सकेंगे, इसकी खोज करनी चाहिए । मैं यहाँ सन्यासी का धर्म नहीं बतला रहा हूँ । खासे सद्गृहस्थ का धर्म बतला रहा हूँ । ठंडी आब-हवावाले देशों के डाक्टर कहते हैं कि बच्चों की हड्डियों बढ़ाने के लिए उन्हे “कॉड लिवर आयल” दो । जहाँ सूर्य नहीं है ऐसे देशों मे दूसरा उपाय ही नहीं है । काढ लिवर के बिना बच्चे मोटे-ताजे नहीं होंगे । यहाँ सूर्य-दर्शन की कमी नहीं । यहाँ यह “महा कॉड लिवर आयल” भरपूर है । लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते । यह हमारी दशा है । हमे लैंगोटी लगाने मे जर्म आती है । छोटे बच्चों पर भी हम कपड़े की बाइडिंग (जिल्द) चढ़ाते हैं । नगे बदन रहना असभ्यता का लक्षण माना जाता है । वेदों में प्रार्थना की गयी है कि, “मा नः सूर्यस्य सदृशो युयोथाः ।”—“हे ईश्वर, मुझे सूर्य-दर्शन से दूर न रख ।” वेद और विज्ञान दोनों कहते हैं कि खुले शरीर रहो । कपड़े की जिल्द मे कल्याण नहीं । हम अपने आचार से ये विनाशक चीजे गौंधों मे दाखिल न करे । हम देहात मे जानेपर भी अपने बच्चों को आधी या पूरी लम्बाई का पतलून पहनाते हैं । इसमे उन बच्चों का कल्याण तो है ही नहीं, उलटे एक दूसरा अशुभ परिणाम यह निकलता है कि दूसरे बच्चों मे और उनमे मेद पैदा हो जाता है । या फिर दूसरे लोगों को भी अपने बच्चों को सजाने का शौक पैदा हो जाता है । एक फुजूल की जरूरत पैदा

हो जाती है। हमे देहातो में जाकर अपनी जल्लतें कम करनी चाहिए। यह विचार का एक पहलू हुआ।

हिन्दुस्तान का महारोग

देहातो की आमदनी बढ़ाना इस विचार का दूसरा पहलू है। लेकिन वह कैसे बढ़ायी जाय? हमसे आलस्य बहुत है। वह महान् शत्रु है। एक का विशेषण दूसरे को जोड़ देना साहित्य में एक अलंकार माना गया है। “कहे लड़की से, लगे वह को”, इस अर्थ की जो कहावत है उसका भी अर्थ यही है। वह को यदि कुछ जली-कटी सुनानी हो तो सास अपनी लड़की को सुनाती है। उसी तरह हम कहते हैं, “देहाती लोग आलसी हो गये।” दरअसल, आलसी तो हम हैं। यह विशेषण पहले हमे लागू होता है। हम इसका उनपर आरोप करते हैं। वेकारी के कारण उनके शरीर में आलस्य भले ही भिद गया हो, परन्तु उनके मनमें आलस्य नहीं है। उन्हे वेकारी का शौक नहीं है। लेकिन यदि मन कहा जाय तो हम कार्यकर्त्ताओं के तो मन में भी आलस्य है और शरीर में भी। आलस्य हिन्दुस्तान का महारोग है। यह बीज है। बाहरी महारोग इसका फल है। हमे इस आलस्य को दूर करना चाहिए। सेवक को सारे दिन कुछ-न-कुछ करते रहना चाहिए। और कुछ न हो तो गौव की परिक्रमा ही करे। और कुछ न मिले तो हड्डियाँ ही घटोरे। यह भगवान् शंकर का कार्यक्रम है। हड्डियाँ इकट्ठी करके चर्मालय में भेज दे। इससे आशुतोष भगवान् शंकर प्रसन्न होंगे। या एक बातटी में गिट्ठी लेकर रास्ते पर जहाँ-जहाँ खुला हुआ मैला पड़ा हो उसपर ढाकता किरे। अच्छी खाद बनेगी। इसके लिए कोई खास कौशल की जरूरत नहीं।

कुशल औजार

हमारे सेनापति वापट ने एक कविता में कहा है कि, “शाड़, खपैल और खुरपा, ये औजार धन्य हैं।” ये कुशल औजार हैं। जिस

औजार का उपयोग अकुशल मनुष्य भी कर सकता है उसे बनानेवाला अधिक-से-अधिक कुशल होता है। जिस औजार के उपयोग के लिये कम-से-कम कुशलता की जरूरत हो वह अधिक-से-अधिक कुशल औजार है। खपरैल और झाड़ू ऐसे ही औजार हैं। झाड़ू सिर्फ़ फिराने की देर है, भू-माता स्वच्छ हो जाती है। खपड़िया में जरा भी आनाकानी किये बिना मैला आ जाता है। यत्रशास्त्र के प्रथोग इस दृष्टि से होने चाहिए। खपरैल, खुरपा और झाड़ू के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। इसलिए ये सीधे-सादे औजार धन्य हैं।

केवल हवाखोरी मना है

रामदास ने अपने 'दासबोध' में सुबह से शाम तक की दिनचर्या बतलाते हुए कहा है कि सबेरे शौच-निया के लिए बहुत-दूर जाओ और वहाँ से लैटते हुए कुछ-न-कुछ लेते आओ। वह कहते हैं कि खाली हाथ आना खोया काम है। सिर्फ़ हाथ हिलाते नहीं आना चाहिए। कोई-कोई कहते हैं कि हम तो हवा खाने गये थे। लेकिन हवा खाने का काम से विरोध क्यों हो ? कुदाली से खोदते हुए क्या नाक बन्द करली जाती है ? हवा खाना तो सदा चालू ही रहता है। परन्तु श्रीमान् लोग हमेशा बिना हवावाली जगह में बैठे रहते हैं। इसलिए उनके लिए हवा खाना भी एक काम हो जाता है। मगर कार्यकर्ता को सदा खुली हवा में काम करने की आदत होनी चाहिए। वापस आते हुए वह अपने साथ कुछ-न-कुछ ज़रूर लाया करे। देहात में वह दतुअन ला सकता है। लीपने के लिए गोबर ला सकता है और अगर कुछ न मिले तो कम-से-कम किसी एक खेत के कपास के पेड़ ही गिनकर आ सकता है, यानी फसल का शान अपने साथ ला सकता है। मतलब, उसे फुजूल चक्कर नहीं काटने चाहिए। देहात से काम करनेवाले ग्राम-सेवक को सुबह से लेकर शाम तक कुछ-न-कुछ करते ही रहना चाहिए।

एक मुँह पीछे दो हाथ

लोगों की शक्ति कैसे बढ़ेगी, इसके विषय से अब कुछ कहूँगा। देहातों में बेकारी और आलस्य बहुत है। देहात के लोग मेरे पास आते और कहते हैं, “महाराज, हम लोगों का बुरा हाल है। घर में चार खानेवाले मुँह हैं।” न जाने वे मुझे ‘महाराज’ क्यों कहते हैं? मेरे पास कौन-सा राज धरा है? मैं उनसे पूछता हूँ, “अरे भाई, घर में अगर खानेवाले मुँह न हो तो क्या बगैर-खानेवाले हो? बगैर-खानेवाले मुँह तो मुदों के होते हैं। उन्हे तो तुरन्त बाहर निकालना होता है। तुम्हारे घर में चार खानेवाले मुँह हैं, यह तो तुम्हारा वैभव है। वे तुम्हे भार क्यों हो रहे हैं? भगवान् ने आदमी को अगर एक मुँह दिया है तो उसके साथ-साथ दो हाथ भी तो दिये हैं। अगर वह एक समूचा मुँह और आधा ही हाथ देता तो अलबत्ता मुश्किल थी। तुम्हारे यहाँ चार मुँह हैं तो आठ हाथ भी तो हैं। फिर भी शिकायत क्यों? लेकिन हम उन हाथों का उपयोग करें, तब न? हमें तो हाथ-पर-हाथ धरकर बैठे रहने की आदत होगयी है, हाथ जोड़ने की आदत होगयी है। जब हाथ चलना बन्द होजाता है तो मुँह चलना शुरू होजाता है। फिर खानेवाले मुँह आदमी को ही खाने लगते हैं।

सब्यसाची बनो

- हमें अपने दोनों हाथों से एक-सा काम करना चाहिए। पौनार में कुछ लड़के कातने आते हैं। उनसे कहा, “वायें हाथ से कातना शुरू करो।” उन्होंने यहीं से कहना शुरू किया कि ‘हमारी मज़दूरी कम हो जायगी। वायाँ हाथ दाहिने की वरावरी नहीं कर सकेगा।’ मैंने कहा, “यह क्यों? दाहिने हाथ में अगर पॉच अँगुलियों हैं तो वायें हाथ में भी तो हैं। फिर क्यों नहीं वरावरी कर सकेगा?” निदान, मैंने उनमें से एक लड़का लुन लिया और उससे कहा कि “वायें हाथ से कात।” उसे जितनी मज़दूरी

कम मिलेगी उतनी पूरी कर देने का ज़िम्मा मैंने लिया । चौदह रोज मे वह साढ़े चार रुपये कमाता था । वाये हाथ से पहले पखवाड़े मे ही उसे करीब तीन रुपये मिले । दूसरे पाख मे बायें हाथ दाहिने की बराबरी पर आ गया । एक रुपया मैंने अपनी गिरह से पूरा किया । लेकिन उससे सबकी औले खुल गयीं । यह कितना बड़ा लाभ हुआ ? मैंने लड़को से पूछा, “क्यों लड़को, इसमे फार्यदा है कि नहीं ?” वे कहने लगे, “हौं, क्यों नहीं ?” दाहिना हाथ भी तो आठ घण्टे लगातार काम करने मे धीरे-धीरे थकने लगता है । अगर दोनों हाथ तैयार हो तो अदल-बदल कर सकते हैं और थकावट बिलकुल नहीं आती । अठाईस-के-अठाईसो लड़के वाये हाथ का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गये !

शुरू-शुरू मे हाथ मे थोड़ा दर्द होने लगता है । लेकिन यह सात्त्विक दर्द है । सात्त्विक सुख ऐसा ही होता है । अमृत भी शुरू-शुरू मे जरा कड़ुआ ही लगता है । पुराणों का वह एकदम मीठा-ही-मीठा अमृत वास्तविक नहीं । अमृत अगर, जैसा कि गीता मे कहा है, सात्त्विक हो तो वह मीठा-ही-मीठा कैसे हो सकता है ? गीता मे बताया हुआ सात्त्विक सुख तो प्रारम्भ में कड़ुआ ही होता है । मेरी बात मानकर लड़को ने तीन महीने तक सिर्फ वाये हाथ से कातने का प्रयोग करने का निश्चय किया । तीन महीने मानो दाहिने हाथ को बिलकुल भूल ही गये । यह कोई छोटी तपस्या नहीं हुई ।

अनिन्दा का व्रत

देहात मे निन्दा का दोष काफी दिखलाई देता है । यह बात नहीं कि शहर के लोग इससे बरी है । लेकिन यहाँ मैं देहात के ही विषय मे कह रहा हूँ । निन्दा सिर्फ पीठ-पीछे जिन्दा रहती है । उससे किसी का भी फायदा नहीं होता । जो निन्दा करता है उसका मुँह खराब होता है और जिसकी निन्दा की जाती है उसकी कोई उन्नति नहीं होती । मैं यह जानता

तो था कि देहातियो मे निन्दा करने की आदत होती है। लेकिन यह रोग इतने उग्र रूप मे फैल गया' होगा, इसका मुझे पता न था। इधर कुछ दिनो से मैं सत्य और अहिंसा के बदले सत्य और अनिन्दा कहने लगा हूँ। हमारे सन्तो की बुद्धि बड़ी सूखम थी। उनके वाक्य का रहस्य अब मेरी समझ मे आया। वे देहातियो से भर्ली भाँति परिचित थे। इसलिये उन्होंने जगह-जगह कहा है कि निन्दा न करो, चुगली न खाओ। सन्तो के लिये मेरे मन मे छुट्टन से ही भक्ति है। उनके किये हुए भक्ति और ज्ञान के वर्णन मुझे बड़े मीठे लगते थे। लेकिन मैं सोचता था कि 'निन्दा मत कर' कहने मे क्या बड़ी विशेषता है। उनकी नीति-विषयक कविताएँ मैं पढ़ता तो था, लेकिन वे मुझे भाती न थी। परस्ती को माता के समान समझो, पराया माल न छुआओ, और निन्दा न करो—इतने मे उनकी नैतिक शिक्षा की पूँजी खत्म हो जाती थी। भक्ति और ज्ञान के साथ-साथ उसी श्रेणी मे वे इन चीजो को भी रखते थे। यह मेरी समझ मे न आता था। लेकिन अब खूब अच्छी तरह समझ गया हूँ। निन्दा का दुर्ऊण उन्होंने लोगो की नस-नस मे पैठा हुआ देखा, इसलिए उन्होंने अनिन्दा पर वार-वार इतना जोर दिया और उसे बड़ा भारी सद्गुण बतलाया। कार्यकर्ताओं को यह शापथ ले लेनी चाहिए कि हम न तो निन्दा करेंगे और न सुनेंगे। निन्दा मैं अक्सर चलती और अत्युक्ति होती है। साहित्य मैं अत्युक्ति भी एक अलंकार माना गया है। संसार को चौपट कर दिया है इन साहित्यवालों ने। वस्तुस्थिति को तिगुना, दसगुना, बीसगुना बढ़ाकर बताना उनके मत से अलंकार है। तो क्या जो चीज़ जैसी है उसे वैसी ही बताना अपनी नाक काटने के समान है? कथाकार और प्रवचनकार की अत्युक्ति का कोई ठिकाना ही नहीं। एक को सौगुना बढ़ाने का नाम अतिशयोक्ति है, ऐसी उसकी कोई नाप होती तो अतिशयोक्ति से वस्तुस्थिति की कल्पना कर

सकते। लेकिन यहों तो कोई हिसाब ही नहीं है। वे एक का सौगुना नहीं करते बल्कि शून्य को सौगुना बढ़ाते हैं। सुनता हूँ, सौ अनन्त का गुण करने से कोई एक अक आता है, लेकिन यह तो गणितश ही जानें।

सचाई का सूक्ष्म अभ्यास

तीसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वह है सचाई। हमारे कार्यकर्त्ताओं में स्थूल अर्थ मैं सचाई है, सूक्ष्म अर्थ में नहीं। अगर मैं किसी से कहूँ कि तुम्हारे यहों सात बजे आऊँगा तो वह पाँच ही बजे से मुझे लेने के लिए मेरे यहों आकर बैठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस देश में जो कोई किसी खास वक्त आने का वादा करता है वह उस वक्त आयेगा ही इसका कोई नियम नहीं। इसलिए वह पहले से ही आकर बैठ जाता है। सोचता है कि दूसरे के भरोसे काम नहीं बनता। इसलिए हमें हमेशा बिल्कुल ठीक बोलना चाहिए। किसी गॉववाले से आप कोई काम करने के लिए कहिए तो वह कहेगा, ‘जी हूँ’। लेकिन उसके दिल में वह काम करना नहीं होता। हमें टालने के लिए वह ‘जी हूँ’ कह देता है। उसका मतलब इतना ही होता है कि अब ज्यादा तग न कीजिए। ‘जी हूँ’ से उसका मतलब है कि यहों से तश्वारीफ लेजाइए। उसके ‘जी हूँ’ में थोड़ा अहिंसा का भाव होता है। वह ‘आगे बढ़िए’ कहकर आपके दिल को चौट पहुँचाना नहीं चाहता। आपको वह ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। इसलिए ‘जी हूँ’ कहकर जान बचा लेता है।

इसलिए कोई भी बात जो हम देहातियों से कराना चाहे वह उन्हे समझा भर देनी चाहिए। उनसे शपथ या व्रत नहीं लिवाना चाहिए। जब से मैं देहात मे गया तबसे किसीसे किसी बात के विषय मे वचन लेने से मुझे चिढ़-सी हो गयी है। अगर मुझसे कोई कहे भी कि मैं यह

मधुकर

“वात्तकलूँगा तो मैं उससे यहीं कहूँगा कि “यह तुम्हें ज़ैचती है न ? वसे, तो इतना काफी है । वचन देने की ज़रूरत नहीं । तुम से हो सके तो करो ।” लोगों को उसकी उपयोगिता समझाकर सन्तोष मान लेना चाहिए । क्योंकि किसीसे कोई काम करने का वचन लेने के बाद उस काम के कराने की जिम्मेदारी हमपर आ जाती है । अगर वह अपना वचन पूरा न करे तो हम अप्रत्यक्ष रूप से झूठ बोलने में सहायता करते हैं । राजकोट-प्रकरण और क्या चीज़ है ? अगर कोई हमारे सामने किसी विषय में वचन देदे और फिर उसे पूरा न करे तो इसमें हमारा भी अधःपतन होता है । इसीलिए बापू को राजकोट में इतना सारा प्रयास करना पड़ा । इसलिए वचन, नियम या व्रत में किसीको बाँधना नहीं चाहिए और अगर किसीसे वचन लेना ही पड़े तो वह वचन अपना समझ कर उसे पूरा कराने की सावधानी पहले रखनी चाहिए । उसे पूरा करने में हर तरह से मदद करनी चाहिए । सचाई का यह गुण हमारे अन्दर होना चाहिए ।

सूक्ष्म असत्य

बाह्यवल में कहा है, “ईश्वर की कसम न खाओ” । आपके दिल में ‘हो’ हो तो हों कहिए और ‘ना’ हो तो ना कहिए । लेकिन हमारे यहाँ तो रामदुहाई भी काफी नहीं समझती जाती । कोई भी बात तीन बार वचन दिये बिना पछी नहीं मानी जाती । सिर्फ़ ‘हो’ कहने का अर्थ इतना ही है कि “आपकी बात समझ में आ गयी । अब देखेंगे, बिचार करेंगे” । किसी मज़्बूत पत्थर पर एक-दो चोट लगाइए तो उसे पता भी नहीं चलता । दस-पाँच मारिए, तब वह सोचने लगता है कि शायद कोई व्यायाम कर रहा है । पचास चोटें लगाइए तब कहीं उसे पता चलता है कि “अरे, यह व्यायाम नहीं कर रहा है । यह तो मुझे फोड़ने जा रहा है ।” एक बार हों कहने का कोई अर्थ नहीं । दो

बार कहने पर वह सोचने लगता है कि मैंने हँ कर दी है। और जब तीसरी बार हँ कहता है तब उसके व्यान में आता है कि मैंने जान-बूझकर हँ कही है। कुल का अर्थ इतना ही है कि सूक्ष्म दृष्टि से झूठ हमारी नस-नस में भिद गया है। इसलिए कार्यकर्त्ताओं को अपने लिए यह नियम बना लेना चाहिए कि जो बात करना कबूल करें उसे करके ही दम ले। इसमें तनिक भी गलती न करे। दूसरे से कोई बचन न लें। उस झज्जट में न पडे।

पुरानी और नंयी पीढ़ी

पुरानी आर नया पाढ़।
अब कार्यकर्त्ताओं से कार्य-कुशलता के बारे में दो-एक बातें कहना चाहता हूँ। जब हम कार्य करने जाते हैं तो चालू पीढ़ी के बहुत पीछे पड़ते हैं। चालू पीढ़ी का तो विशेषण ही 'चालू' है। वह चलती चीज़ है। उसकी सेवा कीजिए। लेकिन उसके पीछे न पड़िए। उसके शरीर के समान उसका मन और उसके विचार भी एक सॉचे में ढले हुए होते हैं। जो नयी बात कहना हो वह नौजवानों से कहनी चाहिए। तरुणों के विचार और विकार दोनों बल्वान् होते हैं। इसीलिए कुछ लोग उन्हे उच्छृङ्खल भी कहते हैं। इसमें सचाई इतनी ही है कि वे बल्वान् और वेगवान् होते हैं। अगर उनके विचार बल्वान् हो सकते हैं तो वैराग्य वेगवान् होते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे विकारों का भी जबरदस्त हो सकता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे विकारों का शमन होता जाता है। मोटे हिसाब से यह सच है। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। यह कोई शास्त्र नहीं है। हमारी बात चालू पीढ़ी को अगर जँचे तो अच्छा ही है, और न जँचे तो भी कोई हानि नहीं। भावी पीढ़ी को हाथ में लेना चाहिये। युवक ही नये-नये कामों में हाथ डालते हैं, बूढ़े नहीं। विकार किस तरह बढ़ते या घटते हैं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बृद्धों की अपेक्षा तरुणों में आँशा और हिम्मत ज्यादा होती है।

फल-प्राप्ति की अधीरता

दूसरी बात यह है कि कार्य शुरू करते ही उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। पॉच-दस साल काम करने पर भी कोई फल होता हुआ न देखकर निराश न होना चाहिए। हिन्दुस्तान के लोग चीस हजार साल के बूढ़े हैं। जब किसी गाँव में कोई नया कार्यकर्ता जाता है तो वे सोचते हैं कि ऐसे तो कई देख चुके हैं। साधु-सन्त भी आये और चले गये। नया कार्यकर्ता कितने दिन टिकेगा, इसके विषय में उन्हें सन्देह होता रहता है। अगर एक-दो साल टिक गया तो वे सोचते हैं कि शायद टिक भी जाय। अनुभवी समाज है। वह प्रतीक्षा करता रहता है। अगर लोग अपनी या हमारी मृत्युतक भी राह देखते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं।

समरसता का श्रथ

ग्रामवासियों से 'समरस' होने का ठीक-ठीक मतलब समझना चाहिए। उनका रंग हमपर भी चढ़ जाये, इसका नाम उनसे मिलना नहीं है। इस तरह मिलने से तद्रूपता आने लगती है। मेरे मत से समाज के प्रति आदर का जितना महत्व है उतना परिचय का नहीं। समाज के साथ समरस होने से उसका लाभ ही होगा, अगर हम ऐसा मानें तो इसमें अहंकार है। हम क्या कोई पारस पत्थर हैं कि हमारे केवल स्वर्ण से समाज की उन्नति हो जायगी। केवल समाज से समरस होने से काम होगा, यह मानने मेरे जड़ता है। रामदास कहते हैं, "मनुष्य को ज्ञानी और उदासीन होना चाहिए। समुदाय का हौसला रखना चाहिए; लेकिन अखण्ड और स्थिर होकर एकान्त सेवन करना चाहिए।" वे कहते हैं कि, "कोई जल्दी नहीं है। ज्ञानित से अखण्ड एकान्त-सेवन करो।" एकान्त-सेवन से आत्म परीक्षण का मौका गिलता है। लोगों से किस हद तक समर्क बढ़ाया जाय, यह ध्यान में आता है। अन्यथा अपना निजी रंग न रहकर उसपर दूसरे रंग चढ़ने लगते हैं। कार्यकर्ता फिर देशातियों

के रग का ही हो जाता है। उसके चिन्त मे व्याकुलता पैदा होती है और वह ठीक होती है। फिर उसका जी चाहता है कि किसी वाचनालय या पुस्तकालय की शरण लूँ। एकाध बडे आदमी के पास जाकर कहने लगता है कि मैं दो-चार महीने आपका सत्संग करना चाहता हूँ। फिर वे महादेव जी और ये नन्दी, दोनो एक जगह रहने लगते हैं? वह कहता है, “मैं बड़ा होकर खराब हुआ। अब तू मेरे पास रहता है। इसमे कोई लाभ नहीं।” इसलिए समाज मे सेवा के लिए ही जाना चाहिए। बाकी का समय स्वाध्याय और आत्म-परीक्षण मे विताना चाहिए। आत्म-परीक्षण के बिना उन्नति नहीं हो सकती। अपने स्वतंत्र समय में हम अपना एकाध प्रयोग भी करें। कई कार्यकर्ता कहते हैं, “क्या करें, चिन्तन के लिए समय ही नहीं मिलता। जरा बैठे नहीं कि कोई-न-कोई आया नहीं।” जो आये उससे बोलने मे समय विताना सेवा नहीं है। कार्यकर्ता को स्वाध्याय और चिन्तन के लिए अलग समय रखना चाहिए। एकान्त-सेवन करना चाहिए। यह भी देहात की सेवा ही है।

स्त्रियों की सेवा करो

एक बात स्त्रियों के सम्बन्ध में। स्त्रियों के लिए कोई काम करने मे हम अपनी हतक समझते हैं। पौनार का ही उदाहरण लीजिए। व्याकरण के अनुसार जिनकी गणना पुलिंग मे हो सकती है ऐसा एक भी आदमी अपनी धोती आप नहीं फौंचता। बाप के कपडे लड़की धोती है, लड़के के कपडे मॉ धोती है और भाई के कपडे बहन को धोने पड़ते हैं। मॉ की साड़ी फौंचने मे भी हमे शर्म आती है, तो पढ़ी की साड़ी धोने की तो बात ही क्या? अगर विकट प्रसव आजाय तो कोई रिश्तेदारिन धो देती है। और वह भी न मिले तो पडोसिन यह काम करेगी। अगर वह भी न मिले और पढ़ी की साड़ी साफ करने का मौका आ ही जाय, तो फिर वह काम शाम को, कोई देख न पाये ऐसे इन्तजाम से, नुपचाप,

मधुकर

चोरी से, कर लिया जाता है। यह द्वालत है ! और मेरा प्रस्ताव तो : इससे छिर्कुल उलटा है। लेकिन अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो आगे चलकर वे लियों ही आप के कपड़े बना देगी, इसमें तनिक भी शंका नहीं। एक बार मैं खादी का एक स्वावलम्बन-केन्द्र देखने गया। दफ्तर मेरे कोई सत्तर-पचहत्तर स्वावलम्बी खादी-धारियों की तालिका टँगी हुई थी। लेकिन उसमें एक भी लड़ी नहीं थी। वहाँ जो सभा हुई उसमें मेरे कहने से खासकर लियों भी बुलायी गयी थीं। मैंने पूछा, “यहाँ इतने स्वावलम्बी खादीधारी पुरुष हैं; तो क्या लियों न कातेगी ?” लियों ने जवाब दिया, “हम ही तो कातती हैं।” तथ मैंने खुद कातनेवाले पुरुषों से हाथ उठाने को कहा। कोई तीन-चार हाथ उठे। शैप सब लियों द्वारा काते गये सूत के ज़ोर पर स्वावलम्बी थे। इसलिए कहता हूँ कि फिलहाल उनके लिए महीन सूत कातिए। आगे चलकर वे ही आपके सारे कपड़े तैयार कर देंगी। कम से कम खादी-यात्रा में पहनने के लिए एक साड़ी अगर आप उन्हें बना दें तो भी मैं सन्तोष मान लूँगा। अगर वे वहाँ आयेगी तो कम-से-कम हमारी बातें तो उनके कानों तक पहुँचेगी।

: २३ :

चरखे का सहचारी भाव

पुराने जमाने की बात है। एक सत्य वक्ता, विशुद्धमना साधु वन में तप करते थे। उनके शान्त तप के प्रभाव से वहाँ के पश्चि-पक्षी आपसी वैर-भाव भूल गये थे जिससे वन-का-वन एक आश्रम जैसा बन गया था। जिस तप के बल से वन-केसरी का स्वभाव बदल जाय उससे इन्द्र का सिंहासन ढोलने लगे तो इसमें क्या आश्रय है। इन्द्र ने उस साधु का तप भग करना तै किया। हाथ में तलवार ले योद्धा का भेस बना वह साधु के पास आये, और विनती करने लगे—“क्या आप मेरी यह तलवार कृपा करके अपने पास धरोहर की भौति रख लेगे!” न जाने साधु ने क्या सोचकर उनकी विनती मान ली। इन्द्र चले गये। साधु ने धरोहर सेभाल कर रखने की ज़िम्मेदारी ली थी, वह दिन-रात तलवार अपने साथ रखने लगे। देवपूजा के लिए पुष्प आदि लेने जाते तो भी तलवार साथ होती। आरम्भ में उन्होंने विश्वास के नाते तलवार अपनायी थी, धीरे-धीरे तलवार पर उनका विश्वास जमता गया। तलवार नियम साथ रखते-रखते तपस्या से श्रद्धा जाती रही। यह बात उनके ध्यान में भी न आयी। सोधु कूर हो गया, इन्द्र का सिंहासन स्थिर और निर्भय हो गया और वन के हरिण डर के मारे कॉपने लगे।

रामचन्द्रजी के दण्डक वन में धूमते समय उनके हाथों कहीं हिसा न हो जाय, इस विचार से यह सुदर कथा सीताजी ने उनसे कही थी।

मधुकर

हर वस्तु के साथ उसका सहचारी भाव आता ही है। इस कथा का इतना ही भाव है। जैसे सूर्य के समीप उसकी किरणें वैसे ही वस्तु के समीप उसका सहचारी भाव होता है।

हम कहते हैं चरखे का सर्वत्र प्रचार हो जाय तो स्वराज्य मिला ही समझिए। इसका मतलब बहुतों की समझ में नहीं आता। कारण, चरखे के सहचारी भाव उनके ध्यान में नहीं आते। घर में एक चरखा आते ही अपने साथ कितनी भावनाएँ लाता है, यह हम नहीं जानते। विजली की भौति सारा वातावरण पल भर में बदल जाता है। राजा के बाहर निकलने पर हम कहते हैं—“राजा की सवारी निकली है।” चरखा घर के भीतर आया तो चरखे की सवारी भीतर आती है। हस सवारी में कौन-कौन से सरदार शामिल होते हैं, इसपर विचार करें तो ‘चरखे से स्वराज्य’ का रहस्य समझ में आजाये।

योड़े दिन हुए एक धनिक सज्जन ने जिन्होंने कान्फ्रेस के नियमानुसार हाल में ही चरखा कातना शुरू किया था चरखे के विषय में अपना यह अनुभव बताया था। “पहले मेरे मन में चाहे जैसे-तैसे व्यर्थ विचार आया करते थे। चरखा कातना शुरू करने पर यह बात अपने आप बद हो गयी। बीच में एक बार जी में आया कि बड़े लोग मोटर रखते हैं, मैं भी एक मोटर लैँ। पर तुरत ही यह विचार हुआ कि एक ओर चरखा और दूसरी ओर मोटर के पीछे मेरा पैसा विदेश जाय, यह ठीक नहीं। मोटर के बिना मेरा कोई काम अटका भी नहीं है। यह अनुभव एक दो का नहीं; बहुतों का है। चरखे के सहचारी भावों में गरीबों के प्रति सहानुभूति, गरीबी की कद्द और उसमें ही रस मानना एक महत्वपूर्ण भाव है। गरीब और अमीर में एकता लाने की सामर्थ्य जितनी चरखे में है उतनी और किसी चीज़ में नहीं।

गरीब और अमीर का झगड़ा सारी दुनिया को परेशान कर रहा

है। इसे मिटाने की शक्ति अकेले चरखे में ही है। गरीब-अमीर एक हो जायें तो स्वराज्य मिलते कितनी देर?

आज अपने समाज के, अधा मजदूर और लँगडा पण्डित, ये दो भाग हो गये हैं। सुशिक्षितों में स्वराज्य की भावना है पर कार्य करने की शक्ति नहीं। अशिक्षितों में कार्य करने की शक्ति है तो भावना नहीं। अधे और लँगडे की इस जोड़ी को जोड़ने की कला केवल चरखे में है। यो तो चरखा एक सीधी-सादी सी चीज दिखाई देता है। और है भी वह ऐसा ही। पर इस सीधी-सी वस्तु के लिए भी बढ़ई लुहार चमार आदि के चरणों में बैठना पड़ता है। अपने छोटे भाई को मैने एक बढ़ई के पास काम सीखने को रखा था। शुरू शुरू में तो बढ़ई बडे अदब से सिखाता-बताता था, पर थोड़े दिन बाद ही उसे मालूम हो गया कि मेरा शिष्य और बातों में चाहे विद्वान् हो पर इस काम में मूर्ख है। फलतः एक दिन धमकाकर बोला “इतना बताया तो भी ‘तू’ नहीं समझता!” शुरू-शुरू में वह ‘तुम’ कहता था। लेकिन उम्र छोटी होते हुए भी जब उसके मुँह से ‘तू’ निकल पड़ा तो मुझे आनन्द हुआ। जान पड़ा स्वराज्य पास आ गया है। एक बार मैं चरखा कात रहा था, एक ढेड़ बुनकर मुझसे मिलने आया। (यह स्योग भी चरखे के आन्दोलन के बिना नहीं आता।) मैं कातते कातते उसके साथ बाते करता जाता था। तक्युए मैं कुछ दोष था जिससे अच्छा कातते नहीं बनता था। उस ढेड़ के ध्यान में तुरन्त यह बात आ गयी थी और क्या दोष है, यह उसने मुझे बताया। मुझ जैसे ‘विद्वान्’ को सिखाने में उसको कितना आनंद आया होगा और हम एक दूसरे के कितने पास आये होंगे! सुशिक्षित और अशिक्षित एक हो जायें तो स्वराज्य क्यों न मिले?

आज हिन्दू-मुसलमान के झगड़ों का प्रश्न बड़ा त्रिकट हो गया है। मैं समझता हूँ कि इसे हल करने की शक्ति भी केवल चरखे में ही है।

मधुकर

अत्यक्ष मान्दर आर मसजिद मे चरखे का प्रवेश हो जाय तो सब झगड़े खत्म हो जायें । अवश्य ही, आजकी परिस्थिति में ऐसा होने के लिए भी दूसरी कितनी ही वस्तुओं की सहायता दरकार होगी । लेकिन चरखा कातनेवाला, कोई भी हिन्दू या मुसलमान, एक दूसरे का सिर तोड़ने को कभी तैयार न होगा, यह बात पक्की है । जिस तरह तलवार को साथ रखते-रखते मनुष्य हिंसक बन जाता है उसी तरह वह चरखे के साथ से शान्त बन जाता है । शान्ति या अहिंसा ही चरखे का सहचारी भाव है । समाज मे शान्ति स्थापित हो और उससे हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों का अन्त हो जाय तो स्वराज्य क्यों न मिले ।

चरखे के सहचारी भावों के यथार्थ स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता । और किया भी जाय तो केवल पढ़कर वह समझा नहीं जा सकता । उसके लिए तो खुद चरखे से ही दोस्ती करनी होगी । दोस्ती पक्की होते ही चरखा खुद ही अपने सब रहस्य बता देता है । उसकी संगीत-मधुर-वाणी एक बार कान मे पड़ी कि सारी कुशंकाएँ भिट्ठी समझिए । इसलिए यह लेख पूरा करने के पचड़े में न पढ़कर, उसका बाकी हिस्सा पाठक चरखे में से कात ले । उनसे इतनी प्रार्थना करके मैं यहीं विश्राम लेता हूँ ।

: २४ :

सारे धर्म भगवान् के चरण हैं

पिछले दिनों बम्बई में, इस्लाम के एक अध्येता श्री मुहम्मदअली का 'कुरान के अध्ययन' पर एक भाषण हुआ था। उसमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये थे वैसे आजकल के असहिष्णु युग में बहुत कम सुनाई देते हैं।

उन्होंने कहा, "‘कुरान के उपदेश के सम्बन्ध में हिन्दुओं या ईसाइयों के दिलों में होनेवाली विपरीत भावनाओं की जिम्मेदारी मुसलमानों की है। परधर्मों के विषय में जो वृत्ति कुरान की मानी जाती है उसके लिए वस्तुतः कुरान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वे चन्द्र मुसलमान हैं जो कुरान के उपदेश के खिलाफ आचरण कर रहे हैं।' कुरान का उचित रीति से अध्ययन करने से विदित होगा कि कुरान की रू से जहाँ-जहाँ ईश्वर-शरणता है वहाँ-वहाँ इस्लाम है। मैं खुद किसी समय नास्तिक और ऊपरी—अर्थात् हिन्दू-विरोधी या ईसाई-विरोधी के अर्थ में—मुसलमान था। पर कुरान पढ़ने पर इस्लाम का असली अर्थ मेरी समझ में आ गया और आज मैं एक सच्चे हिन्दू या सच्चे ईसाई को असली मुसलमान समझ सकता हूँ।"

यह दृष्टि शुद्ध है। सच्चे हिन्दू से मुसलमान है और सच्चे मुसलमान में हिन्दू है। हममें पहचानने भर की शक्ति होनी चाहिए। विट्ठल का उपासक विट्ठल की उपासना कभी नहीं छोड़ेगा। वह जन्म भर विट्ठल का ही उपासक रहेगा। लेकिन वह राम की उपासना का विरोध न

करेगा वह विट्ठल मे भी राम देख सकता है। यही बात रामोपासक पर कही गई है। उसे राम की मूर्ति मे विट्ठल के दर्शन होते हैं * ।

धर्माचरण एक उपासना है। उपासना में विरोध की गुंजाइश नहीं। जैसे 'राम' और 'विट्ठल' एक ही परमेश्वर की मूर्तियाँ हैं, और उनमें विशिष्टता होते हुए भी उनका विरोध नहीं है; वैसे ही हिन्दू-धर्म, मुसलिम-धर्म इत्यादि एक ही सत्य-धर्म की मूर्तियाँ हैं, इसलिए उनमें विशिष्टता होते हुए भी विरोध नहीं है। जो ऐसा देखता है वही वास्तव मे देखता है।

रामकृष्ण परमहंस ने भिन्न-भिन्न धर्मों की साधना स्वयम् करके सब धर्मों की एकरूपता प्रत्यक्ष कर ली। तुकाराम ने अपनी उपासना सिवा दूसरे किसी की उपासना न करते हुए भी सारी उपासनाओं की एकवाक्यता जान ली। जो स्वधर्म का निष्ठा से आचरण करेगा उन स्वभावतः ही दूसरे धर्मों के लिए आदर रहेगा। जिसे परधर्म के अनादर हो, उसके बारे मे समझ लीजिए कि वह स्वधर्म का आचरण नहीं करता।

धर्म का रहस्य जानने के लिए न तो कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, न पुराण पढ़ने की। 'सारे धर्म भगवान् के चरण हैं', इतनी एक बात जान लेना बस है।

* तुलसीदासजी ने कहा नहीं है—“मोर मुकुट कटि काढनी, न बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तम नवे, धनुष धाण लो हाथ।”

